



हिन्दी-ग्रन्थरत्नाकर-सीरीजका ३१ वाँ ग्रन्थ ।

## अफ़लेण्डका इतिहास ।



अंगरेजी 'मराठा' और मराठी 'केसरी' के सुप्रसिद्ध सम्पादक  
श्रीयुक्त नरसिंह चिन्तामणि केलकर वी ए. एल एल वी के  
मराठी ग्रन्थका अनुवाद ।



अनुवादकर्ता,  
श्रीयुक्त बाबू रामचन्द्र वर्मा ।



प्रकाशक,  
हिन्दी-ग्रन्थ-रत्नाकर-कार्यालय, बम्बई ।

ज्येष्ठ १९७५ विक्रम ।

प्रथमावृत्ति ]

जून १९१८ ।

[ मूल्य १।।।= )

कपड़ेकी जिल्दसहितका मूल्य सवा दो रुपये ।

प्रकाशक—

नाथूराम प्रेमी, मालिक  
हिन्दी ग्रन्थरत्नाकर कार्यालय,  
हीराबाग, गिरगांव—बम्बई ।



मुद्रक—

चिंतामणि सखाराम देवळे,  
बम्बईवैभव प्रेस, सँट्रहस्ट रोड,  
बम्बई ।

## निवेदन ।

आयरलैण्डका इतिहास डेढ़ दो हजार वर्षका है, परन्तु भारतवासियोंके लिए अधिक शिक्षाप्रद उसका बारहवीं शताब्दीसे इधरका इतिहास ही है । क्यों कि उसी समय उस पर इंग्लैण्डका अधिकार हुआ था । लेकिन अठारहवीं शताब्दीसे पहलेका आयरलैण्डका पूरा और ठीक इतिहास मिलता ही नहीं । पहले पहल अठारहवीं शताब्दीमें ही आयरिश लोगोंमें राष्ट्रीयताकी कल्पनाका उदय हुआ था और तभीसे ऐतकोंने उसका ठीक ठीक इतिहास लिखा है । इस पुस्तकमें वही सक्षिप्त राजकीय इतिहास, आयरिश लोगोंके स्वतन्त्रता-सम्बन्धी आन्दोलनोंका वर्णन और उनके सम्बन्धमें तात्त्विक विवेचन किया गया है और राजनीतिक दृष्टिसे आयरलैण्ड और हिन्दुस्तानकी तुलना की गई है । आयरिश लोगोंका इतिहास कुछ विषयोंमें भारतवासियोंके लिए उपमान स्वरूप हो सकता है । इसी लिए सन् १९०९ में सुप्रसिद्ध देशभक्त और मुखेखक श्रीयुक्त नरसिंह चिन्तामणि केलकरने अपने पत्र मराठी केसरीमें इस सम्बन्धमें पहले कुछ लेख चौदह अंकोंमें प्रकाशित किये थे और उसीमें कुछ परिवर्तन करके तथा लेखोंका क्रम सुभीतेके अनुसार बदल कर पीछे उन्हें पुस्तकाकार छपवाया था । प्रस्तुत पुस्तक उसीका अनुवाद है ।

देशभक्त केलकरका यह ग्रन्थ किसी आयरिश या अँगरेज लेखकके विचारोंका अनुवाद नहीं है, किन्तु अँगरेजीके विविध लेखकोंके लिखे हुए लगभग ४० ग्रन्थोंका गहरा अध्ययन तथा मना करके और हिन्दुस्तानकी परिस्थितियोंको हृदयस्थ करके मिलकुल स्वतंत्र रीतिसे लिखा हुआ प्रकृत इतिहास है और इस लिए यह भारतवासियोंके लिए बहुत ही महत्त्वका चीज है ।

मूल पुस्तक ठीक आठ वर्ष पहले लिखी गई थी । इधर आठ वर्षोंमें ससारमें बहुत कुछ परिवर्तन और उन्नति हुई है, और फलत आयरलैण्ड तथा भारत-वर्षमें भी बहुत कुछ आगे पैर बढ़ाये हैं । दोनों देशोंमें इधर जो कुछ नई उल्लेख-योग्य बातें हुई हैं, उन सबको भी मैंने इस अनुवादमें समाविष्ट करनेका प्रयत्न किया है । इस प्रयत्नमें मुझे कहींतक सफलता हुई है इसका निर्णय विद्वान पाठक ही कर सकते हैं ।

आयलैंण्डके अपने उद्दिष्ट स्थान तक पहुँचनेमें अब बहुत ही थोड़ी कसर जान पड़ती है । भारतवर्ष भी वहाँतक पहुँचनेके लिए जोर मार रहा है और आशा की जाती है कि थोड़े दिनोंके अन्दर ही भारतवासियोंकी भी बहुत कुछ कामनायें पूर्ण हो जायँगी । लेकिन इन थोड़े दिनोंमें ही उन्हें बहुत कुछ प्रयत्न करनेकी भी आवश्यकता होगी । यह प्रयत्न जितना ही वैध और अधिक होगा, सफलताकी मात्रा भी उतनी ही अधिक होगी । ऐसी दशामे बहुत सम्भव है कि इस अनुवादसे लोगोंको अपने प्रयत्नमें भी थोड़ी बहुत सहायता मिले और उनके लिए यह उपयोगी हो । इसी विचारसे इस समय यह अनुवाद प्रकाशित किया जाता है । ईश्वर करे, भारतवासियोंका अभीष्ट शीघ्र ही सिद्ध हो और उनके प्रयत्नोंमें शीघ्र ही सफलता हो । तथास्तु ।

काशी,  
दीपमालिका १९७४ । }

निवेदक—  
रामचन्द्र वर्मा ।

### कृतज्ञता-प्रकाश ।

हम इस अपूर्व ग्रन्थके मूल लेखक श्रीयुक्त केलकर महाशयके बहुत ही कृतज्ञ हैं जिन्होंने बड़ी ही प्रसन्नता और उदारतासे हमें इस अनुवादग्रन्थको प्रकाशित करनेकी आज्ञा दी है ।

—प्रकाशक ।

# विषय-सूची ।

## इतिहास ।

	पृष्ठ
१ विषयोपन्यास	१
२ प्राचीन इतिहास	९
३ अर्धप्राचीन इतिहास	१९
४ धार्मिक स्वतंत्रताका आन्दोलन	६२
५ खेतिहरोंका आन्दोलन	९०
६ राष्ट्रीय स्वतंत्रताका आन्दोलन	१११
७ विद्रोहका आन्दोलन	१५८
८ सारासार विचार	१७०
९ आयरलैण्ड और हिन्दुस्तान	२३६

## चरित्रमाला ।

१ अर्ल आफ चार्लमाट	२७९
२ हेनरी प्रटन	२८१
३ लुफ्टोन	२९०
४ राबर्ट एमेट	२९५
५ डेनियल ओकानेल	२९६
६ स्मिथ ओत्रायन	२९०
७ आइजिक बट	३१५
८ फार्नेल	३१८
परिशिष्ट	३३७

1  
2

3

4

5  
6

7

8  
9

10  
11

12

13

AUGUST AND BROTHERS " THIA.  
 JAIN LIBRA :  
 BIKANER, RAJ" I.A.

शास्त्रचर्य मेरीयतः विद्या


जन प्र जलम

बीकानेर, (राजपुस्तालय.)

## आयलॅण्डका इतिहास ।



१ विषयोपन्यास ।



सन् १९०७ के नवम्बर मासमें, शिमलेमें, भारतीय व्यवस्थापक सभामें राजद्रोहीसभासम्बन्धी एक कानून पास हुआ था । उस अवसर पर जो वादविवाद हुआ था उसमें माननीय डा० रासबिहारी घोषने स्वयं वाइसराय साहबके सामने स्पष्ट रूपमें कह दिया था कि—“ भारत-वर्ष दूसरा आयलॅण्ड हुआ जाता है, संभल जाइए, आयलॅण्डकी तरह यहाँ भी दमनशील नियमोंके बल पर राज्य करनेका सरकारका इरादा दिखाई देता है । लेकिन उमें अच्छी तरह समझ रखना चाहिए कि आयलॅण्ड पर सुगसे राज्य करनेके प्रश्नको अँगरेज लोग केवल निग्रहकारक नियमोंकी सहायतासे आज तक हल नहीं कर सके हैं और उस उपायसे भारतवर्षमें भी इस प्रश्नका समाधान नहीं हो सकता । ” दिसम्बर सेन् १९०८ में बंगालमें कुछ लोगोंकी द्वीपातरवासका बढ दिया गया था और विशिष्ट अपराधोंकी जांच विशिष्ट रीतिसे करनेके सबधमें जो नया कानून बनाया गया था, उस प्रसंग पर मराठी केसरीमें “ हिन्दुस्तान आयलॅण्ड झालें ” ( हिन्दुस्तान आयलॅण्ड हो गया ) शीर्षक एक लेख निकला था ।



हमारा विश्वास है कि, इसी प्रकार ऐसे विचारशील इतिहासज्ञोंके मनमें भी जो बोलकर अथवा लिखकर अपने विचार प्रकट नहीं करते सन् १९०७-८ में होनेवाली अघटित घटनायें देखकर समय समय पर आयर्लैण्डका ध्यान आया होगा। इस देशमें इस प्रकार आयर्लैण्डका स्मरण होनेका मुख्य कारण यह है कि सन् १८८० से भारतवासियोंका राजनीतिक विषयोंसे विशेष अनुराग हुआ और सन् १८८० के लगभग ही आयर्लैण्डके राजनीतिक प्रश्नों और काय्योंमें पार्लमेंटके कामोंके कारण जोर आया। तबसे भारतीय राजनीतिप्रेमी पुरुषोंको सूक्ष्म निरीक्षणसे आयर्लैण्ड और भारतके आन्दोलनमें एक प्रकारका साधर्म्य दिखाई देने लगा, और यह विवप्रतिविवभाव अवतकके अनुभवसे बराबर दृढ होता गया है। आगे चलकर भारतीय समाचार पत्रकर आयरिश लोगोंका लक्ष भी भारतवर्षकी ओर हुआ। सन् १८९४ में मद्रासमें जो दसवीं राष्ट्रीय सभा हुई थी, उसके सभापति श्रीयुक्त आलफ्रेड वेब बनाये गये थे, जो एक आयरिश सज्जन थे। उस अवसर पर उन्होंने जो व्याख्यान दिया था, उससे यह बात अच्छी तरह व्यक्त हुई थी कि आयरिश लोगोंको भारतीय प्रजाके विषयमें एक प्रकारका ममत्व जान पड़ने लगा है। प्रायः बीस वर्ष पहले जब (स्वर्गीय) मि० गोखले आयर्लैण्ड गये थे, तब आयरिश लोगोंने उनकी बातें बड़े ध्यानसे सुनीं थीं, और यह बात प्रायः सभी लोग जानते हैं कि माईकेल डेविट और डिलन आदि लोगोंके साथ उनकी जो भेट हुई थी, उससे यह बात अच्छी तरह प्रगट हुई थी, कि आयरिश लोग बड़े चावसे हमारे सुख-दुःखकी बातें सुनते हैं। लोकमान्य तिलकके राजद्रोहसम्बन्धी दोनों मुकद्दमोंके अवसर पर आयरिश समाचारपत्रोंमें जो लेख छपे थे, उनसे भी यही प्रकट हुआ था कि, भारतीय राजनीतिक झगडोंमें जिन लोगोंको दुःख भोगने पड़ते हैं, उनके साथ आयरिश लोगोंकी सहानुभूति है और उनके उद्योगकी सराहना करनेकी

ओर उनकी प्रवृत्ति है । इस प्रकार इन दोनों राष्ट्रोंका सबध दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है ।


वास्तवमें आयरलैण्ड और भारतवर्षमें कोई सबध नहीं है । दोनोंमें तीन चार हजार कोसका अंतर है, दोनोंके वर्म अलग अलग है ओर यदि ऐहिक दृष्टिसे देसा जाय तो ऐसी कोई बात नहीं मिलती, जिसके कारण दोनोंमेंसे कोई एक दूसरे पर अवलंबित हो । तब केवल विश्वकुटुंबके अवयवके नातेसे उत्पन्न होनेवाला दूरान्वय भला सदा कैसे मनमें रह सकता है ? अर्थात् यदि ये दोनों राष्ट्र इंग्लैण्डके आधीन न होते तो दोनों राष्ट्रोंके लोगोंको एक दूसरेके सबधमें कभी कुछ भी ध्यान न होता । जिस बातसे हमारा कोई सबध नहीं होता, उसे सुनते ही हम तुरत भूल जाते है, अथवा यदि बहुत हुआ तो केवल इतिहासकी दृष्टिसे हम उसे अपने ध्यानमें रखते हैं । लेकिन इंग्लैण्डका सम्राज्य आयरलैण्ड और भारतवर्ष इन दोनों राष्ट्रोंके सुखदुःखका एक साधारण अधिष्ठान अथवा उत्पत्तिकारण बन गया है, इसलिए यह बात बहुत ही स्वाभाविक है कि उनमेंसे एक राष्ट्रमें होनेवाली बातें दूसरे राष्ट्रके लोगोंका केवल इतिहासकी अपेक्षा कुछ अधिक चिंताकर्षक जान पड़ें । सन् १९०८ में पार्लिमेंटमें एक वादविवादके समय सर हार्डविन्सेण्ट नामक एक सभासदने बड़ी ही निर्लज्जतासे और ढीढ़तासे कहा था—“ लाला लाजपतरायको द्वीपान्तरित करनेके बदले गोली ही क्यों न मार दी गई ? ” उस समय रेडमंड आदि आयरिश नेता उस पर क्रुद्ध होकर दूट्ट पड़े थे और उन लोगोंने उसे अपनी बात लौटा लेनेके लिए विवश किया था । दूसरी ओर इस बातका अनुभव सभी लोगोंको है कि, पार्लिमेंटमें जब आयरिश होमरूल ( स्वराज्य ) का प्रश्न उठता है तब भारतवासियोंके कान तुरत ही कैसे तीव्र हो जाते है, क्वा आयरिश लोगोंका दुःख निवारण करनेवाला अथवा उन्हें नवीन अधिकार देने-


वाला कोई नया कानून जब पास होता है तब भारतवासियोंको स्वभावतः कैसा आनन्द होता है। स्वराज्य, अर्थात् अपने तन्त्रसे चलनेवाली पार्लमेण्ट मिलना कई स्वाधीन तथा कई पराधीन बातोंकी सिद्धि पर अवलंबित रहता है। इस कारण जब हम सुनते हैं कि, तुर्कों ईरानियों या चीनियोंको पार्लमेण्ट मिली अथवा मिलनेवाली है तब हमें ज्ञान होता है कि, हमें किस प्रकार कार्य करना चाहिए। इसी प्रकार आयर्लैण्डके स्वराज्यकी प्रगति अथवा प्रतिगतिके सबधमें जब कोई बात हमें सुनाई पडती है, तब भारतवर्षके राजकीय नेताओंको यह अनुमान करनेका अवसर मिलता है कि, इस समय ब्रिटिश सरकारकी प्रवृत्ति कैसी और किस ओर है। “कुटुम्बके सभी लोग अपना अपना भाग्य साथ लेकर उत्पन्न होते हैं, पर तो भी कुटुम्बका भवितव्य कुछ निराला ही होता है और उसीके जालमें सब लोगोंके फँसे होनेके कारण घरके सब लोगोंको परस्पर एक दूसरेके लिए अभिमानसा होने लगता है।” कुछ कुछ ऐसी ही दशा आयर्लैण्ड और भारतवर्षकी भी दिखाई पडती है। समसुखी जीव चाहे एक दूसरेसे प्रेमभाव न रखे, पर इसमें सदेह नहीं कि समसुखी जीव आपसमें एक दूसरेके साथ प्रेमभाव अवश्य रखते हैं। और इस नातेसे आयर्लैण्ड और भारतवर्ष ये दोनों परावलम्बी राष्ट्र जिस प्रकार एक दूसरेका वृत्तान्त सुनकर अपना दुःख थोडा बहुत भूल जायेंगे उसी प्रकार एक दूसरेके चरित्रमें ज्ञान प्राप्त करके उन्हें नये नये विचार भी सूझेंगे। लेकिन इतना होने पर भी इन दोनों राष्ट्रोंको एक दूसरेका पूर्व वृत्तान्त उतना अधिक मालूम नहीं है जितना वास्तवमें होना चाहिए। तिस पर आयर्लैण्डकी स्थिति भारतवर्षकी अपेक्षा कुछ अच्छी है, अर्थात् राजकीय बातोंमें आयर्लैण्डका कदम भारतकी अपेक्षा कुछ अधिक आगे है, इस लिए हम लोगोंका सविस्तर वृत्तान्त जाननेकी कदाचित् आयरिश लोगोंको उतनी

गरज न होगी । लेकिन आयरलैंड राष्ट्र जिन कई राजकीय स्थितियोंसे होकर वर्तमान स्थितिमें पहुँचा है, उनमेंसे कई स्थितियोंमें हम अभी जाना है, अत आयरलैंडका वृत्तान्त जान लेना हमारे लिए अधिक आवश्यक है ।


यह बात आरम्भमें विषयोपन्यासमें ही बतला देना अधिक उत्तम होगा कि, पाठकोंके सामने उक्त वृत्तान्त उपस्थित करनेमें हमारा मुख्य हेतु क्या है । हमारा हेतु यह है कि हम अपने देशके लोगोंको इस बातका ज्ञान करा दें कि कुछ विषयोंमें हमारी ही जैसी स्थितिके एक युरोपियन राष्ट्रके पाँच सौ वर्षोंके इतिहाससे हम भारतवासियोंको क्या सीखना चाहिए अथवा हम लोग क्या सीख सकते हैं । भारतवर्षकी स्थितिके समान यदि किसीकी स्थिति है तो वह केवल आयरलैंडकी ही है । इन दोनों राष्ट्रोंमें वैधर्म्य कुछ कम नहीं है, पर वैधर्म्यकी तरह साधर्म्य भी बहुत है, आगेके विवेचनसे यह बात सिद्ध हो जायगी । यदि ऐसे राष्ट्रका चार पाँच सौ वर्षोंका इतिहास देखा जाय तो उससे अनेक उपयुक्त और व्यापक सिद्धान्त निकाले जा सकते हैं । नवीन परिस्थितिमें भारतवर्षका इतिहास अभी हालमें ही आरम्भ हुआ है । इस इतिहासका नास्तविक प्रारम्भ केवल ७०-८० वर्षोंसे ही है । केवल इतनेसे ही उसकी भावी स्थितिके सन्धमें जो अनुमान किया जायगा वह भ्रमपूर्ण होगा । इतिहासका मुख्य उपयोग भविष्यकथन है और उस भविष्यको सत्य टहरानेके लिए जितने ही अधिक दिनोंके इतिहासको आधार बनाया जाय उतना ही अच्छा है । आयरलैंडके इतिहासमें जितने बादग्रस्त प्रश्न हैं, उनमेंसे प्रत्येकका इतिहास कमसे कम १००-१५० वर्षोंका है । दूसरी बात यह है कि, जहाँ गहरे और ज्ञान्त विचारोंका प्रश्न आता है वहाँ ऐसी ही विचार-सामग्रीका ग्रहण अधिक उत्तम होता है, जिसके साथ अपना सन्ध यथासाध्य कम हो । यह बात सभी विद्यार्थी जानते हैं कि

योंमेंसे ३२ $\frac{1}{2}$  लाख कैथोलिक, ५ $\frac{1}{2}$  लाख प्रोटेस्टेण्ट, ४ $\frac{1}{2}$  लाख प्रेसवि-  
 टरोनियन्स, ६२ हजार मेथोडिस्ट और बाकी फुटकर धर्मपन्थोंके हैं।  
 लोकसख्याकी दृष्टिसे देखते हुए आयरलैंडके समान छोटा प्रान्त भारतमें  
 मिलना कठिन है। क्योंकि छोटा नागपुर या उड़ीसा प्रान्तकी जनसख्या  
 भी आयरलैंडकी सख्यासे चार पाँच लाख अधिक होगी। गुजरात प्रान्तसे  
 कुछ अधिक और मध्यप्रान्तके छ जिलोंसे कुछ कम आयरलैंडकी जन-स-  
 ख्या होगी। ऐसे इस छोटेसे देशके सबधमें एक दो बातें विशेष उल्लेखयोग्य  
 और महत्त्वपूर्ण हैं। एक तो आयरलैंडमें शिक्षाका प्रचार हिन्दुस्तानको  
 देसते हुए बहुत अधिक है। क्योंकि वहाँ १६ कालेज हैं, जिनमें साढ़े  
 चार हजारसे अधिक विद्यार्थी पढ़ते हैं। और सारे समाजमेंसे लगभग  
 ७० प्रति सैकड़ा लोग लिख पढ़ सकते हैं। राजनीतिमें भी आयरिश  
 लोगोंका प्रवेश इसी हिसाबसे है। भारतके किसी प्रदेशकी व्यवस्थापक  
 सभामें जितने बड़े प्रान्तसे केवल दो सभासद चुने हुए रहते हैं, उतने  
 ही विस्तारके आयरलैंडसे ब्रिटिश पार्लमेण्टमें प्रायः सौ सभासद चुने  
 हुए रहते हैं। इससे पता लग जायगा कि राजनीतिमें वहाँवाले हम  
 लोगोंसे कितने आगे हैं। अब हम यह दिखलायेंगे कि, इस देशका  
 पूर्वतिहास क्या है, इस समय इंग्लैंडके साथ उसका कैसा सम्बन्ध है,  
 उसने अपने सामने कौनसा ध्येय रक्खा है, उसे प्राप्त करनेके लिए उसने  
 कौनसे उपाय किये हैं और कहाँ तक उसे प्राप्त किया है।





## २ आयरलैण्डका प्राचीन इतिहास ।



पूर्वाश्रिमी युरोपके निवासी समुद्रयात्रा करनेमें बड़े कुशल और साहसी थे, इस लिए ग्यारहवीं शताब्दीके अतक चारों ओरसे समुद्री डाकुओंके झुडके झुड आकर इस टापू पर उतरा करते थे । और इस प्रकार बहुत प्राचीन कालसे आयरलैण्ड अनेक जातियोंके लोगोंका निवास हो रहा है । प्राचीन दत्तकथायें और भाटोंके पँवारे यदि देखे जायें तो उनमें आयरलैण्डका इतिहास ठेठ आद्य जलप्रलयतक ले जाकर भिड़ाया हुआ मिलता है । ईसाईयोंके पुराणोंमें वर्णित जलप्रलयमें हजारत नूतनी 'तुआय यानान' नामकी जो भतीजी बच गई थी और जिसने सारे ससारमें घूमकर सब प्रकारके प्राणियोंको बसाया था, वह पहले पहल आयरलैण्डके किनार पर ही उतरी थी और इस प्रकार वहींसे मनुष्योंकी आबादी शुरू हुई । इससे पहले पौराणिक कालमें, उन्हीं कथाआके वर्णनके अनुसार, इस उजाड़ टापूमें अमानुष योद्धा, राक्षस, तान्त्रिक और जादूगर आदि बसते थे । मनुष्योंकी बस्तीके समय पहले यहाँ अग्नि और सूर्यकी उपासना और नरयज्ञ आदि अधोरपथी कर्म हुआ करते थे ।

ईसवी सन्के आरम्भसे चौदहवीं शताब्दी तक 'मारलेशियस' नामके एक पौराणिक योद्धाने आयरलैण्ड पर अधिकार करके उसमें अपने अनुयायियोंको बसाया था और उनके लिए उसे उपनिवेश बनाया था । अब भी आयरिश लोगोंके काव्योंमें यह 'मारलेशियस' नाम लगा हुआ मिलता है । मारलेशियसके लड़के हेवरके नाम पर ही आयरलैण्डको 'अयवेरियन' टापू कहते हैं । आगे चलकर मारलेशियसके हेवर और हेरियन नामक दोनों लड़कोंने आयरलैण्डको दो भागोंमें विभक्त



करके आपसमें बाँट लिया था। प्रायः ईसवी शताब्दीके आरम्भके समय रोमन लोगोंने पश्चिम युरोपके बहुतसे अशोंको दबा कर उनमें अपनी फौजी चौकियाँ बैठाई थीं। लेकिन आयरलैण्डमें उनका कुछ अधिक प्रवेश नहीं हुआ था। यह द्वीप युरोपके बिलकुल सिरे पर था, इसलिए रोमन लोगोंसे दब कर पीछे हटनेवाली अनेक जातियोंके लोग आयरलैण्डमें ही आश्रय लेकर रहते थे। इन लोगोंमें गाल्स, सेल्ट्स, पिक्स, स्काट्स आदि प्रधान थे। कुछ दिनों बाद इन्हीं लोगोंको आयरलैण्ड स्वदेशसा जान पढ़ने लगा और आगे चलकर मध्य युगतक आयरलैण्डमें जो अनेक लड़ाइयाँ हुईं उनमें बीचबीचमें स्वदेश-भक्ति और स्वराज्यसस्थापनाके हेतुकी झलक दिखाई पड़ती है। सम्य युगके आरम्भमें एक ऐसा समय भी हो गया है जिसमें इंग्लैण्डके निवासियोंकी अपेक्षा आयरलैण्डके निवासी ही अधिक सम्य और लडाके होते थे और जिस समयमें उन्होंने बीचबीचमें इंग्लैण्ड पर आक्रमण भी किये थे। चौथी और पाँचवाँ शताब्दीमें फिडक और नियाल नामक आयरिश राजाओंने इंग्लैण्ड पर अपनी फौजें उतारी थीं, और इन बातोंका प्रमाण इंग्लैण्डके पश्चिमी समुद्रतटके कुछ स्थानोंके नामोंसे मिलता है। लेकिन आयरिश लोग स्थिर होकर सदाके लिए कभी इंग्लैण्डमें नहीं रहे। प्राचीनकालके आयरिश राजकुलोंमें अनेक वीरपुरुष होगये हैं और आजकल भी आयरिश लोग उन पूर्वकालीन वीरपुरुषोंके पँवारे बड़े प्रेमसे गाते हैं। जैसे मराठोंमें शिवाजी, बगालियोंमें प्रतापादित्य अथवा अँगरेजोंमें अल्फ्रेड दि ग्रेट हो गये हैं वैसे ही आयरिश लोगोंमें कारमक और ब्रायन नामक वीर होगये हैं। कारमक जैसा वीर था वैसा ही भारी राजनीतिज्ञ भी था। उसने सैनिक शिक्षाके लिए तीन महाविद्यालय स्थापित किये थे और उसके बनाये हुए कायदे कानून आगे सैकड़ों वर्षों तक अमलमें आते रहे थे। हिदुस्तानमें जिस प्रकार पाण्ड-

वोंका वीरकुल प्रसिद्ध है उसी प्रकार आयर्लैंडमें ओनील नाम वीरकुल प्रसिद्ध है । इस कुलकी हर पीढ़ीमें एकसे एक पराक्रमी पुरुषोंने जन्म लिया था । लेकिन उनकी सारी शूरता अपने देशके अन्दर ही अनेक शत्रुओंके साथ लड़नेमें खतम हुई थी, उसका और कोई विशेष उपयोग नहीं हुआ । मराठोंके लिए जिस प्रकार रायगढ़ और मुसलमानोंके लिए दिल्ली है उसी प्रकार आयरिश लोगोंके लिए 'तारागढ़' ऐतिहासिक दृष्टिसे बहुत महत्त्वका स्थान है । पहले पहल इसी 'तारागढ़' पर आयरिश लोगोंका स्वराज्यका झंडा खड़ा किया गया था और बहुत दिनों तक वह यहाँ फहराता भी रहा था । इसी तारागढ़में स्वदेशी राजाओंके राज्यारोहणका समारंभ बड़े ठाठसे होता था । छठी शताब्दीमें तारागढ़का महत्त्व सदाके लिए नष्ट हो गया, और तबसे अब तक वह स्थान बराबर उजाड़ पड़ा है । लेकिन अब भी जब जब आयरिश कवियों या देश-भक्तोंके मुखसे भावी स्वराज्यके सबधमें उज्वल भक्तिसे प्रेरित उद्गार निकलते हैं तब तब उनमें किसी न किसी प्रकार 'तारागढ़' का प्रेमपूर्वक उल्लेख अवश्य होता है । तो भी यह बात ध्यानमें रखने योग्य है कि आयर्लैंडके बहुत ही छोटे टापू होने पर भी, विदेशी शासकोंके अधिकारमें आनेके समय तक, उसमें कभी किसीका एकच्छत्र राज्य नहीं हुआ । जान पड़ता है कि आयर्लैंडको अतःकलहका कुछ शाय ही है । क्योंकि स्वदेशियों अथवा विदेशियोंके राजकालमें आयर्लैंडमें कभी शांति या एकता नहीं हुई ।

पाँचवीं शताब्दीके लगभग आयर्लैंडमें ईसाई धर्मका प्रचार प्रारंभ होने लगा । पेलेडिअस, पेट्रिक, कोलवा आदि अनेक ईसाई साधु और धर्मोपदेशक आयर्लैंडमें हो गये हैं । उनके परिश्रमसे आयरिश लोग ईसाई अर्थात् पोपके अनुयायी बने और तबसे रोमन कैथोलिक पथका आयरिश लोगों पर इतना दृढ़ अधिकार जम गया है कि प्रोटेस्टेंट

पथको आयरलैंडमें कभी जगह ही नहीं मिली । आयरलैंडके उत्तरी भागमें अंगरेज राजाओंने प्रोटेस्टेंट वस्तियों वसानेके लिए सब प्रकारके प्रयत्न किये थे, लेकिन इतना होने पर भी आज वहाँके निवासियोंमेंसे प्रति सैकड़ा ७५ और दक्षिणी भागमें प्रति सैकड़ा ८० आदमी रोमन कैथोलिक ही है । स्काटलैंड इंग्लैंड जादि आसपासके देशोंमें धर्म परिवर्तन हो गया, वहाँ प्रोटेस्टेंट पथकी सदाके लिए स्थापना हो गई, परतु आयरिश लोगोंने कभी पोपका स्वामित्व नहीं छोड़ा । इतना ही नहीं बल्कि जिस धर्मको उन्होंने एकबार हृदयसे मान लिया उसके लिए उन्होंने आजतक अनेक प्रकारकी कठिनाइयाँ और राजकीय दण्ड भी सहे हैं । सेण्ट पेट्रिक नामक एक विख्यात सिद्ध पुरुष हो गये थे । आयरिश राजा नियालने जिस समय फ्रांस पर आक्रमण किया था उस समय बोलोन नगरमें पेट्रिक ( वेट्रिशियस ) नामक एक लडका आयरिश सिपाहियोंके हाथ लगा था । वह आयरलैंडमें लाया गया और वहाँ गुलाम बनाकर बेचा गया । वहाँ वह २२ वर्षकी अवस्था तक अपने स्वामीके गोरू चरानेका काम करता रहा । इसके उपरांत एक दिन भागकर उसने अपना छुटकारा करा लिया । वह चारों तरफ यह कहता हुआ फिरने लगा कि मुझे ईश्वरके दर्शन हुए हैं और आज्ञा हुई है कि मैं ईसाई धर्मका प्रचार करूँ । शीघ्र ही बहुतसे लोग उसके शिष्य हो गये और जिस आयरलैंडमें उसने पहले गुलामीमें अपने दिन बिताये थे, उसी आयरलैंडमें जाकर उसने धर्मोपदेश करनेका साहस किया । सन् ४४५ ई० में वह आयरलैंडके किनारे जा उतरा । उन दिनों ड्रुइड लोग वहाँके धर्माध्यक्ष थे । उन लोगोंको चमत्कार दिखलाकर अतमें नियाल राजाके लडके थियोडोरको उसने ईसाई धर्मकी दीक्षा थी । धीरे धीरे और भी बहुतसी मडालियोंके नेताओंने उसका शिष्यत्व स्वीकार किया और इस प्रकार

थोड़े ही समयमें वह सारे आयरलैण्डका धर्मगुरु बन गया । पुराने जगली डूइड लोगोंका अधिकार उठ गया और उसके स्थानपर सुसंस्कृत ईसाई धर्ममण्डल स्थापित हुए । इन मण्डलोंको धीरे धीरे अच्छी आमदनीकी जमीनें मिलीं । उस आमदनीसे पलनेवाले धर्मोपदेशकोंने पाठशालायें खोलीं और थोड़े ही समयमें शिक्षाके प्रचारके साथ साथ देशमें धार्मिक जागृति भी इतनी अधिक हो गई कि आसपासके राष्ट्रोंमें धर्मोपदेशक भेजकर और धर्मदीक्षा देकर पावन करनेका काम आयरलैण्ड करने लगा । उन दिनों जहाँ जहाँ ईसाई धर्मका प्रचार होता था वहाँ वहाँ रोमके धर्मगुरु ( पोप ) का स्वामित्व स्वीकृत होता था । लेकिन आयरलैण्डमें पोपका प्रत्यक्ष अधिकार आगे कई शताब्दियों तक नहीं हुआ । स्थानिक धर्मगुरुने ही एक प्रकारसे स्थानिक स्वराज्यका भोग किया ।

आठवीं और नवीं शताब्दीमें आयरिश लोगोंके धार्मिक चरित्रने बहुत ही उज्वल स्वरूप प्राप्त किया । यहाँ तक कि आयरिश धर्मगुरु और उपदेशक दूसरे देशोंमें जा-जाकर भी उस ओर कीर्ति प्राप्त करने लगे । धर्म और विद्याकी जोड़ी प्रायः सब देशोंमें अखण्ड दिखाई देती है । जिस प्रकार भारतवर्षमें ऋषि थे उसी प्रकार ईसाई देशोंमें धर्मगुरु थे । प्राचीन और मध्ययुगमें दोनोंने ही धर्मकी रक्षा और विद्याका प्रचार समान उत्साहसे किया था । इन दो शताब्दियोंमें आयरलैण्डमें मठधारी धर्मोपदेशकोंका वर्ग बहुत बढ़ा । प्राचीन कालमें बौद्ध धर्मके प्रचारके समय भारतवर्षमें गृहस्थाश्रम पिछड़ गया था और स्त्रियों और पुरुष जोगिन और जोगी बनकर धर्मका प्रचार करनेके लिए स्वदेश और विदेशमें घूमने लगे थे । उन दिनों आयरलैण्डकी भी ठीक यही दशा थी । प्रायः उन्हीं दिनों आयरलैण्डके ' डरो ' और ' आरमा ' के विद्यालयोंकी कीर्ति बहुत दूर दूर तक फैली थी, और युरोपके

विद्यार्थी और स्वातंत्र्यप्रेमी लोग विद्या पढनेके लिए वहाँ आ-आकर रहने लगे थे। जगली युरोपियन लोगोंने अपने बाहुबलके पराक्रमसे आयरिश लोगों पर विजय तो अवश्य प्राप्त कर ली थी, लेकिन धर्मसुधार और विद्याके बलसे विजित आयरिश लोगोंने उलटे अपने जेताओं पर विजय प्राप्त करके उन्हें अपना दास बनाया था। लेकिन दुर्भाग्यवश यह स्थिति बहुत दिनों तक नहीं रही।

आठवीं शताब्दीतक आयर्लैण्डमें धर्मकी वृद्धिके साथ ही साथ अत कलहकी भी वृद्धि होती गई। आठवीं शताब्दीमें नार्थमेनोंके—जिन्हें डेन्स भी कहते हैं—आयर्लैण्ड पर आक्रमण होना आरभ होगये। ये लोग ईसाई नहीं थे, और आयर्लैण्डमें उतरनेके साथ ही इन्होंने ईसाई धर्म-मण्डलों पर शस्त्रप्रहार करके लूटमार और अत्याचार आदिकी पराकाष्ठा कर दी थी। इस बाहरी सकटके कारण आयरिश लोगोंकी आँखें कुछ सुलीं और उन लोगोंने आपसका लडाईं झगडा रोककर और एका करके डेन्स लोगोंके विरुद्ध बलवा किया और एक दो स्थानों पर उन्हें परास्त भी किया, लेकिन यह ऐक्य थोडे ही समयतक टिका। इसके बाद फिर डेन्स लोगोंके जहाज आयर्लैण्ड पहुँचे और इन विदेशियोंने फिर चारों ओर अपना अधिकार जमा कर देशको मुट्टीमें कर लिया। यह स्थिति सौ वर्षतक रही। इसके उपरांत ब्रायन और मेलेक्किन नामक स्वदेशी शूरराजाओंने नेता बनकर डेन्स लोगोंको परास्त किया और उन्हें कतल करके सदाके लिए उनका उपद्रव शांत कर दिया। लेकिन शीघ्र ही ब्रायन और मेलेक्किनमें झगडा खडा हो गया और फिर आपसमें ही सटपट होने लगी। अतमें ब्रायनकी जीत हुई और सन् १००१ ई० में सारे आयर्लैण्डके राजाकी हैसियतसे तारागढमें उनका राज्याभिषेक हुआ। डेन्स लोगोंने फिर एकबार उपद्रव खडा किया। सन् १०१४ ई०में क्लार्टर्फमें भारी युद्ध हुआ जिसमें डेन्स लोग परास्त

हुए । वे समुद्र किनारेकी ओर भाग गये और आयरिश लोग विजयी हुए । लेकिन शूर राजा वायन मारा गया, और इस कारण, उसके पीछे फिर आपसके झगड़े बखेड़े होने लगे । धीरे धीरे आयरलैंडके धर्मका स्वरूप भी मलीन हो चला । अतः कलहरूपी दुष्ट पिशाच द्वारा पठाडे हुए आयरिश लोगोंने आपस में खूब लड़ाई झगड़े किये । उनके समस्त वैभव और सुखका लोप हो गया, और इस फूटसे लाम उठाकर आयरलैंड पर आक्रमण करनेवाले किसी नये शत्रुके लिए यशस्वी होनेमें शका करनेका कोई कारण ही नहीं रह गया । ऐसी स्थितिमें बारहवीं शताब्दीमें इंग्लैण्ड और आयरलैंडका पहले पहल सवध हुआ । और वह सवध जो एकबार हुआ सो आठसौ वर्षपर्यन्त अर्थात् आज दिनतक आयरलैंडके सब कुछ करने पर भी नहीं टूटा ।

बारहवीं शताब्दीके आरम्भमें आयरलैंडमें अलस्टर, लेनस्टर, मनस्टर और कनाट ये चार अलग अलग राज्य थे और उन सबमें अलस्टर राज्य प्रधान था । लेकिन इन चारों राज्योंके राजा सदा आपसमें लडा झगडा करते थे । इस साराबीमें ऊपरसे एक पाप कर्मका पट दिया गया । देखा जाता है कि परस्त्रीकी अभिलाषा इतिहासमें अनेक अवसरों पर बडे बडे राष्ट्रीय उलटफेर कर देती है, और प्रायः ऐसा एक भी महाकाव्य न मिलेगा जिसमें मुख्य कथानकका सारा आधार परस्त्रीहरण-पाप और उसके प्रायश्चित्त पर न हो । लेनस्टर राज्यका राजा मेकडरमाट मेकमगे अत्यन्त कपटी और क्रूर था । सन् ११५३ ई० में वह एक रोरुर्क नामक सरदारकी स्त्रीको भगा ले गया । बेचारे रोरुर्कने थरलो ओकोनर नामक सामन्तकी आश्रय लिया और उससे सहायता माँगी । दोनोंने मिलकर मेकडर माटको आयरलैंडसे भगादिया । इस प्रकार अनीति-प्रवृत्त मेकडर माटको कहीं आश्रय मिलना न्याय्य नहीं था, लेकिन आयरलैंडके दुर्भाग्यमें इंग्लैण्डके लोमका जोड मिल गया । मेकडर माट भट-

कता भटकता इंग्लैण्ड पहुँचा ( सन् ११६७ ई० ) और वहाँक राजा द्वितीय हेनरीको नया देश दिलवा देनेका लालच देकर उसने उससे सहायताका वचन लिया। उस समय इंग्लैण्ड बहुत अच्छी दशामे था। देशमें शांति विराज रही थी। बहादुर सिपाहियों और नौजवानोंके लिए तलवार चला कर कीर्ति प्राप्त करनेके लिए स्वदेश पूरा नहीं था। नये मुल्क जीतने और इसी प्रकारके दूसरे साहसपूर्ण कृत्य करनेकी हवस अँगरेज सरदारोंको थी ही। अत आयरलैण्ड पर आक्रमण करनेके लिए राजा हेनरीको स्वतंत्र सेना भेजनेकी आवश्यकता नहीं पड़ी। उसने एक फरमान निकालकर लोगोंको सूचित कर दिया कि जो लोग चाहें वे अपने साथ सिपाही लेकर आयरलैण्ड पर आक्रमण करके मेकमरोकी सहायता करें। जो लोग इस प्रकार आक्रमण करेंगे उनपर दरबारकी कृपा होगी और उन्हें सरदारी भी मिलेगी। इस फरमानसे लाभ उठाकर अनेक तरुण अँगरेज योद्धा फौज लेकर आयरलैण्डके तटपर उतर पड़े। जिसके लिए इतने झगड़े बसेड़े हुए थे उस पापी मेकमरोका यद्यपि इस समय अत भी हो गया था, तथापि अँगरेजोंका पैर आयरलैण्ड पर जो पड़ा वह सदाके लिए ही पड़ा। हेनरी राजाको अपने लिए नया राज्य प्राप्त करनेकी हवस थी ही, इसके सिवा उसी समय रोमकी गद्दी पर चतुर्थ हेड्रियन नामक अँगरेज पोप होकर बैठा था, उसने रोमन कैथोलिक मतका प्रसार करने और खजाना भरनेके उद्देश्यसे आयरलैण्डको अपने अधिकारमें लानेके लिए राजा हेनरीसे विशेष आग्रह किया था। पहले जो युवक अँगरेज सरदार आयरलैण्ड गये थे उन्होंने जब आयरिश राजाको युद्धमें परास्त कर दिया तब स्वयं राजा हेनरी एक बड़ी भारी सेना लेकर आयरलैण्ड पहुँचा। क्योंकि माडलिक 'फ्यूडल' पद्धतिके अनुसार अधीनस्थ सरदारोंके जति हुए देश पर राजाका स्वामित्व रहना आवश्यक था।

हिन्दुस्तानमें भी सिताराके अधीनस्थ पेशवा, सिंधिया और होलकर आदि सरदार लहामिड कर जो देश जीतते थे, यद्यपि उनका सब काम-काज और सूबेदारी वे ही सरदार करते थे तो भी यह प्रसिद्ध ही है कि उसके मुख्य स्वामी सितारेवाले ही होते थे ।

हेनरी राजाने आयर्लैण्डको नाम मात्रको जीता था, क्यों कि उसने किसी राजासे कर आदि नहीं उगाहा था । और इसी लिए उसका कोरा स्वामित्व स्वीकार करनेमें आयरिश राजमडलने भी विशेष आपत्ति नहीं की । लेकिन हेनरीके स्वदेश लौटते ही उसके पीछे आयर्लैण्डमें केवल डब्लिन नगर और उसके आसपासके थोड़ेसे प्रदेशको छोड़कर बाकी और किसी भी स्थान पर अंगरेजोंका वास्तविक स्वामित्व नहीं रह गया । बीचमें छोटेसे टप्पेमें अंगरेजी अमलदारी थी और उसके चारों ओर समस्त देशमें स्वदेशी राजाओंका अधिकार था । यह स्थिति बराबर कई वर्षोंतक बनी रही, और अलस्टरके राजाने तो बहुत दिनोंतक पहलेकी ही तरह अन्य राजाओं पर अपना स्वामित्व चलाया । डब्लिनका 'लार्ड-डिपुटी' अथवा सूबेदार जैसा होता, अथवा स्वयं इंग्लैण्डकी जैसी राजकीय स्थिति होती, आयर्लैण्डमें भी अंगरेजोंका प्रभुत्व उतना ही कम या अधिक होता । यदि कोई सूबेदार बहादुर और पराक्रमी होता तो वह आसपासके प्रदेशों पर आक्रमण करके अपना अधिकार जमा लेता और कर वसूल करता, और नहीं तो फिर आयरिश लोग ही अंगरेजोंकी वस्तीकी ठेठ सीमातक पहुँचकर उन्हें दिक करते । यही दशा बहुत दिनोंतक बनी रही । इस बीचमें आयरिश लोगोंमें यदि कभी एकता हुई होती तो वे अंगरेज सूबेदारोंको कभीका इंग्लैण्ड लौटा दिये होते, लेकिन उन लोगोंको कभी इस बातकी कल्पना भी नहीं हुई कि, आयर्लैण्ड हमारा देश है और उसके हितके लिए हम लोगोंको आपसका वैमनस्य भूल जाना चाहिए ।



आयरिश लोग व्यक्तिशः ईमानदार होते हैं। लेकिन जिसका वे नमक खाते हैं, उसी साड़े तीन हाथके देहधारी मूर्त व्यक्ति तक ही उनकी ईमानदारी, निष्ठा और तलवार काम करती है। यदि बहुत हुआ तो वह ईमानदारी उस व्यक्तिके घरानेतक पहुँच जाती है, और वे लोग इसी प्रकार कई पीढ़ियोंतक एक ही घरानेके ऋणानुबन्धी मित्र अथवा गुलाम बनकर रहते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए केवल धन देनेसे विदेशियोंके लिए स्वदेशियोंके साथ लड़नेवाले ऐसे बहुतसे आयरिश योद्धा मिल जाते थे, जो पहलेसे किसी घरानेके बंधनमें नहीं होते थे। और आजतक आयरलैंड पर अंगरेज राजाओंका अधिकार बहुतसे अंशोंमें इसी प्रकारके आयरिश सिपाहियोंकी तलवारके चल पर रहा है, लेकिन हिन्दुस्तानके लोगोंको इस बात पर आश्चर्य्य न करना चाहिए कि आयरलैंडमें ऐसा क्यों होता था। इसके अतिरिक्त यह बात भी नहीं थी कि उस समय यह स्थिति केवल आयरलैंडकी ही रही हो। स्काटलैंडमें स्कात् लोग अंगरेजोंके लिए लड़े थे, इंग्लैंडमें कुछ सेक्सन लोगोंने प्लाटेजनेट राजाओंकी ओरसे हथियार उठाये थे, फ्रासमें जूलियस सीजरने बहुतसे फ्रेंच सरदारोंकी सहायतासे पहले पहल रोमकी अमलदारी जमाई थी और स्पेनमें मूर लोगोंके झण्डेके नीचे बहुतसे 'सिड' लोगोंने लड़कर स्वदेशको विदेशियोंके अधिकारमें भेजनेमें सहायता दी थी।

### ३ आयर्लैण्डका अर्वाचीन इतिहास ।

आयर्लैण्ड पर अँगरेजोंका अधिकार हो जानेके उपरान्त यदि नारमन लोगोंकी उदार राजपद्धतिके अनुसार राजकार्य आरम्भ हुआ होता, तो आयर्लैण्डकी भारी विपत्ति टल जाती। लेकिन आयर्लैण्डमें रहनेवाले अँगरेज अधिकारियोंने इल्लैण्डके अधिकारियोंको बराबर यही जतलानेका प्रयत्न किया कि यदि नारमन शासकोंकी सदाकी पद्धतिके अनुसार आयरिश लोगोंके साथ रियायतें की जायँगी और दोनोंमें मेल होने दिया जायगा तो अँगरेजोंके लिए यह सबध बहुत ही अहितकारक होगा। इस कारण अँगरेजोंकी खास अमलदारीमें रहनेवाले आयरिश लोगोंके साथ बहिष्कृत लोगोंकी तरह वर्ताव करनेकी प्रथा चल पडी। अँगरेज सरदारोंने नियमसा कर लिया कि हम केवल जमीन या वन प्राप्त करनेके लिए ही आयर्लैण्ड जायँगे, स्थायी रूपसे रहनेके लिए वहाँ नहीं जायँगे। शायद उन्हें इस बातका डरसा हो गया था कि आयर्लैण्डमें रहकर वहाँके लोगोंके साथ ससर्ग रसनेसे हमारी श्रेष्ठ रीतिनीतिमें बड़ा लगेगा और कुछ दिनों बाद हमारा शुद्ध बीज नष्ट हो जायगा। इसी लिए वे नकद माल लेकर स्वदेश लौट आया करते थे और जो कुछ जमीन जायदाद उन्हें मिलती थी, उसकी देखरेखके लिए अपनी ही जातिका एक कारिन्दा नियत कर आते थे और जो कुछ उसके द्वारा वसूल हो सकता था उसीको लेकर अपने देशमें आनन्द करते थे। अतमें यह पद्धति आयर्लैण्डके लिए बहुत ही घातक सिद्ध हुई। क्योंकि इसके कारण देशका धन घटने लगा और समस्त धन सपत्तिका मूलस्थान भूमि-धन धीरे धीरे दूसरोंके हाथोंमें चला गया, जिसके कारण उस जमीनका सुधार तो नहीं होता था, केवल ऊपरी लोगोंके द्वारा वह जोती-चोई भर जाती थी।

जो अंगरेज स्थायी रूपसे आयर्लैण्डमें रहे गये उनके लिए सदा आय-रिश लोगोंके साथ कठोर और अनुचित व्यवहार करके रहना प्रायः कठिन ही था। लेकिन आयर्लैण्डका राजकीय सूत्र इंग्लैण्डके हाथमें था और स्वयं इंग्लैण्डमें आयरिश लोगोंका अनादर था, इस लिए स्थायी रूपसे आयर्लैण्डमें बसकर रहनेवाले उन अंगरेजोंकी कुछ चलती न थी। कभी कभी उनमेंसे किसीके मनमें ये विचार भी आते थे कि आयरिश लोगोंके साथ स्नेह रक्खा जाय, उनसे ममता की जाय, सकटके समय उनकी सहायता की जाय, अपनी अच्छी अच्छी बातें उन्हें सिखाई जाय और उनकी अच्छी अच्छी बातें स्वयं ग्रहण की जायें। लेकिन उधर इस प्रकारके काम करनेवालोंको दण्ड देनेके लिए कायदे भी बनाये जाते थे। उदाहरणार्थ, सन् १३६३ ई० में महाराज तृतीय एडवर्डके राजत्वकालमें एक नियम बना था कि जो अंगरेज आयरिश भाषा सीखकर बोलेगा, अपने लडकोंके आयरिश नाम रखेगा, आयरिश स्त्रियोंके साथ विवाह करेगा, आयरिश दाइयोंसे अपने छोटे बच्चोंको दूध पिलवाएगा, आयरिश कपड़ोंकी या आयरिश रगकी पोशाक पहनेगा, अथवा आयरिश रीति-नीति अगीकार करेगा उसको फाँसीकी सजा दी जायगी और उसकी सारी जमीन-जायदाद जब्त कर ली जायगी। स्वयं आयरिश लोगोंके व्यवहारके सबधमें भी इसी प्रकारके अन्यायपूर्ण नियम बनाये गये थे। आयरिश लोगोंको किलेबदीवाले नगरोंमें रहनेका अधिकार नहीं था। आयरिश लोग यदि अंगरेज निवासियोंका कोई अपराध करते तो उन्हें फाँसीकी सजा दी जाती, लेकिन कोई अंगरेज यदि किसी आयरिशको मार भी डालता तो उस अंगरेजको फाँसी नहीं हो सकती थी। क्योंकि आखिर वे लोग थे तो 'आयरिश' ही। यदि कोई अंगरेज किसी आयरिशकी मिलिकियत दबा बैठता, या किसी आयरिश खेतिहरके खेतमें अंगरेजी फौजका पडाव पहनेके

कारण उसकी फसल चौपट हो जाती और सालभरकी सारी मेहनत एकही रातमें अकारण हो जाती, तो अदालतमें उसका दावा नहीं हो सकता था । इन सबका कारण यही था कि अंगरेजोंके मनमें यह बात अच्छी तरह जम गई थी कि आयरिश लोग जगली हैं । अंगरेज लोग अभी विदेशी थे, और आयरिश लोगोंको जगली समझनेके कारण उनके साथ किसी प्रकारका सम्बन्ध नहीं रखते थे । अंगरेज लोग यही सोचते थे कि कुछ दिनोंमें आयरिश लोगोंको नष्ट करके हम ही लोग इस नई भूमिके मालिक बन जायेंगे । इसके अतिरिक्त आयरलैण्डमें जिन विदेशियोंका राज्य था उनका राजा इंग्लैण्डमें रहता था, आयरलैण्डमें कोई राजा ही नहीं था, इस लिए इन दोनोंका वैमनस्य बढ़ता जाता था और उसे रोकनेवाला कोई नहीं था । अर्थात् यदि एक बार लड़ाई शुरू हो जाती तो उसके खतम होने तक और खतम होनेके बाद भी झगड़ोंकी बहुत सी बातें बराबर होती ही रहती थीं । आयरिश पुरुषोंकी फौन कहे यदि अंगरेजोंके हाथ आयरिश स्त्रियाँ और बच्चे भी लग जाते तो उन्हें भी वे श्ट काट डालते थे । लड़ाईके उपरांत जब अंगरेजी सिपाहियोंकी टोलियाँ 'विजन' करने निकलती थीं, तब कोसों तक उन्हें जो जीता प्राणी मिलता था उसे वे मार डालती थीं । लेकिन एक ही हल्लेमें उनका काम पूरा नहीं होता था और लोग भाग भाग कर अपनी जान बचा लेते थे, इस लिए अंगरेजोंने विजनकी दूसरी युक्ति यह निकाली थी कि प्रतिवर्ष अंगरेज सिपाही कुछ निश्चित प्रातोंमें घुस जाते थे और अन्न, घास, चारा वगैरह जो कुछ उन्हें मिलता था, उसे जला देते थे । अर्थात् सिपाहियोंकी तलवारसे जो लोग किसी प्रकार अपना बचाव कर लेते थे, वे इस प्रकार अन्न आदिके अभावके कारण कुछ दिनोंमें धीरे धीरे मूर्खों मर जाते थे । प्रसिद्ध अंगरेज फ्रि स्पेन्सरने आयरलैण्डमें रह कर जो बातें

आँखों देखी थीं उसने उनका बहुत ही भयकर और हृदयद्रावक वर्णन किया है। वह कहता है—“ जिधर जाओ उधर जगलों और झाड़ियोंमेंसे हाथों पैरोंके बल रेंगते हुए लोग बाहर निकलते हुए दिखाई देते थे। उनमें सड़े होने तक की शक्ति नहीं होती थी। वे लोग यमराजके दरवारसे लौटे हुए जान पड़ते थे और जिस तरह कब्रोंमेंसे भूत बोलते हैं उसी तरह वे लोग बोलते थे। कहीं थोड़ेसे कच्चे मासके दिखाई पड़ते ही वे झपटकर उसपर दृष्ट पड़ते थे और चटपट दौतोंसे चींथकर खा जाते थे, और अतमें भूखके कारण एक दूसरेके अगों पर दौत लगाते थे। ” होलिन शेडने लिखा है—“ हालकी लड़ाईके बाद प्रायः सौ मील तक बड़े बड़े गाँवोंको छोड़कर और स्थानोंमें मनुष्योंकी कौन कहे मुझे जानवर तक नहीं दिखाई दिये। बहुतसे यात्रियोंने यहाँ तक देखा है कि स्त्रियाँ भूखके कारण अघमरी होकर पड़ी हुई हैं और उनके बच्चे उनके शरीरका मास नोच रहे हैं। ”

राजकुमार जानके राजत्व कालमें आयरिश राजे-रजवाड़े और भी अच्छी तरह यह बात समझने लगे थे कि अब अंगरेजोंने हम लोगोंको पूरी तरहसे जीत लिया। जान पागल और दुष्ट था, क्योंकि उसने आयरिश राजे-रजवाड़ोंकी दाढ़ियाँ नोचवा ली थीं और उनके स्वाँग निकलवाकर उनकी हँसी उड़वाना शुरू कर दिया था। इसके उपरांत राजा द्वितीय रिचर्डके राज्यासन पर बैठनेके समयतक आयर्लैण्डकी ओर अंगरेजोंका उतना ध्यान नहीं था। उन्हीं दिनोंमें स्वामी रूपसे बसे हुए अंगरेजोंका आयर्लैण्डमें अच्छा चक जम गया। ऊपर जिन कायदोंका जिक्र किया गया है वे आयर्लैण्डमें रहनेवाले अंगरेजोंको पसंद नहीं थे और जहाँतक हो सकता था वे उनका उल्लघन ही करते थे। इसलिए राजा रिचर्डने एक बार फिर ( १३९४ ई० में ) कुछ बधेज लगानेका प्रयत्न किया, लेकिन उसकी कुछ भी न चली। इसके बाद सातवें

हेनरीने इस कामकी ओर विशेष ध्यान दिया । आयर्लैण्डमें रहनेवाले अँगरेजोंने इससे पहले अपनी एक स्वतंत्र पार्लमेंट' बनाई थी । इस पार्लमेण्टका प्रारम्भ तेरहवीं शताब्दीमें ही हुआ था और चौदहवीं शताब्दीके मध्यमें उसे एक अच्छा स्वरूप प्राप्त हो गया था— उसकी खूब उन्नति हुई थी । यद्यपि वहाँ अँगरेजोंकी आवादी थोड़ी ही थी, लेकिन पार्लमेण्ट एक प्रकारसे अँगरेजोंकी घुट्टीमें पडी है इस लिए अपने छोटेसे क्षेत्रमें ही उन लोगोंने अपनी सभाकी अच्छी व्यवस्था कर ली थी, और उस क्षेत्रमें उसी सभाके पास किये हुए नियमोंका पालन होता था । लेकिन यह पार्लमेण्ट लैम्बर्ट सिमनेल (सन् १४८७ ई०) और पर्किन वारवेक (सन् १४९२ ई०) सरीखे धूर्तोंको खूब चिथावती थी और इंग्लैण्डके राजाओंको इससे बुरा मालूम होता था । अतः इस छोटीसी पार्लमेण्टके कायदे कानून बनानेके अधिकारको परिमित करके उस सभाका महत्त्व घटानेके लिए अँगरेज सूबेदार सर एडवर्ड पाइनिगने 'पाइनिगस एक्ट' नामक एक एक्ट पार्लमेण्टसे पास करा लिया (सन् १४९४ ई०) । इस एक्टसे यह निश्चित हुआ कि इंग्लैण्डके राजा और उसके मन्त्रिमण्डलकी पहलेसे सम्मति लिये बिना आयरिश पार्लमेण्टके सामने कोई बिल उपस्थित न हो सकेगा । इस पार्लमेण्टका अधिवेशन भी राजाकी आज्ञाके बिना न हो सकेगा । यह पार्लमेण्ट जो कायदे बनायेगी वे बिना अँगरेज राजाकी स्वीकृतिके ठीक नहीं समझे जायेंगे और उसके अनुसार कार्य न हो सकेगा । तो भी इस एक्टसे आयर्लैण्डवाले अँगरेजोंकी व्यावहारिक स्वतंत्रतामें विशेष बाधा नहीं पडी । जो थोड़ेसे अमीर उमरा वहाँ स्थायी रूपसे बस गये थे उन्हें आयर्लैण्ड स्वदेशकी तरह मालूम होने लगा था और उनकी स्वामिभक्तिके बंधन ढाले पड गये थे । आयरिश लोगोंके साथ उनका व्यावहारिक सम्बन्ध भी दिन-

पर दिन दृढ होता जाता था। इतने छोटेसे आयर्लैण्डमें उस समय कमसे कम साठ आयरिश राजा थे और वे अपने युद्ध और सधियाँ आदि अपनी ही जिम्मेदारी पर स्वतंत्र रूपसे करते थे। उधर अँगरेजी आबादीमें भी तीस अँगरेज सरदार थे और उनमें स्वातन्त्र्यप्रेम अच्छी-तरह भर रहा था। ये सब लोग यद्यपि आपसमें लड़ते झगड़ते रहते थे, पर तो भी उनमेंसे कोई अपनी सुर्शीसे और स्थायी रूपसे अँगरेज राजाका सार्वभौमत्व स्वीकार करनेके लिए तैयार नहीं था। इस लिए उन दिनों आयर्लैण्ड पर अँगरेजी सार्वभौमकी प्रधानता निकृष्ट दशामें आ गई थी। अँगरेजी आबादियों पर आयरिश लोग बराबर आक्रमण किया करते थे और जिसने पहले पहल विदेशी सत्ताको आयर्लैण्डमें घुसाया था उस डरमाट मेकमरो राजाका ही एक वंशज सयोगसे इन आक्रमणोंका एक नेता था। लेकिन आठवें हेनरीके इंग्लैण्डके राज्यासन पर बैठनेके समयसे (सन् १५०० ई०) फिर रुख बदला। उसने आयर्लैण्ड-पर अपना बहुत कुछ अधिकार जमा लिया। इतना ही नहीं बल्कि रोमन कैथोलिक धर्मका उच्छेद और उसके स्थान पर प्रोटेस्टेंट धर्मकी स्थापना करनेका सकल्प करके उसने आयर्लैण्डमें प्रोटेस्टेंट अँगरेजोंको भरना और कैथोलिक लोगोंकी जमीनें छीनकर उन्हें देना शुरू किया। हेनरी हठी था, पर साथ ही कुछ समझदार भी था। उसने आयरिश राजाओंकी खुशामद करके और उन्हें अँगरेजी पदवियाँ तथा घूस आदि देकर अपनी ओर मिला लिया था। उन लोगोंसे उसने यह भी करार करा लिया था कि राज दरबारका बढिया रंग ढग सीखने और अँगरेजी विश्वविद्यालयोंकी उच्च शिक्षाका लाभ उठानेके लिए आयरिश अमीर उमरा अपने लड़कोंको इंग्लैण्ड भेजेंगे, अँगरेजी भाषाका व्यवहार करेंगे और अँगरेजी ढगके कपड़े पहनेंगे।

इसी समय आयरिश लोगोंके धार्मिक कष्टोंका आरम्भ हुआ। इस समय

तक रोमन कैथोलिक धर्मोपदेशकोंने विद्याकला आदिको जो पालन पोषण किया था, उसकी शामत आगई । कैथोलिक लोगोंके मठ उजाड जाने लगे, उनमेंके कीमती सामान लूटे जाने लगे, मठमें रहनेवालोंकी दुर्दशा होने लगी, जिन लोगोंने प्रतीकार किया उन्हें जेलखाने भेजा गया, कैथोलिक पथकी मूर्तियाँ, प्रतिमायें और पवित्र वस्तुयें भरे चौरास्तों पर लाकर जलाई या बेची जाने लगीं । इन सब बातोंके कारण आयरिश लोगोंका जी अँगरेजी अमलदारीसे ऊब गया । लेकिन इन अत्याचारोंसे प्रोटेस्टेंट मतका प्रचार नहीं हुआ । रानी मेरीके राजत्वकालमें रोमन कैथोलिक पथ कूठ चमक उठा था, पर शीघ्र ही उसकी वह चमक जाती रही । रानी एलिजबेथके समयसे इंग्लैण्डमें प्रोटेस्टेंट धर्मका प्रसार होने लगा, उसे स्थायीरूपसे आश्रय मिला, और तबसे राजनैतिक विषयोंके साथ धार्मिक पागलपन भी मिल गया जिससे अंगरेजों और आयरिश लोगोंका झगडा और भी दूना हो गया । स्कॉटलैण्डकी तरह आयरलैण्डवालोंके मनमें भी यदि केवल राजनीतिक बातोंका ही खटका होता तो वह कुछ समयमें निकल गया होता । एक तो धार्मिक बातें सभी देशवालोंको ज्यादा खटकती है । और तिस पर आयरिश लोग धर्मके विषयमें बड़े ही निग्रही और हठी थे, इस लिए उन्हें वे और भी अधिक सटकीं ।

रानी एलिजबेथके राजत्व-कालमें ( सन् १५५८ ई० ) आगे कुछ दिनोंतक आयरलैण्डमें अँगरेजी राजनीतिक बातोंको एक विशेष प्रकारका महत्त्व प्राप्त हुआ । इसका कारण यह था कि उस समय इंग्लैण्ड और युरोपके अन्य कई राष्ट्र युद्धमें लगे हुए थे । ये युद्ध प्रायः धर्ममूलक थे, इसलिए इंग्लैण्डके रोमन कैथोलिक शत्रुओंको आयरिश लोग मित्र से जान पडने लगे । आयरलैण्ड और इंग्लैण्डमें केवल सत्तर मीलका अंतर था, इसलिए इंग्लैण्ड पर आक्रमण करनेके समय शत्रुके जहाजोको आयर-



इनसे पूर्व जो पोर्चुगीज और डच आदि लोग आये थे उनके धर्म-सम्बन्धी व्यवहार और अंगरेजोंके व्यवहारमें जमीन आसमानका फरक है । लेकिन उनकी यह कीर्ति बहुत ही हालकी ओर केवल हिन्दुस्तानभरके लिए है । हिन्दुस्तानभरमें उन्होंने धर्मसंबंधी बातोंमें कभी विरोध नहीं किया । सरकारी खजानेसे प्रजाका थोडा बहुत धन यद्यपि आज भी ईसाईधर्ममण्डलोंके पालनमें खर्च होता है तो भी पुराने देशी राजाओंकी चलाई हुई वृत्तियाँ और देवस्थान वे अभी तक चला रहे हैं । इस लिए धार्मिक विषयोंमें आयरिश लोगोंके साथ उनके राजकर्मचारियोंने जो अत्याचार किये थे उनकी कल्पना हम हिन्दुस्तान-वालोंको होना कठिन है । आयरलैंडमें धार्मिक विषयोंमें राजकर्मचारियोंने जो व्यवहार किया था वह सर्वथा गहँणीय था । यदि धर्मान्धताके कारण फिरे हुए दिमागवाला कोई आदमी कुछ अत्याचार करे, तो उसकी बात निराली है । लेकिन राजकर्मचारियोंका अत्याचार-पूर्ण नियम बनाकर और कड़ासे उनका पालन करके प्रजाकी धार्मिक बातोंमें व्यर्थ बलप्रयोग करना बडे ही लॉछनकी बात है । आयरिश लोगोंने अपने धर्म-मतकी बाँह कभी नहीं छोड़ी, और यद्यपि यह बात ठीक है कि उन्होंने कभी पोपका पक्ष लेकर और कभी रोमन कैथोलिक पथीय अंगरेज राजाओंका पक्ष लेकर विद्रोह किये थे तथापि उक्त विद्रोहोंके शान्त होने, अपराधियोंको कडा दंड मिलने और शांति स्थापित होने पर भी उनके साथ जो अत्याचार हुआ वह बिलकुल व्यर्थ था । धार्मिक विषयोंमें आयरिश लोगोंके साथ व्यवहार करनेका अंगरेज राजकर्मचारियोंका जो सिद्धांत था उसका मुख्य हेतु यह था कि हरएक उपायसे आयरिश रोमन कैथोलिक लोगोंका दमन हो और उनका कोई आधार न बच रहे, और सब ओरसे विवश होकर वे प्रोटेस्टेंट धर्म स्वीकार कर लें । इस दृष्टिसे उनके विरुद्ध समय समय पर

( सन् १६९२-१७२७ ई० ) जो अनेक कायदे बने उन्हें ' पोपरी लाज ' कहते हैं । उन सबका अभिप्राय नीचे लिखे अनुसार था ।

इंग्लैण्ड और आयरलैण्डमें सब जगह ' प्राइमोजेनिचर ' नियमके तत्त्वका प्रसार था । इस नियमके अनुसार पिताकी संपत्तिका, विशेषतः स्थावर संपत्तिका, मालिक केवल उसका बड़ा लडका होता था । हम लोगोंके यहाँ ताल्लुकों और जागरियोंके लिए भी यही कायदा है । समाजकी दृष्टिसे देखते हुए इस प्रकारका निर्बंध होनेमें एक प्रकारसे लाम ही है । लेकिन रोमन कैथोलिक लोगोंके लिए यह कायदा बदलकर निश्चय किया गया था कि, पिताकी सम्पत्तिके सब लडके बराबर बराबरके भालिक हों और हर एकका हिस्सा अलग अलग बँट जाय । इस कारण जो घराने पहले धनसम्पन्न और बलाढ्य थे, उनके बराबर हिस्से पर हिस्से होते जाते थे और इससे प्रत्येक कुटुंब और व्यक्ति बराबर निर्बल और कगाल होता जाता था । इस प्रकार जो कुटुंब निर्बल और निःसत्व किये जाते थे, उनके प्रधान पुरुषोंको जब कोई नई सम्पत्ति मिलती थी तब वहाँ भी यह अँगरेजी कायदा उनके मार्गमें अडचन डालता था । क्योंकि इस नियमके अनुसार यह निश्चित हुआ था कि रोमन कैथोलिक लोगोंको वसीयतनामेके अनुसार विवाहमें, दहेजमें, या और किसी प्रकारके दानके रूपमें कोई सम्पत्ति न मिल सके । यदि वे लोग किसीको ऋज देते तो उसके बदलेमें उसकी सम्पत्ति सरीद या रेहन नहीं रख सकते थे । रोमन कैथोलिक पिताके लडकेको या उसकी स्त्रीको अपने धर्मको बदल टालनेकी आज्ञा थी, यही नहीं बल्कि उस नियममें ऐसी भी योजना कर दी गई थी कि जिससे धर्म-परिवर्तन करनेसे उसको प्रत्यक्षमें कुछ न कुछ ऐहिक लाम भी हो । जिस प्रकार पिताको अपनी सम्पत्तिके ही हिस्से सम्पत्तिमेंसे अपने लडकेको कुछ भी नहीं देकर घरसे निकाल देनेका अधिकार

है, उसी प्रकार आयलेंडके रोमन कैथोलिक लडकोंको भी यह अधिकार था कि वे अपनी प्राप्त की हुई सम्पत्ति अपने पिताको न दें। लडकेके प्रतिकूल होनेकी दशामें बापको अपनी सम्पत्ति बेचने या उस पर कर्ज चढ़ानेका अधिकार नहीं था। इसी प्रकार समय समय पर न्यायालयमें अपने पिता पर नालिश करके उसकी सम्पत्ति लिखा लेनेका भी लडकेको अधिकार था। और इस प्रकार लडका अपने बापसे बलपूर्वक अपना हिस्सा ले सकता था। न्यायालयको इस बातका भी अधिकार था कि, वह अकारण ही इस बातका सदेह करके कि पिता अपनी सारी सम्पत्ति नष्ट कर देगा, उस सम्पत्तिको जब्त करके अपने अधिकारमें रखनेकी आज्ञा दे दे। यदि किसी प्रकार पिताकी सम्पत्ति बढ़ जाती तो उस दशामें यह समझा जाता था कि दावेका नया कारण खड़ा हो गया है और इसलिए लडका अपने बापको फिर अदालततक घसीट सकता था। बाप यदि रोमन कैथोलिक होता और मा अपना धर्म बदलती तो माँको इस बातका अधिकार होता था कि वह अपने लडकेको अपने पतिसे लेकर अपने पास रखे, और उन लडकोंकी शिक्षा और पालन पोषण आदिके लिए बापकी सम्पत्तिमेंसे उसे मनमानी रकम मिलती थी। अपना धर्म परिवर्तित करनेके कारण स्त्री अपने पतिसे भरपूर खर्च माँगती और पाती थी। स्त्री चाहे कितने ही अपराधक्यों न करती, पर यदि वह पतिके असब्यवहारके कारण अलग रहना चाहती तो न्यायालयसे (पतिके नाम) उसे रोटी-कपड़ेका भरपूर खर्च देनेकी आज्ञा होती थी। इन सबसे मुख्य और मुद्देकी बात यह थी कि रोमन कैथोलिक लोगोंका न्याय प्रोटेस्टेंट लोगोंके द्वारा ही होता था।

इस कायदेके कारण रोमन कैथोलिक लोगोंको दूसरी जगहसे सम्पत्ति मिलनेकी तो आशा ही नहीं थी। रहा कामधधा या रोजगार, सो उससे भी

धन प्राप्त करना उनके लिए कठिन था । क्योंकि उन्हें सरकारी नौकरी मिलनी तो एक प्रकारसे असमभव ही थी । सभी महकमोंमें उनके लिए रुकावट थी । यहाँतक कि वकालतसरीखे न्यायानुमोदित काम करनेकी भी उनके लिए आज्ञा नहीं थी । प्रोटेस्टेण्ट वकील और वैरिस्टरको इस बातकी शपथ खानी पडती थी कि मैं अपने पास रोमन कैथोलिक पथका मुहरिर तक न रक्खूंगा । इस कायदेके मुताबिक रोमन कैथोलिक लोगोंके लिए निजकी पाठशालायें खोलकर शिक्षकका काम करनेकी भी मनाही थी, यहाँतक कि अपने तौर पर घरमें रोमन कैथोलिक शिक्षक रखना भी अपराध माना जाता था । और अगर रोमन कैथोलिक लोग विदेश जाकर शिक्षा प्राप्त करना चाहते तो उसके लिए भी रुकावटका बंदोबस्त था । विदेशमें रहते समय, बिना जाने और नियमका ज्ञान न होनेके कारण भूलचूकसे भी यदि किसी पर रोमन कैथोलिक पथकी पाठशालामें पढनेका अपराध प्रमाणित हो जाता तो उसकी सारी सम्पत्ति जब्त कर ली जाती थी । यदि कोई यह सोचता कि शिक्षा प्राप्त करनेके लिए एक बार देशत्याग करने पर सदाके लिए त्राहर ही रहना पडे तो हर्ज नहीं, पर शिक्षा अवश्य प्राप्त करना, तो यह भी नहीं हो सकता था । क्योंकि यदि किसीकी शिक्षा आटिके लिए कोई विदेशको धन भेजता तो उस पर मुकदमा चलता था । रोमन कैथोलिक पाठशालाओंमें पढना जिस प्रकार अपराध था, उसी प्रकार ऐसी शिक्षामें द्रव्यकी सहायता करना भी अपराध था । ज्योंही खबर लगती थी कि कोई अपना लडका पढनेके लिए विदेश भेज रहा है, त्योंही वह न्यायालयमें घसीटा जाता था और उससे जमानत माँगी जाती थी । यदि यह प्रमाणित हो जाता कि कोई लडका परदेश गया है तो यह प्रमाणित करनेका भार उसके पिता पर रहता था कि वह पित्रा पढनेके लिए विदेश नहीं गया है । यदि यह सिद्ध

हो जाता कि किसीने शिक्षाके लिए धन या हुडी आदि विदेश भेजा है तो उसे कडा दंड दिया जाता था, और उसके विरुद्ध जो मनुष्य चुगली स्वानेवाला होता था, उस मनुष्यको खुरमानेकी रकममेंसे आधा इनाम मिलता था ! किसी भी देशमें हथियार आदि रखनेकी आज्ञा केवल धर्मके आधार पर अवलम्बित नहीं रहती । लेकिन आयरलैण्डकी बात कुछ निराली ही थी । वहाँ रोमन कैथोलिक लोगोंमें पूर्ण शांति होने पर भी उन्हें अपने पास हथियार रखनेकी आज्ञा नहीं थी, और अधिकारियोंको इस बातका पूर्ण अधिकार था कि वे जब चाहे तब हथियार रखनेके संदेह पर उनके मकानोंकी तलाशी ले लें ।

यह प्रजा-पीडन इंग्लैण्डकी धर्मान्यताके कारण था, साथ ही उस धर्मान्यतामें व्यापारविषयक स्वार्थ भी मिल गया था । इन दोहरे पीडनोंके कारण अठारहवीं शताब्दीमें आयरिश लोगोंकी दुर्दशाकी हद हो गई । देशमें परस्पर एक दूसरेको पानीमें देखनेवाले, दो वर्ग थे । उनमेंसे कैथोलिक लोगोंकी संख्या प्रति सैकड़े नव्वे और प्रोटेस्टेण्ट आदिकी प्रति सैकड़ा दस थी । लेकिन इन नव्वे प्रति सैकड़े लोगोंके हाथमें जोतने-बोने योग्य जमीनका केवल दशाश था और बाकी नव-दशाश उन दस प्रति सैकड़े-वालोंके हाथमें था । अर्थात् पहले वर्गके लिए तो जमीन पूरी नहीं होती थी और दूसरे वर्गकी समझमें नहीं आता था कि हम इतनी जमीनका क्या करे । आयरलैण्डमें दलदले बहुत है, इस लिए जबतक खेतोंमेंसे नहरें न निकाली जायें तबतक उनमें फसल होना कठिन होता है । लेकिन यह था बड़े सर्चका काम, और अगर कैथोलिक लोग कर्ज लेकर इसे किया चाहते तो उन्हें जमीन रेहन रखनेका अधिकार न था । वहाँकी जमीनमे आलू और सन खुब होता था, लेकिन आलूमें रोग लग जानेकी संभावना रहती है । अगर किमी बरस रोग लग गया तो पूरा अकाल ही समाझिण । सनकी फसल बहुत अच्छी होती थी, लेकिन सन और उसके बने हुए कपड़ोंको

विदेश भेजनेमें बहुतसी रुकावटें थीं । जिन जमीनोंमें फसल नहीं हो सकती थी उनमें चारा होता था, अतः खेतिहर लोग गोरू पाल लेते थे और यदि उनके पास आवश्यकतासे अधिक गोरू हो जाते तो वे उन्हें विक्रानेके लिए विदेश भेजते थे । लेकिन इससे इंग्लैण्डके खेतिहरोंकी हानि होती थी, अतः यह नियम बना दिया गया कि आयरलैण्डसे गोरू इंग्लैण्ड न भेजे जा सकें । तब आयरिश लोग फालतू गोरू मारकर उनके सुखाये हुए मासका व्यापार करने लगे । किन्तु जब इसमें भी रुकावट डाली गई, तब गोरू पालनेका काम छोड़ कर आयरिश लोग भेड़ें पालने लगे । शीघ्र ही वे लोग अच्छा ऊन तैयार करने लग गये, और देशमें ऊनी कपड़े बुननेके सैकड़ों कारखाने खड़े हो गये । यह देखकर अँगरेज व्यापारियोंका पेट फिर दुसने लगा । उन्होंने शिक्षायत करके सन् १६९९ में पार्लैमेण्टसे कानून पास करा लिया और उसके अनुसार आयरिश लोगोंको ऊन या ऊनी कपड़े बाहर भेजनेकी मनाही हो गई, और उनका यह उत्कृष्ट और जगत्प्रसिद्ध व्यापार बैठने लगा । और और व्यापारोंके सम्बन्धमें भी यही बात हुई । कुछ दिनोंके लिए आयरिश जहाजोंका एक प्रकारसे बहिष्कार हो गया था और यह नियम हो गया था कि उन पर जो माल आवे वह इंग्लैण्डके किनारोंपर न उतरने पावे । यदि आयरलैण्डवाले अन्य देशोंसे व्यापार करना चाहते तो वह भी नहीं कर सकते थे । क्योंकि आयरलैण्ड और समस्त युरोपके बीचमें इंग्लैण्ड हाथ पैर पसार कर रास्ता रोके पड़ा हुआ है । इस लिए आयात और निर्यात दोनों प्रकारके व्यापारोंमें इंग्लैण्ड अडचन टालता था और यह दशा हो गई थी कि बिना नियमोंका उल्लंघन और जबरदस्ती किये आयरिश लोग विदेशसे किसी भी प्रकारका व्यापार नहीं कर सकते थे । इंग्लैण्ड मानों ब्रिटिशराज्यके आगेका द्वार था, और आयरलैण्ड उसके बादकी खोदनी, इस लिए व्यापारमन्त्री कानूनकी

सब बातें अँगरेजोंने अपने हाथमें कर रखी थीं। सभी व्यवहारोंमें आगेके दरवाजेवाले यजमानको ही लाभ होता था। इस विषयमें कानून बनाकर यहाँ तक सरसती की गई थी कि अँगनमें रहनेवाले आयरिश राष्ट्रको इंग्लैण्डकी इच्छाके अनुसार ही चलना पड़ता था जिससे इंग्लैण्डकी एक कौड़ीकी भी हानि न हो। आयरलैंडमें पत्थरके कोयले आदि खनिज संपत्तिका पहलेसे ही अभाव है, इस कारण, यह देश अन्य प्रकारके उद्योगके लिए अनुकूल नहीं था और उसका सारा दार मदार केवल सेती पर था। लेकिन इंग्लैण्डने सेती और व्यापार दोनोंकी ऐसी दशा कर दी थी जिससे आयरलैंड त्रिलकुल कगाल हो गया। वास्तवमें यदि आयरलैंडके व्यापार आदिकी यथेष्ट उन्नति होने पाती तो आयरिश लोग धनवान् हो जाते और सम्पन्नताके कारण उनमें आप ही आप सन्तोष उत्पन्न हो जाता, लेकिन अँगरेज व्यापारियोंको अपने स्वार्थके आगे कुछ दिखाई ही नहीं देता। उनके तात्कालिक लाभकी ओर ध्यान देकर राजनीतिज्ञोंने भी आयरिश लोगोंके व्यापारमें हाथ डाला, और उन्होंने आयरिश लोगोंको यह सिखलाया कि तुमलोग जित हो और इस लिए यदि तुम्हारे जेता लोग किसी बातके लिए हठ करें तो तुम्हें उनका कहना मान लेना चाहिए। ऊपर कहा जा चुका है कि ब्रिटिश पार्लैमेण्टने व्यापार-विषयक नियम बनाये थे, लेकिन बिना आयरिश पार्लैमेण्टमें स्वीकृत हुए उन नियमोंका पालन होना असंभव था। इस लिए इंग्लैण्डके मन्त्रिमण्डलने आयरिश पार्लैमेण्टको आज्ञा दी कि इन नियमोंको तुम चटपट स्वीकृत कर लो। वास्तवमें आयरिश पार्लैमेण्टसे इन नियमोंको स्वीकृत करनेके लिए कहना उतना ही आश्चर्यजनक और क्रूरतापूर्ण था जितना किसी मनुष्यसे यह कहना कि तुम अपने गले पर अपने हाथसे तुरी रखकर आत्महत्या कर लो, लेकिन अँगरेजी मन्त्रिमण्डलको यह आज्ञा देनेमें लज्जा नहीं मालूम हुई। इतना

ही नहीं, बल्कि आश्चर्यकी बात तो यह है कि आयरिश पार्लमेण्टने इस मयसे उस आज्ञाका अक्षरशः पालन भी कर डाला कि यदि हम इस अमान्य करेंगे तो हमारे अस्तित्वमे ही बाधा आ पड़ेगी। यह विलक्षण और अमानुषी आज्ञा देते समय अंगरेजी मन्त्रिमण्डलने अपने सदाके नियमानुसार आयरिश पार्लमेण्टके मुँहमें एक शहद मरी उँगली भी लगा दी थी। अर्थात् उसने यह वचन दे दिया था कि यदि उनके व्यापारके प्रतिबन्धक नियमको आयरिश पार्लमेण्ट स्वीकार कर लेगी तो हम सन और कपासके व्यापारको उत्तेजना और सहायता देंगे। इस गद्द-लगी उँगलीको अमृत-रसकी उँगली समझ कर आयरिश पार्लमेण्टने अपने सामने आया हुआ यह जहरका प्याला किसी तरह मुँह बना कर पी लिया। लेकिन जहरने अपना पूरा पूरा काम किया और मन्त्रिमण्डलके वचनका अमृत बिलकुल निकल गया। आयरिश पार्लमेण्टने कानून बनाकर देशसे बाहर जानेवाले ऊनी कपडों पर इतना भारी कर लगाया कि जितना कर देकर कपडे बाहर भेजनेमें कमी किसी प्रकारका लाभ हो ही न सके। इस प्रकार केवल शब्दोंसे ही नहीं बल्कि कार्यरूपसे भी आयरिश लोगोंने तो अपना ऊनका व्यापार अपने हाथसे बंद करके दिखला दिया, लेकिन प्रधानमण्डलने इसका बदला चुकानेके लिए जो वचन दिया था, उसका पालन नहीं किया। उस वचनके अनुसार आयरलैण्डके वने सन और कपासके कपडोंके व्यापारको उत्तेजना देना तो दूर रहा, उल्टे इंग्लैण्डने स्काटलैण्ड तथा इंग्लैण्डके इन कपडोंके व्यापारियोंको धनकी सहायता देकर आयरिश व्यापारियोंके लिए एक नई सौत खड़ी कर दी। इसके अतिरिक्त स्वयं इंग्लैण्डमें बाहरसे आनेवाले कपडों पर भी इस ढंगसे कर लगाया गया जो आयरलैण्डके लिए बहुत ही बाधक था। इंग्लैण्डने जो ये व्यापार-विषयक नियम बनाये थे वे धर्मविषयक नियमोंके समान ही अन्याय-



पूर्ण थे। यद्यपि आयर्लैण्डकी भूमिमें भौतिक संपत्ति तथा बहुमूल्य द्रव्य नहीं थे तथापि जो कुछ थे, यदि आयर्लैण्डवाले अन्नाधित रूपसे उन्हींका लाभ उठा सकते तो उनकी स्थिति साधारणतः बहुत अच्छी बनी रहती। आयर्लैण्डके चारों ओर समुद्रतट है और उसपर बहुतसे बंदर हैं। उसकी खाड़ियोंके अंदर भी बहुत दूरतक व्यापारी जहाज जा सकते हैं, ओर इंग्लैण्ड, फ्रांस, अमेरिका आदि देश वहाँसे बहुत दूर नहीं हैं, इस लिए इस छोटेसे देशके व्यापारियोंके लिए व्यापार करनेका सहजमें ही यथेष्ट अवसर मिल सकता था। लेकिन लगभग सन् १६६३ ई० से अंगरेज व्यापारियोंकी उस पर ऐसी कड़ी नजर पड़ी है कि वे कुछ नहीं कर सकते। जिस तरह धीवर अपने जालमें मछलीको चारों ओरसे घेर कर उसका हिलना-डोलना बंद कर देता है उसी तरह आगेके २०-२५ वर्षोंमें ब्रिटिश पार्लैमेण्टने कानून पर कानून बनाकर और अन्यायकी आवृत्तियों पर आवृत्तियों करके आयर्लैण्डके व्यापारियोंका कह बंदकर और दिन दिहाड़े सून किया। डीन स्विफ्टने अपने एक लेखमें कहा है कि— “आयर्लैण्डमें इतने बंदर होने पर भी इंग्लैण्डने उन्हें न होनेके बराबर कर दिया था। एक सुझावे आदमीकी आँखें मूँदकर, उसके कानोंमें ठेपी लगाकर, मुँहपर पट्टी चढ़ाकर और हाथ पैर बाँधकर कारागारमें बंद कर देनेसे जो दशा होती है, वही दशा इंग्लैण्डने आयर्लैण्डकी कर दी थी।” देशकी उपजाऊ जमीनके विदेशियोंके हाथमें चले जानेके कारण आयरिश प्रजा नि सत्व तो पहले ही हो चुकी थी, अब उस पर इन व्यापारविषयक नये नियमोंके बनजानेके कारण केवल उनके रोजगारसे उदरनिर्वाह करनेवाले प्रायः ५०००० कुटुम्बोंकी दुर्दशा हो गई। प्रजाके निर्धन हो जाने और केवल खेती पर ही उसके अवलंबित रहनेके कारण बार बार दुष्कालकी पीड़ा होने लगी, और प्रजामें कर देनेकी शक्ति न रह गई। सरकारी खजाना खाली होने लगा, इस लिए

लोकोपयोगी कामोंमें काट-कसर करना आवश्यक हुआ । सारे देशमें जिधर जाओ उधर उदासी ही दिखाई पड़ती थी । उस समयके जो लेख मिलते हैं उनसे पता चलता है कि विदेशी यात्रियोंको इस देशकी दशा देख कर क्षण भरके लिए यह शका होजाती थी कि क्या वास्तवमें इस देशमें कहीं मनुष्योंकी भी वस्ती है ? इस देशके लोग धर्म और कानून आदिक्रा नाम भी जानते हैं ? अठारहवीं शताब्दीके पहले दस बीस वर्षोंमें सनके व्यापारको फिरसे उत्तेजना देनेका थोड़ा बहुत प्रयत्न हुआ । लेकिन उस समय न तो देशमें इतना धन ही बच गया था कि कोई व्यापार अच्छी तरह खड़ा किया जाता और न किसीमें कुछ हौसला ही रह गया था । आयरिश पार्लिमेण्टने सन् १७०३, १७०५ और १७०७ ई०में सर्वसम्मतिसे प्रस्ताव स्वीकृत करके लोगों पर प्रकट किया कि आयरलैण्डके लोग केवल अपने ही देशके बने हुए कपडे पहनें और अपने घरमें कोई ऐसा सामान न रखें जो आयरलैण्डका बना हुआ न हो । क्यों कि स्वदेशी मालको उत्तेजना देनेसे गरीबोंका पेट भरता है और राजकीय दृष्टिसे उसमें राज्यका भी लाभ होता है । सन् १७०७ ई०में इस निश्चयके अनुसार स्वयं आयरिश पार्लिमेण्टके सदस्योंने खुले आम विदेशी मालका बहिष्कार करके क्रसम साई, और यह कहा कि हम लोग तभी सच्चे आयरिश होंगे जब इस शपथका पालन करेंगे । उसी अवसर पर डीन स्विफ्टने देशकी वर्तमान स्थितिका ध्यान रख कर खूब तीव्र और कटकड़ाते हुए लेख लिखे । आयरलैण्डमें बहिष्कारका उपदेश उसीने आरम्भ किया । वह जैसा विनोदी और विद्वान् था वैसा ही वेधक लिखनेवाला भी था, इस लिए उसके लेख अँगरेजोंको बहुत खटके । देशके लोगोंके स्वाभिमानको उत्तेजित करनेमें उसकी लेखनीने बड़ा काम किया । परन्तु इस प्रकारके प्रयत्नोंका तुरत और पूरा पूरा उपयोग नहीं हो सका और इसी लिए आयरिश

लोगोंको अठारहवीं शताब्दीके आरम्भके २५-३० बरसों तक दरिद्रता-रूपी अग्निमें जलते रहना पडा। सन् १७२८ में शेरिडन नामक एक लेखकने लिखा था कि “ आयरिश लोगोंकी दरिद्रताकी वास्तवमें परमावधि हो गई। उनके घरोंमें और कूडेखानोंमें कोई फर्क नहीं दिखाई देता। अपने गोरुओंके रक्त और खेतके कद-मूल आदि पर ही उनका उदरनिर्वाह होता है।” अठारहवीं शताब्दीके प्राय मध्यभागमें दरिद्रता, दुष्काल और ज्वर आदिकी भयकर आपत्तियोंके कारण आयरलैंडकी प्राय चार लाख प्रजा मृत्यु-मुखमें जा पडी। गाँवके गाँव उजाड और बे-चिराग हो गये। ऐसे अवसर पर जिन लोगोंके पास थोडा बहुत धन था वह उन्हींके लिए पूरा नहीं होता था, तब फिर वे उसमेंसे कहाँ-तक गरीबोंको सहायता देकर उनके प्राण बचा सकते थे। खेतीके काममें तो अँगरेज लोग कैथोलिक लोगोंके प्रतिद्वंद्वी थे ही, लेकिन व्यापार और शिल्प आदिके कामोंमें उन्होंने प्रोटेस्टेण्ट लोगोंके भी पेट पर पैर रख दिया। बहुत ही साधारण बुद्धिका आदमी भी इस बातको अच्छी तरह समझ सकता था कि हमने प्रोटेस्टेण्ट लोगोंको आयरलैंडमें सदाके लिए बसाया है, और उनके द्वारा कैथोलिक लोगोंको दबानेका हमारे पूर्वजोंका जो उद्देश्य था उसे सिद्ध करनेके लिए कमसे कम प्रोटेस्टेण्ट लोगोंमें तो सतोष और समाधान रहना चाहिए। लेकिन कुछ समय जाने पर अँगरेजोंकी दृष्टि इतनी सकुचित हो गई कि कैथोलिक लोगोकी तरह वैसे हुए प्रोटेस्टेण्ट भी उन्हे शत्रुसे जान पडने लगे। इस प्रकार राजनीतिज्ञतापर द्रव्य-दृष्टि और स्वार्थसाधुताकी भारी तह चढाकर अँगरेजोंने आयरलैंडकी हितकी ओर तनिक भी व्यान न दिया और जहाँ हाथ पडा वहाँ आयरिश लोगोंको अत्याचार करके रगड डाला। इन सब कारणोंसे अठारहवीं शताब्दीके मध्यभागमें आयरिश लोगोंकी जितनी हीन दशा हो गई थी, उतनी हीन दशा इन सुघरे हुए और सम्य

कहलानेवाले राजकर्त्ताओंके शासनके इतिहासमें और किसी भी राष्ट्रकी नहीं दिखलाई पडती ।

लेकिन क्या व्यक्ति और क्या राष्ट्र जब किसीका दुस्र चरम सीमा पर पहुँच जाता है तब यह निश्चय समझना चाहिए कि अब उसके सुखके उदय होनेका समय बहुत ही निकट आ गया है । “नीचैर्गच्छत्युपनि च दशा चक्रुनेमिऋणेण ” यह केवल अद्भुत कवि-कल्पना ही नहीं है, बल्कि ससारके नित्य प्रतिके अनुभवकी बात है । जगत्में स्थिति परिवर्त्तन करनेकी विघाताकी ऐसी विचित्र योजना है कि सुखका मूल दुःखमें और दुःखका मूल सुखमें छिपा हुआ होता है । प्राणी ज्यों ही जन्म लेता है, त्या ही उसमें उसकी मृत्युको लानेवाले रोगका बीज भी उत्पन्न हो जाता है, और एक प्राणीकी मृत्युका अमगल प्रसंग किसी दूसरे प्राणीके जन्मका सुमुहूर्त होता है । सुखदुःखात्मक स्थितिके ये परिवर्त्तन आपसमें एक दूसरेके साथ बिलकुल मिले जुले हुए हैं और उनके इस प्रकार मिले जुले हुए होनेके प्रमाण इतिहासमें बहुत-ही अच्छी तरह देखनेको मिलते हैं । आयरलैण्डके लोगोंके साथ व्यवहार करते हुए केवल अपने हितका ध्यान रखकर अंगरेजोंने जो कानून बनाये थे, उनका परिणाम यह हुआ कि, निरुपयोगी होनेके कारण अतमें उन्हें रद्द करना पडा । यद्यपि पीडित होनेके कारण आयरिश लोग पिस गये थे, तो भी उनका सर्वस्व नष्ट नहीं हुआ और उलटे इससे उनमें राष्ट्रीयता उत्पन्न होनेमें सहायता मिली । यद्यपि पीडनके कारण सैकड़ों आयरिश कुटुंब घर छोडकर विदेश चले गये और इसमें सदेह नहीं कि पहले इससे आयरलैण्डकी प्रत्यक्ष हानि ही हुई, लेकिन जो लोग अपना देश छोडकर फ्रांस और अमेरिका आदि देशोंमें चले गये थे, उन्हें वहाँ सुख मिला, अपने गुणोंके विकासका यथेष्ट अवसर पाकर वे लोग धनवान् हो गये, वीरता तथा राजनीतिज्ञता आदि विषयोंमें अच्छा नाम पैदा करके

उन्होंने विदेशमें स्वदेशका मुख उज्वल किया और इससे भी अधिक महत्त्वकी बात यह हुई कि विदेशमें रहकर भी उन लोगोंने बराबर स्वदेशकी चिन्ता रखी, राष्ट्रीय स्वतंत्रताके सबबमें स्वदेशके लोगोंको खुले दिलके उद्गार सुनाकर उन्होंने उनका धीरज कायम रखा, और अपने देशके सब प्रकारके आन्दोलनोंमें उन्होंने धनकी पूरी पूरी सहायता दी । देशत्याग करनेवाले आयरिश लोगोंकी कुछ दिनोंमें विदेशमें इतनी धाक बढ गई कि लोगोंको इस बातका भय होने लगा कि उनके कारण कहीं इंग्लैण्ड पर पर-चक्र न आ जाय—कोई विदेशी राजा इंग्लैण्ड पर आक्रमण न कर दे और देश अंगरेजोंके हाथसे निकल न जाय । फ्रांस और अमेरिकामें जो हजारों कैथोलिक जा रहे थे, वे वहाँ चुपचाप नहीं बैठे थे । राजा तृतीय जार्जके राजत्व-कालमें जब इंग्लैण्डका इन दोनों राष्ट्रोंके साथ वैर हुआ तब इंग्लैण्डको द्वेषके उन विप-वृक्षोंके फल चखने पडे जो असतुष्ट और दुःखी आयरिश कैथोलिकों, लोगोंने इन देशोंमें जाकर लगाये थे । अमेरिकामें अंगरेजी अमलदारीके विरुद्ध विद्रोह हुआ और अमेरिकन लोगोंने पूर्ण स्वतंत्र स्वराज्य स्थापित कर लिया ( सन् १७७६ ई० ) । इस काममें आयरिश लोगोंने अमेरिकावालोंको खूब सहायता दी । जो लोग तीन चार पीढ़ीसे अमेरिकामें ही बसे हुए थे और जिन्हें वहाँ पूर्ण स्वतंत्रता तथा समान अधिकारका सुख अवाधित रूपसे मिला था, वे यदि अमेरिकाको ही अपनी दूसरी जन्मभूमि समझने लगे और उसके उद्धारमें सहायता दें तो इसमें आश्चर्यकी कोई बात नहीं है । लेकिन अंगरेजोंके विरुद्ध अमेरिकन लोगोंकी सहायता करनेमें आयरिश लोगोंका एक और भी हेतु था, और वह यह कि अमेरिकाका उदाहरण देखकर आयरिश लोग भी आयरलैण्डमें स्वतंत्र होनेका उद्योग करें और अमेरिकन लोग कृतज्ञतापूर्वक उन्हें सहायता देकर मित्र-ऋणसे उन्नत हों । अमेरिकामें स्वतंत्रताके लिए

युद्ध होनेके उपरान्त शीघ्र ही फ्रांसमें भी राज्यक्रान्ति हो गई और नेपोलियन बोनापार्टकी सेनामें बहुतसे आयरिश भर्ती हो गये । आय-लैंड पर इन दोनों ही आन्दोलनोंका प्रभाव पडा ।

देशमें रहकर जिन कैथोलिक लोगोंने ' पीनल कोड ' का कष्ट भोगा था उनके मन उस कष्टके कारण कठोर और गभीर हो गये थे । जिन कानूनोंके विषयमें यह समझा जाता था कि इनसे प्रजाको दहशत होगी उन कानूनाने कुछ दिनों तक लोगोंको घैर्यकी ही शिक्षा दी, और कायदे-कानूनोंके विषयमें साधारणतः जो भीतिमूलक आदर उत्पन्न होना चाहिए था वह न होकर उसके स्थान पर लोगोंमें उससे घृणा करने और उसकी अवमानना करनेकी बुद्धि उत्पन्न हुई । न्यायमें सहायता देनेवाले कानूनोंके विषयमें जिस प्रकार आदर उत्पन्न होता है उसी प्रकार अन्यायमें स्पष्ट सहायता देनेवाले कानूनोंके प्रति अनादर होना भी स्वाभाविक ही है । आयरिश पीनल कोडका एक उद्देश्य कैथोलिक लोगोंको प्रोटेस्टेण्ट बनाना भी था, लेकिन वर उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, उल्टे भावुक लोग दिन पर दिन कैथोलिक पथके अधिक अभिमानी होने लगे और आगेसे और भी अधिक अपने धर्मगुरुओंके कहनेमें रहने लगे । यह धर्मनिष्ठा देखकर प्रोटेस्टेण्ट लोगोंके मनमें कैथोलिक लोगोंके प्रति आदर होने लगा और बहुतसे प्रोटेस्टेण्ट लोगोंने तो कैथोलिक पथ ही स्वीकार कर लिया । धर्मोपदेशका कार्य करना पीनल कोडके अनुसार अपराध था, लेकिन कैथोलिक लोग अपने धर्मोपदेशकोंको प्राणसे भी बढ़कर समझने लगे । और सबसे बढ़कर मजेकी बात यह हुई कि जो प्रोटेस्टेण्ट लोग कैथोलिक लोगों पर चौकीदार या पहरेदार बनाकर बैठाये गये थे, स्वयं उन्हीं लोगोंके मनमें कैथोलिक लोगोंके प्रति सहानुभूति उत्पन्न हो गई । यद्यपि प्रोटेस्टेण्ट मतके सुसंस्कृत नेताओंको अपने धर्मका उचित अभिमान था, परन्तु साथ ही वे यह भी समझते थे कि

इस प्रकार अन्याय और अत्याचारसे वर्मपरिवर्तन करानेके नियम बनाना जैसा लज्जास्पद है, वैसा ही बलपूर्वक वर्म-परिवर्तन कराके लोगोंको प्रोटेस्टेण्ट बनाना उस वर्मके लिए भूषणप्रद भी नहीं है और न इस प्रकार उस धर्मका बल ही बढ़ सकता है । इसी विचारसे उन लोगोंने स्पष्ट रूपसे पीनल कोड पर टीका-टिप्पणी करना प्रारम्भ कर दिया । प्रायः इन्हीं दिनों व्यापारसंबन्धी कानूनों पर भी विचार होने लगा । व्यापारके कामोंमें प्रोटेस्टेण्ट लोगोंको कैथोलिक लोगोंकी आवश्यकता मालूम होने लगी और वे यह बात समझने लगे कि इंग्लैण्डके मत्सरमें हम दोनों समान रूपसे बलि पड़ रहे हैं । इस तरह प्रोटेस्टेण्टोंमें यद्यपि रोमन कैथोलिक लोगोंके विषयमें सहानुभूति उत्पन्न हो गई थी तथापि आरम्भमें प्रोटेस्टेण्ट नेताओंमें इस विषयमें बहुत कुछ मतभेद था कि उन्हें सब प्रकारसे बधन-मुक्त करके समान अधिकार दिये जायँ या नहीं । लार्ड चार्लमाट सरीखे राजनीतिज्ञ भी यह कहनेके लिए तो तैयार थे कि प्रोटेस्टेण्टों और प्रेसबिटेरेनियनोंका भेद-भाव दूर कर दिया जाय और उन्हें समान अधिकार दिये जायँ, लेकिन कैथोलिक लोगोंको अधिकार देनेके लिए वे भी तैयार नहीं थे । हाँ, ग्रटन सरीखे दूरदर्शी देशभक्तोंके मनमें यह बात अवश्य ही अच्छी तरह बैठ गई थी कि जब तक कैथोलिक, प्रोटेस्टेण्ट और प्रेसबिटेरेनियन, सबको नागरिकताके समान अधिकार न दिये जायँगे तब तक राष्ट्रीयताकी सच्ची कल्पना कभी पूर्ण नहीं हो सकती । वे सोचते थे कि मुझे भर प्रोटेस्टेण्ट लोग स्वदेशमें कैथोलिक समाजको अपना शत्रु बनाकर अंगरेजोंसे कैसे जूझेंगे ? राष्ट्रीयताका ठीक ठीक स्वरूप ग्रटनने अच्छी तरह समझ लिया था । उसे विश्वास था कि मनुष्यमें जहाँ राष्ट्रीयताकी कल्पनाका उदय होता है, वहाँ छोटे मोटे फुटकर भेद भाव स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं । उस समय धीरे धीरे कई ऐसे प्रोटेस्टेण्ट नेता सड़े हो गये थे जो रोमन

कैथोलिक लोगोंको भी नागरिकताके समान अधिकार देनेके पक्षमें थे । प्रोटेस्टेण्ट और कैथोलिक दोनों ही पीनलकोड और व्यापारसंबंधी कानून रद्द करानेकी आवश्यकता समझने लगे थे । लेकिन आयर्लैण्डकी पार्लमेण्ट बहुत ही कमजोर और असमर्थ थी । उसके सभी सूत्र मंत्रिमंडलके हाथमें थे । यहाँतक कि यह मंत्रिमंडल उस पार्लमेण्टसे आयरिश लोगोंके हितके विरुद्ध बातें भी करा लेता था । इस बातसे प्रोटेस्टेण्ट लोगोंके मनमें ग्लानि उत्पन्न हुई और उनका दृढ़ विश्वास हो गया कि आयर्लैण्डके इन दोनों वर्गोंके सभी सुख-दुखोंका मूल आयरिश पार्लमेण्टकी परतंत्रतामें है । लेकिन पार्लमेण्टमें केवल प्रोटेस्टेण्ट लोग रहते थे, कैथोलिक लोगोंको उसके सभासद होनेका अधिकार ही नहीं था । फलतः पार्लमेण्टकी स्वतंत्रता स्थापित करनेकी जिम्मेदारी केवल प्रोटेस्टेण्ट लोगों पर ही पड़ी । इस प्रकार अठारहवीं शताब्दीके अंतमें आयरिश लोगोंके दुःखान्धकारके नष्ट होने और धार्मिक सहानुभूतिके अरुणोदयसे दिशाओंके प्रकाशित होनेका समय आ गया और राष्ट्रीय आन्दोलनका नेतृत्व आयर्लैण्डमें वैसे हुए प्रोटेस्टेण्ट लोगोंके हिस्सेमें पड़ा । इस प्रिलक्षण घटनाको देखकर ईश्वरके अघटित-घटना-पटुत्व पर जितना आश्चर्य किया जाय उतना थोड़ा है ।

उस समय इंग्लैण्डको आयर्लैण्ड पर विदेशियोंका चक्र चलजाने और उसके हाथसे निकल जानेका इतना डर हो गया था कि उसके मनमें यह बात अच्छी तरह जम गई कि यदि स्वयं आयर्लैण्डके प्रोटेस्टेण्ट लोगोंकी सहायता न मिलती रहेगी तो केवल अंगरेजी सेना और जहाजोंकी सहायतासे विदेशियोंके आक्रमण रोकना और रोमनकैथोलिक लोगोंका मित्रोह शान्त करना असंभव हो जायगा । इस लिए अधिकारियोंने आज्ञा दी कि प्रोटेस्टेण्ट स्वयं-सैनिकोंकी पलटने तैयार की



जायें और इस आज्ञासे लाभ उठाकर प्रोटेस्टेंट लोगोंने अपने पचास हजार सैनिकोंकी एक अच्छी सेना खड़ी कर ली । उस समय इन स्वयसेवक सैनिकोंके आदोलनसे आयरलैंडको बहुत लाभ पहुँचा । वास्तवमें विदेशियोंके आक्रमणकी आशंका तो ठीक नहीं उतरी, लेकिन आयरिश प्रोटेस्टेंट लोगोंके मनमें यह समझकर कि, हम जब चाहें तब अपने ही देशमें पचास हजार स्वयसेवकोंकी सेना एकत्र कर सकते हैं, स्वतंत्रतासवधी विचारोंका अकुर सहजमें जम आया । प्रोटेस्टेंट लोग जिस प्रकार कैथोलिक लोगोंको अपने अधिकारमें रसना चाहते थे, उसी प्रकार अँगरेजोंकी अधीनतासे निकलकर स्वतंत्र होनेके भी वे इच्छुक थे । आयरलैंडमें आयरिश लोगोंकी जो एक पार्लमेण्ट थी, उसमें प्रोटेस्टेंट आयरिशोंकी ही अधिकता थी, अतः उन लोगोंकी इच्छाःहुई कि हम अपनी पार्लमेण्ट स्वतंत्र करके अपना राज्य स्वयं चलायें और जिस 'पाइनिंगस एक्ट' के कारण अँगरेजी पार्लमेण्टको प्रधानता मिली थी उसे तोड़ दें । उन दिनों चार्लमाट, ग्रटन, फ्लड आदि राजनीतिज्ञ आयरिश पार्लमेण्टके नेता थे, इस लिए उन लोगोंने स्वयसेवकोंकी सेनाका लाभ उठाकर आयरिश स्वतंत्रताके अधिकारका प्रथम स्पष्ट रूपसे उठाया । अमेरिकाका ताजा उदाहरण आँसोंके सामने खड़ा चमकता था, इस लिए अँगरेजी मन्त्रिमंडल आयरिश लोगोंका अधिकार अस्वीकृत करनेके रास्ते नहीं गया, और अतमें सन् १७८२ में अँगरेजी पार्लमेण्टने निश्चय कर दिया कि आयरिश पार्लमेण्ट स्वतंत्र है और अपने देशके सभी राजकार्य स्वतंत्रतापूर्वक चलानेका उसे अधिकार है ।

अनेक प्रकारसे आयरिश लोगोंके इतनी अवनत स्थितिमें पहुँचनेपर भी उनका पला किस प्रकार भारी हो गया, इसके दो एक वाह्य कारण ऊपर बतलाये जा चुके हैं, लेकिन इस कार्यके भीतरी

कारण भी मनन करनेके योग्य है । उस समय आयरिश समाजके एक भागकी स्थिति यद्यपि शोचनीय थी, तथापि नेता होनेके योग्य समाजका जो दूसरा भाग था, उसकी स्थिति अच्छी थी, और एक भागके अवनत स्थितिमें होनेके कारण, अच्छी स्थितिवाला उसका दूसरा भाग और भी अधिक स्पष्ट दिखाई देता था । इससे कुछ ही पहले स्विफ्ट और बर्कले जैसे विख्यात लेखक और तत्त्ववेत्ता, तथा पार्नेल सरीखे कवि आयरलैण्डमें हो गये थे । सुप्रासिद्ध हेनरी ब्रुक डब्लिनमें समाचारपत्रका काम करता था । डब्लिनका तत्त्वज्ञानप्रसारक मण्डल अपनी कीर्तिके शिखर पर इसी समय पहुँचा था । इसके अतिरिक्त सन् १७३१ और १७४४ के मध्यमें दो और विद्यावादिनी मठलियाँ स्थापित हो गई थीं । उनमेंसे एकका नाम 'डब्लिन सोसाइटी' था । उसने आयरलैण्डमें सेती, शिल्प और ललित कलाकी उन्नति करनेमें बहुत परिश्रम किया था । राज्यकाति होनेसे पहले जिस प्रकार सब तरहका ज्ञान प्राप्त करनेकी अति उत्कट इच्छा फ्रांसके जनसमाजमें दिखाई पड़ी थी, सन् १७५० के लगभग प्रायः उसी प्रकारकी इच्छा आयरिश लोगोंमें भी दिखाई पडने लगी थी । अठारहवीं शताब्दीके पहले तीस चालीस वर्षोंमें आयरलैण्डमें चित्रकलाकी भी अच्छा उन्नति हुई थी और उस समय लडनके चित्तेरोंमें एक आयरिश ही प्रधान था । गिरजों और मकानोंके बनानेका काम उन दिनों बेहद बढ़ गया था और उस पर आयरलैण्डकी स्वदेशी शिल्पकलाकी छाप दिखाई पडती थी । तत्त्ववेत्ता बर्कले प्रायः उन्हीं दिनों बडे जोरोंसे इस मतका प्रतिपादन करने लग गया था कि देशके शिल्प आदिको स्वावलम्बनके तत्त्व पर बढाना चाहिए, और आयरिश कारीगरीको दबानेवाले कानूनोंके रहते हुए भी उनमेंसे अपना सिर ऊपर उठाना चाहिए । लोगोंको उसका यह उपदेश पसन्द भी आने लगा था । धार्मिक विषयोंमें यद्यपि कैथोलिक और प्रोटेस्टेण्ट लोगोंमें और उसी

प्रकार प्रोटेस्टेण्ट तथा प्रेसबिटेरेनियनोंमें फूट थी, तो भी शिक्षाके सबन्धमें सब लोगोंमें समान चिन्ता दिखाई देती थी ।

आयर्लैण्डके राजकार्यका व्यय इंग्लैण्डके राजा उसीकी आयमेंसे करते थे । यह व्यय जबतक आयमेंसे ही निकलता आता था, तबतक उनमें आयरिश पार्लमेण्टको घटा बतानेकी प्रवृत्तिका रहना साहजिक था । लेकिन जब यह व्यय वहाँकी आयसे बढ़ने लगा तब आयरिश लोगोंपर करका नया बोझ लादनेकी आवश्यकता पढ़ने लगी । अबतक प्रायः यही होता था कि, जहाँतक हो सके पार्लमेण्टका अधिवेशन न किया जाय, पर अब वह बात जाती रही और उसके एकके बाद एक लगातार अधिवेशन होने लगे । क्योंकि उन दिनों आयर्लैण्डमें जबतक लोक-नियुक्त पार्लमेण्ट कोई कर नहीं लगाती थी तबतक उसका वसूल करना बे-कायदे माना जाता था । अर्थात् नया कर स्वीकार करना या न करना पार्लमेण्टके हाथका नियमानुमोदित अधिकार था । इस लिए अपनी स्थिति सुधारने और अपनी खोई हुई स्वतंत्रता फिरसे प्राप्त करनेके लिए इस अधिकारका राजाके विरुद्ध उपयोग करनेकी इच्छा पार्लमेण्टके सदस्यों और आयरिश राजनीतिज्ञोंके मनमें आप-ही-आप उत्पन्न होने लगी । इसके सिवाय आयरिश और अँगरेज लोगोंके बीचके स्वाभाविक हित-शत्रुत्वके या स्वार्थ-हानिके नये नये मुद्दे भी उनके ध्यानमें आने लगे । आयरिश लोग जो कर देते थे उसमेंका बहुत सा धन अनेक साली बैठे हुए अँगरेजों या अँगरेज अधिकारियोंको पेन्शन या पुरस्कार-स्वरूप दिया जाता था । सरकारी ओहदों और बड़ी बड़ी तनख्वाहोंकी जगहोंके सबन्धमें हिन्दुस्तानियों और अँगरेजोंमें आजकल जिस प्रकारका झगडा चल रहा है, उसी प्रकारका झगडा अठारहवीं शताब्दीमें आयर्लैण्डमें भी था । अँगरेज अधिकारियोंकी सत्ता वैसे हुए प्रोटेस्टेण्ट लोगोंको बहुतसी बातोंमें अत्याचार और अन्याययुक्त जान पढ़ने लगी ।

यह समझने लगे कि इस सत्ताको नियंत्रित करना चाहिए और इस सम्बन्धमें झगड़नेके लिए कैथोलिक लोगोंको सुभीते देकर उनकी भी सहायता लेना आवश्यक है। दोनों पक्षोंके मनमें यह विचार आने लगा कि हम लोग एक ही नावमें हैं, इस लिए हमें नावमें बैठकर आपसमें नहीं झगड़ना चाहिए और दोनों धर्मोंके लोगोंको यह नाव खेकर अपने इष्ट और प्रिय स्वतंत्रताके किनारे तक ले चलनी चाहिए। इसी लिए उन दिनों कैथोलिक और प्रोटेस्टेण्ट दोनों ही धर्मोंके लोग राष्ट्रकी स्वतंत्रताके सम्बन्धमें समान उत्सुकतासे बोलने और लिखने लगे।

उन दिनों कुछ समयके लिए आयरिश राष्ट्रको उज्वल स्वरूप प्राप्त हो गया था। सन् १७८२ ई० में आयरिश पार्लिमेण्टको स्वतंत्रता मिलनेके कुछ पहलेसे स्वतंत्रता मिलनेके दस पाँच बरस बाद तक आयरलैंडके यशकी दुडुभी चारों ओर बजती रही। यद्यपि यह केवल क्षणभर ठहरनेवाली विजलीकी चमक थी, लेकिन इसमें सन्देह नहीं कि उसने देखनेवालोंकी आँसोंमें चकाचौंध उत्पन्न कर दी थी। देशमें विद्या, कला, विचारोंकी उदारता, बहुप्रेम, धैर्य, साहस और बक्तृत्व आदि सभी गुण एकही समयमें बहुत ही उन्नति पर आये हुए दिखलाई देते थे। सब इतिहासकारोंने उस समयका नाम 'ग्रटनकी पार्लिमेण्ट' रक्खा है और वह यथार्थ भी है। ग्रटन किस ढंगका राजनीतिज्ञ था, यह बात पाठकोंको उसके उस चरित्रसे मालूम हो जायगी जो इस पुस्तकके दूसरे भाग—चरित्रमालामें दिया हुआ है। यहाँ इतना ही कहना यथेष्ट होगा कि उसके समान शुद्ध और तेजस्वी राजनीतिज्ञ स्वयं इंग्लैण्डमें भी बहुत थोड़े थे। इन दस बीस वर्षोंमें आयरलैंडके भाग्योदयकी जो लहर चारों ओरसे उठी थी उसके सिरपर ग्रटन एक तारेकी तरह चमकता था। और यदि उसकी बराबरीके नहीं तो प्रायः उससे कुछ ही कम फलड, हाकिन्सन, पानसनबी आदि नाम लेने योग्य राजनीतिज्ञ भी उस समय

करे । क्योंकि इस प्रस्तावके पास किये विना नियमकी दृष्टिसे उस प्रस्तावका कुछ मूल्य ही नहीं था जो ब्रिटिश पार्लिमेण्टके पास किया था । इस लिए कोई ऐसी कार्रवाई करना आवश्यक था जिसमें आयरिश पार्लिमेण्टके ही लोग इस पक्षमें आ मिलें और उस 'आत्मघाती प्रस्ताव पर अनुकूल सम्मति दे दें । वास्तवमें यह बड़ा ही विकट प्रश्न था । लेकिन पिटने अतमें उसको हल कर ही डाला । आयरिश उमराकी सभा हाउस आफ लार्ड्सके सबन्धमें उसे कोई चिन्ता नहीं थी । क्यों कि उसके सब सभासद पहलेसे ही उसकी मुट्टीमें थे । केवल आयरिश हाउस आफ कामन्समें ही उसे बहुमत प्राप्त करना था, इस लिए उसके सभासदोंको उसने किसी प्रकारका लालच देनेमें जरा भी कमी नहीं की । उस समय सम्मतियोंका खूब नीलाम हुआ । पिटने जो काम हाथमें लिया था वह बहुमूल्य था, इस लिए जिसने अपनी सम्मतिका जो कुछ मूल्य माँगा, उसने उसे वही दिया । लेकिन केवल पार्लिमेण्टमें ही बहुमत प्राप्त कर लेनेसे काम न चल सकता था, उसके लिए देशके लोकमतके अनुकूल होनेकी भी आवश्यकता थी, इसलिए रोमन कैथोलिक लोगोंको धार्मिक स्वतंत्रताका लालच देकर प्रायः आधे कैथोलिक नेताओंको उसने अपने वशमें कर लिया । और इस प्रकार सन् १८०० में आयरलैंडकी वह स्वतंत्रता जो अट्टारह वर्ष पहले बहुत कुछ उसके पछे पड चुकी थी, डुँदवके पलटा खानेसे, नष्ट हो गई ।

उस समय यह शुक्तिवाद उपस्थित किया गया था कि आज तक आयरिश लोगोंको जो दुःख भोगने पडे है वे सब इन दोनो पार्लिमेण्टोंके एक हो जानेसे नष्ट हो जायेंगे, आयरिश लोगोंको अँगरेजोंके सब अधिकार मिल जायेंगे और अँगरेजी पार्लिमेण्टकी प्रत्यक्ष देखरखमें उनकी सब उन्नति होगी । लेकिन आगेके सौ वर्षोंका अनुभव इससे कुछ भिन्न ही प्रकारका प्रमाणित हुआ । यदि हम

इस बीचके अर्थात्, उन्नीसवीं शताब्दीके आयरलैण्डके इतिहासको विशिष्ट आन्दोलनोंका इतिहास कहें तो कोई बाधा न होगी । पहले तीस वर्षोंमें जो मुरय आन्दोलन हुआ वह रोमन कैथोलिक लोगोंको प्रोटेस्टेण्ट लोगोंके समान अधिकार दिलानेके लिए था, और सन् १८२९ ई० में प्रसिद्ध आयरिश देशभक्त डेनियल ओकानेलेके परिश्रमसे उसमें सफलता हुई । इसके बाद रोमन कैथोलिक लोगोंकी स्थितिका सुधारना आरम्भ हुआ और यह कहनेमें कोई हानि नहीं है कि सैकड़ों वर्षोंसे कैथोलिक और प्रोटेस्टेण्टका जो धर्ममूलक भेद आयरलैण्डको कष्ट दे रहा था वह आज प्रायः नष्ट हो गया है । इसके उपरान्त दूसरा बड़ा आन्दोलन उस विपत्तिके निवारणके सम्बन्धमें था जो आयरलैण्डकी सब जमीन प्रोटेस्टेण्ट जमींदारोंके अधिकारमें चले जानेके कारण कैथोलिक लोगों पर आपड़ी थी । काश्तकारोंका लगान जो एकबार निश्चित हो चुका है, वही बराबर बना रहे और कभी बढ़ाया न जा सके, जब तक वे लगान देते रहें तब तक वे ही जमीनके मालिक समझे जायें, केवल जमींदारोंकी इच्छाके कारण ही उनकी जमींदारी नष्ट न हो सके, वे लोग अपने खर्चसे जमीनमें जो सुधार करें उस सुधारके कारण लगान बढ़ाया न जा सके और यदि उन्हें जमीन छोड़नी पड़े तो उनके किये हुए सुधारके बदलेमें उन्हें हरजाना मिले, आदि आदि बातोंके लिए वह आन्दोलन था, और ये सब सुभीते अबतक नहीं हुए हैं, इसलिए वह आन्दोलन अभीतक जारी है । इन सबसे अधिक महत्त्वका आन्दोलन 'होमरूल' सम्बन्धी था । सन् १८०० से १८३० तक आयरिश पार्लिमेण्टको स्वतंत्र करनेके लिए जो प्रयत्न हुआ था, वह विशेष उल्लेखयोग्य नहीं है । लेकिन जबसे आयरलैण्ड इंग्लिश पार्लिमेण्टकी देखरेखमें गया तबसे वह बराबर उसी तरह क्षीण होता जाता था जिस तरह कोई लडका अपनी

सौतेली माँके हाथमें पढजानेसे क्षीण होने लगता है। जब रोमन कैथोलिक लोगोंको समान अधिकार देनेका बिल ब्रिटिश पार्लिमेण्टमें पास हो गया तब डेनियल ओकानेलेने आयरिश पार्लिमेण्टका प्रश्न हाथमें लिया। इस विषयमें दस बारह वर्षतक लगातार आन्दोलन होता रहा और यह प्रश्न अनेक प्रकारसे ब्रिटिश पार्लिमेण्टके सामने उपस्थित किया गया, लेकिन फल कुछ भी न हुआ। ओकानेले तथा राष्ट्रीय पक्षके और और लोगोंको जेल जाना पडा (सन् १८४४ ई०); इतना ही नहीं, बल्कि ओकानेलेके जरासी नीति बदलते ही उसकी जन्मभरकी प्राप्तकीहुई लोकप्रियता भी नष्ट हो गई। इस आन्दोलनको 'रिपीलका आन्दोलन' कहते हैं। यही आन्दोलन आगे चलकर सन् १८७४ से होमरूलके नामसे प्रसिद्ध हुआ। पहले लैण्ड लीग और फिर नेशनल लीग नामकी सस्था स्थापित हुई, आयरलैण्डमें बहिष्कारकी घूम मच गई और बहुत दिनोंतक सब सत्ता लैण्ड लीगके अधिकारियोंके हाथमें रही। ब्रिटिश पार्लिमेण्टमें जो 'आयरिश सभासद थे उन्हें रुकावट डालनेकी कुजी मिल गई थी, उसीका उत्तम उपयोग करके उन लोगोंने ब्रिटिश पार्लिमेण्टमें इतना बखेडा मचाया कि अँगरेज लोग समझने लगे कि आयरलैण्डको स्वतंत्र पार्लिमेण्ट दे देना ही अच्छा है, पर यह नित्यका कष्ट अच्छा नहीं। होमरूलके आन्दोलनका सब श्रेय प्रसिद्ध आयरिशनेता पार्नेलको ही है। उसके उद्योग और कर्तृत्वके कारण ग्लेडस्टन सरीखे राजनीतिज्ञने भी यह प्रश्न हाथमें लेकर सन् १८८६ ई० में पहला होमरूल बिल पार्लिमेण्टके सामने उपस्थित किया। आगे चलकर प्रायः सात आठ वर्ष तक होमरूलका प्रश्न पार्लिमेण्टके सामने था, और सन् १८९३ ई० में हाउस आफ कामन्समें होमरूल बिल पास भी हो गया। लेकिन हाउस आफ लार्ड्सने उसे अस्वीकृत कर दिया, इस लिए आयरलैण्डको उससे कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं।

हुआ । इसके उपरांत बहुत दिनोंतक यह प्रश्न योंही पड़ा रहा, पर इसके लिए आन्दोलन बराबर होता रहा । एक वार लार्ड डन-रेवनके आन्दोलनसे 'टिवोल्यूशन' अर्थात् अधिकार विभाजनके रूपमें होमरूलका थोड़ासा भाग फिर चर्चाके लिए उपस्थित किया गया था, लेकिन ऐसे अधूरे अधिकार लेना आयरिश लोग पसन्द नहीं करते थे, इस लिए अधिकार-विभाजनका वह बिल लिबरल मन्त्रि-मण्डलको लौटा लेना पड़ा । इसके उपरान्त आयरलैण्डके सौभाग्यसे सन् १९०८ ई० में मि० एसक्रिय इंग्लैण्डके प्रधान मंत्री हुए । उन्होंने आयरलैण्डको स्वराज्य देनेका विचार किया । लेकिन वे इस बातको अच्छी तरह समझते थे कि जबतक हाउस आफ लार्ड्सके अधिकार कम न किये जायेंगे तबतक आयरिश होमरूल बिल पास न हो सकेगा । अतः हाउस आफ लार्ड्सके अधिकार कम करनेके लिए उन्होंने पहले सन् १९११ में वीटोबिल पास किया जिसके अनुसार यह नियम बन गया कि यदि कोई बिल हाउस आफ कामन्समें लगातार तीन दौरोमें पास हो जाय और हरवार हाउस आफ लार्ड्स उसे अस्वीकृत कर दे तो केवल सम्राटकी स्वीकृतिसे ही वह कानून बन जाय । लेकिन इसमें शर्त यह थी कि पहले दौरेकी द्वितीय आवृत्ति और तीसरे दौरेकी तृतीय आवृत्तिमें दो वर्षका अंतर रहे । तदनुसार मि० एसक्रियने ११ अप्रैल सन् १९११ को हाउस आफ कामन्समें होमरूल बिल उपस्थित किया और उसके स्वीकृत होने पर हाउस आफ लार्ड्सने उसे रद्द कर दिया । दूसरे दौरेमें वह फिर कामन्समें पास हुआ और लार्ड्समें रद्द हुआ । तीसरी बार सन् १९१४ में फिर वही बिल हाउस आफ कामन्समें पास हुआ और वर्तमान युरोपीय महासमर छिड़नेके कुछ ही दिन बाद कानून बन गया । पर यूनियनिष्ट दलके स-तोपार्थ जो आयरिश होमरूलका विरोधी था, सरकारने कह दिया कि अभी यह कार्यरूपमें परिणत न किया जायगा । इस प्रकार





“ आसमानसे गिरा और ताड़ पर अटका, ” वाली कहावत आयरिश होमरूलके सम्बन्धमें चरितार्थ हुई। तथापि इसमें सन्देह नहीं कि वे अपने उद्दिष्ट स्थानके बहुत ही समीप तक पहुँच चुके हैं।

उन्नीसवीं शताब्दीमें कोई बड़ा विद्रोह नहीं हुआ। बुल्फटोनके सन् १७९८ वाले विद्रोहके उपरांत उसकी मण्डलीके राबर्ट एमेट नामक एक व्यक्तिने सन् १८०३ में एक विद्रोह किया। पर उस विद्रोहका दमन हो गया और एमेटको फाँसी मिली। लेकिन आगे चलकर उन्नीसवीं शताब्दीमें आयरलैंडकी साम्प्रतिक स्थितिमें बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हो गये। जबसे आयरिश पार्लमेण्ट ब्रिटिश पार्लमेण्टमें मिलाई गई तबसे लगभग पचास वर्षतक कर्मधर्म-सयोगसे आयरलैंडकी दशा एक प्रकारसे अच्छी ही दिखाई देती थी। इस बीचमें जन-सख्या बेहद अर्थात्, पचास लाखसे पचासी लाख तक बढ़ी। इसको आयरलैंडकी अच्छी स्थितिका प्रमाण बतलाया जाता है। लेकिन यदि जन-सख्याके साथ ही साथ उसके निर्वाहके साधन नहीं बढ़ते हैं तो भयकर दशा आ उपस्थित होती है और तब देशकी वास्तविक स्थितिका पता चलता है। सन् १८०० से १८४५ तक आयरिश जन-संख्या बढ़ती रही, लेकिन इसी बीचमें गल्लेका भाव उतर जानेके कारण खेतिहरोंको घाटा होने लगा। इधर हाथकी मेहनतकी जगह यंत्रोंके आ जानेके कारण जुलाहोंकी रोजी भी मरने लगी। इतनेमें सन् १८४४-४५ से भयकर अकाल पडना आरभ हुआ। बढ़ती हुई लोकसख्याका सारा आधार आलुओं पर ही था। आलूकी तरकारी, गौके दूध और सुअरके मास पर ही आयरिश लोक-सख्या बातकी बातमें इतनी बढ़ गई थी। लेकिन आलूकी फसलमें रोग लग जानेके कारण वह तो गया ही, साथ ही खेतीकी सुदशापर अवलंबित रहनेवाली गौओं और सूअरों का भी सहार हुआ। इस लिए लोकसख्याका सारा अजीर्ण इतनी

जल्दी शांत हो गया कि फिर इस बातकी शका होने लगी कि, आयर्लैण्डमें अब आदमियोंकी वस्ती बचेगी भी या नहीं । इस आपत्तिके कारण लोगोंके मन रिन्न और असंतुष्ट हो गये, और इसका मूल कारण उन्हें ब्रिटिश सरकार ही जान पड़ने लगी । दूसरी बात यह थी कि दोनों पार्लमेण्टोंको मिलानेके समय पिटने रोमन कैथोलिक लोगोंको धार्मिक स्वतंत्रताका जो वचन दिया था, ब्रिटिश पार्लमेण्टद्वारा उसके अनुसार कार्य्य होनेमें तीस वर्ष लग गये और इसके लिए धक्के भी खूब खाने पड़े । इस लिए ब्रिटिश राजनीतिज्ञोंके वचनपरसे आयरिश लोगोंका भरोसा उठ गया । इसी प्रकार इन दोनों राष्ट्रोंका संयोग करानेके समय लोगोंको यह समझाया गया था कि यदि यह संयोग हो जायगा तो आयरिश लोगोंपरसे करका बोझा कम हो जायगा, लेकिन वह बात भी नहीं हुई । उल्टे करका बोझा प्रतिवर्ष बढ़ता ही गया और इंग्लैण्डका ऋण देखते हुए आयर्लैण्डके राष्ट्रीय ऋणकी रकम भी बहुत बढ़ गई । प्रायः दस वर्षमें इंग्लैण्डका कर तो प्रति सैकडे केवल १७ बढ़ा, पर आयर्लैण्डका करीब करीब ५० के बढ़ गया ! तात्पर्य्य यह कि आयरिश नेताओंने अच्छी तरह समझ लिया कि चाहे जिस दृष्टिसे देखिए, यही कहा जा सकता है कि दोनों राष्ट्रोंके एक होनेसे आयर्लैण्ड सुखी नहीं हुआ । देशकी इस आपत्तिरूपी वारूद पर स्वतंत्रताकी इच्छाकी चिनगारी पड़ते ही घडाका हुआ, और लोगोंका जो यह ख्याल था कि आयर्लैण्डमें हर पचास बरसमें विद्रोह होता है, उसका एक और नया प्रमाण मिल गया । सन् १८४८ इतिहासमें राज्यक्रातिके लिए बहुत प्रसिद्ध है । उस साल जब समस्त युरोपमें विद्रोह और राज्यक्रातिकी धूम मची तब आयर्लैण्डमें भी उपद्रव हुआ । लेकिन उस बार भी कुछ ते नहीं हुआ । उसके उन्नीस बरस बाद अर्थात् सन १८६७ में केरी, लिमरिक

और टिपरारी आदि प्रान्तोंमें फुटकर विद्रोह हुए, लेकिन उनका भी कोई उपयोग नहीं हुआ। सन् १८५८ से आगे ३०-३५ बरस तक आयरलैंडमें 'फिनियन' पक्षके लोगोंने पद्धयत्र, मारकाट और हत्या आदिकी धूम मचा रखी थी और भय तथा असतोष उत्पन्न कर रक्सा था। इस शताब्दीमें विद्रोह यद्यपि कम हुए, तथापि फुटकर राजकीय अपराध बहुत अधिक हुए। सैकड़ों आदमी फाँसी चढ़े और सैकड़ों कालेपानी भेजे गये। यों तो शांति और सतोष बहुत दिनोंसे आयरलैंडमें नहीं है, तथापि यह बात कम सतोषजनक नहीं है कि वर्तमान युरोपीय महासमरके समय भी केवल सेनफेनर्स-वाले सन् १९१६ के छोटेसे विद्रोहको छोड़कर और कोई भारी उत्पात नहीं हुआ। फिनियन लोगोंकी गढ़बढ़ शांत होनेपर सन् १८७२ के लगभग आयरिश लोगोंको फिर पार्लिमेण्टमें घुसकर स्वराज्यके लिए आन्दोलन करनेका हौसला हुआ और यह हौसला पंद्रह वर्ष तक रहा। लेकिन पार्लिमेण्ट आदिका पन्द्रह वर्षका आन्दोलन व्यर्थ जानेके कारण लोकमतने घड़ीके पेंडुलमकी तरह फिर उलटी गति ग्रहण की। सन् १८०१ में आयरिश पार्लिमेण्टके नष्ट हो जानेपर फिरसे उसकी प्राण-प्रतिष्ठा करनेके लिए सौ वर्षोंतक जो आन्दोलन हुआ था उसके विकल होने पर, निरूपाय होकर और अँगरेजोंके हाथसे अँगरेजी प्रजाके समान अधिकार और अपने देशके लिए पूर्ण न्याय पानेके काममें निराश होकर कुछ आयरिश लोगोंने स्वावलम्बके मार्गसे, अर्थात् जहाँ-तक हो सके सब ओरसे अँगरेजी राज्य पर बहिष्कारका दबाव डालकर अपने बल पर अपना साम्प्रतिक और राष्ट्रीय सुधार करने और राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त करनेका प्रयत्न आरम्भ किया। इन लोगोंको सेनफेनर्स कहते हैं। सन् १९१४ ई० में होमरूल बिलके पास हो जाने पर आगे दो वर्षोंतक जब आयरिश समस्याकी मीमांसा करनेकी कोई चेष्टा नहीं

की गई, तब अतमें २५ अपरैल सन् १९१६ को इन 'सेन फेनर्स' लोगोने आयर्लैण्डमें विद्रोह किया जिसमें सेना और पुलिसके १२४ जवान काम आये और ३९७ घायल हुए, और ७६४ विद्रोही मारे गये तथा आहत हुए। इनमें १३ आदमियोंको फाँसीकी और बहुतसे लोगोंको कैदकी सजा हुई। लेकिन पीछे सन् १९१७ के मध्यमें जब आयर्लैण्डको 'कनवेन्शन' देना निश्चय हुआ तब ये विद्रोही भी जेलसे छोड़ दिये गये। इस प्रकार इतने कष्ट झेलकर और इतने दिनोंतक निरंतर प्रयत्न तथा आन्दोलन करके, जैसा कि पहले कहा जा चुका है अब आयरिश लोग अपने उद्दिष्ट स्थानके बहुत ही समीपतक पहुँच चुके हैं और आशा की जाती है कि बहुत ही शीघ्र वे बिलकुल पूर्ण नहीं तो भी कुछ स्वतन्त्रताका सुख अवश्य भोगने लगेंगे।

## आयरलैंडके राष्ट्रीय आन्दोलन ।

फिचले अध्यायोंमें हमने आयरलैंडका प्राचीन और अर्वाचीन इतिहास बहुत ही सक्षेपमें दिया है । यदि राष्ट्रीयताकी मीमासाकी दृष्टिसे देखा जाय तो मालूम होगा कि लगभग सत्तरहवीं शताब्दीसे यह इतिहास बहुत ही महत्त्वपूर्ण तथा मनोरञ्जक हो गया है । यह भी अच्छी तरह निश्चय हो जायगा कि बिना आन्दोलनके आयरलैंडको कभी कुछ भी नहीं मिला है और सत्तरहवीं, अठारहवीं और उन्नीसवीं इन तीन शताब्दियोंका आयरलैंडका इतिहास उस राष्ट्रकी प्रजाके किये हुए आन्दोलनोंका ही इतिहास है । ये आन्दोलन मुख्यतः चार उद्देश्योंसे किये गये थे । ( १ ) धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त करनेका आन्दोलन, ( २ ) खेतिहरोंको जमीन पर पुस्तैनी हक दिलानेका आन्दोलन, ( ३ ) होमरूल अर्थात् ' स्वतंत्र पार्लिमेण्ट ' के द्वारा राष्ट्रीय स्वराज्य प्राप्त करनेका आन्दोलन, और ( ४ ) अंगरेजोंको हटाकर पूरी स्वतंत्रता प्राप्त करनेका आन्दोलन । इन चार उद्देश्योंसे किये हुए राष्ट्रीय आन्दोलनोंका क्या स्वरूप था, और उनमें क्या क्या हुआ, यह हम आगेके चार भागोंमें थोड़ेमें बतला देना चाहते हैं ।

## ४ धार्मिक स्वतंत्रताका आन्दोलन ।

आयरलैण्डकी स्थितिके सुधारका प्रारम्भ होनेके उपरांत आयरिश लोगोंको सन् १८२९ में अंगरेजोंसे एक बहुत बड़ी बातमें न्याय मिला, और आयरलैण्डके वर्तमान इतिहासका विचार इसी बातसे आरम्भ होता है। बात यह हुई कि पार्लियामेण्टके कानूनके अनुसार रोमन कैथोलिक लोगोंका खुले-आम जो बहिष्कार किया गया था, उस बहिष्कारसे उनकी मुक्ति हो गई। इस भयकर बहिष्कारका आरम्भ पहले पहल आठवें हेनरी राजाके राजत्वकालमें हुआ था। इस राजाके राजत्व-कालमें इंग्लैण्डमें प्रायः रोमन कैथोलिक सम्प्रदायकी ही तूती बोलती थी। लेकिन उस समय तक आयरलैण्ड पर इंग्लैण्डका पूरापूरा अधिकार नहीं हुआ था। अंगरेजी राजाओंमें आठवें हेनरीने ही सबसे पहले पोपकी सत्ता हटाकर अपने राज्यमें प्रोटेस्टेण्ट धर्मका आरम्भ किया, और इस नये धर्मके प्रचारके कारण 'सद्धर्म सरक्षक' का पद धारण करके अंगरेजी राजपदको धर्म-गुरुके पदका जोड़ीदार बना दिया। कर्म-धर्मसंयोगसे इसी राजाके राजत्वकालमें आयरलैण्ड पूर्ण रूपसे इंग्लैण्डकी अधीनतामें आया और हेनरीने आयरलैण्डके राजाकी पदवी भी धारण की। यह काल सारे युरोपके इतिहासमें 'धार्मिक पीडन युग' के नामसे प्रसिद्ध है, और आयरलैण्डके लोगोंके धार्मिक पीडनका और सामाजिक तथा राजकीय अवनतिका आरम्भ इसी समयसे होता है। तीसरे विलियमके राज्यत्वकालको अर्थात् सन् १६९० से १७२० तकके समयको इस अवनतिका मध्यकाल और सन् १७८० के लगभग समयको इस ग्रहणका मोक्षकाल समझना चाहिए। इस ग्रहणके स्पर्श-और मोक्षकालका अंतर (सन् १५४० से १७८० तक) प्रायः ढाई सौ वर्ष है।

आयरलैंडके लोगोका यह काल तरह तरहकी विपत्तियोंमें ही बीता । य  
इलैंडके लोगोकी तरह उन लोगोंने भी प्रोटेस्टेण्ट पंथ स्वीकार  
लिया होता तो उनका इतिहास कुछ निराला ही होता, लेकिन मि  
भिन्न मानसक्षेत्रोंमें वर्मवीजोंके अकुर भिन्न भिन्न प्रकारके फूटते हैं  
प्रोटेस्टेण्ट पथका उदय पन्द्रहवीं शताब्दीमें हुआ । तबसे अबतक पा  
शताब्दियाँ बीत गई, उसकी उन्नति ही होती जाती है । तथापि उ  
भी युरोपखंडके आयरलैंड, फ्रान्स, स्पेन, पोर्तगाल, इटली और स  
आदि देशोंमें बहुधा रोमन कैथोलिक पथ ही प्रचलित है । फ  
और आयरलैंडमें जिस प्रकार प्रोटेस्टेण्ट पथके लोगोकी हत्या हु  
उसी प्रकार हालैंड आदि देशोंमें कैथोलिक पथके लोगो  
हुई । इसके अतिरिक्त इस कालमें भिन्न भिन्न राष्ट्रे  
कई धर्मद्वेषमूलक युद्ध भी हुए । लेकिन धर्ममतका मनुष्य मात्र  
मन पर कुछ ऐसा विलक्षण अधिकार होता है कि वह कष्टों, अत्याचा  
और प्राण-हानिसे भी नहीं उठता । आयरिश लोगो पर यह आक्षे  
किया जाता है कि उनका मन चंचल होता है । लेकिन धर्मके सबध  
उन्होंने आज तक अपने मनकी जो असाधारण दृढता दिखलाई  
उससे यह आक्षेप निर्मूल सिद्ध होता है और ऊपरसे उनके मनकी उ  
चंचलता दिखाई देती है उसका कारण कुछ और ही होगा ऐसा जा  
पडता है । आयरलैंडमें सन् १६३५—४० के लगभग प्रोटेस्टेण्ट लोगो  
प्रवेश आरभ हुआ और तबसे कोई तीन शताब्दियों तक वहाँ कैथोलि  
प्रजाका न्हास होता रहा—हजारों खानदान देश छोडकर चले गये  
इतना होने पर भी इस समय आयरलैंडमें सौमें प्रायः पचहत्तर आदा  
रोमन कैथोलिक पथके है । यदि कोई यह प्रश्न करे कि आयरलैंड कि  
न लोगोका देश है, तो उसका उत्तर यही दिया जायगा कि, वह आयरि  
रोमन कैथोलिक लोगोका देश है । इन सब बातोंके होने पर भी केव

धर्मके लिए अंगरेज प्रोटेस्टेण्टोंने और उनके हितके लिए इंग्लैण्डके राजकर्मचारियोंने दो सौ ढाई सौ वर्षतक रोमन कैथोलिक लोगोंको जो बेशुमार तकलीफें दीं उन्हें देखते हुए पुरानी पीढ़ीके अंगरेजोंकी न्यायबुद्धि पर बल्कि मनुष्यत्वके भाव पर भी जितना आश्चर्य्य हो वह थोड़ा है ।

इसमें सन्देह नहीं कि केवल धर्मसंवर्धा विरोध ही आयरिश लोगोंके पीढनका प्रधान कारण था । लेकिन दूसरी यह बात भी ध्यानमें रखने योग्य है कि यदि अंगरेज प्रोटेस्टेण्ट लोग आयरलैण्डमें बस न जाते और हिन्दुस्तानकी तरह दूरसे ही उस पर अधिकार चलाते तो आयरिश लोगोंको इतना कष्ट न पहुँचता । लेकिन आयरिश रोमन कैथोलिक लोगों पर सदा दबाव रखनेके लिए और उनके जरासा सिर उठाते ही तत्काल धौल मारकर उसे नीचा करनेके लिए शासकोंकी ओरसे किसी न किसीका आयरलैण्डमें रहना भी आवश्यक था और इसी लिए वहाँ पर प्रोटेस्टेण्ट लोगोंको बसानेका विचार हुआ । यदि लोगोंको बसाया जाय तो उन बसनेवालोंके लिए जमीन चाहिए और जो लोग विदेशमें जाकर स्वदेशके हितके लिए परिश्रम करें उनके लिए तो और भी अधिक सुभीता चाहिए । इसलिए रोमन कैथोलिक लोगोंकी लासों एकड भूमि उनसे छीनकर बसनेवालोंको दी गई, यह बात पहले ही कही जा चुकी है । जब इन बसनेवालोंकी दो तीन पीढ़ियाँ आयरलैण्डमें ही बीत गई तब उन्हें वही स्वदेशकी तरह जान पडने लगा । बसनेवालोंका घेर आयरलैण्डमें जमनेका वास्तविक ओर मुख्य कारण यही था कि उन्हें इंग्लैण्डके राजाका आश्रय था । लेकिन उन बसनेवालोंकी वृत्तज्ञता-बुद्धि शीघ्र ही नष्ट हो गई । और आयरिश कैथोलिक लोगोंके मुकाबिले में यद्यपि वे मुठी भर ही थे तो भी वे लोग आयरलैण्डको अपनी जन्मभूमि तथा आयरिश लोगोंको अपना दास समझने लगे । यद्यपि पहले पहल



वे लोग अंगरेज राजाओंका अधिकार पूर्णरूपसे मानते थे, लेकिन ज्यों ज्यों समय बीतता गया त्यों त्यों वह अधिकार उनके लिए दुःसह होता गया, और उन्होंने यह दंग निकाला कि जिस सीमा तक रोमन कैथोलिक लोगोंके विरुद्ध अंगरेजी राजाओंसे उन्हें सहायता मिलनेकी सम्भावना होती थी, उसी सीमातक वे उनका अधिकार मानते और उसे चलने देते थे। वे मुठी भर प्रोटेस्टेण्ट लोग चाहते थे कि देशकी सारी सम्पत्ति और सत्ता हमारे ही हाथमें रहे, इस लिए उनके और शासकोंके हित-सम्बन्धमें विरोध उत्पन्न हो गया। एक म्यानमें दो तलवारोंका रहना असंभव है। यदि आयरिश कैथोलिक तथा बसनेवाले प्रोटेस्टेण्टोंमें झगडा रहता तो कैथोलिक लोग उन बसनेवालोंको देशसे निकाल देते, अथवा उन्हें नष्ट करके अपनी भूमि फिरसे अपने अधिकारमें कर लेते और तब यदि राजकीय अधिकार इलैंडके राजाके हाथमें रहता तो उससे उनकी विशेष हानि न होती। परन्तु वे ऐसा न कर सके, क्योंकि यद्यपि एक ओर कैथोलिक आयरिश लोग वहाँके आदिम निवासी और सरख्यामें बहुत अधिक थे और दूसरी ओर बसनेवाले अंगरेज सरख्यामें थोड़े थे, तथापि उनके पास भूमि बहुत अधिक थी, और इंग्लैंडकी सम्पत्ति, सत्ता, बुद्धि, लोकमत, सेना और राजभय आदि सब कुछ उन्हींके पक्षमें था। ऐसी अवस्थामें रोमन कैथोलिक लोग अंगरेजोंको निकाल न सके और प्रायः दो सौ वर्षोंतक आयरलैंडमें सूत्र अतकलह मची रही। कैथोलिक लोग यद्यपि चारों ओरसे जकड टिये गये थे, तथापि उनके बुद्धि और स्वाभिमान आदि मनुष्यत्वको प्रगट करनेवाले गुण नष्ट नहीं हुए थे। इस लिए सरख्यामें विषम लेकिन साधनों और शक्तियोंके कारण प्रायः समवल-धारी ये दोनों पक्ष बराबर झगडते रहे।

यह बात पहले ही कही जा चुकी है कि आठवें हनेरीके

समयसे आयरिश लोगोंके विरुद्ध कानून बनना शुरू हुए थे। इन कानूनोंका जोर दूसरे चार्ल्सके राजत्वकालमें कुछ समयके लिए कम हुआ, लेकिन तीसरे विलियमके राजत्व कालमें उनका जोर बहुत बढ़ गया और उनके लिए अनेक नये बधन भी हो गये। विलियमके राजत्व कालमें कैथोलिक लोगोंने विद्रोह किया। उनका नेता पैट्रिक सार्सफील्ड लिमरिक किले पर अधिकार करके खूब ही लड़ा, लेकिन उसे विवश होकर सधि करनी पड़ी और किला अंगरेज सेनापतिके सुपुर्द करना पड़ा। इस सधिमें खास बात यह तै हुई थी कि आयरलैण्डकी पार्लिमेण्टके बनाये हुए कानूनोंसे जहाँतक विरोध न हो वहाँतक रोमन कैथोलिक लोगोंको खूब धार्मिक स्वतंत्रता दी जाय। इसके अनुसार, दूसरे राजा चार्ल्सके राजत्वकालमें उन्हें जितनी स्वतंत्रता प्रत्यक्ष रूपसे भोगनेके लिए मिली थी, कमसे कम उतनी ही स्वतंत्रता इसके आगे भी मिलनी अवश्यक थी, और विलियमने वचन दिया था कि सधि होते ही पार्लिमेण्टका अधिवेशन करके इसके सम्बन्धमें एक कानून स्पष्ट रूपसे पास करा लिया जायगा। इसी वचन पर सार्सफील्डको सधि करके हथियार रखने पड़े थे, और राजाके वचन पर विश्वास करके किला छोड़कर निकल जाना पड़ा था। हार अवश्य हुई, लेकिन केवल इस विचारसे उसका दुःख कुछ हलका हो गया कि इसमें सधार्मियोंको कुछ सुभीता तो मिला। लेकिन सत्सत्ताके इतिहासमें ऐसे अनेक प्रसंग आये हैं जब राजाके वचन पानी पर लिखे हुए अक्षरोंके समान सिद्ध हुए हैं। यह प्रसंग भी उन्हींमेंसे एक था। सन् १६९२ में आयरिश पार्लिमेण्टका अधिवेशन होते ही राजाके दिये हुए वचनके अनुसार सुभीतेके कानूनोंका पास होना तो एक ओर रहा, प्रॉटेस्टेण्ट सभासदोंने कैथोलिक सभासदोंको दिक करनेकी एक नई शक्ति निकाली। उन्होंने बहुमतसे यह निश्चय कर लिया कि सभासद

लोग एक खास तरहकी शपथ किया करें। वह शपथ कैथोलिक लोगोंके लिए अत्यंत अपमानकारक थी, इस लिए लार्ड्स तथा कामन्स सभाओंके कैथोलिक सभासद क्रोधके मारे समास्थल छोड़कर चले गये। इसके उपरान्त सन् १६९५में वाइसराय कैपेलने पार्लमेण्टका अधिवेशन किया और लिमरिककी सन्धिमें कैथोलिक लोगोंको जो जो आश्वासन दिये गये थे पार्लमेण्टसे प्रस्ताव कराके एक एक करके उन सबको रद्द कर दिया। इन प्रस्तावोंकी कृपासे शिक्षा, सेना तथा धर्मविभागसे कैथोलिक लोग एकदम निकाल दिये गये। जिस तरह एक एक करके कोई चीज विलकुल चुन ली जाती है, अथवा जगलमें शिकारी कुत्ते और वनरसे छोड़कर शिकारके सब जानवर नष्ट कर दिये जाते हैं, ठीक उसी प्रकार कैपेलकी पार्लमेण्टने ऐसे कायदे पास कर दिये जिनसे सामाजिक तथा राजकीय संसारमेंसे कैथोलिक लोग विलकुल ही निकाले जा सकें। पहले तथा तीसरे जार्जके राजत्वकालमें इस प्रकारके कानूनोंकी भरमार हो गई और अठारहवीं शताब्दीके आरंभमें तो कैथोलिक लोगोंका बहिष्कार चरम सीमातक पहुँच गया। उस समय ये लोग लार्ड्स अथवा कामन्स सभाके सभासद नहीं हो सकते थे, पार्लमेण्टके चुनावमें मत नहीं दे सकते थे, स्थल अथवा जलसेनामें नौकरी नहीं पा सकते थे, वाकायदा न्यायाधीश नहीं हो सकते थे, मजिस्ट्रेट अथवा म्युनिसिपैल्टीके मेम्बर नहीं हो सकते थे, ज्यूरी नहीं बनाये जा सकते थे, शेरीफ या यहाँतक कि पुलिसके तुच्छ सिपाही भी नहीं हो सकते थे। शिक्षा देना और प्राप्त करना दोनों ही उनके लिए मना था। शिक्षाके लिए वे लोग परदेश नहीं जा सकते थे। आज्ञाके अनुसार यदि वे प्रोटेस्टेण्ट संप्रदायके गिरजोंमें न जाते तो उन पर हर महीने साठ पाउण्ड दण्ड किया जाता था। यदि किसी कैथोलिकको प्रोटेस्टेण्ट धर्म स्वीकार न होता और दो 'जस्टिस आफ दी पीस' चाहते तो आज्ञा दे सकते थे कि वह अपनी

सम्पत्ति अपने उत्तराधिकारियोंके नाम नहीं लिख सकेगा । यदि चार 'जस्टिस आफ दी पीस' चाहते तो वे प्रोटेस्टेण्ट धर्मके गिरजामें उपासनाके लिए जानेकी आज्ञाका पालन न करनेके अपराधमें चाहे जिस कैथोलिकको जन्म भरके लिए देशनिकालका दण्ड दे सकते थे। कैथोलिक धर्मोपदेशक यदि खुले आम धर्मोपदेश करते तो उनके लिए फाँसीकी सजा तो मानो रखी ही रहती थी, साथ ही उनकी जायदाद भी जब्त कर ली जाती थी। पहले एक स्थान पर बतलाया जा चुका है कि वहाँ जमीन देने-लेनेके सम्बन्धमें किस प्रकारकी रुकावटें थीं । यदि कोई प्रोटेस्टेण्ट यह सिद्ध कर देता कि किसी कैथोलिक जमींदारने उपजका एक तिहाईसे अधिक नफा स्वयं लिया है तो उस कैथोलिककी जमीन छीनकर उस प्रोटेस्टेण्टको दे दी जाती थी, यहाँ तककी यदि कोई प्रोटेस्टेण्ट स्नेहभावसे या दया करके किसी कैथोलिककी गुप्त रूपसे और गुमनाम सहायता करता तो उसकी भी कैथोलिक लोगोंकी तरह ही दशा होती थी। पहले यह बात थोड़ी बहुत बतलाई जा चुकी है कि कैथोलिक लोगोंकी सामाजिक व्यवस्थामें कानूनोंकी कहाँतक अडचनें थीं। उस समय रोमन कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेण्ट लोगोंमें विवाहसंबंध होना सर्वथा ही असंभव था और यदि कोई अपने धर्मको बदल डालनेका कोई सच्चा अथवा झूठा कारण ही पेश करके तलाककी आज्ञा माँगता तो वह उसे अवश्य मिल जाती थी ।

ऐसी अवस्थामें आयरिश लोगोंका राष्ट्र कैसे बन सकता था ? लेकिन जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, कैथोलिक धर्मके अनुयायियोंने विलक्षण दृढ़ता तथा एकनिष्ठा दिखाई । सारी सामाजिक व्यवस्थाका मूल यह है कि नयी पीढ़ीको सावधानीसे शिक्षा मिलती रहे, परन्तु उस शिक्षाका भी ऐसा बहिष्कार किया गया था कि, उस पर एकाएक विश्वास नहीं किया जा सकता । यदि कहीं उठती हुई खबर भी

सुनाई देती कि किसी पाठशाला या गिरजेमें कैथोलिक धर्मका उपदेश हो रहा है तो वहाँ सिपाही लोग तत्काल ही जा पहुँचते थे। पाठशालाओंकी कुर्सियों और गिरजोंके फ़ैट फ़ामों पर मारपीट हो जाना और रक्त-स्रावसे उन पवित्र स्थलोंका दूषित हो जाना तो उस समयकी बहुत ही सामान्य घटनायें थीं। लेकिन इन सब घघनोंकी परवान करते हुए कैथोलिक लोग अपनी नई पीढीको शिक्षा देनेका काम अच्छी तरह चलाये जा रहे थे। सुले आम पाठशाला खोलकर बैठना जोखिमका काम था, इसलिए सड़कके किनारेकी गलियों, पहाडियोंके बीचकी जगहों, गड्ढों और तहखानों, जगलकी झोपडियों, टूटी हुई इमारतोंके वरामदों, यहाँ तक कि सेतके बाडोंमें भी, तात्पर्य यह कि जो एकान्त जगह मिल जाय वहीं, चुटकी वजाते पाठशाला खुलती और जरासा सदेह होते ही चुटकी वजाते बंद हो जाती थी। इस बीचमें जो समय मिलता था उसमें कैथोलिक धर्मके तत्त्व, राजनीति और सर्वसाधारण शिक्षाकी बातें अपने शिष्योंको कैथोलिक गुरु उसी प्रकार चुपकेसे बतलाते थे, जिस प्रकार सेनामें एक दूसरेके पहरा बदलनेके समय सकेतका शब्द एक दूसरेके कानमें कहा जाता है, और इस प्रकार उन बातोंका जहाँ तहाँ प्रसार होता था। विद्यार्थी भी वैसे ही तैयार हुए थे। यह शिक्षाका काम गुरु और शिष्य दोनोंने मिलकर इतनी जल्द समाप्त न किया होता, तो नये कानूनोंके जारी होनेके कुछ दिनों बाद ही कैथोलिक लोगोंकी नई पीढी अक्षरशून्य होगई होती। उनकी सामाजिक व्यवस्थामें भी सूब हस्तक्षेप किये गये। कानून बनाकर बहुत कुछ लालच दिसलाये गये तो भी कैथोलिक लोगोंके छोटे छोटे लडकों और अज्ञान स्त्रियोंने भी प्रायः अपना धर्म नहीं छोडा और, इस लिए कानूनोंके कारण कैथोलिक लोगोंको बाहर चाहे जितना कष्ट मिला हो पर घरमें उन लोगोको सुस ही मिलता रहा।

पूरी अठारहवीं शताब्दी कैथोलिक लोगोंने इसी प्रकार बिताई । सन् १७५० के उपरान्त यह मालूम होने लगा कि प्रोटेस्टेंट लोगोंमें थोड़ीसी समझौदा आने लगी है । लेकिन यह कहनेका साहस उनमेंसे बहुत ही थोड़े लोगोंको होता था कि कैथोलिक लोगोंका यह बहिष्कार दूर कर दिया जाय । अठारहवीं शताब्दीके अन्तिम पचीस वर्षोंमें आयरलैण्डमें स्वदेशप्रीतिकी लहर आई और आयरिश पार्लमेण्टको स्वतंत्र करके उसका सुधार करनेकी महत्त्वाकांक्षा वहाँके प्रोटेस्टेण्ट राष्ट्रमन्त्रोंमें उत्पन्न हुई । यह बात पहले कही जा चुकी है कि प्रोटेस्टेण्ट नेताओंके सुसंस्कृत मनोंमें यह बात आने लगी थी कि कैथोलिक लोगोंको दासत्व तथा अधिकारमें रक्कड़कर स्वतंत्रतानहीं प्राप्त की जा सकती और सुधार नहीं हो सकता । इस कारण अन्य राजकीय विषयोंके साथ साथ सभाओं, समाचारपत्रों और कभी कभी पार्लमेण्टमें भी कैथोलिक लोगोंकी मुक्तिके सवधमें चर्चा होने लगी ।

जब सन् १७५० के लगभग आयरलैण्डके प्रोटेस्टेण्ट लोगोंके मनमें धर्मसम्बन्धी सहिष्णुता उत्पन्न हो गई, तब कुछ समयमें अर्थात् सन् १७६४ में कैथोलिक लोगोंको समान अधिकार देनेके सवधमें सबसे पहला बिल आयरिश पार्लमेण्टके सामने उपस्थित हुआ । इससे सातवर्ष पहले अर्थात् सन् १७५७ में 'कैथोलिक कमेटी' नामकी सभा स्थापित हुई थी । यह बिल उसी कमेटीके उद्योग तथा आन्दोलनका फल था । इसके उपरान्त, जिन मार्गोंसे कैथोलिक लोग वधनोंमें पड़ गये थे उन्हीं मार्गोंसे उनका सुलना आरम्भ हुआ । सन् १७६३ में कैथोलिक लोगोंको जमीन रेहन रक्कड़कर व्याज-बट्टेका काम करनेकी स्वतंत्रता देनेके लिए आयरिश पार्लमेण्टमें एक बिल उपस्थित हुआ । परन्तु पहले तो उस पर विचार करनेका काम एक सालके लिए मुलतवी कर दिया और फिर दूसरे साल वह नामजूर कर दिया गया । इसके

सुनाई देती कि किसी पाठशाला या गिरजेमें कैथोलिक धर्मका उपदेश हो रहा है तो वहाँ सिपाही लोग तत्काल ही जा पहुँचते थे। पाठशालाओंकी कुरसियों और गिरजोंके फ्रेट फामों पर मारपीट हो जाना और रक्त-स्रावसे उन पवित्र स्थलोंका दूषित हो जाना तो उस समयकी बहुत ही सामान्य घटनायें थीं। लेकिन इन सब वधनोंकी परवान करते हुए कैथोलिक लोग अपनी नई पीढीको शिक्षा देनेका काम अच्छी तरह चलाये जा रहे थे। खुले आम पाठशाला खोलकर बैठना जोसिमका काम था, इसलिए सड़कके किनारेकी गलियों, पहाड़ियोंके बीचकी जगहों, गड्ढों और तहस्तानों, जंगलकी झोपड़ियों, टूटी हुई इमारतोंके बरामदों, यहाँ तक कि खेतके बाड़ोंमें भी, तात्पर्य यह कि जो एकान्त जगह मिल जाय वहाँ, चुटकी बजाते पाठशाला खुलती और जरासा सदेह होते ही चुटकी बजाते बंद हो जाती थी। इस बीचमें जो समय मिलता था उसमें कैथोलिक धर्मके तत्त्व, राजनीति और सर्व साधारण शिक्षाकी बातें अपने शिष्योंको कैथोलिक गुरु उसी प्रकार चुपकेसे बतलाते थे, जिस प्रकार सेनामें एक दूसरेके पहरा बदलनेके समय सकेतका शब्द एक दूसरेके कानमें कहा जाता है, और इस प्रकार उन बातोंका जहाँ तहाँ प्रसार होता था। विद्यार्थी भी वैसे ही तैयार हुए थे। यह शिक्षाका काम गुरु और शिष्य दोनोंने मिलकर इतनी जल्द समाप्त न किया होता, तो नये कानूनोंके जारी होनेके कुछ दिनों बाद ही कैथोलिक लोगोंकी नई पीढी अक्षरशून्य होगई होती। उनकी सामाजिक व्यवस्था-में भी सूब हस्तक्षेप किये गये। कानून बनाकर बहुत कुछ लालच दिखलाये गये तो भी कैथोलिक लोगोंके छोटे छोटे लडकों और अज्ञान स्त्रियोंने भी प्राय अपना धर्म नहीं छोड़ा और, इस लिए कानूनोंके कारण कैथोलिक लोगोंको बाहर चाहे जितना कष्ट मिला हो पर घरमें उन लोगोंको सुरा ही मिलता रहा !

लोगोंकी स्वतंत्रताका प्रश्न फिर कभी उपस्थित नहीं करूँगा । यह वचन लेकर ही उसने प्रधान मंत्रीकी जगह पर उसको नियुक्त किया । प्रोटेस्टेण्ट पथके कुछ कट्टर धर्मात्माओंने जब यह देखा कि यह स्वतंत्रताका प्रश्न अब शान्त नहीं हो सकता और इतने दिनोंसे हमारे हाथमें जो सत्ता थी उसका अंश कैथोलिक लोगोंके हाथमें जाना चाहता है, तब उन्होंने 'आरेंज सोसाइटी' नामकी गुप्त मडलीका काम आरम्भ किया । इस मडलीका मुख्य हेतु यह था कि जिस तरह हो सके कैथोलिक लोगोंको कष्ट दिया जाय और उनके स्वतंत्र होनेके मार्गमें रोडे अटकाये जायँ । सन् १७८८ में पहले पहल इस मडली या सभाकी स्थापना हुई । इसके सभासदोंको इस प्रकार कसम खानी पडती थी—“मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मुझसे जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक मैं कैथोलिक लोगोंका नाश ही करूँगा और जबतक राजा कैथोलिक लोगोंके प्रतिकूल रहेगा तभी तक उसका अधिकार मानूँगा ।” इस सभाके सभासदों और कैथोलिक धर्मके लोगोंमें प्रायः नित्य ही झगडे हुआ करते थे ।

लेकिन सब बातोंका कभी न कभी अंत होता ही है । कैथोलिक लोगोंके दुःखोंका भी अब अंतिम समय आ गया था, इसलिए प्रतिकूल बातोंकी कुछ भी न चली और नदीके प्रवाहकी तरह दिन पर दिन यह न्यायका काम खूब जोर पकडने लगा । लोकमत तैयार करनेका काम कठिन होता है, लेकिन जब वह तैयार हो जाता है तब उसके मार्गमें कोई नहीं आता और यदि कोई आता है तो ठहरता नहीं । आरेंज सोसाइटीकी तरह कैथोलिक लोगोंकी भी 'कैथोलिक-प्रजा-दुःखनिवारक' नामकी एक सभा बहुत दिनोंसे मौजूद थी । इस समय उसे आन्दोलन करनेकी प्रेरणा हुई और उसके प्रयत्नसे बहुत काम हुआ । कहा जाता है कि इसके आन्दोलनके पहले ही विलियम



राजाने उसे प्रधान मंत्री बनाया। इस प्रकार निराश होने पर भी कैथोलिक कमेटीने अपना प्रार्थना करने और लोकमत जागृत करनेका काम जारी रक्खा। अन्तमें कैथोलिक लोगोंको डेनियल ओकानेल नामक नेता मिल गया और सन् १८२९ में उसके द्वारा उन्हें पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता प्राप्त हो गई। ओकानेल सरीखा नेता लोगोंको किसी शताब्दीमें एकाग्र ही मिलता है। उसका चरित्र इस पुस्तकके द्वितीय भाग चरित्रमालामें दिया गया है। यहाँ केवल इतना ही कहना यथेष्ट होगा कि ओकानेल सरीखे आन्दोलनकारी देशभक्तके नेतृत्व ग्रहण करने पर इस वादग्रस्त प्रश्नका रुख ही बदल गया। कुछ तो उसके गुणोंके कारण और कुछ समयके परिणामसे ओकानेलके इस प्रश्न पर केवल आयरलैंडमें ही नहीं बल्कि इंग्लैण्डमें भी हलचल मच गई। पार्लमेण्टके सभासद होनेसे पहलेही इंग्लैण्डमें उसकी बहुत कुछ कीर्ति फैल चुकी थी। सन् १८२८ में 'क्लेअर' नामक प्रातकी ओरसे वह पार्लमेण्टका सभासद चुना गया। जब वह पहले पहल पार्लमेण्टमें बैठनेके लिए गया तब सारा सभास्थल उसे देखनेके लिए उत्सुक लोगोंसे भर गया था। पहले जिस अपमानास्पद शपथका उल्लेख किया जा चुका है, वह अवतक जारी थी, परन्तु ओकानेलने उस शपथके करनेसे इन्कार कर दिया। इस पर बड़ा झगडा हुआ। पार्लमेण्टके अधिकारी उक्त शपथके किये बिना उसे पार्लमेण्टमें बैठने नहीं देते थे और वह शपथ नहीं खाता था। इस विषयमें दो दिन तक सूब विवाद हुआ। ओकानेलने बहुतही प्रभावशाली व्याख्यान दिये; परन्तु व्यर्थ। शपथ न खानेके कारण उसे सभामें बैठनेकी आज्ञा न मिली और कहा गया कि क्लेअर काउटीकी ओरसे और कोई सभासद चुना जाय। लेकिन आयरलैंडका लोकमत इस प्रश्न पर बहुत दृढ हो गया था, इस लिए क्लेअरके मतदाताओंने फिर भी ओकानेलको ही चुना। इसके उपरांत फिर कभी इस प्रश्नकी हार्ड हिट हुई, और दूसरे वर्ष

पार्लियामेंटने नियम बनाकर कैथोलिक लोगोंकी स्वतंत्रता छीनेवाले कानूनको सर्वांशमें रद्द कर दिया और उन्हें अंगरेजी प्रजाजनोंके अधिकार दे दिये गये ।

दो सौ वर्षोंतक कैथोलिक लोगों पर जो यह अत्याचार होता रहा उसका समर्थन किसी प्रकार नहीं किया जा सकता । फ्रूड आदि ग्रथकारोंने पक्षपातके कारण इसका थोडा बहुत समर्थन करनेका प्रयत्न किया है, पर वह विलकुल ही थोथा है । फ्रूड की सम्मतिके अनुसार इस प्रकारके कानूनोंका समर्थन दो तरहसे हो सकता है । एक तो यह कि अन्य देशोंके कैथोलिक लोगोंने प्रोटेस्टेण्ट पथी लोगों पर भी इसी प्रकारका अत्याचार किया था । और दूसरे यह कि वह समय ही ऐसा असहिष्णुताका था । प्रोटेस्टेण्ट लोग सचमुच ही यह समझते थे—उनको पूरा विश्वास था कि कैथोलिक मत आसुरी या शैतानोंका धर्म है । लेकिन इन दोनों प्रकारके समर्थनोंका कोई अर्थ नहीं है । इस प्रश्नका विचार सुधारकी दृष्टिसे करना चाहिए और इस दृष्टिसे देखते हुए जो बात बुरी हो उसे बुरी ही मानना चाहिए । उस दशमें यह कारण विशेष उपयोगी नहीं हो सकता कि और कोई भी ऐसा ही करता है । हाँ एक कारण अवश्य कुछ युक्तिपूर्ण जान पड़ता है और वह यह कि सत्तरहवीं शताब्दीके अतके विद्रोहोंमें कैथोलिक लोगोंने बहुत कुछ सहायता दी थी । प्रत्येक ही विद्रोहमें उनका कुछ न कुछ हाथ अवश्य रहा है । लेकिन एक तो कैथोलिक लोगोंके असतुष्ट रहनेके कई कारण पहलेहीसे मौजूद थे जैसे कि उनकी भूमिका हरण किया जाना आदि, और वे लोग जो विद्रोह करते थे वह प्रोटेस्टेण्ट लोगोंकी शत्रुताके कारण नहीं, बल्कि अपनी खोई हुई भूमि प्राप्त करनेके अभिप्रायसे करते थे, इस लिए अधिकसे अधिक यही कहा जा सकता है कि, उनकी जो जमीन छीनी गई थी, उसीका बदला चुकानेके लिए वे विद्रोह करते थे । इसके अतिरिक्त

यह बात भी ध्यानमें रखनी चाहिए कि जिन कानूनोंकी सहायतासे प्रोटेस्टेण्ट अंगरेज लोग कैथोलिक लोगोंको अपने वगमें रखना चाहते थे उन कानूनोंके द्वारा शरीरमें प्राण और मनमें तनिक भी मनुष्यत्व रहते हुए असतोष घट नहीं सकता था बल्कि उल्टे उसका बढ़ना ही स्वाभाविक था, और अतमें आयर्लैण्डमें यही बात सत्य ठहरी ।

कैथोलिक लोगोंको धार्मिक स्वतंत्रता मिलनेके उपरांत उसके साथ ही साथ धर्म-मत-मूलक एक और प्रश्न उपस्थित हुआ । आयर्लैण्डमें आठवें हेनरीके राजत्वकालसे प्रोटेस्टेण्ट धर्मोपदेशकोंका प्रवेश हुआ था, और तभीसे उन्हें सरकारकी ओरसे तनख्वाहदार जगहें दी जाती थीं । लेकिन बिशप आदि प्रतिष्ठित धर्माधिकारियोंका निर्वाह प्रधानतः जमीनकी पैदावार पर ही अवलंबित था । उन्हें और उनके गिरजोंको बड़ी बड़ी जमीनें मिली हुई थीं । और और जमींदारोंकी तरह उन्हें भी उचित था कि वे अपनी जमींदारीमें रहकर जमीनका सुधार करते और स्वयं सुखसे रहते, पर वे लोग ऐसा नहीं करते थे और जहाँ जीमें आता था वहाँ रहते थे । आयर्लैण्ड छोड़कर वे इंग्लैण्डमें ही अकसर रहते थे और अपनी जमींदारीकी देखरेखका काम गुमास्तों पर छोड़ देते थे । बिशपसे नीचे दर्जेके ' रेक्टर ' ' विकर ' आदि उपदेशकोंका निर्वाह टाइथ नामक करसे होता था जो गाँवके काश्तकारोंसे वसूल की जाती थी । इस करको वसूल करनेके लिए गाँव गाँवमें अधिकारी नियुक्त थे, जिन्हें प्राक्टर कहते थे । ये भी एक प्रकारके गुमास्ते या दलाल ही होते थे । ये काश्तकारोंसे टाइथ वसूल करके रेक्टरकी निश्चित रकम पूरी कर देनेके मानो ठेकेदार थे । इस प्रकार खास मालिक बिशप और जमीन जोतनेवाले कैथोलिक खेतिहरोंके बीचमें तीन चार सीढियाँ रहती थी । खेतिहरोंको जब बिशपके भी कभी दर्शन नहीं होते थे तब इससे ऊँचे दर्जेके धर्मोपदेशकोंके दर्शनोंकी तो बात ही क्या कही जाय । सिर्फ उनके

नाम पर प्राक्टर, प्राक्टरोंके नाम पर ठीकेदार, और ठीकेदारोंके नाम पर शिकमी ठीकेदार, जमीनकी उपजका अंश और गिरजोंका कर उगाहनेके पूरे पूरे मालिक थे । यदि वसूलीका काम ठीके पर दे दिया जाय तो उसमें अन्याय और अत्याचार होना स्वाभाविक ही है । एक तो रेक्टर विकर आदिकी निश्चित रकम पूरी करनेकी जवाबदेही ठीकेदारोंपर थी जिससे उन्हें काश्तकारों पर सरती करनी पटती थी, दूसरे उन्हें अपनी जेब भरनेकी चिन्ता रहती थी, और तीसरे उनके ऊपर कोई देराने-सुनने-वाला भी नहीं होता था, इससे उनका अत्याचार चरम सीमा तक पहुँच जाता था । टाइथ कर प्रायः गरीब काश्तकारों पर ही पड़ता था, और यदि वे उसे समय पर न दे सकते थे तो उनसे मनमाने कागज लिखा लिये जाते थे और तब वे ठीकेदारोंके सत्राके लिए गुलाम बन जाते थे । ठीकेदार जिस बेगारमें चाहते थे उन्हें उसीमें धर घसीटते थे । वे मुफ्तमें उनकी जमीन जोत देते थे और रुपयोंकी अदायगीसे बचने और उन्हें प्रसन्न रखनेके लिए निग्रह होकर हर तरहका अपना अपमान सहते थे ।

इस प्रकार ऊपरसे नीचे तक यह धर्मोपदेशकमण्डल गरीब खेतिहरोंसे अत्याचारपूर्वक उगाहे हुए कर पर पाला जाता था । लेकिन इससे भी अधिक अन्यायकी बात यह थी कि जिन खेतिहरोंसे यह कर उगाहा जाता था वे अधिकांशमें रोमन कैथोलिक पथके थे और ये उपदेशक लोग प्रोटेस्टेण्ट पथके । अर्थात् एक पथके धनसे दूसरे पथके धर्मोपदेशकोंका निर्वाह होता था । वसूलीकी सारितियाँ और अत्याचारोंकी अपेक्षा करदाताओंको यह बात और भी अधिक चिन्ताकी तथा दुःखी करती थी । जब कैथोलिक काश्तकार देसते थे कि 'टाइथ' करके धनसे धर्मोपदेशक लोग प्रोटेस्टेण्ट पथका ही उपदेश करते हैं और प्रोटेस्टेण्ट-पथी उपासना-मन्दिरोंका ही खर्च चलाते हैं तब उनके कलेजेम

यह बात तीक्ष्ण कँटिकी तरह छिद जाती थी । इस अन्यायपूर्ण फरकी एक एक पाई देते समय वे यही समझते थे कि हम अपने शरीरके रक्तकी एक एक बूँद पाप-धर्ममें लगानेके लिए दे रहे हैं । विशापो, रेक्टरों और विकरों आदिने बड़े बड़े गिरजे बनवा रखे थे और उनमें सब तरहके सामान सजा रखे थे, लेकिन प्रार्थनाके समय देखिए तो वे विलकुल खाली पड़े हैं । धर्मोपदेशकको नियमानुसार अपने समय पर खड़े होना पड़ता था, पर प्रायः ऐसा होता था कि उसके सामने यदि एक आध श्रोता हुआ तो हुआ और नहीं तो वह भी नदारत । सस्तीके कारण थकपि लोग धन तो दे देते थे लेकिन प्रार्थना-मन्दिरोंमें प्रार्थना सुननेके लिए वे जन्नरदस्ती नहीं भेजे जा सकते थे । इन बट्टिया पर सुनसान मन्दिरोंके आसपास एक और ही चमत्कार दिखाई पड़ता था । अर्थात् प्रोटेस्टेण्ट गिरजा तो सूना पड़ा रहता था, पर पास ही देखिए तो सुले मैदानमें सैंकड़ों हजारों कैथोलिक लोग जमा होकर बड़ी भावुकतासे कैथोलिक धर्मोपदेशकोंकी प्रेमपूर्ण उपासना सुननेमें मग्न रहते थे । उन्हें इस बातका ध्यान भी नहीं होता था कि हम मन्दिरोंमें हैं या सुले मैदानोंमें, और हमारे सिर पर बूष, हना और पानी रोकनेके लिए कोई आच्छादन है या नहीं । इन दोनों दृश्योंका भेद देखनेवालेके लिए बहुत ही दुस्सह होता था और अपनी गाढी कमाईके धनसे चाडाल और पाखंडी प्रोटेस्टेण्ट धर्मोपदेशकोंको चैन उड़ाते देखकर कैथोलिक लोग जल भुन जाते थे । इस विषयमें सिडनी स्मिथ नामके एक प्रोटेस्टेण्ट धर्मोपदेशकने लिखा है कि—“ टाइथ करके सम्बन्धमें आयर्लैण्टमें जैसा अत्याचार हुआ वैसा निर्दय अत्याचार युरोप, एशिया और आफ्रिका इन तीनों सड़ोंमें कभी न हुआ होगा । यह कर वास्तवमें इतनी निर्लज्जताका था कि एक अवसर पर ग्रन्थके कथनानुसार ठीकेदारोंके द्वारा परोक्षमें वसूल किये जानेकी बात तो निराली है, पर हों

यदि यह नियम होता कि स्वयं धर्मोपदेशक जाकर सेतिहरोंसे कर माँगा करें तो धर्मोपदेशक भी लज्जासे मुँह फेर लेंगे और इस प्रकार इस करका वसूल होना आपसे आप बढ़ हो जाता ।” लेकिन ठीकेदारोंको लज्जा कहाँसे आती ? वास्तविक धर्मोपदेशक ममनालु गडरियेकी तरह होना चाहिए, उसे अपने गाँवके लोगोंका सुख-दुःख सुनकर उन्हें उसी तरह अपनी जानसे बढ़कर समझना चाहिए जिस तरह गडरिया अपने झुण्डके मेमनोंको समझता है । धर्मोपदेशक तथा जनसाधारणके सबंधकी वास्तविक उपपत्ति यही है । लेकिन आयर्लैण्डमें उन दिनों धर्मोपदेशक लोग गडरिये नहीं थे, मानो पिउले जन्मके कोई द्रावेदार थे । लोगोंको उनका मुँह ही नहीं दिखाई देता था । क्योंकि वे लोग सेतिहरोंके धन पर चुपचाप चैन उढाया करते थे । और यदि वे कभी लोगोंको अपना मुँह दिखलाने जाते भी थे तो धर्मनिष्ठ कैथोलिक लोग उन्हें शैतान समझकर उनका सामना नहीं करते थे । हाँ, कर वसूल करनेवाले ठीकेदारोंका सामना करनेसे वे नहीं बच सकते थे, और वे ठीकेदार गडरियेके कृत्तेकी साल ओढ़े हुए भेडियेकी तरह भेडोंके इस झुण्ड पर मजेमें हाथ साफ करते थे ।

लेकिन इस प्रकारकी दुस्सह स्थिति कितने दिन तक ठहर सकती थी ? इसमें जो अन्यायके बीज थे उन्हें देख कर राजकर्मचारियोंको उचित था कि वे ठीक समय पर उचित क़ायदे क़ानून बनाकर इस स्थितिको सुधारते, लेकिन अभाग्यवश वह बात नहीं हुई और कैथोलिक किसानोंको अपना न्याय आप ही करना पडा । पहले बहुत वर्षोंतक कैथोलिक लोगोंका द्वेष और नोध भीतर ही भीतर बढ़ता रहा, लेकिन समय पाकर वह पराकाष्ठा तक पहुँच गया । दगा फसाद होने शुरू हो गये, दोनों पक्षोंकी प्राणहानि होने लगी, अब तक तो गिरजे निर्जन ही रहते थे, पर अब वे ध्वस्त भी होने लगे, और कैथोलिक

लोगोंके पड़्यत्रोंसे कभी कभी निरपराधी धर्मोपदेशको और उनके  
 वचनोंकी हत्या भी होने लगी। इस पर अधिकारी लोग एक जानके  
 इलेमें दस जाने लेने लगे। यह स्थिति सन् १७८० से १८३६ तक  
 र्थात् लगभग पचासवर्षतक बनी रही। सिडनी स्मिथने एक अवसर  
 कहा था कि इस टाइथ करकी वसूलीके कारण दोनों पक्षोंके लगभग  
 सहजार आठमियोंकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपसे प्राणहानि हुई। इस  
 करकी वसूलीके सम्बन्धमें लोगोंने पहले पहल सन् १७८६ के लगभग  
 आन्दोलन आरम्भ किया। कैथोलिक किसान पस्त हो गये थे, उन्हें  
 कोई उपाय नहीं सूझता था। उस समय कुछ साहसी युवकोंने ठीके-  
 रोके मनमें दहशत उत्पन्न करनेका काम अपने ऊपर लिया। इस  
 रह राजकीय असतोषके साथ धर्मद्वेषका जोड़ मिल गया और उनके  
 पथसे प्राणहानिका अपवित्र काम शुरू हो गया। यह आन्दोलन  
 पहले पहल केरी नामक प्रान्तमें आरम्भ हुआ। लोगोंने  
 फैसल्य कर लिया कि इतनी रकमसे अधिक टाइथ कर न देगे और  
 वे लोगोंसे उससे अधिक न देनेकी कसम लेना प्रारम्भ कर दिया।  
 इसके साथ ही साथ प्रोटेस्टेण्ट लोगोंको कष्ट पहुँचाने और उन पर अत्या-  
 चार करनेका भी आरम्भ हुआ। जब पार्लमेण्ट खुलती थी तब यह  
 नियमविरुद्ध कार्रवाई रुक जाती थी और अधिकारी लोग समझ लेते  
 थे कि अब शान्ति हो गई। लेकिन पार्लमेण्टके समाप्त होते ही फिर गड-  
 गड होने लगती थी। इस आन्दोलनमें पहले पहल केवल कैथोलिक लोग  
 ही सम्मिलित थे। लेकिन प्रोटेस्टेण्ट पथमें भी डिसेटर्स, प्रेसविटेरियन्स  
 आदि कई ऐसे पथ थे, जिन्हें राजदरवारद्वारा स्थापित विशिष्ट पथ मान्य  
 नहीं था, और इस कारण कैथोलिक लोगोंकी तरह वे भी टाइथ  
 कर नहीं देना चाहते थे। अतः धीरे धीरे इन पथोंके लोग भी  
 कैथोलिक लोगोंमें सम्मिलित हो गये। फल यह हुआ कि

करकी वसूलीमें कमी होने लगी । इन बेकायदा कार्रवाइयोंको रोकनेके लिए पार्लमेण्टने बहुतसे दमनकारक नियम बनाये, लेकिन उनसे करकी वसूलीके बढ़नेमें जरा भी सहायता नहीं मिलती थी । कर न देने अथवा कर न देनेका गुप्त रूपसे निश्चय कर लेनेके कारण लोगोंको दण्ड दिये जाने लगे, उनपर कोड़ेपडने लगे, काठोंमें उनके पेर दिये जाने लगे, परंतु वसूली किसी तरह अधिक नहीं हुई । बहुतसे प्रोटेस्टेण्ट धर्मोपदेशकोंके लिए तो सचमुच ही भूखों मरनेकी वारी आगई । जो किसान कर नहीं देते थे उनके लिए नियम था कि उनकी भूमिकी जगम सम्पत्ति बेचकर नियमानुसार कर वसूल किया जाय, लेकिन सब लोगोंने मिलकर सलाह कर ली थी कि किसानोंकी जो सम्पत्ति ओरगोरू आदि जन्त करके नीलाम पर चढाये जायँ उन्हें कोई न ले, इससे जायदाद जन्त करना और न करना बराबर होता था । इसके अतिरिक्त जब जन्ती करनेके लिए ठीकेदार या बर्माधिकारी जाता था, तब लोग एक न एक बसेडा सडा कर देते थे । बसेडा सडा होते ही पुलिस बुलाई जाती थी । जब पुलिस आकर जबरदस्ती करने लगती तब किसानकी दृशा पर लोगोंको दया आ जाती और उसके प्रति सहानुभूति होती जिसके कारण बहुतसे लोग उसकी सहायताके लिए पहुँच जाते । जमाव होते ही गाली-गलोज होने लगता और दोनों पक्षोंमें हाथावाँहीकी नौबत आ जाती । बस, लोगोंके डडों और पुलिसके हथियारोका उपयोग होने लगता । इसके बाद मुकदमों और सजाओंकी नौबत आती । एक जगहके दगेकी बातें सैकडों जगह फैलतीं जिससे लोगोंका चित्त क्षुब्ध होता था और असतोप उत्पन्न होना था । आगे जब इन सब बातोंके सबधमें पार्लमेण्टमें वादविवाद होता तब अधिकारियों और नेताओंमें खूब बकझक और बहासुनी हो जाती । इस अन्यायपूर्ण करके लिए आयरलैण्डमें



बीस पच्चीस बरस तक ऐसी ही कार्रवाई होती रही और हरसाल इस करकी वसूली कम ही होती गई। किसीको कोई उपाय नहीं सूझता था। क्यों कि यह कर यद्यपि अन्याययुक्त था, तथापि कई पीढ़ियों-से बराबर चला आता था और धर्मोपदेशक-मण्डलका सारा दारोमदार इसी पर था, इस कारण इसे जारी रखने और बढ़ करनेमें एक सी दिक्कत मालूम होती थी। जब तक यह झगड़ा सतम नहीं हुआ तबतक-कई वर्षोंतक-छोटेसे आयरलैण्डमें अंगरेजोंको उतनी ही सेना रखनी पडती थी जितनी सारे हिन्दुस्तानमें रखनी पडती है ! केवल सन् १८३३ ई०में इस अधिक सेनाके लिए दस लाख पाउण्डसे भी अधिक खर्च हुआ और टाइथ बरके बाराह हजार पाउण्ड वसूल करनेके लिए छब्बीस हजार पाउण्ड खर्च करने पडे ! आयरिश पार्लमेण्टमे सन् १८०० से पहले प्राय पच्चीस वर्षतक यह झगड़ा होता रहा। इसके बाद यह ब्रिटिश पार्लमेण्टमे उपस्थित हुआ और वहाँ इसके निर्णयमें अठतीस वर्ष लग गये। पर अतमे टाइथ कर बन्द हो गया और निश्चय हुआ कि धर्मो-पदेशकोंकी हानिकी पूर्ति करनेके लिए सरकारी सजानेसे मदद दी जाय और इस करके लारो रुपये जो अबतक वसूल न होनेके कारण बाकी पडे हुए थे वे माफ कर दिय जायँ। इस विवादको समाप्त करनेका श्रेय प्रधान मंत्री लार्ड जान रसल और प्रजापक्षीय नेता ओकानेलको मिला।

रोमन कैथोलिक लोगोंके विरुद्ध जो कानून बने थे वे रद्द कर दिये गये और उन्हें स्वतंत्रता मिल गई। टाइथ करका वसूल होना बन्द हो गया और पग पग पर आयरिश कैथोलिक लोगोंकी आँखोंमें जो सूइयाँ चुभती थी वे निकल गई। तथापि आयरलैण्डको प्रधानतः कैथोलिक लोगोंके राष्ट्रकी दृष्टिसे देखते हुए उनके साथ होनेवाले समस्त अन्यायोंका अभी तक अंत नहीं हुआ था। उनमेंसे दो प्रधान बातें अभी तक नहीं हुई थी। एक तो यह कि आयरलैण्डके लोगोंके कैथोलिक होने पर

भी आयरलैंडके खजानेका वन प्रोटेस्टेण्ट लोगोंके पालन-पोषणमें लगता था । टाइथ कर और इस प्रश्नमें मुख्य भेद यह था कि टाइथ कर तो कैथोलिक लोगोंकी जेबसे दिया जाता था, लेकिन खजानेका धन किसी एक व्यक्तिका दिया हुआ नहीं होता था, इस लिए टाइथके सम्बन्धमें व्यक्ति मात्रको जो प्रत्यक्ष कष्ट होता था वह इस दूसरी बातके कारण नहीं होता था और इसी लिए इस बातके लोगोंके असतोषके कारणीभूत होनेमें कुछ अधिक दिन लगे । खजानेमेंका वन सारी रिआयाका और कर देनेवाली प्रजाका मिला-जुला था, इस लिए यदि वह धन बेठिकाने खर्च होता तो उसके लिए व्यक्तिशः किसे बुरा मालूम होता ? लेकिन वह धन प्रोटेस्टेण्ट धर्मके लिए व्यय किया जाता था, इस लिए कैथोलिक लोगोको यह बात कभी पसन्द नहीं हो सकती थी । सन् १८२९ में कैथोलिक लोगोंने अपनी मुक्तताका और सन् १८३८ में टाइथ कर बढ़ करनेका ये दोनों कानून केवल अपने आन्दोलनके चल-पर ब्रिटिश पार्लमेण्टमें पास कराये थे, अतः इस नवीन प्रश्नके विषयमें भी उन्हें आशा होने लगी । इसी बीचमें फीनिशियन लोगोंने विद्रोह किया और उसका दमन कर दिया गया, तथापि उसके कारण सुसंस्कृत और विचारशील अंगरेज राजनीतिज्ञोंने यह बात अच्छी तरह समझली कि आयरिश लोगोंके असंतुष्ट रहनेके वास्तवमें कुछ सबल कारण अवश्य हैं, नहीं तो ऐसे साहसके काम करके वे अपनी जान जोखिममें डालनेके लिए तैयार न होते । इस लिए विद्रोहका दमन होने पर उन लोगोंका लक्ष्य इस प्रश्नकी मीमांसाकी ओर गया कि आयरिश लोगोंका समाधान किस बातसे होगा और वे किस तरह संतुष्ट होंगे । उसी अन्तर पर आयरिश नेताओंने इंग्लैंडका ध्यान उस विनाकारण होनेवाले गर्वकी ओर दिलाया जो आयरिश खजानेसे प्रोटेस्टेण्ट-धर्ममण्डलके पालनके लिए होता था ।

जिस समय इंग्लैण्ड और आयरलैंडकी पार्लिमेण्ट एक हुई थी उस समयके बने हुए पार्लिमेण्टके नियमोंमें एक धारा यह भी रक्सी गई थी कि इंग्लैण्ड और आयरलैंडके धर्म-मण्डलको एक करके इसका नाम सयुक्त धर्ममण्डल रक्ता जायगा और उसकी सारी व्यवस्था इंग्लैण्डके पहलेके धर्ममण्डलके अनुसार होगी। अर्थात् इंग्लैण्डमें जिस प्रकार सार्वजनिक सजानेका वन प्रोटेस्टेण्ट धर्म-मण्डल पर खर्च होता था उसी तरह आयरिश सजानेका वन भी प्रोटेस्टेण्ट धर्म-मण्डल पर खर्च होनेको था। लेकिन व्यक्तिगत दृष्टिसे जो कारण टाइथ करके विरुद्ध थे सार्वजनिक दृष्टिसे वे ही कारण आयरिश सजानेके धनके प्रोटेस्टेण्ट वर्माधिकारी मण्डल पर खर्च होनेके विरुद्ध भी प्रयुक्त होते थे। यह खर्च बहुत दिनोंसे होता आया था। आयरलैंडमें जो दो तीन सौ वर्षोंसे प्रोटेस्टेण्ट लोगोंकी प्रधानता थी यह खर्च उसका एक चिह्न था और इस बातका भय था कि यदि यह खर्च बढ़ कर दिया जायगा तो राजपक्षीय प्रोटेस्टेण्ट लोग असंतुष्ट होकर विद्रोहमें प्रवृत्त होंगे। लेकिन इस विद्रोहके भयकी अपेक्षा कैथोलिक लोगोंके असंतोष और वादग्रस्त विषयोंमें होनेवाले अन्यायका भय इंग्लैण्डके राजनीतिज्ञोंको अधिक जान पड़ा। इस नये प्रश्नको 'धर्म-मण्डल-विघटनका आन्दोलन' कहते हैं।

आयरिश पार्लिमेण्टके स्वतंत्र रहनेके समय, अर्थात् सन् १८०० से पहले, यह प्रश्न आयरलैंडमें कभी उपस्थित नहीं हुआ था। यह बात नहीं थी कि लोगोंको उसका अन्याय खटकता न हो, लेकिन जब तक ऐसे कानून मौजूद थे, जिनके अनुसार रोमन कैथोलिक लोगोंके साथ पशुवत् व्यवहार होता था तब तक ऐसी फुटकर बातोंको सुधारनेका कौन प्रयत्न करता और यदि कोई करता भी तो नकाररसानेमें तूतीकी आवाज कौन सुनने जाता? लेकिन सन् १८५८ वाले फीनियन लोगोंके

विद्रोहके उपरांत इस प्रश्नको आपसे आप महत्त्व प्राप्त हो गया । यदि यह प्रश्न किया जाता कि प्रोटेस्टेण्ट धर्ममंडल पर राजानेका धन खर्च करनेसे किनको लाभ होता है, तो इसका उत्तर केवल यही था कि सौमें केवल दस बीस आदमियोंको । और यदि यह प्रश्न किया जाता कि दस-बीस विधर्मी लोगोंके लाभके लिए कैथोलिक प्रजाका धन क्यों खर्च होता है, तो उसका उत्तर यही देना पड़ता कि ऐसा करना अन्याय है । यदि यह कहा जाता कि प्रोटेस्टेण्ट धर्ममंडलका पालन करके कैथोलिक लोगोंको प्रोटेस्टेण्ट बनाया जायगा, तो हर एक आदमी यह समझ सकता है कि जो लोग तीन सौ वर्षोंसे असरय दुःख सहकर भी धर्मभ्रष्ट नहीं हुए, वे मुठ्ठीभर प्रोटेस्टेण्ट धर्माधिकारियोंके निर्जन गिरजामें चिल्लानेसे अपना धर्म क्यों छोड़ने लगे ? इसके सिवाय तब बलपूर्वक धर्म बदलानेके दिन भी बीत गये थे । उन्नीसवीं शताब्दीके उत्तरार्द्धमें अंगरेजोंके मनमें धार्मिक विषयोंमें सात्त्विक सहिष्णुताका पूरा संचार हो गया था, और तब केवल धर्ममण्डलके पालनसरीखे लडकपनके हठके लिए आयरलैण्डमें अस-तोप रहने देना और ब्रिटिश साम्राज्यको विकलाग रराना, यह बात किसीको पसंद नहीं आ सकती थी । सन् १८६८ ई० के मार्च महत्निमें जान फ्रांसिस मेग्युअरने पार्लेमेंटमें कहा कि धर्ममण्डल तोड़ दिया जाय, अर्थात् उस पर होनेवाला सार्वजनिक व्यय बंद कर दिया जाय । उस समय इस बात पर खूब वादविवाद हुआ । हिन्दुस्तानके भूतपूर्व वाइसराय लार्ड मेयो उन दिनों आयरलैण्डके स्टेट सेक्रेटरी थे । उन्होंने उक्त बिलके बहुत कुछ अनुकूल सम्मति दी । लेकिन जब ग्लैडस्टनने इस बातका रंग ढग देखा कि यदि किसी प्रधान राजनीतिज्ञने इसका समर्थन नहीं किया, तो यह नामजूर हो जायगा, तब उन्होंने खुद आगे बढ़कर उसका समर्थन किया । ग्लैडस्टन साहब स्वयं प्रोटेस्टेण्ट थे और

परम धार्मिक भी थे। उनकी सम्मति थी कि इंग्लैण्डमें वर्म्ममण्डल पर सरकारी खजानेका धन खर्च किया जाय, पर तो भी कैथोलिक लोगोंके धनका प्रोटेस्टेण्ट धर्ममण्डल पर खर्च होना उन्हें अन्याययुक्त जान पडा और उनके इस प्रश्नको हाथमें लेते ही उसमें बल आ गया। ग्लेड-स्टन साहबने जो प्रस्ताव उपस्थित किया वह बहुमतसे पास हो गया। इसके उपरांत पार्लिमेण्टका फिरसे चुनाव हुआ, तो भी इस वादग्रस्त प्रश्नके अनुकूल देशमें बहुमत था, जिसके कारण उक्त प्रस्ताव पार्लिमेण्टमें बिलके रूपमें आते ही पास होकर कानून बन गया। यह बात सन् १८६८ ई० की है। इस कानूनके कारण आयरलैंडमें सरकारी वर्म्ममण्डलकी इतिश्री हो गई, केवल निजके प्रोटेस्टेण्ट धर्ममण्डल बच रहे। पर यह निश्चय हो गया कि उन्हें सरकारी खजानेसे धन न दिया जाय। आयरिश प्रोटेस्टेण्ट विज्ञपको आज तक हाउस आफ लार्ड्समें बैठनेका जो अधिकार था वह भी नष्ट हो गया। आयरलैंडमें धर्म्मविधिकारियोंको न्यायालयकी तरह न्याय करनेके कुछ अधिकार दिये गये थे, वे भी छीन लिये गये और निश्चय हो गया कि यदि प्रोटेस्टेण्ट लोग अपने तौर पर चुनाव करके वर्म्ममण्डल स्थापित करें तो उन्हें केवल प्रोटेस्टेण्ट लोगोंके लिए ही अधिकारकी सनद दी जाय और कैथोलिक लोगों पर उसका कोई अमल न हो। कैथोलिक लोगोकी दृष्टिसे यह उनकी बड़ी भारी जीत हुई और ग्रथकारोंका मत हे कि सभी पक्षोंके कैथोलिक लोगोंने मिलकर ओर आपसका वैमनस्य भूल कर यह आन्दोलन किया था, इसी लिए उनकी यह जीत हुई।

धर्म्मविषयक दूसरी फुटकर बातें शिक्षाके सबधकी थीं। आयरलैंडके कैथोलिक लोगोकी जन्मभूमि होते हुए भी वहाँ कैथोलिक लोगोको अपनी इच्छानुसार शिक्षा प्राप्त करनेका कोई सुभीता नहीं था, और यह बात उन्हें बहुत ही बुरी मालूम होती थी। सन् १८७३ तक आयरलैंडमें

केवल दो ही विश्वविद्यालय थे । लेकिन उनमें धार्मिक शिक्षा बिलकुल ही नहीं दी जाती थी । इसलिए आयरिश लोगोंका यह कहना था कि आयरलैण्डमें एक नया विश्वविद्यालय स्थापित किया जाय और उसमें धार्मिक कैथोलिक शिक्षा देनेकी व्यवस्था की जाय । लेकिन इंग्लैण्डमें उनके इस कथनका बहुत विरोध होता था । एक तो कैथोलिक धर्म ही इंग्लैण्डके लोगोंको बिलकुल पसन्द नहीं था, और दूसरे यह कि जिन कारणोंसे प्रोटेस्टेण्ट धर्ममठपरका सर्च कम करना न्याय्य था, उन्हीं कारणोंसे एक नये कैथोलिक विश्वविद्यालयकी स्थापना करके प्रोटेस्टेण्ट लोगोंका कर-स्वरूप दिया हुआ धन उसके लिए व्यय करना अन्याय होता । लेकिन सन् १८७३ के फरवरी महीनेमें ग्लेड-स्टन साहबने यह समझकर एक बिल उपास्थित किया कि कैथोलिक लोगोंके साथ जो अन्याय होता रहा है उसे देखते हुए यह अन्याय कुछ भी नहीं है और शिक्षाके लिए नवीन प्रवृत्त करना आवश्यक है । पर ११ मार्चको बहुत गहरा वादविवाद होनेके बाद वह बिल नामजूर हो गया । लेकिन कनजरवेटिय और आयरिश इन दोनों पक्षोंके प्रतिकूल होने पर ग्लेडस्टन साहब मन्त्रित्वके पदसे इस्तेफा देनेके लिए तैयार हो गये । और तबसे आज तक यह प्रश्न अनिश्चित दशमें पटा हुआ है । सन् १८२९ से कैथोलिक लोगोंको यह अधिकार अवश्य मिल गया कि वे प्राथमिक और माध्यमिक पाठशालाओंमें जाकर शिक्षा प्राप्त कर सकें, तथापि विश्वविद्यालय चाहे किसी राष्ट्रमें शिक्षाकी बुनियाद न भी हो, पर वह उसका आधारस्तम्भ अवश्य है । और अतः आयरलैण्डमें कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं बना है, जिसमें जाकर आयरिश कैथोलिक लोग उत्साहपूर्वक शिक्षा प्राप्त करें । इस लिए शिक्षाके सम्बन्धमें कैथोलिक लोगोंकी शिकायत ज्योंकी त्यों बनी है ।

## ५ सेतिहरोका आन्दोलन ।



जमीनके सम्बन्धमें आयरिश लोगोंकी जो शिकायतें ह उनका स्वरूप नीचे लिखे अनुसार है। यह पहले ही बतलाया जा चुका है कि इंग्लैण्डके राजा ट्यूडर और स्टुअर्टके राजत्वकाल तथा ओलीवर क्रामवेलके कार्यकालमें कैथोलिक लोगोंसे लाखों एकड़ जमीन छीनकर प्रोटेस्टेण्ट अंगरेजोंको दे दी गई थी और राजा विलियमके राजत्वकालमें तो जमीनकी जब्तीकी हद्द हो गई थी। उस समयतक अंगरेजी राजनीतिका सिद्धान्त यह था कि जीते हुए आयरिश राष्ट्रको सब तरहसे दबाकर एक बार वहाँ गधोंका हल चला दिया जाय और विद्रोह तथा अराजनिष्ठाको जड़ मूलसे खोदकर फेंक दिया जाय। इसके बाद यदि उस जमीनमें सुवारके बीज बोये जायेंगे तो वे अच्छी तरह अफुरित होंगे। इसी उद्देश्यसे आयरलैण्डमें बसे हुए अंगरेजोंने राजा विलियमसे दिया हुआ वचन भंग कराया और आयरिश लोगोंके धर्म तथा घरवार पर हल चलवानेका कार्य आरम्भ किया। जब सारी जमीन हाथमें आ गई तब प्रोटेस्टेण्ट जमींदार यह सोचने लगे कि वह जोती बोई कैसे जायगी। पहले उन्होंने स्काटलैण्डसे प्रोटेस्टेण्ट काश्तकार आदि बुलाकर उनके द्वारा जमीनको जोतवाने और बोआनेका प्रयत्न किया। लेकिन जमींदारोंने धीरे धीरे बहुत अधिक लगान माँगना आरम्भ कर दिया जिससे वे काश्तकार नागज होकर अमेरिका चले गये और तब उन्हें आयरिश कैथोलिक काश्तकारोंसे ही अपनी जमीनें जोतवानी और बोआनी पड़ीं। कैथोलिक काश्तकार भी यही चाहते थे। उनका निर्वाह खेती पर ही होता था, इस लिए कागज-पत्रोंमें मालिकी चाहे जिसकी हो, पैदावारके लिए जब उन्हें जमीन मिल गई

तब माना उनका मुख्य काम होगया । यह जमीन यदि अबाधित रूपसे उनके हाथमें रहती तो ठीक था । लेकिन जब जमींदारोंको उनका मन-माना लगान नहीं मिलता था, तब वे अपनी जमीन दूसरे काश्तकारको देते थे, और हाथकी जमीन निकल जानेके कारण वह पहला काश्तकार निराधार हो जाता था । इसके अतिरिक्त जमीनमें नया चीज नोई जाय और किस खेतका कितना भाग किस काममें लाया जाय, इसके सबधमें भी काश्तकारों और जमींदारोंमें झगडा हुआ करता था । इन कारण काश्तकारोंको किसी प्रकारकी स्थिरता नहीं जान पडती थी और बराबर झगडे बसेटे होते रहते थे । यदि यह कहा जाय कि अठारहवीं शताब्दीके आरभमें वहाँ चार पचमाश जमीनके सबधमें यही दशा थी तो कुछ अत्युक्ति न होगी । लेकिन इस प्रकारकी स्थिति बहुत दिनों तक नहीं ठहर सकती । लिमरिककी सन्धिके प्रायः सत्तर वर्षोंतक अर्थात् सन् १७६० के लगभग जमीनके सबधमें कैथोलिक काश्तकारों और प्रोटेस्टेण्ट जमींदारोंमें खुलकर झगडे होने लगे और वे झगडे लगभग १२० वर्ष तक—अर्थात् सन् १८८० में जमीनके सबधमें ग्लेडेस्टन साहबवाले कानूनके बनने तक—होते रहे । सन् १७६१ में इंग्लैण्डके गोरुओं ( पशुओं ) में रोग फैला और आयरिश गोरुओंका दाम बहुत चढ गया । उस समय आयरलैण्डके जमींदारोंने चराईके लिए ऐसी अच्छी अच्छी जमीने पडती ओढ दी, जिनमें पहले अच्छी फसल हुआ करती थी । आयरलैण्डमें घास-चारा बहुत होता है, इस कारण यह प्रदेश गोरुओंके व्यापारके लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन फसलवाली जमीनको पडती छोडना मानों गोरुओंको जिला कर, मनुष्योंको मारना था । सेती-चारीका काम हाथसे निकल जानेके कारण निकम्मे और सतत हुए आयरिश सेतिहर आँग ही जमीन्दारों पर दटे । उन्होंने सैकड़ों चरियोंके चारे जला टाले और गोरुओंको हॉक दिया तथा जखमी कर



दिया। इस प्रकार उन लोगोंने जमीन्दारोंको दिक करना शुरू किया। उनका कहना केवल इतना ही था कि गाँवकी पैदावारकी जमीन किसानोंके लिए छोड़ दी जाय, लगानमें कमी कर दी जाय, वेदखल किये हुए किसानोंको फिरसे जमीन मिले और उनकी रोजी लगे। लेकिन जमींदार लोग ये बातें नहीं मानते थे। इस पर अनेक प्रकारके अत्याचार और अनुचित कार्य्य होने लगे। निकम्मे खेतिहरोंको उन्हींमेंसे कुछ युवक नेता मिल गये और उन लोगोंने जमींदारों पर हाथ छोड़ना आरम्भ कर दिया। बहुतसे जमींदार अपने गुमास्तोंकी मार्फत जमीनका इन्तजाम करते थे और उन गुमास्तोंमेंसे बहुतसे उद्दण्ड, साऊ, अविचारी और अत्याचारी होते थे। अतः उन गुमास्तोंके रहने पर ऐसी ऐसी बातें होने लगीं, जो स्वयं जमींदारोंके रहते कभी न होतीं। इस प्रकार दोनों पक्षोंसे यह झगडा बहुत बढ़ गया। खेतिहरोंकी गुप्त सभायें होने लगीं और वे गुट बाँध कर जमींदारोंके विरुद्ध एक दूसरेको सहायता देने लगे।

खेतीकी जमीनमें पैदावार न होनेके कारण दो बुरे परिणाम हुए। बहुतसे खेतिहरोंको मजदूरी नहीं मिलती थी और फसलके जरासा भी खराब होने पर दुष्काल पड जाता था और लोगोंके प्राणों पर आ बनती थी। इस लिए खेतिहर लोग देश छोडकर विदेश जाने लगे। परदेश जानेवाले तो मजेमें रहे, पर जो लोग देशमें रह गये उन्हें बहुत कष्ट भोगना पडा। कुछ लोग योही दिन बिताते थे और कुछ लोग भेडें चराते थे। भेडें पालनेके काममें बहुत परिश्रम नहीं होता, इस लिए वह काम करनेवाले लोग धीरे धीरे आलसी बन चले। आलस्यके साथ साथ दुर्गुण भी लगे ही रहते हैं। भिखमर्गोंकी संख्या बढ़ने लगी और उनके साथ ही साथ अपराधोंकी भी वृद्धि होने लगी। तात्पर्य्य यह कि देशके तत्त्व अथवा सार सैतका लाम—उसके उपयोगके साथ साथ

दुरुपयोगका भी लाभ—देशके बाहर इंग्लैण्डमें रहनेवाले जमींदारोंको होने लगा, और इस स्थितिकी समस्त हानियाँ आयरिश लोगोंके पट्टे पडने लगीं । स्विफ्ट, वाकले, प्रायर, डॉक्स आदि विचारशील और देशामिमानी सज्जनो तथा लेसकोंने पारी पारीसे जमींदारोंको सचेत कर देसा, लेकिन उनके प्रयत्नका कोई फल नहीं हुआ । खेतिहरोंके कष्टोकी सीमा न रह जानेके कारण उन्होने कानूनको अपने हाथमें लिया । अपने देशमें हम लोग बराबर देसा करते है कि जब साहूकारों और जमींदारोंका अत्याचार बढ़ जाता है तब यही दशा हुआ करती है । सन् १८७६ में पूनेमें होनेवाले दंगोंका कारण जिस प्रकार साहूकारोंका सूट था, उसी प्रकार अठारहवीं शताब्दीमें जमींदारोंका अत्याचार अनर्थका कारण हुआ । मनस्टर प्रातमें ' व्हाइट बॉयज ' और अलस्टर प्रातमें ' ओक बॉयज, ' ' राइट बॉयज, ' ' ग्रेशर्स ' ' रिबनमेन ' ' हार्दिस आफ स्टील, ' ' व्हाइट फीट ' ' ब्लैकफीट ' ' रॉकाइट ' आदि अनेक नामधारी विद्रोही दल उठ खडे हुए । उन लोगोंने ऐसे ऐसे अनुचित कृत्य किये जिनका वर्णन सुनकर रोंगटे खडे हो जाते है । आयरिश खेतिहर बिलकुल देहाती और जगली थे और तिस पर उनके बहुत दिन दासतामें ही बीते थे । इस लिए उनका दगा फसाद बडा ही भीषण हुआ । जिन लोगोंके दिन दासतामें बीतते है उनके दगे फसादकी कोई सीमा नहीं रह जाती, इसका अनुभव प्राचीन स्पार्टन लोगोंको हो चुका है, और इस समय आयरलैण्डके अंगरेजी जमींदारोंके सामने भी यही बात आई । इन विद्रोहोंको अधिकारियोंने राजनीतिमूलक ठहराना चाहा, और पद्दयत्रमें सम्मिलित रहनेके अभियोगमें बहुतसे नेताओंको फाँसी भी दी गई । लेकिन आगे चलकर शीघ्र ही यह बात मालूम हो गई कि ये सब कठिनाइयाँ जमींदारोंके अत्याचारके कारण हो रही है, और सभी इतिहासकारोंका यह मत है कि धर्म अथवा राजनीति-

का इन झगड़ोंके साथ कोई सम्बन्ध नहीं था। बेचारे सेतिहर राजनीति भली भाँति नहीं समझते। राजा कोई हो, उनकी जमीन उनके पास रहे, उसमें अच्छी पैदावार हो, और उससे उनके बालबच्चोंका गुजारा हो जाय, बस इतनेमें ही वे सतुष्ट रहते हैं। हाँ, यदि इसमें भी किसी प्रकारकी बाधा हो तो उनका पित्त सौलने लगता है और जो उनके सामने आ पड़ता है उसी पर वे हाथ छोड़ देते हैं।

सन् १७७८ के लगभग कैथोलिक लोगोंके कानूनी बंधन कम होने लगे और पहले पहल जमीनके सबंधके कानून रद्द हुए। आजतक कैथोलिक लोगोका जमीन पर मालिकाना हक नहीं हो सकता था। लेकिन सन् १७७८ में एक कानून बन गया, जिसके अनुसार वे ९९९ वर्षके करार पर जमीन ले सकते थे। ९९९ वर्षका अधिकार मानों सदाके लिए स्वामित्व ही था। सन् १७८२ वाले कानूनके अनुसार उन्हें जमीन खरीदने या रेहन रख सकनेका अधिकार मिला, और तब सेतिहर लोग प्रोटेस्टेण्ट जमींदारोंके हाथसे कुछ कुछ छूटने लगे। इसके उपरांत आगे सन् १८०७ तक देशमें शांति थी। लेकिन सन् १८०७ से फिर दंगे आरंभ हुए और सन् १८३५ तक होते रहे। उस समय काश्तकार लोग लगानसे छुटकारा पाना चाहते थे और कहते थे कि काश्तकार बिना कारण खेतसे वेदसल न किये जा सकें और मजदूरोंको मजदूरी अधिक मिला करे। लेकिन सुदृ जमींदार लोग आयलैंडमें नहीं रहते थे। काश्तकारोंके सुख दुःख और शिकायत आदि उन्हें प्रत्यक्ष देखने और सुननेको नहीं मिलती थी, इसलिए वे उनकी प्रार्थनाओंकी उपेक्षा करते थे। उस समय सरकारको चाहिए था कि उस ओर ध्यान देकर मध्यस्थता करती और यदि आवश्यकता होती तो कानून बनाकर स्वार्थी जमींदारोंको न्यायकी प्रत्यक्ष शिक्षा देती। भारतवर्षमें यह बात सरकारी कर्तव्य की है। यहाँके प्रत्येक प्रांतमें जमींदारोंकी जनरदस्ती,

सरकारी कानूनोंने रोकी है, इतना ही नहीं बल्कि किसी किसी प्रात-  
में तो जमींदारों और साहूकारोंकी हानिकरके भी खेतिहरोंके लिए  
सुभीते किये जाते है। आयलैण्डमें भी आगे चल कर ऐसे कानून  
बनाये गये ओर जमींदारोंकी अनुचित कामनायें रोकी गईं। लेकिन ये  
सब बातें उस समय हुईं जब तिन सौ बरस तक खेतिहरोंने स्वयं कष्ट भोगे  
ओर दो सौ बरस तक साहूकारों और अधिकारियोंको कष्ट पहुँचाये।  
यह बात नहीं थी कि आयरिश खेतिहरोंने मनुष्यत्वको बिलकुल तिलाजुली  
ही दे दी हो, अनेक प्रवामियोंके वर्णन देखनेसे जान पडता है कि वे  
लोग बहुत मिलनसार, मुहव्वती और शारीरिक दृष्टिसे बहुत सहनशील  
होते थे, आये-गयेका आदर-सत्कार करते थे, गरीबों और अनाथों पर  
दया दिसलाते थे और बड़ोंके साथ आदरपूर्वक व्यवहार करते थे,  
लेकिन जब जमींदारोंका अत्याचार असह्य हो जाता था, तब वे अपनी  
सुध भूल जाते थे और उनके द्वारा ऐसे ऐसे कार्य्य हो जाते थे जिनके  
लिए पीछे स्वयं उन्हींको पश्चात्ताप होता था।

जमींदारोंको भी इन बातोंका पूरापूरा पता था। लेकिन उन्हें  
सरकारका भरोसा था इस लिए वे कुछ परवा न करते थे। सन् १८१६  
में सर जान न्यूपोर्ट नामक एक सभासदने पार्लमेण्टमें कह दिया कि  
बिलकुल शांतिके समय भी आयलैण्डमें २५००० सेना रखनी  
पडती है, इससे सिद्ध होता है कि वहाँके लोगोंके असतोपका  
कोई न कोई, वास्तविक कारण है। उन्होंने यह भी कहा कि इस  
कारणका पता लगाना चाहिए। लेकिन पिटने इसका विरोध किया।  
सन् १८२० में खेतिहरोंकी स्थितिके सबधमें जाँच करनेके लिए  
एक कमीशन नियुक्त की गई। सात वर्ष तक उसका थोडा थोडा काम  
होता रहा। सन् १८२७ में इस कमीशनकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई,  
जिससे स्पष्ट प्रकट हो गया कि बड़े-बड़े लोगोंने कमीशनके सामने जो

गवाहियाँ दी थीं उनमें अज्ञाति और दगोंके मुख्य कारण यही बतलाये गये थे कि खेतिहर लोग दरिद्र हैं, करका बोझ उन पर बहुत अधिक है, जमींदारोंके गुमाश्ते अत्याचार करते हैं, दमनशील नियमोंसे लोगोंको कष्ट होता है और न्यायालयोंमें पक्षपात और कड़ाई होती है, राजद्रोह आदि राजकीय कल्पनाओंके साथ उनका कोई सबध नहीं है। लेकिन अधिकारियोंको सहसा इन बातों पर विश्वास नहीं होता था। खेतिहर लोग यदि दगा फसाद करते तो साथ ही उन्हें उसका प्रायश्चित्त भी करना पड़ता था। सरकारी पुलिस और सेनाके सामने बेचारे खेतिहर कबतक ठहर सकते थे? अधिक दगा फसाद होते ही जमींदार लोग पार्लिमेंटसे ऐसे कानून बनवा लेते थे जिनके अनुसार अधिकारियोंके अधिकार बढ जाते थे और अधिकारी लोग उन अधिकारोंका भरपूर उपयोग करने लगते थे, और इस प्रकार बहुत दिनों बाद अतमें वे लोग खेतिहरों पर अपना रंग जमा लेते थे। सन् १८०० से १८३५ तकके ३५ वर्षोंमेंसे केवल ग्यारह वर्ष ऐसे बीते थे जिनमें दमनशील नियमोंका व्यवहार नहीं हुआ था। बाकी चौबीस वर्ष आयर्लैण्डका सारा राजकार्य इसी प्रकारके कानूनोंके बल पर हुआ था। उदाहरणार्थ उन दिनों नीचे लिखे हुए भिन्न भिन्न कानून जारी थे—

१८००-१ विद्रोहका कानून।

१८०३-४ " "

१८०७-१० " " और फौजी कानून।

१८१४-१७ " "

१८२२-२४ " "

१८२५-२९ कैथोलिक संस्थायें बढ करनेका कानून।

१८३१-३२ हथियारोंका कानून।

१८३३-३५ 'कोअर्शन' अर्थात् दमनकारक कानून।

लेकिन इन पैतीस वर्षोंमें अधिकारियोंने पहले शांतिपूर्वक कभी इस बातका विचार नहीं किया कि सेतिहरोके दुःख किन किन उपायोंसे दूर किये जा सकते हैं। इसका कारण यह था कि आयरलैण्डका सारा राजकार्य और इंग्लिश पार्लमेण्टका बहुमत विलकुल जमींदारोंके ही हाथमें था और उसका उपयोग वे केवल अपने हितसाधनमें ही करते थे। लेकिन धीरे धीरे धीरे यह बात सरकारी अधिकारियोंको भी कबूल करनी पड़ी। जब दमनकारक नियमोंकी सहायतासे देशकी अशांति दूर नहीं हुई तब जमींदार लोग सरकार पर दोष लगाने लगे। वे कहने लगे कि अधिकारी लोग ठीक बद्रोबस्त नहीं करते, जितनी मदद चाहिए उतनी मदद वे जमींदारोंको नहीं देते और ठीक तरहसे कानूनकी पाबंदी नहीं करते। इस प्रकार अपना पाप वे सेतिहरोके साथ साथ सरकारके सिर पर भी लादने लगे। उस समय अधिकारियोंने इसके बदलेमें स्पष्ट रूपसे जमींदारोंको उनकी वास्तविक स्थिति बतलाकर उनके कान सोल दिये। उन दिनों थामस ड्रमड नामक एक उदार और महान् पुरुष आयरलैण्डके चीफ सेक्रेटरीके पद पर था। (सन् १८३८ ई०) उसने अपनी एक आज्ञामें लिखा था—“जमींदार लोग सिर्फ जमीनकी आमदनी खाते हैं। लेकिन जिस प्रकार वे अपने अधिकार जानते हैं उस प्रकार अपने कर्त्तव्य नहीं जानते। जिस समय देशमें दुष्काल पडनेके कारण लोग भूखो मर रहे हों, अनाज महंगा हो गया हो और मजदूरी न मिलती हो, उन दिनों दखि सेतिहरोको पैदावारका अंश न देनेके कारण निकाल देना और उनसे जमीन छीन लेना न्याय नहीं है। दगो-फसाद इसा प्रकारके कार्योंसे होते हैं। यह समझना भूल है कि कड़े कड़े कानून बनाकर ये दगो रोके जा सकेंगे। ऐसे गरीब लोगोंके साथ जमींदार और अधिकारी दोनोंको दयापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। थामस ड्रमड साली जबानी जमा-सर्च करनेवाला आदमी

नहीं था। उसने आयरिश लोगोंके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करके उनके कष्टोंको यथासाध्य कम किया। भारतवर्षमें लार्ड रिपनके नामका जितना आदर है, आयरलैंडमें थामस ड्रमडके नामका भी उतनाही आदर है। उसने जमींदारोंकी आँसोंमें सूख तेज अजन लगाया, उसके दक्ष, पर विचारपूर्ण, शासनके समय लडाईं झगड़ों और अपराधोंमें बहुत कमी हुई। लेकिन उसकी मृत्युके उपरान्त सन् १८४२ से फिर दंगे शुरू हुए। १८४४ में खेतिहरोंके इस प्रकारके एक हजार अपराध हुए। सन् १८४५ ई० में यह संख्या तीन हजार तक पहुँची। १८४८ ई० में तो विद्रोह ही हो गये और इस प्रकार १८४२ से सात आठ वर्ष तकके लिए फिर सब प्रकारके दमनकारक नियमों और अत्याचारोंका साम्राज्य हो गया।

सन् १८१९, १८२३, १८२४ और १८२५ में आयरलैंडकी सेती-के संवधमें जाँच करनेके लिए जो कमेटियों नियुक्त की गई थीं उन कमेटियोंने खेतिहरोंकी दीन स्थितिका वर्णन करके इस बातकी सिफारिश की कि उन्हें सहायता देना आवश्यक है। लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं हुआ। सन् १८२९ में पार्लमेण्ट में इस आशयका एक बिल उपस्थित हुआ कि जमींदारोंसे पढती जमीनें छीनकर खेतिहरोंको दे दी जायँ जिसे कामन्स सभाने मजूर कर लिया, लेकिन लार्ड्स सभाने उसे नामजूर कर दिया। इसके बाद ग्रटनके लडकेके-जो पार्लमेण्टका मेम्बर था-बहुत उद्योग करने पर सन् १८३१ में लार्ड अलथार्पकी सूचना पर पार्लमेण्टने आयरलैंडमें लोकोपयोगी कामोंमें खर्च करनेके लिए पचास हजार पाउण्ड देना स्वीकार किया। सन् १८३४ और १८३७ में स्कॉप और शार्मन क्राफर्डने खेतिहरोंको जमीन पर करीब करीब मिलाकियतके हक दिलानेके संवधमें बिल उपस्थित किये, पर वे नामजूर होगये। लेकिन इसके बाद १८४२ में नहरोंका कानून पास होजाने पर पढती जमीनको कामपे लानेमें कुछ सहायता मिली। सन् १८४३

में डीवान कमीशन नियुक्त हुआ । उसके सामने मुख्य प्रश्न अलस्टर प्रातके काश्तकारोंकी मिलकियतके हकका था । सन् १८४५ में उमकी जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी उसमें यह स्वीकार किया गया था कि “ काश्तकारोंका मालिकाना हक तो साबित नहीं होता, परतु जब एक काश्तकार जमीन छोड़ता और उसके स्थान पर दूसरा काश्तकार आता है तब आपसके व्यवहारके अनुसार दूसरे काश्तकारसे पहले काश्तकारको स्वामित्वके बदलेमें कुछ धन मिलता है ।” यद्यपि उस समय यह समझ और यह चाल रही हो कि इतना धन देनेवाले काश्तकारको स्वामित्वका अविकार मिलता है तो उसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है । लेकिन ‘ डीवान ’ कमीशनके सदस्य बहुधा जमींदार ही थे और ऐसे लोगोंसे काश्तकारोंका मालिकाना हक मजूर करनेकी आशा करना डेनियल ओकानेलके कथनानुसार कसाइयोंसे मास-भक्षण-निषेध पर व्याख्यान देनेकी आशा करनेके समान था । सन् १८४५, १८४७ और १८४८ में स्टानले और शार्मन फ्राफर्डने पार्लिमेण्टमें इस आशय के बिल उपस्थित किये कि जमींदार लोग सेतमें जो सुधार न करें, पर अधिकारी जिन सुधारोंका होना आवश्यक समझें, वे सुधार काश्तकार लोग अपने सर्चसे करलें और जब जमीन छोड़ने लगे तब सारा सर्च उन्हें जमींदारसे मिल जाय । लेकिन इसका कोई फल नहीं हुआ । सन् १८४९ में जमींदारोंको ऋणमुक्त करके उनकी जमीनें छुड़ा देनेके सबधमें एक कानून पास हुआ । उसके अनुसार काश्तकारोंके तो किसी प्रकारके लाभकी सम्भावना थी ही नहीं, हाँ बहुतसी जमीन एकदम विक्रीके लिए निकल जानेके कारण उलटे जमींदारोंका नुकसान हुआ । सन् १८४८ ई० में आयलैण्डमें पहला कृषकसघ स्थापित हुआ और सन् १८५० में उसकी दूसरी आवृत्ति हुई । लेकिन शीघ्र ही इस सस्थामें दो पक्ष होगये और सन् १८६० तक कोई काम नहीं हुआ । सन् १८६१ में



पार्लमेण्टने जमीनके सम्बन्धमें डीसीज एक्ट नामका एक कानून पास किया। उसका मुख्य तात्पर्य यह था कि खेतिहर लोग सिर्फ हिस्सेदार माने जायें और जमींदार तथा काश्तकारमें पहलेसे जो करार हो जाय उसीके अनुसार काश्तकारसे जमींदारको लगान मिले, उनके दूसरे पारस्परिक व्यवहार हों और पट्टा रद्द किया जाय। लेकिन केवल करार पर निर्भर रहनेमें काश्तकारोकी हानि थी। अमीरों और गरीबोंमें लिखा पट्टा करके जो करार होते हैं उनमें प्रायः अमीरोंका ही लाभ होता है। क्योंकि गरीब लोग गरजी होते हैं। उनका काम रुका रहता है, इसलिए उन्हें अमीरोंको मनमानी बातें लिख देनी पडती है। यह बात नहीं है कि गरीब लोग यह न समझते हों कि हम अपने नुकसानकी बात लिख रहे हैं। लेकिन उसमें उनका इतना ध्यान रहता है कि चाहे जिससे हो खेतीके लिए जमीन ले ली जाय और उसी पर साठ भर गुजारा किया जाय। अगर कोई दिक्कत हो भी, तो वह सालके अतमें लगान देनेके समय या पट्टेकी मुदत बीतनेके समय। बल्कि वे लोग वसी प्रकारके देववाद पर निर्भर रहते हैं कि अतमें जमींदार, करारका कागज, न्यायालय और परमेस्वर जो कुछ करे वही ठीक है। यह कहकर कि 'आगेकी बात आगे देखी जायगी' जमींदार जो कुछ चाहता है, खेतिहर लोग खुशीसे वही लिख देते हैं। कुछ खेतिहर बहुत सीधे साधे होते हैं और उन्हें इस बातकी कल्पना भी नहीं होती कि आगे चलकर कभी कोई बखेडा खडा होगा। जो कुछ उनसे कहा जाय वही वे अपने भोलेपनके कारण लिख देते हैं। अर्थात् करारोंके लिखे जानेके कारण जमींदारका पक्ष ही बलवान रहता है और न्यायालयको खुशीसे अथवा कानूनकी सख्तीसे जमींदारके अनुकूल ही फैसला करना पडता है। लेकिन वास्तविक कष्ट उसी समय उत्पन्न होता है जब कि उस फैसलेके अनुसार काम होने लगता है। जमींदारोंको बलपूर्वक लगान

वसूल करनेका अथवा काश्तकारको बेदखल करनेका हुक्म मिलता है । काश्तकार लगान देनेमें असमर्थ होता है, उसके बरतन भाड़े बाहर निकलते हैं, उसकी उपजीविकाके साधन नष्ट होते हैं और उसकी यह आपत्ति देखकर कानून एक तरफ हो जाता है और सूक्ष्म न्यायतत्वके अनुरोध पर बननेवाला लोकमत और सहानुभूति उस काश्तकारकी तरफ हो जाती है । यदि काश्तकार स्वयं उद्दण्ड, अभिमानी या तामसी हुआ तो वह कानून और अदालतकी एक तरफ रख देता है और सिर्फ़ बदमाशीके भरोसे पर अपना न्याय स्वयं ही करनेके लिए तैयार हो जाता है, और तब मारपीट होती है । इन दोनों प्रकारोंसे कानूनकी पावड़ीमें रुकावट होती है, बाधा पड़ती है, और यदि करार तथा सूक्ष्म न्यायतत्त्वमें बहुत विरोध पटा तो सरकारको बीचमें पडकर दुर्बलके प्रति थोड़ा बहुत न्याय करना पड़ता है और इसी लिए कानून भी बदलना पड़ता है ।

ऊपर कहे हुए कानूनसे आयरिश खेतिहरोंको कोई सहायता नहीं मिली और विरोध बराबर बढ़ने लगा । जमींदारोंको इस बातका अधिकार था कि वे जब चाहे तब काश्तकारोंको बेदखल कर दें, इस लिए जर्मन दुरुस्त करनेमें काश्तकारका भ्रम और व्यय होता था वह व्यर्थ हो जाता था । जिस प्रकार बना बनाया त्रिल पाकर सॉप उस पर अधिकार कर लेता है, उसी प्रकार ठीक की हुई जमीन एक काश्तकारसे लेकर जमींदार लोग किसी ऐसे दूसरे काश्तकारको दे देते थे जो अधिक लगान या अज्ञ देता था । इस स्थितिके कारण काश्तकारोंकी दुर्दशा अब चरम सीमातक पहुँच गई तब सन् १८७० में पार्लियमण्टको एक नया कानून बनाना पड़ा । इस कानूनके अनुसार यह निश्चित हुआ कि जिस दशामें काश्तकार लगानकी निश्चित रकम न दे और इस लिए जमींदारको उसे सेतसे बेदखल करना पड़े केवल उसी दशामें जमींदार

उसकी नुकसानी न दे। लेकिन लगान न देनेके सिवा यदि और कोई अर्त काश्तकार तोड दे, या किसी करारके मुताबिक काम न करे और उसके कारण वह जमीनसे बे-दखल किया जाय तो जमींदार उसकी क्षतिपूर्ति अवश्य कर दे। अर्थात् यदि काश्तकारने खेतीबारीके कामके लिए कोई छोटा मोटा मकान बनाया हो, अथवा बाँध बाँधा हो, अथवा सेतमें विशेष रूपसे साद डाली हो अथवा पानी लाकर बाग बगीचा लगाया हो, तो इन कामोंके लिए उसका जो व्यय और परिश्रम हुआ हो, जमींदार उसकी पूर्तिके लिए जब काश्तकारको धन दे तभी उसे खेतसे बे-दखल कर सके। लेकिन इतनेसे भी काम नहीं चलता था। क्योंकि आयरलैण्डमें हिन्दुस्तानकी तरह नित्य दुष्काल पड़ता था, और जब दुष्काल पड़ता है तब काश्तकार लोग लगान नहीं देसकते। यदि अतिवृष्टि या अनावृष्टिके कारण फसल मारी जाय तो इसमें काश्तकारका क्या दोष? और जब अकाल पड़े तब काश्तकार स्वयं क्या खायें और जमींदारको क्या दें? अर्थात् सन् १८७० वाले कानूनमें जो इस आशयकी एक धारा थी कि यदि काश्तकार समय पर लगान न दे तो विना क्षतिपूर्ति किये ही वह बे-दखल किया जा सकता है, वह बारा काश्तकारोंको बहुत खटकने लगी। सन् १८७६ के लगभग अनाजका भाव बहुत गिर गया और दुष्कालकी पीडा बहुत बढ़ गई। उस समय फिर एक बार वेसी ही अशांति फैली जैसी पहले सन् १८६० में फैली थी। इस लिए खेती-बारीके संबन्धमें राजकीय आन्दोलन आरम्भ हुआ। उस वर्ष अगस्त महीनेमें माइकल डेविटने 'लैण्डलीग' नामक संस्था स्थापित की और शीघ्र ही पार्लैमण्ट उस संस्थाका समापति हो गया। लैण्डलीगका मुख्य उद्देश्य यह था कि देशमें जमींदारों और काश्तकारोंके जो विद्रोह होते हैं वे बंद हो जायें। पहले फीनियन आन्दोलनमें जो लोग सम्मिलित थे उन्हें अपने साथ

मिलाकर डेविड और पार्नेलने सारे आयर्लैण्डमें इस समाझी शाखायें स्थापित कर दीं । अमोरिकासे भी उन लोगोंको इस कामके लिए चार लाख रुपयोंकी सहायता मिली । धीरे धीरे लैण्डलीगका काम इतना बढ़ा कि खेतिहरोंके कष्टोंके अतिरिक्त और किसी बातकी कोई चर्चा ही न करता था ।

दूसरे वर्ष ग्लैटस्टन प्रधान मंत्री हुए । उन्होंने यह सब स्थिति देख कर स्टेट सेक्रेटरी फारेस्टरको आयरिश खेतिहरोंकी स्थिति सुधारनेके काममें सहायता दी । लिबरल मन्त्रिमंडलने शीघ्र ही पार्लमेण्टमें एक बिल पास करके यह निश्चय किया कि लगान न चुकानेवाले काश्तकारको जमींदार बेदखल कर सके, लेकिन उसे बेदखल करनेसे पहले उसके उस व्यय और परिश्रमकी पूर्ति कर दे जो उसे जमीन डुरुस्त करनेमें हुआ हो । लेकिन लार्ड्स सभाने इस बिलके पास होनेमें अडचन डाली जिससे कामन्स सभाके पास किये हुए बिलके अनुसार काम न हो सकता था । इस कारण आयरिश लोगोंमें खलबली पड़ गई और उन्होंने अपना न्याय अपने हाथसे करनेके लिए स्वालवनकी पद्धतिसे कामलेना आरम्भ किया । उन्होंने यह निश्चय किया कि जिस जमीनसे जमींदार किसी काश्तकारको बेदखल करे उस जमीनको और कोई काश्तकार लगान पर न ले । अर्थात् खेत खाली पड़ जानेके कारण जमींदारकी हानि होगी और इस प्रकार वे समझने लगेंगे कि पहले काश्तकारको जमीनसे बेदखल करनेमें हमने अन्याय किया । लेकिन इतनेसे ही काम न चला । एक काश्तकारके बेदखल करने पर जमीन प्रायः खाली ही पड़ी रहती थी, लेकिन लैण्डलीगके सचालकोंने यह निश्चय किया कि यदि कोई काश्तकार लोकमत न माने और वह जमीन ले ले तो उसका बहिष्कार किया जाय । सितंबर संव १८८० में पार्नेलने एक स्थान पर वक्तृता देते हुए कहा था —“जमीं-

दारोंके अत्याचार बंद करनेका सबसे उत्तम उपाय यही है कि जो काश्तकार लोकमतकी परवा न करके खाली पडी हुई जमीन ले ले उसे महारोगीकी तरह समाजसे दूर रखवा जाय और उसके साथ सब प्रकारके व्यवहार बंद कर दिये जायें । उस समय एक तो जमींदारोंके अत्याचारके कारण लोकमतरूपी जगल पहले ही बहुत तप गया था, तिस पर पार्नेल सरीसे नेताके प्रसार शब्दोंकी चिनगारी पडी, जिससे आग एकदम भड़क उठी । सारे देशमें बहिष्कारकी घूम मच गई । अत्याचारी जमींदारों और उनके गुमास्तों तथा कारिन्दोंको भरे समाजमें रह कर उतने ही दुःख और आपत्तियाँ भोगनी पडती थीं, जितनी किसीको समुद्रमेंके किसी निर्जन और उजाड़ टापूमें रहकर भोगनी पडती है । सेतमेंकी फसल तैयार हो जाने पर उसे काटनेमें भी उन्हें सहायता नहीं मिलती थी । एक स्थान पर तो यहाँ तक हुआ, कि फसल काटनेके लिए बड़ी कठिनतासे एकत्र करके जो पचास मजदूर भेजे गये थे उनकी रक्षाके लिए उनके साथ नौसौ हथियारबंद सिपाही भी भेजने पडे थे । यदि केवल यही सिद्ध करनेके लिए कि अधिकारियोंके बहुत हठ करने पर लोगोंको कानूनके मुताबिक काम करना ही पडता है, कोई जमींदार मजदूरोंके साथ हथियारबंद सिपाही भेजकर फसल कटवा ले तो उसका फल वहींतक रह जाता है । सारे जमींदारोंकी लाखों एकड़ जमीनकी जोताई, बोआई और कटाई आदि हथियारबंद सिपाहियोंके पहरेमें कराना जमींदारोंके लिए और सरकारके लिए भी असभव ही था ।

जब यह अवस्था आ पहुँची तब अधिकारियोंने उसके निराकरणके उपाय आरम्भ किये । उनका मुख्य कटाक्ष लैण्डलीग पर था, इस लिए उन्होंने यह निश्चय किया कि यदि उसके सस्थापकों और संचालकोंको जेल भेज दिया जाय तो हमारा आवेसे अधिक कार्य्य हो जाय । इसीके

अनुसार पार्नेल आदि पर मुकदमे चलाये गये । जनवरी सन् १८२१ ई० में जूरियोंमें मतभेद हो जानेके कारण पार्नेल निर्दोष ठहरा, इस लिए उसकी सत्ता पहलेसे दसगुनी बढ़ गई । अधिकारियोंने भी नये दमनकारक कानून बनाये, लेकिन अतमें सन् १८८१ में लिबरल मन्त्रिमण्डलको जमीनके सवधमें एक नया कानून पास करना पडा । इस नये कानूनका मुख्य तात्पर्य यह था कि जमीनके सम्बन्धमें काश्तकार अपना अधिकार बेच सके । केवल अपनी इच्छाके अनुसार जमींदार लोग काश्तकारोंको बेदखल न कर सकें और जमीनकी हैसियतके मुताबिक ही लगान लगे । जब काश्तकार वाजिव लगान न दे तभी वह जमीनसे बेदखल किया जाय, योही बेदखल न कर दिया जाय । लगानकी रकम पचोंकी मारफत निश्चित हुआ करे, आपसकी चढा-ऊपरी पर ही वह निर्भर न रहे । लेकिन कई कारणोंसे पार्नेलको यह विल पसद नहीं था, इससे उसके पास होनेके समय वह अपने पैतृस अनुयायियोंके साथ पार्लिमेण्टसे उठ गया । उसका यह कहना था कि स्पष्ट रूपसे यह निश्चित कर दिया जाय कि जमीन पर खेतिहरोंका स्वामित्व है । लेण्ड लीगकी ओरसे लोगोंको यह उपदेश किया जाने लगा कि लगानकी रकम निश्चित करनेके लिए जो पचायत बनती है उसकी रचना बेसी नहीं है, जैसी होनी चाहिए, इस लिए इस पचायतसे काश्तकार लोग अपना फैसला न करायें । एक बार फिर पार्नेल पर मुकदमा चला, और इस बार अधिकारियोंकी उसे जेल भेजनेकी कामना पूरी हुई । इधर पार्नेलने घोषणापत्र निकालकर लोगोंसे कह दिया कि तुम जमींदारोंको लगान मत दो, लेकिन इस घोषणाको बेकायदे बतलाकर अधिकारियोंने रोक दिया । सन् १८८१ में खेतिहरोंके दगे बढ़ गये और एक ही वर्षमें प्राय पाँच हजार अपराध अधिक हुए । जमींदारोंके गोरू मारे जाने लगे, लेण्टली-

गर्की हजारों शाखायें होगई और स्त्रियाँ तथा बच्चे भी लैण्डलीगके उप-  
 देशकका काम करने लगे। इस प्रकार जब यह निश्चय हो गया कि  
 केवल दमननीतिसे ही कोई काम नहीं हो सकता, तब ग्लैडस्टन साहब-  
 को एक नई ही नीतिका अवलंबन करना पडा। उन्होंने किलमाइन-  
 हमके जेलसे पार्नेल, डिलन आदिको छोड दिया और नया कायदा  
 बनाकर काश्तकारोंको लगानकी वह रकम माफ़ कर दी जो वसूल न  
 होनेके कारण बाकी पड गई थी। इतना होने पर पार्नेलने लैण्डलीगके  
 छोडकर नेशनल लीग नामकी एक नई सस्था स्थापित की। इस लीगने  
 न्याय आदिका काम अपने हाथमें लिया और उन काश्तकारोंको सामा-  
 जिक दण्ड देनेका कार्य आरम्भ किया, जो लोकमतके विरुद्ध व्यवहार  
 करते थे। उधर मन्निमडल भी सेतिहरोकी दशा सुधारनेके लिए थोडा  
 बहुत काम कर रहा था, अत उनके लिए सस्ते भाडेके झोंपडे बनवा देने  
 और उन्हें काम बंधा दिलानेमें सहायता देनेके लिये प्रयत्न हुए। 'एशबर्न  
 एक्ट' नामका एक कानून पास हुआ, जिसके अनुसार यह निश्चय हुआ  
 कि काश्तकारोंको जमीन पर स्वामित्वका अधिकार दिलानेके लिए प-  
 चास लाख पाउण्ड अलग निकाल दिये जायें। लेकिन इस कानूनका  
 जितना उपयोग होना चाहिए था उतना उपयोग नहीं हुआ। इसके  
 उपरात सन् १८९१ में एशबर्न एक्टमें कुछ सुधार करनेके लिए वाल-  
 फोरेने एक बिल उपास्थित किया। इस बिलका उद्देश्य यह था कि  
 जमींदारोंके हाथसे जमीन निकालकर काश्तकारोंको उसे सरीद कर  
 खुद मालिक बननेमें सहायता देनेके लिए तीन करोड रुपयोंका एक  
 फ्रण्ट हो, इस प्रकार यह कार्य आरम्भ होने पर आगे चलकर काश्त-  
 कार जमीनके मालिक हो जायेंगे तब यह कर्ज लौटा देंगे, जिससे दूसरे  
 काश्तकारोंको भी धनकी सहायता दी जा सकेगी। इस प्रकार धीरे धीरे  
 सारे काश्तकार अपनी अपनी जमीनके मालिक हो जायेंगे। जमींदारोंको

स्वामित्वका अधिकार छोड़नेके बदलेमें जो रकम दी जानेकी थी वह भी मुनासिब तौरसे पहले ही निश्चित कर दी गई थी । इस कानूनसे बड़ा काम निकला । यदि यह कहा जाय कि इस कानूनके कारण जमींदारोंको धन लेकर जबरदस्ती अपनी जमीन देनी पटती थी, तो कुछ अनुचित न होगा । तथापि जमींदारोंके पास बहुत अधिक जमीन थी, इस लिए यह नहीं कहा जा सकता कि इससे जमींदारोंकी हानि हुई । इस कानूनको जारी करनेके अतिरिक्त काश्तकारोंके सुभीतेकी और भी बहुत सी बातें बालफोरने कीं । रेलवेसवधी छोटे मोटे कायदे बनाकर पश्चिम आयर्लैण्डके लोगोंके लिए काम बंधे निकाल दिये और इस पिछड़े हुए प्रदेशके खेतिहरोंका पूर्व तथा उत्तरके प्रदेशके खेतिहरोंसे सब बढ जानेके कारण उनकी स्थिति बहुत कुछ सुधर गई । इसके उपगत सन् १८९६ में जमीनके सबधमें फिर एक कानून बनाया गया । पहलेके कानूनोंमें काश्तकारोंकी जो शिकायत बच रही थी वे इस नये कानूनसे दूर हो गईं । सन् १८९९ में कृषि तथा औद्योगिक शिक्षाके लिए एक नया विभाग और बोर्ड बनाया गया । इस विभागके सभापतिकी हैसियतसे सर होरेस प्लेकटने स्वावलंबनपूर्वक खेतीका सुधार करने, शिक्षा देने, अच्छे अच्छे गोरू तैयार करने, दूध दहीके कारखाने खोलने तथा इसी प्रकारके अन्य उपयोगी काम करनेका उपक्रम किया । बस्ती बहुत बढ जानेके कारण जिस भागके खेतिहर बहुत दरिद्र हो गये थे उस भागसे लोगोंकी बस्ती कम करके खेतिहर लोग दूसरे भागमें भेज दिये गये, और वहाँ उनके लिए सब प्रकारका प्रयत्न और सुभीता कर दिया गया । लेकिन खेतिहरोंको जमीनका मालिक बनानेका जो मुख्य काम था वह उतनी अच्छी तरहसे नहीं हुआ और उसके लिए धनकी कमी होने लगी । सन् १९०३ में जब बालफोर प्रधान मंत्री थे और विटम आयर्लैण्डके स्टेट सेक्रेटरी थे तब फिर एक कानून बना और इस कामके



न आ गये हों, तथापि कैथोलिक और प्रोटेस्टेण्ट दोनों पथोंके बहुतसे लोगोंके मनमें पार्लिमेण्ट नष्ट होनेके दिनसे फिरसे उसकी प्राण-प्रतिष्ठा करनेकी जो उत्कट इच्छा उत्पन्न हुई वह बराबर बनी रही है। आयरिश लोग, चाहे वे कैथोलिक हों या प्रोटेस्टेण्ट हों, स्वतंत्र आयरिश पार्लिमेण्टको ही आयरिश राष्ट्रीयताका मुख्य चिह्न समझते हैं, और आयरिश राष्ट्रीयताकी उनकी कल्पना दिन पर दिन प्रबल होनेके कारण उनके साथ ही साथ स्वतंत्र पार्लिमेण्ट प्राप्त करनेकी कल्पना भी बलवती होती गई है।

सन् १८०० के उपरांत तीन वर्ष विद्रोह और दमनकी धूममें ही बीत गये। उसके उपरांत कैथोलिक लोगोंकी स्वतंत्रता और तदनन्तर टाँटिथे करका प्रश्न उपस्थित हुआ और इस प्रकार पार्लिमेण्टकी स्वतंत्रताका प्रश्न पीछे पड़ा रह गया। लेकिन डेनियल ओकानेल्ने जब यह समझा कि जिस तरह उक्त दोनों बातोंके आन्दोलनमें हमें सफलता हुई है उसी तरह इस तीसरी बातमें भी हमें सफलता होगी, तब उसने इस आन्दोलनको हाथमें लिया, जिसे लोग थोड़ा बहुत भूल गये थे। उसके इस नये आन्दोलनका वास्तविक आरम्भ सन् १८४० में हुआ। इसे अंगरेजीमें 'रिपीलका आन्दोलन' कहते हैं। इसमें सदेह नहीं कि इस आन्दोलनमें उस समयके आयरलैंडके सर्वश्रेष्ठ और सुप्रसिद्ध नेता तथा वक्ता सम्मिलित थे। लेकिन यह बात नहीं है कि किसी सार्वजनिक हितके प्रश्नको चाहे उसका महत्त्व सदा समान ही क्यों न रहता हो, सदा लोकमतकी समान अनुकूलता ही मिलती हो। प्रत्येक आन्दोलनके लिए उपयुक्त समयकी आवश्यकता होती है। इसका अर्थ यह है कि उसके सफल होनेके लिए जिन अनेक साहचर्य आवश्यक होता है, उन

वह आन्दोलन कितने ही महत्त्वका क्यों न हो, उसके लिए लोगोंमें भी उतनी खलबली नहीं होती । इस नये आन्दोलनके सम्बन्धमें भी पहले पहल यही बात हुई । उसके लिए ओकानेलने प्रयत्न अवश्य किया, लेकिन एक तो उस समय उसके सम्बन्धमें लोगोंका मत कुछ बदल गया था । पहले सन् १८३२ में वार्मिक स्वतंत्रताके सपथमें सफलता होनेके उपरांत उसने पार्लमेण्टका प्रश्न हाथमें लिया था । उस वर्ष विलायतकी पार्लमेण्टके चुनावमें आयलैण्डसे जो सभासद चुने गये थे उनमेंसे कमसे कम आधे सभासद स्वतंत्र पार्लमेण्टके पक्षपाती थे । लेकिन इस शुभ आरम्भसे ओकानेलको जितना लाभ उठाना चाहिए था उतना लाभ न उठाकर उसने इस आन्दोलनको ठण्ढा हो जाने दिया, और इसी लिए लोग उससे कुछ नाराज हो गये थे । इसके उपरांत शीघ्र ही ओकानेलके लड़के और दामादने सरकारी उच्च पद तथा वेतनकी नौकरियाँ कर लीं, और स्वतंत्र पार्लमेण्टके पक्षमें रहनेके वास्ते कुछ आयरिश सभासदोंने भी उसी मार्गका अवलम्बन किया । इसीसे लोग ओकानेल तथा उसके अनुयायियोंसे बुरा मानने लग गये थे । बहुतसे लोग तो यह कहने लग गये थे कि इंग्लैण्डके व्हिग अर्थात् लिबरल पक्षके लोगोंके साथ ओकानेल उचितसे अधिक स्नेह और सद्व्यवहार रसता है । सन् १८३२ के लगभग उसने 'आयरिश मित्रमंडल' नामकी एक संस्था स्थापित की थी । शीघ्र ही उसके टूट जाने पर उसने फिर 'प्रास्ताविक' नामकी एक मंडली स्थापित की । उसका उद्देश्य यह था कि यदि आयलैण्डके लोगोंके साथ न्याय न हो, अर्थात् यदि उन्हें इंग्लैण्डके लोगोंके समान अधिकार न मिलें तो अवतकके आन्दोलनको केवल प्रस्तावना समझकर उस समयतक बराबर आन्दोलन जारी रखना जाय, जबतक स्वतंत्रता न मिले । लेकिन लोगोंको इस प्रकारकी शर्त लगाकर कुछ मागना पसंद न था । इससे लोग कहने लगे कि ओका-

तरह जम गई थी और वे समझने लगे थे कि सन् १८०० में जो असम्मत योग हुआ है उसे रद्द करके पहलेकी तरह स्वतंत्र पार्लमेण्ट प्राप्त करनी चाहिए।

ओकानेलने नये आन्दोलनको सफल करनेका सारा आधार इन्हीं बातों पर रखवा था और समझ लिया था कि हमने सत्पक्ष ही स्वीकृत किया है और न्याय हमारे पक्षमें है। पहले पहल इस नये आन्दोलनवाली सभामें अधिक लोक नहीं आते थे और उसका चढ़ा भी कठिनता से ही मिलता था। लेकिन वह बराबर 'कार्न एक्सचेंज' नामक लोकप्रिय सस्थाके हालमें इस नये आन्दोलनवाली सभाका प्रति सप्ताह अधिवेशन करता रहता था और चढ़ेकी रकम जमा करता जाता था। दस वर्ष पहलेके चुनावमें स्वतंत्र पार्लमेण्टके पक्षपाती जो चालीस आदमी चुने गये थे, नये चुनावमें उनके स्थान पर केवल बारह आदमी ही रह गये थे, उधर टवलिनके चुनावमें स्वयं ओकानेलकी हार हुई थी और वह दूसरी ओरसे चुना गया था, तथापि इन बातोंसे वह निराश नहीं हुआ। इस प्रकार उसने जो दृढ़ विश्वास दिसलाया था उसका फल उसे शीघ्र ही मिला। 'तरुण आयरलैण्ड' नामक सस्थाके डेविस, डिलन, डफी आदि, कुछ प्रोटेस्टेण्ट नेता, स्मिथ ओब्रायन सर्रास्त्रे प्रभावशाली लोग तथा बहुतसे उत्साही युवक वकिल और बैरिस्टर आदि इस बृद्ध राजनीतिज्ञको मिल गये। सन् १८४३ में इस आन्दोलनके सबधमें सारे आयरलैण्डमें सभायें होने लगीं और स्वयंसबकोंके द्वारा इस आन्दोलनके लिए प्रति सप्ताह प्राय तीन सौ पाउण्ड चन्द्रा जमा होने लगा। उस वर्षके फरवरी मासमें टवलिनकी म्युनिसिपैलिटीकी सभामें ओकानेलने यह प्रश्न वादविवादके लिए उपस्थित किया। उसपर वादविवाद हुआ और अन्तमें यह विश्वास हुआ कि आयरलैण्डके लिए स्वतंत्र पार्लमेण्ट चाहिए। आयरिश राष्ट्रकी राजधानीमें स्थानिक

स्वराज्यकी सस्थाके इस प्रकारका निश्चय करनेके कारण आय-रिश लोकमतकी ध्वजा नियमानुकूल रीतिसे और स्पष्ट रूपसे फहराने लगी। इस सत्रधमे अभी तक जिन लोगोंका मत पूर्ण और दृढ नहीं हुआ था अब वे भी इस झण्डेके नीचे आकर खड़े हो गये। सार्वजनिक सभाओंमें हजारों और कभी कभी लाखों आदमी एकत्र होते थे। सभामें आनेवाले लोग तथा स्वयंसेवक सदा एक प्रकारके सैनिक ठाठ और दृग्से ही रहते थे। ऐसी सभाओंमें तरुण वक्ता प्राय इसी विषयका वक्तव्यपूर्ण विवेचन क्रिया करते थे कि आयलैण्डके लिए स्वतंत्र पार्लमेण्ट चाहिए। ऐसे अवसरों पर आयलैण्डके प्राचीन वैभव और वर्तमान दुःसका उद्देश होता था, जिससे लोगोंकी राष्ट्रियताकी कल्पना बहुत ही दृढ और उन्नत होती थी और लोग स्वदेश-भक्तिमें तल्लीन हो जाते थे। उस समय भी ओकानेलका वस्तुत्व पहलेके ही समान था। वृद्धावस्थासे उसकी ओजस्विता, आवेश तथा तेजीमें और सहायता ही मिलती थी, जब वह बोलने के लिए सड़ा होता था तब उसका भाषण सुनकर लोग यही समझते थे कि पहले कैथोलिक लोगोंको स्वतंत्रता दिलाकर जिसने लोगोंसे 'उद्धारकर्त्ता' की पदवी प्राप्त की है, वह हम लोगोंको स्वतंत्र पार्लमेण्ट भी अग्रह ही दिला देगा। प्रस्तुत विषय पर भाषण करते हुए वह नियमानुमोदित पद्धति पर ही बार बार जोर देता था। वह प्राय अपने भाषणमें यही कहा करता था। कि "हमलोग कानून के मुताबिक काम करनेवाले हैं, हमारा आन्दोलन और प्रार्थना दोनों ही न्यायानुमोदित हैं, हमारी सभाओंमें चाहे लाखों आदमी आवें, पर तो भी वे सब कानूनके मुताबिक काम करनेका इगदा रखते हैं। जो लोग कायदेसे आन्दोलन करते हैं उनके लिए अधिकारियोंसे डरनेका कोई कारण नहीं है, लेकिन इतना होने पर भी यदि अधिकारी लोग

अविचारपूर्वक आन्दोलनमें बाधा डालेंगे और स्वयं नियमविरुद्ध व्यवहार करके लोगोंको आत्मरक्षाके लिए नियमविरुद्ध व्यवहार करनेको विवश करेंगे तो फिर लोगोंके उन व्यवहारोंका उत्तरदायित्व लोगों पर न रह जायगा । ”

इस आन्दोलनको इस प्रकार बढ़ते हुए देखकर अधिकारियोंको भय होने लगा । पार्लिमेण्टमें प्रश्नोत्तर आरम्भ हुए । मंत्रियोंसे प्रश्न होने लगे कि इस घातक आन्दोलनको आप लोग कब तक चलने देंगे ? मन्त्रि-मण्डल उन्हें इसी प्रकारके उत्तर देने लगा कि “ ओकानेल और उसके अनुयायियोंकी मांग पुराने कानूनके विरुद्ध होनेके कारण कभी मान्य नहीं हो सकती, और यदि ये मनचले लोग मर्यादाका उल्लंघन करेंगे तो अपने हाथके समस्त अधिकारोंका उपयोग करके और यदि आवश्यकता हुई तो नये अधिकार भी प्राप्त करके उनके साथ पूरा पूरा कानूनी वरताव किया जायगा । ” और तीसरे लोग यह देखनेके लिए उत्सुक हुए कि हाथावाँही पहले किस ओरसे होती है । पार्लिमेण्टमें वादविवाद आरम्भ होनेके समयसे आन्दोलनमें एक प्रकारका नया तेज आ गया और देशके प्रत्येक बड़े नगर और इतिहासप्रसिद्ध स्थानमें लाखों आदमियोंकी सार्वजनिक सभायें होने लगीं । इस प्रकारकी सभा मानों एक धार्मिक मेला ही होती थी । सभाके दिन चारो ओरसे दिन भर झुडके झुड लोग आते थे । सभास्थलके आसपास इतनी दूकानें आकर लग जाती थीं, जितनी किसी बड़े शहरके लिए काफी हो सकती थीं, और इतने वैण्डबाजे आदि आ पहुँचते थे जितने एक पूरी सेनाके लिए यथेष्ट हो सकते थे । श्रोताओंकी संख्या बहुत अधिक होनेके कारण एक ही भाषण ऐसा नहीं हो सकता था जिसे सब लोग सुन सकें, इस लिए एक ही सभामें दस पाँच सभायें होती थीं और निश्चित प्रस्ताव स्वीकृत होते थे । लाखों आदमियोंकी तालियोंकी

गडगडाहट और बाजोंकी ध्वनिके योगसे इस प्रचंड सभाकी सम्मति जगद्विख्यात होती थी। कभी कभी सभाके कामों पर अपनी प्रसन्नता दिखलानेके लिए मीलों तकके गाँवोंके लोग टेकरियों पर आग जुलगाते थे !

इस अधिकारियोंने भी अपना प्रवच आरम्भ कर दिया था। टारा और मैलो आदि स्थानोंमें ऐसी सभाओंके हो चुकनेके उपरान्त ओकानेलने यह विज्ञप्ति की कि क्लानटार्फमें इसी प्रकारकी सभा रविवार तागिरस ५ अक्टूबर सन् १८४३ को होगी। आजतक अधिकारियोंने जो तटस्थता स्वीकृत की थी उसे उन्होंने छोड़ दिया और गुले आम ऐसी सभाओंके रोकनेकी नीतिका अपलवन करना निश्चय करके क्लानटार्फकी सभा रोकनेकी सूचना ठीक समय पर अर्थात् शनिवारकी संध्या को दी। शुक्रवारकी संध्याको ही एक समाचारपत्रने यह प्रकाशित कर दिया कि क्लान सभाको रोकनेकी नोटिस दी जायगी, इस लिए चौबीस घण्टेक बराबर सब लोग उसी सार्वजनिक सभाकी चर्चा करते रहे और यही देखने लगे कि नोटिस पाकर ओकानेल क्या करता है। यद्यपि ओकानेलके व्याख्यानोंमें आत्मसंरक्षण और नियमानुमोदन आदि शब्द खूब भरे रहते थे तथापि लोग यह नहीं समझ सकते थे, कि मौका आने पर वह लाखों आदमियोंकी मदद करते हुए बिना दोहाथ लड़े पीछे हटा जायगा। ठीक समय पर यह सूचना निकालकर अधिकारियोंने लोकपक्षको अपना बल और तेज दिखलानेका स्पष्ट प्रयत्न किया था, इस लिए ओकानेलके बहुतसे अनुयायियोंने यह सम्मति दी कि इसका जवाब देना बहुत जरूरी है और यदि ऐसे समय पर पीछे हटा जायगा तो राष्ट्रकी बहुत हँसी होगी। लेकिन ओकानेलने कहा कि इस सूचनाको मानकर यदि हम लोग सभा बंद रखेंगे तो अधिकारियोंके नियमोलंघन और लोगोंके नियमपालनका अंतर समस्त संसार देख लेगा और देशके बाहर भी

लोकमतके अनुकूल आन्दोलन होगा। इस आशयका एक विज्ञापन उपाकर रातोंरात क्लानटार्फके आसपास दस बील् मीलतक जगह जगह लगवा दिया गया कि कलकी सभा वद कर दी गई है, लोग एकत्र न हों और लौट जायें। दूसरे दिन इन विज्ञापनोंको देखकर हजारों आदमी घबरा गये। अनेक लोग जहाँके तहाँ धकसे रह गये। बहुतसे लोग अधिक निश्चयसे सभास्थलतक गये लेकिन जब उन्होंने देखा कि सभाके सचालकही वहाँ नहीं है तब वे निराश होकर लौट आये। इस अवसर पर ओकानेल लाखों आदमियोंकी नजरोंसे जो एकदम गिरा और उसकी जो लोकप्रियता कम हुई, वह सब कुछ करने पर भी फिर कभी पूर्व-स्थिति पर नहीं आई।

ओकानेलने सभा वद कर दी थी और सरकारी सूचनाका पालन किया था, अधिकारियोंका इस बातसे सतोप होना चाहिए था, पर वह बात नहीं हुई। उन्होंने इस सभाको वद करनेके लिए बहुत बड़ी फौजी तैयारी की थी। सभास्थलके आसपास पलटनें सड़ी की गई थीं और पास ही एक ऐसी अच्छी जगह तोपों और गोलेब्रासुदका भी इन्तजाम था जहाँसे अच्छी तरह उनका उपयोग हो सकता था। यदि ओकानेलने स्वयं ही वह सभा न वद कर दी होती तो सभास्थलमें रक्तपात हुए बिना न रहता। ओकानेल चाहे जिस कारणसे पीछे हटा हो, अधिकारियोंने यही कहा कि “वह खाली बडबड करनेवाला है, इस सभाका उसने बिना कारण ही प्रपच रचा था। सभामें वह जो दृढता दिखलाता था उसका कोई अर्थ नहीं था। व्यर्थ लोगोंको धोखा देकर सरकारके साथ उसने जो उदण्डतापूर्ण व्यवहार किया है उसके लिए उसको और उसके साथियोंको न्यायालयमें घसीट कर जहाँ एक बार सजा दी गई तहाँ वह फिर कभी ऐसे फेरमे न पड़ेगा, और इस तरह उसे और दूसरोंको यह बात अच्छी तरह मालूम हो जायगी कि अधिकारियोंके विरुद्ध बडबड करना कितना निष्फल और घातक है।”

ज्ञानटार्फकी सभा बंद होनेके दूसरे दिन ओकानेलने 'कॉर्न एम्स-चेंज' में अपनी साप्ताहिक सभा की। इस सभामें हजारों आदमी आये थे। वहाँ उसने लोगोंको यह बतलाया कि मैंने सभा क्यों बंद की। उसने कहा—“सरकारने जो सूचना दी थी वह बेकायदा थी, लेकिन वह सूचना देनेका विचार कायदेके मुताबिक था। वास्तवमें चाहे कानूनके विरुद्ध ही क्यों न हो लेकिन कानूनके नाम पर और कानूनी कार्रवाईका ढोंग रच कर नोटिस जारी करना दूसरी बात है, और पहलेसे नोटिस न देकर सभामें एकदमसे सिपाही भेज कर उसे भंग कर देना दूसरी बात है। यदि सरकारने यही बात की होती तो हेतु और वस्तुस्वरूप दोनोंके अनुसार उसका यह कृत्य बेकायदे होता, और तब आत्मसंरक्षणके लिए कानूनको हाथमें लेकर अपनी शक्तिका उपयोग करना लोगोंके लिए ठीक होता।” लेकिन उसकी इन बातोंसे लोगोंका विशेष समाधान नहीं हुआ। उधर मुकदमा चलानेकी बड़ी भारी तैयारी हुई और १४ अक्टूबरको ओकानेल, उसका लडका जॉन, उसके तीनों मददगार, 'फ्री मेन' का सपादक जॉन ग्रे, नेशनका सम्पादक गोवन डफी, दोनों कैथोलिक वर्मोंपदेशक टिरेल और टिअरने आदि लोग पकड़े गये और जमानत पर छूटे। १५ जनवरी सन् १८४४ को मुकदमा शुरू हुआ। ज्यूरियोंके चुनावमें अधिकारियोंने कपटसे बहुत कुछ चालें चलकर और गडबड मचाकर ऐसा प्रयत्न किया कि जिसमें केवल प्रोटेस्टेंट ज्युरी ही चुने जायें, और इस प्रयत्नमें उन्हें सफलता भी हुई। सभी अभियुक्तों पर यह अभियोग था कि उन्होंने सरकारको डरानेके उद्देश्यसे सभा करनेकी सलाह की थी, और साथ ही इसी तरहके और भी दसवीस अभियोग लगाये गये थे। उनका उद्देश्य केवल यही था कि किसी न किसी अभियोगमें उन्हें दण्ड मिले। ओकानेलने न्यायालयमें अपना निर्दोष होना आप ही प्रमाणित किया था। लेकिन



गलौजकी झडी लगा दी। इधर 'सम्मत् सयोग' आन्दोलनके नेताओं और ओकानेलमें मेल होनेकी कोई सम्भावना नहीं दिखाई देती थी, क्योंकि ओकानेल पर उनका विश्वास नहीं होता था। शार्मन क्रॉफर्ड आदि कहने लगे कि वह अपना ध्येय स्पष्ट नहीं बतलाता, सिर्फ गडबड करता है, इस लिए उसे सम्मत-सयोग पक्षमें बिना लिये ही आन्दोलन किया जाय तो अच्छा है। लोगोंके सामने क्रॉफर्ड अपने ढग पर राष्ट्रीयताकी कल्पना उपस्थित करता था, और उसे नित्य नये अनुयायी मिलने लग गये थे। उस समय वह इसी विचारसे ओकानेलसे दूर रहना चाहता था कि यदि मैं ओकानेलको अपनी सभामें मिला लूँगा तो मुझे और जो अनुयायी मिलनेवाले होंगे वे न मिलेगे। क्रॉफर्डकी यह प्रवृत्ति देखकर ओकानेल सिर्फ उसी पर नहीं बल्कि 'सम्मत्-सयोग' के ध्येय पर भी बहुत आक्षेप करने लगा, जिससे दोनोंमें मेल होनेकी आशा नहीं रह गई। ओकानेलके पीछे हटनेके कारण 'रिपील' की कल्पना तो कम नहीं हुई, पर उसका आन्दोलन घट गया। ओकानेलसे यद्यपि लोग बहुत ही अप्रसन्न थे तथापि उसके चले जाने पर उसके स्थानकी पूर्तिकरनेवाला और कोई आदमी नहीं था; और इसी लिए सब लोग केवल एक ही विषय 'रिपील' की चर्चा अवश्य करते थे, पर राष्ट्रकी कृतिमानमें स्पष्ट रूपसे शिथिलता दिखाई पहने लग गई थी।

उसी समयके लगभग राष्ट्र पर और भी कई सक्टे आये। राजकीय पक्षके नेताओंकी तरह अन्य व्यक्तियोंमें भी व्यक्तिगत फूट हो गई थी। ओकानेलका लडका जॉन अपने पिताके साथ रहकर राजकीय आन्दोलनमें उसे सहायता दिया करता था। लेकिन वह स्वयं मदबुद्धि-था और नये पक्षके लोगोंके साथ ईर्ष्या रखता था। वह डफी डेविस तथा अन्य सुबकोंकी प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपसे निन्दा करने लगा। वे लोग घर्मान्व

है, वे ओकानेलकी जगह छीन कर उसे पदन्युत करनेकी चिन्तामें हैं; वे आयरलैण्डमें फ्रासके अनियंत्रित तत्त्वोंका प्रसार करना चाहते हैं; आदि आदि एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों वृथा अभियोग उन लोगों पर लगाये जाने लगे । ओकानेलके अनुयायियोंमें ऐसे-भरे लोगोंकी सुगीरकी भरती ही अधिक थी । अडबड बातें कहकर अपनी बुद्धिके अनुसार ओकानेलके मतका प्रसार करना ही उन लोगोंका काम था । लेकिन स्वयं उन लोगोंमें यह समझनेकी योग्यता नहीं थी कि ओकानेलकी कौनसी बात ग्राह्य और कौनसी अग्राह्य है, उसकी असली और सच्ची बातें कौनसी हैं और दुराग्रह तथा विकारवशताके कारण मनमें आनेवाली तरंगें कौनसी हैं । और न उनमें इतनी शक्ति ही थी कि उन बातोंके कहनेके साथ साथ वादविवाद करके किसीको दोनोंका भेद समझा सकें । वे खाली 'हाँजी' 'हाँजी' करना जानते थे । जो कुछ वह कहता था उसीको वे प्रमाण मानते थे, और जो उसके विरुद्ध चू भी करता था उसकी निन्दा करने लग जाते थे । ऐसे अनुयायियों पर जितना दबाव रखना चाहिए दुर्भाग्यवश ओकानेल उन पर उतना दबाव नहीं रख सका । उल्टे पार्लमेण्ट तथा समाचारपत्रोंसे सत्रव रखनेके कारण प्रतिष्ठा पाये हुए बहुत से नीच लोगोंको भी उसने अपना आश्रय दिया था । इन लोगोंने तथा ऊपर कहे हुए अनुयायियोंने 'नेशन' आदि पत्रोंकी सम्पादकमण्डलीकी अन्धी तरह निन्दा आगम की । राष्ट्रीय पक्षकी इस फूटका राष्ट्रीय कार्य पर बहुत बुरा परिणाम पड़ा ।

प्रायः उसी समय यह भी अफ़सोस उठी कि प्रधान मंत्री पील आयरिश लोगोंको कुछ प्रसन्न करके उनकी प्रीति सम्पादित करना चाहते हैं । सच्चे प्रेमी मनुष्यके मनमें क्रोधके उपरांत अनुराग उत्पन्न होना स्वाभाविक है, और यदि पीलके मनमें यह बात जाई हो कि आयरिश लोगोंकी पीठ पर कोड़े पर कोड़े पटनेके उपरांत अब उन्हें

जमींदारोंको लगान देकर अपने लडके वच्चोंको भूखों मारनेकी अपेक्षा उन्हें लगान न देना ही निश्चय करें, और यदि आवश्यकता हो तो उस निश्चयको कार्थरूपमें परिणत करनेके लिए अपने प्राण तक दे दें, क्यों कि इसीमें राष्ट्रका लाभ है।” उस पर मुकदमा चला और वह चौदह बरसके लिए कालेपानी भेज दिया गया। मिचेलको यह आशा थी कि जब मुझ पर मुकदमा चलेगा और मेरे जेल जानेकी वारी आवेगी तब लोग बलवा करेंगे, लेकिन उसकी यह आशा व्यर्थ हुई, लोग अपनी अपनी जगह चुपचाप दबके रहे। लोगोंने बहुत प्रतीक्षा की, लेकिन सुधार होनेका कोई चिह्न दिखाई न देता था। तब अतमें डिलन, डफी, ओब्रायन आदि ऐसे नेताओंने जिन्होंने इस सम्बन्धमें बहुत दिनों तक विचार किया था, अन्तमें विवश होकर विद्रोहका मार्ग स्वीकार किया। इस विद्रोहमें उनके सफल होनेकी कोई आशा नहीं थी, लेकिन केवल इसी विचारसे वे लोग विवश होकर विद्रोहमें प्रवृत्त हुए थे कि आज तक जितना आन्दोलन हुआ है उसे अतत्क पहुँचानेका और कोई मार्ग नहीं है और यदि इस समय हम लोग विद्रोहमें सम्मिलित न होंगे तो आज तकका हम लोगोंका बकना-झकना व्यर्थ हो जायगा। तदनुसार उन्होंने छोटे मोटे विद्रोह भी किये, पर सब लोग पकड़े गये और उन्हें काले पानीका दण्ड हुआ। सन् १८४८, १८५८ और १८६७ ये तीनों साल विद्रोहके ये और इस बीचका समय आयरलैण्डके लिए बहुत ही युग बीता। अकाल, काश्तकारों और जमींदारोंकी मारपीट, विद्रोह और पार्लमेण्टके स्वार्थी सभासदोंके फेरमें ‘राष्ट्र’ तो किसीको दिखाई ही न देता था। अंगरेज अधिकारियोंका काम साली कानूनकी पाबंदी करना ही रह गया था। इस बीस वर्षोंकी अवधिमें सन् १८६७ में विद्रोह तो मानो अपनी चरम सीमातक पहुँच गया।

पर यह बात भी देखने लायक है कि इतिहासमें भिन्न भिन्न बातोंका जोट किस तरह बैठता है। १८६७ के उपरांत तीन वर्षतक आयरलैण्डमें

किसी प्रकारका आन्दोलन नहीं हुआ । लेकिन सन् १८७० में एक दम-से आयर्लैण्डमें कुछ नई ही बातें आरम्भ हुईं । इस वर्षके मई महीनेमें टब्लिनके एक प्रतिष्ठित भोजनगृहमें आयरिश नेताओंकी एक सभा हुई । इस सभामें सब प्रकारके और विशेषतः कंसर्वेटिव मतके लोग आये थे । ग्लैडस्टन साहबने अभी हालमें ही प्रोटेस्टेण्ट धर्ममण्डल तोड़ा था, इस लिए कंसर्वेटिव और प्रोटेस्टेण्ट लोग ब्रिटिश पार्लियामेंटसे नाराज हो गये थे । आयरिश लोगोंके मुख-दुःख-सवधी कायदे-कानून बनानेके सब सूत्र अँगरेजोंके हाथमें चले गये और अब वे लोग जो नाच नचाते वही आयरिश लोगोंको नाचना पड़ता । यह बात कंसर्वेटिव लोगोंको भी बुरी जान पड़ने लगी । यद्यपि कैथोलिक लोगोंको ग्लैडस्टन साहबका यह धर्ममण्डल तोड़नेका कार्य्य अवश्य अच्छा लगा, परन्तु स्वतंत्र पार्लियामेंट प्राप्त करनेके लिए ओकानेल और उसके अनुयायियोंके बहुत दिनों तक आन्दोलन करनेके कारण आयर्लैण्डके स्वराज्यके सबन्धमें कैथोलिक लोगोंमें एक मत था, और चाहे इस प्रकारके भिन्न भिन्न कारणोंसे ही क्यों न हो परन्तु स्वतंत्र पार्लियामेंटके सबन्धमें कैथोलिक और प्रोटेस्टेण्ट लोगोंका मत इस समय एक हो गया था । उक्त सभामें कंसर्वेटिव मतके लोग ही अधिक आये थे । ओकानेलका प्रतिपक्षी आइजिक बट भी इस सभामें उपस्थित था । लेकिन समयका गुण भी बड़ा चमत्कारिक होता है । इस अनुसार पर बटके मनमें भी स्वतंत्र पार्लियामेंटके लिए स्फूर्ति उत्पन्न हुई और उसने सभाका नेतृत्व ग्रहण किया । उसकी सूचना पर इस सभामें 'होमरूल' माँगनेके सत्रधमें एक प्रस्ताव स्वीकृत किया । इस निश्चयमें यह कहा गया था कि—“सारे आयर्लैण्ड राष्ट्रके लिए जिन कानूनोंकी आवश्यकता हो उनके बनानेका अधिकार रखनेका अधिकार रखनेवाली एक स्वतंत्र पार्लियामेंट अर्थात् हाउस आफ कामन्स और हाउस आफ लार्ड्स

डेविट, शॉ आदि लोगोंकी सहायता मिली । सन् १८८० में पार्लमेण्टका नया चुनाव हुआ, उसमें आयरलैंडके सब पक्षोंने मिलकर लिबरल पक्षकी सहायता की, जिससे उस पक्षके नेता ग्लेडस्टन साहबके मनमोहनपनेलके सबधमें आदर उत्पन्न हुआ और उन्हें विश्वास हो गया कि वह काम करनेवाला और प्रभावशाली आदमी है । नई पार्लमेण्टमें लिबरल पक्ष चार ही वर्षतक अधिकारारूढ़ रहा । इस बीचमें जमीनके सम्बन्धमें आयरिश काश्तकारोकी क्षतिपूर्तिके सम्बन्धमें प्रश्न उठे, और आयरिश लोगोंके अनुकूल कुछ कानून भी बने, लेकिन होमरूलका बिल उपस्थित करनेमें और भी दो बरस लग गये ।

सन् १८८५ ई० में लार्ड करनारवन आयरलैंडका वाइसराय था । उस समय उसने आयरिश लोगोंसे मिलकर होमरूलके सम्बन्धमें उन्हें आधे तीहे वचन भी दिये थे । लेकिन जब तक ग्लेडस्टन साहब सर्रासे नेताने होमरूलके काममें हाथ नहीं लगाया तब तक होमरूलके आन्दोलनने विशेष स्वरूप धारण नहीं किया । अतको १८ अप्रैल सन् १८८६ के दिन आयरलैंडको स्वतंत्र पार्लमेण्ट देनेके सबधमें एक बिल पार्लमेण्टमें उपस्थित हुआ । इस बिलका नाम होमरूल बिल नहीं था, बल्कि 'आयरिश राजकार्यका बिल' था, तोभी इस बिलके सम्बन्धमें इलैण्डमें बहुत हो-हल्ला हुआ । कन्सर्वेटिव पक्षने विकारवज्ज इलैण्डके लोगोंको उत्तेजित करके ग्लेडस्टन साहबके विरुद्ध बहुत रौला मचाया, जैसा पुराने जमानेमें चार्ल्स राजाके राजत्वकालमें 'कैवेलियर' और 'राउण्ड हेड' नामके दो पक्षोंमें झगडा हुआ था, ठीक वैसा ही झगडा इस समय आयरिश होमरूलके अनुकूल और प्रतिकूल लोगोमें सडा हो गया । इतना ही हुआ कि प्रत्यक्ष लडाई नहीं हो गई । कोई फिर्सीका मुंह नहीं देखता था, एकके कृवमें दूसरा घुसने नहीं पाता था, घरोंमें प्रतिपक्षियोंके जो चित्र टँगे हुए थे, वे भी उतारकर फेंक दिये गये थे !

यहाँ तक नौबत पहुँच गई। ग्लेडस्टनके पक्षमें रह कर सदा उसकी सहायता करनेवाले ब्राइट, लार्ड हारटिगटन, चेम्बरलेन आदि राजनीतिज्ञ लोग मन्त्रीके पदसे इस्तीफा देकर घर बैठे। लेकिन प्रधान मन्त्री ग्लेडस्टन और आयर्लैण्डके स्टेट सेक्रेटरी जान मार्लेने अपना निश्चय नहीं छोड़ा। इस विलमें कहा गया था कि आयर्लैण्डको अलग पार्लमेण्ट मिले। उसमें ऐसी योजना की गई थी कि हाउस आफ लार्ड्समें २८ सभासद तो ऐसे हों जो आजन्म सभासद रहें और ७५ ऐसे हों जो उम्र वर्षके लिए चुने जायें और इनका चुनाव कुछ निश्चय आयवाले मत-दाता किया करें और हाउस आफ कामन्समें पाँच वर्षके लिए चुने हुए २०४ सभासद रहें। यह विल आयरिश होमरूल पक्षको मान्य था। लेकिन ७ जूनके दिन होमरूल विलके विरुद्ध ३० मत अधिक आये, जिससे ग्लेडस्टन साहबकी हार हुई और उन्होंने प्रधान मन्त्रीके पदसे इस्तीफा दे दिया। दूसरे महीने जब नया चुनाव हुआ तब उसमें अधिकांश ऐसे ही लोग चुने गये, जो होमरूलके विरुद्ध थे। लेकिन आगे चलकर सात बरसमें धीरे धीरे होमरूलके अनुकूल मत बढ़ने लगा। उस समय बालफोर स्टेट सेक्रेटरी थे, उन्होंने दमनकारक नियमोंका पालन बड़ी कड़ाईसे किया। उनकी इस कार्यवाहीसे आयरिश लोग तो चुप नहीं हुए, उल्टे उनके नेता पार्नेलने उन लिबरल लोगोंको भी होमरूलके अनुकूल कर लिया जो पहले उसके प्रतिकूल थे। सन् १८८८ में पार्नेल पर यह अभियोग लगाया गया कि—“वह सून-भराबी करनेके लिए उत्तेजन देनेवाले लोगोंमेंसे है, और सन् १८८२ ई० में फिनिक्सपार्कमें बर्क और कैवेडिस नामक अविकारियोंकी जो हत्या हुई थी वह उसीकी सम्मतिसे हुई थी।” कमीशनके द्वारा इस अभियोगकी जाँच हुई। जिन पत्रोंके आधार पर अभियोग लगाया था वे पत्र बनावटी, सिद्ध हुए और उनके लिखनेवालेने आत्महत्या कर डाली। कमीशनके

खड़ा किया जाता था। लेकिन जिस तरह मछलीका निगला हुआ मानिक लौटना कठिन होता है उसी तरह हाथसे गई हुई राजकीय स्वतंत्रताका वापस होना भी कठिन है। स्वतंत्रता देने और लेनेवाले दोनोंके लिए ही यह काम बहुत कठिन होता है। माँगनेवालोंकी तो खैर कोई बात ही नहीं है, परन्तु जिन्हें देना पड़ता है उन्हें न देनेके बहुतसे कारण या वहाने सूझने लगते हैं। साधारण लोग कहने लगते हैं कि जो होना था वह तो हो गया, अब आगे बतलाओ क्या कहते हो। लेकिन ग्लैडस्टन साहब सामान्य कोटिके मनुष्य नहीं थे, उन्हें यह भोले भावका युक्तिवाद पसंद नहीं था। अपनी युवावस्थासे ही आयरलैण्डका हाथ पकड़कर उस निराश्रित राष्ट्रके लिए उन्होंने जो लड़ना आरम्भ किया था वह उन्होंने अपने जीवनके अन्त तक जारी रक्खा। लेकिन केवल कालकी गतिसे ही होमरूलके प्रतिपक्षियोंमें इतना बल आ गया था, जिसका प्रतिकार ग्लैडस्टन साहब सरीखे नेता भी न कर सके थे। कालकी इसी गतिके कारण लोग कहने लगे थे कि “इस समय जो अवस्था है वही अच्छी है, उसे बनाये रखकर आयरलैण्डके साथ जो कुछ न्याय करना हो वह किया जाय।” उस समय होमरूलका प्रश्न वादग्रस्त था। यद्यपि उस समय कन्सर्वेटिव पक्षका जोर कम नहीं हुआ था तथापि ‘रेडिकल’ और ‘सोशियलिस्ट’ पक्ष जो आगे चलकर जोर पकड़नेवाले थे, आयरलैण्डको होमरूल देनेके पूर्ण अनुकूल थे। इससे कुछ ही दिन पहले अधिकारविभागके रूपमें एक बिल बिरेल साहबने पार्लमेण्टमें उपस्थित किया था। लेकिन आयरिश राष्ट्रीय पक्षको यह आशा हो गई थी कि जल्दी ही हमें प्रत्यक्ष होमरूल मिल जायगा, इस लिए होमरूलकी पूरी रोटीकी आशा पर उन्होंने अधिकारविभागकी आधी रोटी छोड़ दी। होमरूलकी यह सारी रोटी उन्हें कैसे और कहाँ तक मिली, यह बतलानेमे पहले हम संक्षेपमे यह बतला देना चाहते हैं कि

होमरूलके पक्षपातियोंका कथन क्या था और उसके विरोधी क्या कहते थे ।

निष्पक्ष लोग होमरूलके अनुकूल ये युक्तियाँ उपास्थित करते थे—  
 “सन् १८०० में आयरिश पार्लिमेण्ट तोड़कर ब्रिटिश पार्लिमेण्टमें मिलाना  
 मनो एक राष्ट्रका पैर दूसरे राष्ट्रके पैरमें बाँधना था । यदि यह पैर  
 खोलकर आयरलैण्डको पहलेकी तरह स्वतंत्र पार्लिमेण्ट न देना हो तो भी  
 कोई ऐसा मार्ग निकालना चाहिए जिससे दोनोंको सुरा हो । स्थानिक  
 पार्लिमेण्ट न होनेके कारण आयरिश लोगोंके केवल स्थानिक महत्त्वके  
 ध्यान भी ब्रिटिश पार्लिमेण्टमें उपास्थित करके ब्रिटिश सभासदोंका  
 समय व्यर्थ नष्ट करना पड़ता है । आयरिश और ब्रिटिश दोनों राष्ट्रोंकी  
 रीति-नीति, रुचि, पसन्द, सिद्धान्त और नियम आदि एक दूसरेसे विल-  
 कूल भिन्न हैं । इस लिए स्थानिक कार्योंमें ब्रिटिश सभासदोंसे क्यों  
 हस्तक्षेप कराया जाय ? और ऐसे पाँच सौ पराये सभासदोंके भ्रम या  
 दुराग्रहके कारण फुटकर बातोंमें आयरलैण्डकी हानि क्यों हो ? स्थानिक  
 अधिकारकी भी यदि अँगरेज ही देखभाल करेंगे तो फिर आयरिश लोग  
 अपना काम आप करना और सँभालना कब और कैसे सीखेंगे ?  
 और बहुत दिनों तक इन कामोंके दृमर्गके हाथोंमें रहनेमें आयरिश  
 लोगोंकी काम करनेकी शक्ति क्यों न नष्ट हो जायगी और वे निर्बल  
 क्यों न हो जायेंगे ? फुटकर और स्थानिक महत्त्वके काम आप ही  
 करने चाहिए, उस दशामें वे चाहे जैसे हों, अच्छे ही होते हैं । इंग्लै-  
 ण्डको उससे कुछ लाभ भी नहीं है । पार्लिमेण्टमें आयरिश हिताहितिक  
 विल उपास्थित होते ही व्यर्थका वितहावाद बढ़ जाता है, बहुतसा समय  
 नष्ट होता है और अँगरेजोंके हिताहितके विल पड़े रह जाते हैं । ब्रिटिश  
 राज्यके रक्षण, सेना, उसके व्यय आदिकी बातें दोनोंके हितकी है, इसलिये  
 उन बातोंका विचार दोनों मिलकर करें । लेकिन यदि अपनी म्युनि-



भिन्न दो राष्ट्रोंको यदि अलग अलग स्वतंत्र पार्लमेण्ट दे दी जायगी तो फिर उनमें स्नेह-भाव रहनेका कौनसा कारण रह जायगा ? उपनिवेश-वालोंको आयरिश लोगोंकी अपेक्षा स्वराज्यके जो अधिक अधिकार हैं उसका कारण यह है कि उनकी ओरसे ब्रिटिश पार्लमेण्टमें कोई सभासद नहीं रहता, पर आयरलैंडके तो सौसे अधिक प्रतिनिधि पार्लमेण्टमें रहते हैं, तब फिर वे शिकायत क्या करें ? सौ आइरिशियोंको पार्लमेण्टके सामने अपनी शिकायतें पेश करनेमें कभी कठिनाता नहीं होनी चाहिए । यदि यह भी मान लिया जाय कि उपनिवेशवाले स्वराज्यका दुरुपयोग करके स्वतंत्र हो गये तो भी—उसमें इंग्लैंडकी कोई प्रत्यक्ष हानि नहीं है । अठारहवीं शताब्दीमें अमेरिका स्वतंत्र हुआ तथापि उससे इंग्लैंडमें कोई कमी नहीं आई, परंतु होमरूलका दुरुपयोग करके यदि आयरलैंड स्वतंत्र हो गया तो इंग्लैंडको वैसा ही पश्चात्ताप करना पड़ेगा जैसा किसीको अपने दरवाजे पर ही अपने परम शत्रुका मकान बनवा देनेसे होता है । 'चेनेल आयरलैंड' और 'आइल आफ मैन' के छोटे टापुओंमें भी स्वतंत्र पार्लमेण्ट है । पर वे बेचारे जरासे टापू अपनी शक्तिका दुरुपयोग करके इंग्लैंडकी क्या हानि करेंगे ? लेकिन आयरलैंड इतना बड़ा है कि वह त्रासदायक हो सकता है । यह कहना बहुत ही सहज है कि होमरूल देनेके समय आयरलैंडके अधिकार निश्चित कर दिये जायँ, लेकिन इस कामको प्रत्यक्ष करनेमें बहुतसी अड़चन हैं । स्थानिक कार्य कौनसा है और साम्राज्य सबधी कौनसा है, इसकी सीमा स्वयं ग्लैडस्टन साहबसे भी अच्छी तरहसे निश्चित न हो सकी थी और उसके सबधमें आयरिश लोगोंमें भी मतभेद नहीं होता । इसके सिवा स्थानिक विषयोंमें भी तत्त्वके प्रश्नोंका निश्चित करना ब्रिटिश पार्लमेण्टके लिए ही आवश्यक है । कहनेमें तो यह बात बहुत ही ठीक जान पड़ती है कि आयरिश पार्लमेण्ट

अपने कर आप ही लगाते और खिराजकी रकम इंग्लैंडको दे दिया करे । पर यदि कर वसूल करके आयरिश पार्लमेंट खिराज न दे तो फिर लड़ाईकी ही नौबत आवेगी । वर्तमान स्थितिमें इंग्लैंडको आय-लैंडमें खिराज वसूल करनेमें कोई कठिनता नहीं होती । होमरूल पाकर आयरिश पार्लमेंट पहले पहल कदाचित् नम्रताका व्यवहार करे, पण्तु जब उसके पुरानी स्वतंत्रताके विचार उठेंगे तब क्या सन् १७८२ और १८०० की पुनरावृत्ति न होगी ? एक पार्लमेंटमें दो राष्ट्रोंके प्रतिनिधियोंका लड़ना और बात है और दो पार्लमेंटोंका परस्पर लड़ना और बात है । पहली तरहके झगड़ेका फैसला बहुमतसे हो सकता है, पर जब दो पार्लमेंटें लड़ने लगेंगी तब उनका झगडा निपटानेके लिए तीसरा कौन आवेगा ? और फिर अपने हाथका अफ्रिका छोड़कर इंग्लैंड अपनी चोटी दूसरेके हाथमें क्यों दे ? सन् १८०० से अर्थात् जबसे दोनों पार्लमेंटें एक हुई है, आयलैंडमें जो विद्रोह हुए उनके दमनमें अधिक कठिनता नहीं हुई । पण्तु उससे पहले विद्रोहियोंको पार्लमेंटके सभामदोंका भरोसा और सहारा था जिससे वे विद्रोह बहुत ही कष्टदायक हुए और उनका दमन करना कठिन हुआ । यदि आज होमरूल दे दिया जाय तो इसका जिम्मेदार कौन है कि आयरिश लोग उसके बाद ओर कुछ भी न माँगेंगे । एक चीज देकर दूसरीकी माँग अपने पीछे लगा लेनेमें कभी न कभी आयरिश लोगोंकी माँगका प्रतिरोध ही करना पड़ेगा, इससे पहले ही वह प्रतिरोध करना अच्छा है । आज आयरिश लोग अँगरेजोंसे लड़ते हैं, तो कल हाथमें सत्ता आनेपर आपसमें लड़ने लगेंगे और थोड़ेसे प्रोटेस्टेंटों पर बहुतसे कैथोलिक अत्याचार करने लगेंगे और देशमें भारी विग्रह खड़ा होगा । आयरिश लोगोंकी यदि स्वतंत्र पार्लमेंट भी हो तो उससे क्या होगा ? जैसा कि सन् १८९३ में ग्लैव्स्टन साहबने सोचा था, यदि आयलैंडको

रामराम करके १२ अप्रैल सन् १९१२ को मि० एस्किथने हाउस आफ कामन्समें ' आयरलैण्डके शासनमें सुधारके लिए ' बिल उपस्थित किया । उस दिन पार्लमेण्टमें इतनी भीड़ थी, जितनी पहले कई वर्षोंसे नहीं हुई थी । बिलका आशय था " आयरलैण्डमें एक आयरिश पार्लमेण्ट हो, जिसमें सम्राट् तथा दो हाउस हों । पहला हाउस सिनेट चालीस सभासदोंका हो और दूसरा हाउस आफ कामन्स एकसौ चौसठ सभासदोंका । पार्लमेण्टका अधिवेशन सालमें कमसे कम एक बार हुआ करे और सम्राट्की आज्ञा तथा अनुमतिसे लार्ड लेफ्टिनेण्ट उसके पास किये हुए बिलोंको स्वीकृत किया करें । आयरिश पार्लमेण्ट देशकी शांति तथा सुशासनके लिए कानून बनावे, पर राजसिंहासन या उसके उत्तराधिकार, युद्ध, जल तथा स्थल सेना, सन्धि, परराष्ट्रोंसे सम्बन्ध, सिक्के, नाप तौल, ट्रेडमार्क, कापीराइट, पेटेण्ट, सेविग्स बैक तथा कुछ विशिष्ट कानूनों आदिके सबधमें कोई कानून बनानेका उसे अधिकार न हो, और न धर्मसम्बन्धी किसी प्रकारका कानून बनानेका उसे अधिकार हो । शासनाधिकार पूर्ण रूपसे सम्राट्के ही हाथमें हो और उसकी ओरसे लार्ड लेफ्टिनेण्ट शासन करें । " कुछ विशिष्ट कानूनोंमें कुछ निश्चित समयके उपरांत आयरिश पार्लमेण्टको परिवर्तन आदि करनेका भी अधिकार दिया गया था । इसके अतिरिक्त अर्थ, शासन और न्याय आदि विभागोंमें भी आयरिश पार्लमेण्टको यथेष्ट अधिकार दिया गया था । इस आयरिश पार्लमेण्टका पहला अधिवेशन सन् १९१३ के सितंबर महीनेके पहले मंगलवारको होनेका था ।

हाउस आफ कामन्समें इस बिल पर बराबर चार दिनतक वादविवाद होता रहा । विवादमें राष्ट्रीय दलकी ओरसे मि० रेडमण्डने इस बिलका स्वागत किया और इसे बहुत ही उपयुक्त तथा महत्त्वपूर्ण बतलाया । यूनियनिस्ट दल तथा अलस्टरवालोंकी ओरसे सरकार तथा मि० एस्-

क्रिय पर सूत्र बौझरें हुई । बहुतसे दोष दिखलाये गये और वही बड़ी धमकियाँ दी गईं । पर सरकारकी ओरसे कहा गया कि, इस विलसे घबरानेकी कोई बात नहीं है, साम्राज्यके सभी भागोके लोग चाहते है कि जायलॅण्डको स्वराज्य दिया जाय । बहुत कुञ्ज कहा-सुनीके उपरात १६ अप्रैल सन् १९१२ को बहुतमतसे इसकी पहली आवृत्ति स्वीकृत हुई । उस दिन इसके पक्षमें ३६० तथा विपक्षमें २६६ सम्मतियाँ थीं । लिबरलोंमें एक मात्र सर कोरी ही ऐसे थे, जिन्होंने इस विलका विरोध किया था ।

३० अप्रैलको कामन्स सभामें मि० चाचिलने उक्त विलको दूसरी आवृत्तिके लिए उपस्थित करते हुए अलस्टरवालोंसे उसमें सम्मिलित होनेकी प्रार्थना की और कहा कि उनका इससे अलग रहना बहुत ही बुरा होगा, इस अपसर पर उन्हें नावको किनारे लगानेमें यथासाध्य सहायता देनी चाहिए । पर यूनियनिस्ट दलकी ओरसे कहा गया कि हम लोग अपने अलस्टरवाले मित्रोंको कोई ऐसी सम्मति नहीं देना चाहते, जिससे उनकी हानि हो अथवा कोई भारी झगडा सटा हो । यह भी कहा गया कि इस विलके पास होनेसे आयलॅण्डमें सिविल युद्ध हो जायगा । २ मईको मि० वाठफोरने भी इसका सूत्र विरोध किया और सर एडवर्ड ग्रेने अलस्टरवालोंको समझाने बुझानेका प्रयत्न किया । कई दिनतक वादविवाद होनेके उपरात ९ मईको दूसरी आवृत्ति भी हो गई । उस दिन इसके पक्षमें ३७२ और विपक्षमें २७१ मत थे । उस दिन हाउम आफ कामन्सने लौटते समय मि० एस्क्रिय और मि० रेडमण्डका लोगोंने बहुत आदरसत्कार किया था ।

पहले अलस्टरवाले इस विलको किसी तरह पास ही न होने देना चाहते थे, पर जब उन्होंने रगदगमे देखा कि अब इसके सबधमें लोक-

मत बढ़ता जाता है तब उन्होंने एक परिवर्तन या सुधार उपास्थित किया। १ जनवरी सन् १९१३ को सर एडवर्ड कारसनने इस विलमें यह सुधार कराना चाहा कि इसमेंसे अलस्टरको निकाल दिया जाय, क्योंकि इससे उस प्रान्तवालोंको कोई लाभ नहीं है। आपने यह भी कहा कि यदि अलस्टरवाले इस विलको स्वीकार न करके लडगये तो उस समय सरकारकी क्या दशा होगी ? पर मि० एस्क्रिथने कहा कि, अलस्टरको इससे अलग नहीं रखा जा सकता, अलस्टरवालोंको उचित है कि वे सुजनतापूर्वक इसमें योग दे। मि० रेडमण्डने कहा कि इस विलके पास होनेसे कभी युद्धकी नौबत नहीं आवेगी और प्रोटेस्टेण्ट लोगोंको विश्वास होना चाहिए कि उनकी स्वतंत्रता और अधिकारों पर आक्रमण नहीं होगा। पर मि० बोनरलाने कहा कि हमें विदेशियोका शासन मंजूर है, पर राष्ट्रीय दलका शासन मंजूर नहीं। अन्तमें बहुमतसे कारसनका सुधार अस्वीकृत हो गया।

१४ जनवरी सन् १९१३ को प्रकाशित हुआ कि आयरिश पार्लमेण्टके पहले अधिवेशनकी तिथि, होमरूल बिल पास हो जानेकी तिथिसे एक वर्षके अन्दर रमसी जायगी, और दूसरे दिन १५ जनवरीको वह बिल तीसरी आवृत्तिके लिए कामन्स सभाके समक्ष उपस्थित हुआ। उस दिन बड़ी भीड़ थी। मि० बालफोरने प्रस्ताव किया कि यह बिल अस्वीकृत हो। उस दिन बीमार होनेके कारण सर कारसन नहीं आये थे। उस दिन भी खूब वादविवाद हुआ। मि० एस्क्रिथने विरोधियोंको बहुत कुछ समझाया बुझाया और विरोध दूर करनेका प्रयत्न किया। बहुमतसे मि० बालफोरका अस्वीकृत-सवधी प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ और ३६७ पक्षके तथा २५७ विपक्षके मतोंसे उसकी तीसरी आवृत्ति भी हो गई। उस दिन राष्ट्रीय दल तथा अलस्टरवालोंमें इतना वैमनस्य हो गया था कि पुलिसको

झगडा रोकनेके लिए विशेष प्रयत्न करना पडा था । रातभर स्थान स्थान पर व्याख्यान होते रहे । यूनियनिस्ट लोग कहते थे कि जैसे होगा, वैसे इस बिलको पास होनेसे रोका जायगा और राष्ट्रीय दलके लोग उन्हें समझाने-बुझानेका प्रयत्न करते थे । मि० रेडमण्डने एक स्थान पर कहा था कि अलस्टरवालोंको हम अपना भाई समझते हैं और उनसे प्रार्थना करते है कि वे आकर हम लोगोंमें सम्मिलित हों । १६ जनवरीकी रातका लन्दनका दृश्य देखनेवालोंको कमी न भूलेगा ।

पहले दौरैमें हाउस आफ कामन्समें आयरिश होमरूल बिल पास होते ही तुरत हाउस आफ लार्ड्समें भेज दिया गया और वहाँ उसकी पहली और २७ जनवरीको दूसरी आवृत्ति हुई । ड्यूक आफ डेवन-शायरने उसकी अस्वीकृतिके लिए प्रस्ताव किया, पर अर्ल आफ टन-रेवनने बिलके पक्षमें सम्मति दी । चार दिन तक वादविवादके उपरात ३१ जनवरीको ३२६ पक्षके तथा ६९ विपक्षके मतोंसे दूसरी आवृत्तिमें हाउस आफ लार्ड्सने आयरिश होमरूल बिल अस्वीकृत कर दिया । बिलके विरोधियोंमें लार्ड कर्जन और लार्ड लंसडाउन भी थे । विवादके अन्तमें लार्ड मार्लिने कहा था कि, सरकारको आशा है कि अलस्टर वालोंका झगडा शांत हो जायगा और बिल मजेमें पास हो जायगा ।

७ मई १९१३ को हाउस आफ कामन्समें दूसरे दौरैकी पहली आवृत्ति, २३ जूनको दूसरी आवृत्ति और ७ जुलाईको तीसरी आवृत्ति हुई और तीनों आवृत्तियोंमें पास होनेके उपरात नियमानुसार वह फिर हाउस आफ लार्ड्समें भेजा गया, जहाँ उसपर फिरसे विचार हुआ । बहुत कुछ वादविवाद और विरोधके उपरात १५ जुलाईको ३०२ पक्षके और ६४ विपक्षके मतोंसे वह फिर अस्वीकृत होगया । हाउस आफ कामन्समें आयरिश होमरूल बिल तीसरी बार ९ मार्च १९१४ को

उपस्थित हुआ। उस दिन बिलके पहली बार उपस्थित होनेके दिनसे भी अधिक भीड़ थी, क्योंकि उस दिन मि० एस्कृिय अलस्टरके सबधमें कुछ विचार प्रकट करनेको थे। इसके संबधमें पहलेसे ही समाचारपत्रोंमें तरह तरहकी बातें निकल रही थीं। कामन्समें अपने अपने पक्षके नेताओंका सब लोगोंने खूब स्वागत किया था। उस दिन मि० एस्कृियने कहा था कि यद्यपि अलस्टरमें उपद्रव होनेकी सम्भावना है, तथापि बिलका न पास होना भी उतना ही भयकर है। उपयोगिताके विचारसे ही दोनों पक्षोंमें मेल करानेका प्रयत्न किया गया था। न तो इस समय अलस्टर इसमें सम्मिलित हो सकता है और न सदाके लिए वह अलग रह सकता है। इसलिए उसे कुछ समयतक अलग रखना उचित जान पड़ता है। सरकार चाहती है कि अभी छ' वर्षतक अलस्टर प्रातको आयरिश पार्लमेण्टके अधिकारसे बाहर रक्खा जाय। इतने दिनोंमें आयरिश पार्लमेण्टके कारवार और रंग डंगका पूरा पता लग जायगा। इस बीचमें यदि इंग्लैण्ड और स्काटलैण्डके मतदाता चाहें तो उसे और अधिक समयतक अलग रखनेकी सम्मति दे सकते हैं। अलस्टरके प्रतिनिधि इतने दिनोंतक बराबर पहलेकी तरह ब्रिटिश पार्लमेण्टमें रहेंगे। पर मि० बोनरलाने कहा कि हम सभी दशाओंमें उस बिलके विरोधी हैं। जबतक सरकार आयरलैण्डके सभी मतदाताओंकी सम्मति न ले ले तबतक उसे इस प्रकारका परिवर्तन करनेका कोई अविकार नहीं है। मि० रेडमण्डने कहा कि अब तो अलस्टरवालोंको सतुष्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि उनके साथ यथेष्ट रियायत की जा रही है। आशा है कि छ वर्षमें आयरिश पार्लमेण्ट प्रमाणित कर देगी कि उसके कारण अलस्टरवालोंकी किसी प्रकारकी हानि नहीं हो सकती और लोगोंका भय दूर हो जायगा। यदि इतने पर भी अलस्टरवाले न मानें तो सरकारका कर्त्तव्य है कि वह नियमानुसार उसे ज्योंका त्यों पास करके

कानून बना दे । सर एडवर्ड कारसनने कहा कि यदि सरकार समयका बंधन निकाल दे तो अलस्टर कनवेन्शन उस पर विचार कर सकती है । इन सब बातोंके उपरांत उसकी पहली आवृत्ति हो गई । अलस्टर-वाले उस समय बहुत बिगड़े हुए थे और यहाँ तक लड़नेके लिए तैयार थे कि लेडी लण्डनटरीने आवश्यकता पडने पर सहायता करनेके लिए १५० सार्जण्टोंका एक दल भी तैयार कर लिया था ।

जब यूनियनिस्टोंने देखा कि सरकार किसी प्रकार नहीं मानती और वह पूर्ण रूपसे आयर्लैंडको होमरूल देनेके ही पक्षमें है, तब उन्होंने एक नये बिलका मसौदा तैयार किया । वे चाहते थे कि सब प्रान्तोंको अपने अपने अधिकार अलग दे दिये जायें और उनके सब स्थापित हो जायें । पर सरकारकी ओरसे कहा गया था कि शासन-संबंधी सूक्ष्म बातों पर विचार करनेके लिए अभी बहुत समय है । ३१ मार्च १९१४ को जब कामन्समें होमरूल बिलकी तीसरे दौरैकी दूसरी आवृत्ति होने की थी उस समय मि० बाल्टर लागने उसे अस्वीकृत करनेका प्रस्ताव उपस्थित किया । पर वह प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुआ और दूसरी आवृत्ति भी हो गई ।

उस समय लार्ड्स सभा भी बिलमें कुछ सुधार करनेका विचार कर रही थी । साथ ही विरोधी भी शांत होने लगे थे और उनका विरोध कम हो चला था । लार्ड्स लोग जो सुधार या परिवर्तन करना चाहते थे, १४ जुलाई १९१४ को उसके मसौदे पर विचार हुआ । पर सरकारकी ओरसे अर्ल बोक्मपने उस सुधारका विरोध किया और कहा कि यदि सत्र लोग चाहें तो इसके निर्णयके लिए एक कान्फरेन्स की जा सकती है । तिसपर भी लार्ड्स सभामें वह परिवर्तन सर्वसम्मतिसे पाम हो ही गया ।

उस समय गुप्त रूपसे कुछ लोग आवश्यकता पडने पर लड़नेकी भी तैयारियाँ कर रहे थे । उन्होंने अनेक स्थानों पर गुप्त रूपसे हथियार-



लाकर छिपाये थे, जिसके कारण उपद्रवकी आशका बनी हुई थी। अनेक स्थानों पर छिपाये हुए हथियार पकड़े भी गये थे। १९ जुलाई-को आयरिश तट पर एक नाव पकड़ी गई थी जिसमें नेशनलिस्टोंकी ३००० बन्दूकें थीं। अलस्टरवालोंके लिए भी एक सिपाही बारेकमें बन्दूकें चुराता हुआ पकड़ा गया था। होमरूलके झगड़ेके कारण मन्त्रिमण्डलके चार मंत्री भी कुछ असतुष्ट हो गये थे और इस बातकी समावना थी कि वे मण्डलसे अलग हो जायेंगे। इतना होने पर भी लिबरल पक्ष अपने विचारों पर दृढतापूर्वक अड़ा हुआ था। उस समय अनेक बातोंका विचार करके सम्राट् पचम जार्जने अपने उस कर्त्तव्यका पालन किया, जो उन्हें एक नृपतिकी हैसियतसे करना चाहिए था। अर्थात् उन्होंने सब दलोंके प्रतिनिधियोंकी एक सभा करनेका विचार किया। २० जुलाई १९१४ को मि० एसक्विथने कामन्स सभामें कहा था कि सम्राटने सरकार, अलस्टर, नेशनलिस्ट तथा विरोधी (Apposition) सब पक्षोंके दो दो प्रतिनिधियोंकी एक कमेटी नियुक्त करके होमरूलके सम्बन्धमें निर्णय करनेके लिए उसे बकिंगहम पेलेसमें निमन्त्रित किया है, इस कमेटीके प्रधान पार्लमेण्टके प्रवक्ता (Speaker) होंगे। उसी दिन हाउस आफ कामन्समें मजदूर दलके कुछ लोगोंने अपनी एक स्वतन्त्र कमेटी करके निश्चय किया कि महाराज जार्जका पार्लमेण्टके कामोंमें यह हस्तक्षेप अनुचित है। पर लार्ड क्रूने हाउस आफ लार्ड्समें कह दिया कि इसे महाराजका अनुचित और अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं समझना चाहिए और न इससे पार्लमेण्टके अधिकारों पर कोई आक्रमण होगा। इस कमेटीकी योजनाका उद्देश्य यही है कि यदि सम्भव हो तो आपसमें समझौता हो जाय और बात बढ़ने न पावे। मजदूर दलकी उक्त टिका इस बातका स्पष्ट प्रमाण है कि स्वतन्त्र देशोंमें प्रजाके अधिकार कितने विस्तृत होते हैं और लोकमतका कर्त्तक आदर किया जाता है।

उस समय यूनिवर्सिटी दल समझता था कि इस कमेटीका कोई फल न होगा । साथ ही स्थिति आदि पर विचार करनेके लिए, पार्लमेण्टके गैर सरकारी लिबरल मेम्बरोंकी भी एक सभा हुई थी, जिसमें निश्चय हुआ था कि सरकार कोई ऐसी रियायत न करे, जो राष्ट्रीय दलको मजूर न हो । २१ जुलाईको सम्राट्द्वारा निमंत्रित प्रतिनिधियोंकी एक कान्फरेन्स हुई जिसमें मि० डिलन, बोनरला, कैप्टेन क्रेग, सर एडवर्ड कारसन, मि० रेडमण्ड, मारक्सिस आफ लैन्सडाउन, मि० एस्किथ, मि० लायड जार्ज सभासद तथा पार्लमेण्टके स्पीकर सभापति थे । पहले सम्राट्की सेवामें सब लोग उपस्थित हुए । सम्राट्ने उनसे कहा कि यद्यपि आप लोग इसी मेरी अनधिकार चर्चा कह सकते हैं तथापि एक कारणसे मुझे आप लोगोंको आपसमें विचार करनेके लिए निमंत्रित करना पड़ता है । मुझे अनेक विश्वसनीय और प्रामाणिक व्यक्तियोंसे पता लगा है, कि यह मौका बहुत नाजुक है । इस लिए आप लोग ऐसा प्रयत्न करें कि जिससे सब काम ठीक तरहसे हो जाय और रक्तपातकी नीयत न आवे । आध घंटे-तक बाकी लोगोंमें वादविवाद होता रहा, पर निर्णय कुछ भी नहीं हुआ । दूसरे दिन अनेक समाचारपत्रोंने सम्राट्के इस प्रयत्न और व्यवहारकी बहुत प्रशंसा की । उस दूसरे दिन डेढ़ घंटेतक, तीसरे दिन ढाई घंटे-तक और चौथे दिन प्रायः सवा घंटेतक उन लोगोंमें वादविवाद हुआ । पर फिर भी कुछ निश्चय नहीं हुआ । इस सभाकी कार्रवाई गुप्त ग्वस्ती गई थी । इसके उपरांत डेढ़ घंटेतक मन्त्रिमण्डलमें विचार होता रहा, पर तो भी कुछ निश्चय नहीं हुआ । अलस्टरके अलग किये जाने आदिके सन्धमें, मूल सिद्धान्तोंमें ही लोगोंका मतैक्य नहीं होता था, तब भला निर्णय किस प्रकार होता ? उधर सिविल युद्धके लिए लोग गुप्त रूपसे पूरी तैयारियाँ कर रहे थे । एक स्थान पर एक नावपरसे बाहरसे आई हुई १२०० बंदूकें नेशनलिस्ट वालंटियर्सने उतारी थीं, जो

यथास्थान पहुँचा दी गई थीं। उन लोगोंने पुलिसको जबरदस्ती दवा और रोक रक्खा था। वालेंटियरों और सैनिकोंमें मुठभेड भी हो गई थी जिसमें तीन आदमी मरे और चालीस घायल हुए थे। पीछेसे जब यह सेना लौटकर डब्लिन पहुँची तब लोगोंने उस पर पत्थर भी फेंके थे। होमरूल विलके सुधारके सबधमें हाउस आफ कामन्समें जो विचार हो रहा था, इस झगड़ेके कारण तथा भावी युरोपीय युद्धकी सम्भावनासे उसमें बाधा पड गई। युद्धविभागने आज्ञा दे दी थी कि जो व्यक्ति नेशनलिस्ट या अलस्टरवाले वालेंटियरोंको बहकाता हुआ पाया जायगा उसके अपराधका विचार सैनिक न्यायालयमें होगा। यह भी कहा जाता है कि शांति-रक्षाके लिए ३०३५ सजे सजाये और तैयार जहाज भी कई दिनोंतक आयरिश तटोंके आसपास घूमा करते थे। राष्ट्रीय दलके लोगोंने यहाँतक निश्चय कर लिया था कि यदि सरकारका होमरूल विल पास न होगा तो हम लोग अनेक अशोंमें स्वतन्त्ररूपसे शासन प्रवध करेंगे।

इसी बीचमें यूरोपमें भीषण महा समर छिड गया। उस समय इस बातकी आवश्यकता थी कि सारा ब्रिटिश साम्राज्य मिलकर इस नई भीषण परिस्थितिका सामना करे और सब लोग आपसका झगडा बंद कर दें। इस लिए १४ सितबर १९१४ को पार्लमेण्टमें सरकारकी ओरसे मि० एसक्रिथने कहा कि सरकारका विचार है कि आयरिश होमरूल विल कानून बन जाय और Statute Book कानूनोंवाली किताब पर चढा दिया जाय। इसके साथ ही मै एक और विल उपस्थित करूँगा जिसके अनुसार युद्धकी समाप्तिसे एक वर्षके अन्दर इसके अनुसार कार्य न किया जायगा। उस समय भी यूनियनिस्ट दलने इसका बहुत विरोध किया था। १६ सितबरको होमरूल विलको स्थागित रखनेका विल हाउस आफ लार्ड्समें भी पास हो गया और

राम राम करके होमरूल विल Statute Book पर चढ़कर 'कानून' बन गया ।

होमरूल विल पास तो हो गया पर इंग्लैण्डके घोर युद्धमें फँसे रहनेके कारण दो वर्ष तक आयरिश समस्याकी मीमासा नहीं हुई। अप्रैल सन् १९१६ में जब सेनफेनर्सका विद्रोह हुआ तब अँगरेज राजनीति-ज्ञोंकी आँखें खुलीं और उन्होंने समझा कि वर्तमान शासन-व्यवस्थासे काम न चलेगा । जिस प्रकार हो आयरलैंडके शासनका कोई और प्रयत्न होना चाहिए । पर उस समय मंत्रिमंडलमें कई यूनियनिस्ट सम्मिलित हो चुके थे और लिबरल मंत्रियोंका बल बहुत कुछ कम हो गया था । तो भी मि० एसक्विथने आयरलैंडका झगडा निपटानेका काम मि० लायड जार्जको सौंपा । उन्होंने निश्चय किया कि अलस्टरके छ जिलोंको छोडकर बाकी आयरलैंडको इसी समय स्वराज्य दे दिया जाय, और जो लोग इस समय आयरलैंडकी ओरसे ब्रिटिश हाउस आफ कामन्सके मेम्बर हैं वे ही आयरिश हाउस आफ कामन्सके मेम्बर रहें । यह समस्या समरके एक वर्ष बाद तक रहेगी । यदि पार्लिमेण्ट इस बीचमें आयरिश शासनका कोई स्थायी प्रवध न कर देगी तो प्रीवी काउन्सिलकी आज्ञासे यह अवधि और बढ़ा दी जायगी । मि० लायड जार्जका कथन था कि अगले सार्वजनिक निर्वाचनके बाद भी कामन्स सभामें आयरलैंडके उतने ही प्रतिनिधि रहेंगे जितने आज हैं । पर आयरिश नेशनलिस्ट ब्रिटिश पार्लिमेण्टमें बैठनेका अधिकार छोडना नहीं चाहते थे । इस लिए सरकारको यह निश्चय करना पडा कि जब तक सत्र पक्ष मुरय बातों पर सहमत न हो जायँ तब तक सरकार इस सम्बन्धमें कोई और कार्रवाई न करेगी । इस प्रकार उस समय भी आयरलैंड स्वराज्यसे वंचित ही रहगया ।

## ७ विद्रोहका आन्दोलन ।



क्वार्तरहवीं शताब्दीमें आयरलैंड और इंग्लैण्डका जो सम्बन्ध हुआ था वह समस्त आयरिश लोगोंको सभी अवसरों पर समान रूपसे पसन्द नहीं था । इसलिए बहुतसे लोगोंने समय समय पर अपनी बुद्धि और शक्तिके अनुसार इस सम्बन्धको तोड़ने तथा आयरिश राष्ट्रको पूर्ण स्वतंत्र करनेका प्रयत्न किया था । इन विद्रोहात्मक प्रयत्नोंकी अधिकताके कारण वहाँ एक कहावत सी बन गई है कि आयरलैंडमें प्रति पचास वर्षोंमें एक विद्रोह होता ही है । इन सब विद्रोहोंका सविस्तर वर्णन करना इष्ट भी नहीं है और वह थोड़ेमें हो भी नहीं सकता । इसलिए जिस प्रकार पिछले तीन भागोंमें आयरलैंडके नियमानुमोदित आन्दोलनका सक्षिप्त वर्णन किया गया है उसी प्रकार इस भागमें नियम-विरुद्ध आन्दोलनोंका सक्षिप्त वर्णन किया जाता है ।

बारहवीं शताब्दीके मध्यमें राजा द्वितीय हेनरीने आयरलैंड पर इंग्लैण्डका अधिकार जमाना आरम्भ किया और उसी समय, प्रायः पैंतीस वर्ष बाद, आयरिश अमीरों और रईसोंने पहला । सन् १२५९ में  
जिराल्डिन नामक आयरिश सरदारने । ७  
किया । सन् १३१४ में स्काटलैंडका । १६  
परास्त होकर । -  
लेनेके लिए  
यता । १५  
आयरिश । १६ किय  
बाद एक । सन् १  
हुआ और । ७६१  
आन्दोलन

पर राजद्रोहका अभियोग लगा जिसमें उसका सिर काट डाला गया । सन् १४८७ से १४९७ तकके दस वर्षोंमें, इंग्लैण्डकी गद्दीके हकदार बननेवाले जो दो आदमी खड़े हुए थे, उन दोनोंको आश्रय देकर आयरिश लोगोंने जहाँतक हो सका उपद्रव किये । सन् १५३७ में लार्ड थामस फिड्जरल्डका विद्रोह हुआ । यह बहादुर अमीर किलडरेके घरानेका था । १५५९ से १५६७ तक प्रसिद्ध आयरिश अमीर शेन जोनीलका उपद्रव होता रहा और १५६८ से १५८६ तक मनस्टर प्रान्तके आयरिश सरदारोंके उपद्रव होते रहे । १५३९ में प्रसिद्ध जिराल्डिनके घरानेके कई आदमियोंने विद्रोह किये । १५९८ से १६०२ तक मनस्टर प्रान्तके दंगे होते रहे । १६४१ में राजा चार्ल्सकी ओरसे आरमाण्ड सरदारके विद्रोह हुए और १६४१ से १६४८ तक अलस्टर, मनस्टर और कनाट प्रान्तके प्रसिद्ध विद्रोह और कतल हुए । १६९८-९० में राजा द्वितीय जेम्सकी ओरसे टिरकानेल नामक सरदारने उपद्रव किये । पर जबसे ये उपद्रव शान्त हुए तबसे रोमन कैथोलिक लोगोंके लिए भयकर कानून बनने लगे और इसके उपरान्तके सौ वर्षोंतक आयरलैण्डमें कोई बहुत बड़ा विद्रोह नहीं हुआ, फुटकर दंगे फसाद अपश्य होते रहते थे । आयरिश सेतिहरोंके दंगे फसादका आरम्भ इसी शताब्दीमें हुआ था, पर इन दंगे फसादोंका कोई विशेष राजकीय स्वरूप नहीं था ।

ऊपर जितने उपद्रवोंका वर्णन किया गया है उन सबके मूलमें धर्म-प्रीति, जव्त हुई जमीनको फिरसे लौटानेकी इच्छा, अपमानका बदला लेनेकी उत्कण्ठा और कैथोलिक राजाओं आदिके सम्बन्धमें पक्षपात आदि अनेक बातें मिली हुई थीं । लेकिन इसके बाद जो विद्रोह हुए उनमें धर्मकी अपेक्षा राजकीय हेतु ही अधिक बलवान् जान पड़ता है । इसके उपरान्त राजकीय हेतुओंसे जो सबसे बड़ा विद्रोह

हुआ था वह सन् १७९८ में उल्फटोन और लार्ड एडवर्ड फिड्जरल्डने 'युनाइटेड आयरिशमेन' नामक सस्थाकी सहायतासे किया था। इसके पाँच वरस बाद सन् १८०३ में रावर्ट एमेटका छोटासा विद्रोह हुआ था। इसके बादका विद्रोहात्मक आन्दोलन फीनिअन लोगोंका था जो प्रायः सन् १८४८ से १८६७ तक होता रहा। सन् १८४८ में जो आन्दोलन हुआ था वह मुख्यतः 'तरुण आयरलैंड' नामक सस्थाके तरुण नेताओंने किया था। इन नेताओंमें अनेक पत्र-सम्पादक तथा पार्लमेण्टके सभासद भी थे। इनमेंसे अधिक प्रभावशाली नेता स्मिथ ओब्रायन था जिसकी सक्षित जीवनी आगे चरित्र-मालामें दी गई है। सन् १८४८ वाले आन्दोलनमें ओब्रायनके अतिरिक्त चार्ल्स डफी, डिलन, जान मिचल, थामस मीगर, जान लेलर, जान मार्टिन, मेकमेनस आदि लोग प्रधान थे। १८४९ में जोसफ ब्रेननने कार्कमें विद्रोह करनेका प्रयत्न किया और आगेके नौ वर्षोंमें फीनिअन लोगोंके विद्रोहका वास्तविक आरम्भ हुआ। उन्नीसवीं शताब्दी भर आयरलैंडमें फीनिअन लोगोंका ही मुख्य विद्रोहात्मक आन्दोलन होता रहा। इस आन्दोलनका थोडासा वर्णन हम यहाँपर दे देते हैं जिसमें पाठक यह समझ सकें कि आयरलैंडका नियमविरुद्ध आन्दोलन कैसा होता था।

आयरलैंडमें फीनिअन लोगोंका आन्दोलन पहले पहल सन् १८५२ में आरम्भ हुआ। इससे पहले सन् १८४८ में आयरिश लोगोंमें दो पक्ष हो गये थे—एक पक्ष ब्रिटनके ढग पर नियमानुमोदित आन्दोलन करनेवाला और दूसरा पक्ष उल्फटोनके ढग पर विद्रोह आदि करनेवाला था। इस दूसरे पक्षके लोगोंने सन् १८४८ में कुछ प्रयत्न किया था जो निष्फल हुआ। ऊपर कहा जा चुका है कि इस प्रयत्न में 'नेशन' पत्रके सम्पादक लोग स्मिथ ओब्रायन आदि सम्मिलित थे। उन लोगोंको कुछ दिनों तक जेलमें रहना पडा था, परन्तु जेलसे लौटने पर उन

लोगोंने मनमें यह बात अच्छी तरह समझ ली थी कि आयर्लैंडका स्वतंत्र होना यद्यपि उचित और न्याय्य है तथापि उस स्वतंत्रताको प्राप्त करनेके साधन अभी लोगोंके पास नहीं है, इस लिए केवल आत्मघातक प्रयत्न करनेसे कोई लाभ नहीं होगा । ओत्रायन और डफी (नेशन पत्रके सम्पादक) ओकानेलके विरुद्ध थे और आसिरी कांटे उन्होंने नाराज होकर उसका पक्ष छोड़ भी दिया था । लेकिन सन् १८५८ में आयर्लैंडमें फीनिअन लोगोंका जो उपद्रव हुआ, ये दोनों ही उसके प्रतिकूल थे । यह उपद्रव स्टीफेन्स नामक एक व्यक्तिने आरम्भ किया था । स्किव्हेरीन नामक नगरमें एक पुस्तकालय था जिसमें एक क्लब भी था और उसका नाम 'फीनिअस राष्ट्रीय पुस्तकालय और साहित्य सभा' था । उसमें बहुतसे व्यापारी युवक सम्मिलित थे । मई सन् १८५८ में स्टीफेन्स इस क्लबमें गया था । वहाँके लोगोंकी स्वतंत्रप्रियता और उत्साह आदि देखकर उसने समझा कि इस क्षेत्रमें मेरे विद्रोहात्मक आन्दोलनके बीज अच्छी तरह अंकुरित होंगे । इस लिए उसने क्लबके नेता जेरोमिया डोनोवनसे एकान्तमें बातें करके उसे समझा दिया कि आयर्लैंडको स्वतंत्र करानेके लिए अमेरिकामें जोरोंसे आन्दोलन हो रहा है और यह निश्चय हो चुका है कि आयर्लैंडमें जितने आदमी लड़नेके लिए तैयार होंगे उतने ही अमेरिकासे भी सहायता देनेके लिए आँगे और इस लिए हथियार आदि भी संग्रह करके ठिक-ठिकाने पर रस्ते हुए हें । यह सुनकर डोनोवन फूल गया, उसने क्लबके और लोगोंको मिलाकर एक गुप्तमण्डली स्थापित की और आयर्लैंडकी स्वतंत्रताके लिए लोगोंसे प्राण तक समर्पण करनेकी शपथ लेना आरम्भ किया । लेकिन जब उस गुप्त मण्डलीमें यथेष्ट आदमी सम्मिलित नहीं हुए तब स्टीफेन्सने एक ऐसी युक्ति की जिससे लोग घडाघड उसमें सम्मिलित होने लगे । उसने लोगोंसे यह कह दिया कि स्मिथ, ओत्रायन, चार्स डफी, सुलिवान, मिचेल आदि नेता इस पट्टयंत्रके अनुकूल हैं और उन्हें इस



गुप्त मण्डलीके उद्देश्य मान्य है। पर वास्तवमें यह बात विलकुल झूठी थी। धीरे धीरे यह बात सुलिवानके कान तक पहुँची और वह इस चिन्तामें पडा कि लोगोंको स्पष्ट रूपसे मैं यह बतला दूँ या नहीं कि इस पद्म्यत्रसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। क्यों कि यदि स्पष्ट रूपसे वह प्रकट कर देता कि इस पद्म्यत्रसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है तो मानों प्रकारान्तर्गसे वह पुलिसको इस पद्म्यत्रकी सूचना देता और तब यदि अपराधियोंके साथ निरपराध भी पीसे जाते तो उसका पाप उसके सिर आता। और यदि वह इस बातको प्रकट न करता तो स्टीफेन्स सूब अच्छी तरह उसे बदनाम करता और उसके कारण बहुतसे युवक लोग फँस जाते, जिससे उसकी और भी बदनामी होती। पर अन्तमें उसने यही निश्चय किया कि इस पद्म्यत्रका खुले आम विरोध करना चाहिए। तदनुसार उसने ओब्रायन और मिचेलकी तथा स्वयं अपनी ओरसे नेशन पत्रमें उस गुप्त आन्दोलनका साफ इशारा करके युवकोंको उससे सावधान रहनेका उपदेश किया। सुलिवान उस समय डफीके स्थान पर नेशन पत्रका सम्पादक था, इस लिए उसके लिखनेका अच्छा प्रभाव पडा और बिना कारण भ्रममें पड कर पद्म्यत्रमें सम्मिलित होनेवाले युवक समयपर ही सावधान हो गये। लोगोंसे शपथ लेनेका काम धीरे धीरे रुका और उस समय फीनिअन आन्दोलन कम होने लगा।

२३ नवम्बर सन् १८६३ को उत्तर अमेरिकाके शिकागो नगरमें फिरसे खुले आम फीनिअन आन्दोलन आरम्भ हुआ। इस आन्दोलनकी कल्पना प्रायः पाँच बरस पहलेसे ही हो रही थी। लेकिन किसी आन्दोलनके अच्छा रूप वारण करनेके लिए उसके आविष्टान रूपमें एक सस्थाकी आवश्यकता होती है। वह सस्था उक्त तारीखको स्थापित हुई। उस सस्थाका सस्थापक जान ओमेहान नामक एक आयर्लिश जिसके

साथ आयर्लैण्ड छोड़ कर आये हुए अनेक असन्तुष्ट और अमेरिकाके तत्कालीन युद्धमें लड़े हुए योद्धा आयरिश थे । इन लोगोंका प्रयत्न चाहे कितना ही भ्रमपूर्ण क्यों न हो पर तो भी इनकी स्वदेशभक्तिके सम्बन्धमें शका नहीं हो सकती थी । उक्त तारीखको सस्था स्थापित करके ओमेहान तथा अन्य सभासदोंने आयर्लैण्ड तथा अन्य स्थानोंके आयरिश लोगोंको संबोधित करके एक घोषणापत्र निकाला । उममें यह दिसलानेके आतिरिक्त कि आयर्लैण्डमें अँगरेजी राजसत्ता कैसे स्थापित हुई और वह कितनी घातक है, यह भी कहा गया था कि—

“सन् १७८२ में इंग्लैण्डने आयरिश पार्लैमेण्टको स्वतंत्रता दी और १८२९ में रोमन कैथोलिक लोगोंपरका बहिष्कार हटा कर उन्हें समान अधिकार दिये । ये दोनों काम आयर्लैण्डके सन्तुष्ट और अतएव निर्बल करनेके लिए किये गये थे । इन कामोंके लिए सच्चे देशभक्तोंको दुःख ही होना चाहिए । क्योंकि जबतक आदमी सन्तुष्ट रहता है तबतक स्वतंत्रताकी ओर उसका ध्यान नहीं जाता । और इस प्रकार गद्द अल्प तथा क्षणिक सुखके लिए बड़े और स्थायी सुखको छोड़ देता है । स्वार्थत्यागसे ही राष्ट्रके लिए अधिकार प्राप्त किये जा सकते हैं, पर उन दोनों असुरों पर उक्त दोनों काम करके इंग्लैण्डने दुष्ट बुद्धिसे वह अवसर ही न आने दिया जिसमें वे स्वतंत्रता प्राप्त करनेके लिए अपने प्राण देते ।” आदि आदि बातें उस घोषणापत्रमें लिखी थीं । यह कहना कि—“केवल देहत्यागसे ही स्वार्थ-त्याग होता है और राष्ट्रके कल्याणके लिए देहत्यागसे बढ़कर और कोई स्वार्थ त्याग नहीं है” कदाचित् सिपाही पेशेवालोंको ही शोभा दे सकता है, राजनीतिज्ञोंको यह शोभा नहीं दे सकता । लेकिन उस समय फीनिअन लोगोंकी सस्थामें केवल सिपाही आदि ही सम्मिलित थे । स्वदेश-त्याग करने-वालोंके लिए फिर और कोई देश स्वदेश-तुल्य माननेके लिए नहीं रह जाता, अतः उनके लिए उनके शरीरका कोई मूल्य भी नहीं रह जाता;

और जो शरीर चारों प्रकारके पुरुषार्थ करनेका साधन है वह यदि केवल एक ही पुरुषार्थ साधनेमें नष्ट हो जाय तो भी उन्हें उसकी कोई चिन्ता नहीं होती। इसके आतिरिक्त उस समय अमेरिकामें जो आयरिश लोग एकत्र थे यद्यपि उनमें स्वदेशभक्ति थी, तथापि आसपासकी भय-कर स्थिति देखकर उनकी दृष्टि चाहे बिलकुल नष्ट न हो गई हो पर उसमें धुंधलापन अवश्य आगया था। इसलिए युद्धके सिवा और कोई दूसरा विचार उनके मनमें सहजमें आता ही न था।

फीनिअन सस्थाकी शाखायें आयलैंडमें भी फैल गईं और कुछ दिनों बाद इंग्लैंडमें भी उनका प्रवेश हुआ। इस सस्थाका 'आयरिश पीपुल' नामक एक साप्ताहिक पत्र भी डब्लिनसे निकलने लगा और उसके द्वारा स्टीफेन्स उज्ज्वल भाषामें हजारों आदमियोंको इस नये 'फीनिअन' मतकी बातें समझाने लगा। लोगोंको 'आयरिश पीपुल' यह उपदेश देता था कि नियमानुमोदित रीतिसे आन्दोलन करनेवाले लोगोंकी बातें न सुनो और न राजनीतिक बातोंमें धर्मोपदेशकोका कहना मानो। प्रायः दो वर्षतक अधिकारियोंने इस समाचारपत्रको चलने दिया, पर अन्तमें सितम्बर सन् १८६५ में सरकारी आज्ञासे पुलिस अफसर 'आयरिश पीपुल' के दफ्तरमें घुसे। उन्होंने छापाखाना जब्त कर लिया और समाचारपत्र नष्ट करके उसके सम्पादकोंको कैद कर लिया। सम्पादकोंमें ओलियारी, टामस लवी आदि जो लोग थे, उनपर अलग कमीशन नियुक्त करके मुकदमा चलाया गया और उन्हें बीस बीस बरसकी काले पानीकी सजा हुई। पद्मयत्रका नेता स्टीफेन्स जेलके अधिकारियोंसे मिलकर वहाँसे निकल भागा और इस प्रकार उसने अपना ठुटकारा कर लिया। इसके उपरान्त बहुत दिनों तक गुप्त रूपसे इस बातकी जाँच होती रही कि उक्त पद्मयत्र तथा आन्दोलनमें कौन आदमी कहाँ तक सम्मिलित था। उस जाँचमें अधिकारियोंको यह

पता लगा कि आयरिश समाजमें इस सस्थाकी जड बहुत गहराई तक पहुँच गई है, इस लिए उन्होंने इंग्लैण्डकी सरकारके पास रिपोर्ट भेज कर नये अधिकार मंगे । इसके अतिरिक्त ओलियारी, लवी आदि लोगोके मुकदमोंका हाल समाचारपत्रोंके द्वारा दूर दर तक चारों ओर पहुँच गया । उससे उन लोगोंकी असामान्य बुद्धिमत्ता, अलौकिक वैर्य्य और देशभाक्ती व्यक्त हुई और लोगोंको विश्वास हो गया कि “ वे लोग पापी या अपराधी नहीं थे, बल्कि प्रतिष्ठित थे । उनके उद्देश भी अच्छे थे और उनका प्रयत्न भी उचित था, और इसीलिए न्यायालयके सामने वे अपने समर्थनमें इतना भाषण कर सके थे । ” इसपर इंग्लैण्डके लोग अपने मनमें सोचने लगे कि—“ऐसे अच्छे अच्छे आदमी अविचारी क्यों हो जाते हैं ? वे आपसे बाहर क्यों हो जाते हैं ? और जो प्राण मनुष्यके लिए ससारभरमें सबसे अधिक प्रिय है उसी प्राणको वे फूँककी तरह निकाल देनेके लिए क्यों तैयार हो जाते हैं ? उधर पुलिसने तलाशी आदि लेकर युद्धमें काम आनेवाला ऐसा बहुतसा सामान ढूँढ निकाला जो लोगोंने जगह जगह पर छिपा कर रक्ता था । सिर्फ डब्लिन नगरमें भाले, वरडियाँ, गोले और कारतूस तैयार करनेके तीन कारखाने पकड़े गये । भय होने लगा कि कहीं चारों ओर विद्रोह तो नहीं हो जायगा ! अधिकारियोंको सहायताके लिए नई सेना मँगानी पड़ी । १७ फरवरी सन् १८६७ को सर जार्ज ग्रेने पार्लमेण्टके सामने यह सूचना उपस्थित की कि आयरलैण्डमें कुछ दिनोंके लिए नागरिकोंकी स्वतंत्रताका कानून रद्द कर दिया जाय, जिसमें अधिकारी लोग जिसे जी चाहे उसे पकड़कर कैद कर लें और इसप्रकार उपद्रव शान्त हो । यह सूचना कामन्स तथा लार्ड्स दोनों सभाओंमें एक ही दिनमें पास हो गई और दूसरे ही दिन उसके लिए राजाकी अनुमति भी मिल गई । इस प्रकार सारे इंग्लैण्डमें इस फीनिअन आन्दोलनका शोर मच गया और आयरलैण्डकी ओर अँगरेजोंका ध्यान आकृष्ट हुआ ।

उसी वर्ष सितम्बर महीनेमें मैचेस्टरमें कीली और डीजी नामक दो फीनिअन कौदियोंको पुलिसके हाथसे छुड़ानेका उद्योग किया गया, जिसमें प्राण-हानि भी हुई। १८ सितम्बरको पुलिस इन कौदियोंको गाडीमें बँटाकर पुलिस-कोर्टसे जेलखानेकी ओर ले जा रही थी, इतनेमें फीनिअन लोगोंकी एक टोलीने हाथमें पिस्तौल लेकर आक्रमण किया। इस साहसपूर्ण कृत्यका समाचार केवल मैचेस्टरमें ही नहीं बल्कि सारे इंग्लैण्ड और आयरलैंडमें फैल गया और आक्रमणकारियोंके नेता एलन और उसके साथियोंके लिए लोगोंमें कुछ अकल्पित रीतिसे आदर उत्पन्न हो गया। कहा जाता है कि उसे फाँसी हो चुकनेके उपरान्त जब उसकी रथी निकली तब उसके साथ डेढ़ लाख आदमी थे। इसी प्रकार आगे चलकर १३ दिसम्बरके दिन बैरेट नामक एक फीनिअनने वर्क नामक अपने एक मित्रको जेलसे छुड़ानेके लिए 'डाइ-नामाइट' से जेलकी दीवार उड़ा दी। इस प्रकारके अपराध, एकके बाद एक, होते जाते थे, इस लिए पार्लिमेण्टमें आयरलैंडके प्रश्नकी चर्चा जोरोंसे होने लगी। प्रोटेस्टेण्ट धर्ममण्डलके सम्बन्धमें नया कानून बनानेवाले ग्लैडस्टन साहबने सन् १८६८ और १८६९ वाले फीनिअन आन्दोलनका जिक्र करते हुए कहा था—“आयरिश प्रश्नके सम्बन्धमें पार्लिमेण्टके नवीन सिद्धान्त बनानेमें एक दृष्टिसे इस आन्दोलनका बहुत कुछ उपयोग हुआ।” यह बात नहीं थी कि फीनिअन आन्दोलनके कारण आयरिश लोगोंकी मँगों या झगड़ोंके गुण-दोष बढ़े या बढे। पर इस आन्दोलनके कारण आयरलैंडमें नागरिकोंकी स्वतंत्रताका कानून गूँद करना पड़ा। बड़े बड़े शहरोंमें हलचल मच गई, लोगोंको प्राण और सम्पत्तिके नाशका भय होने लगा और शान्तिप्रिय नागरिकोंको अपनी रक्षाके लिए हथियार लेकर पहरा देना पड़ा। अर्थात् अपनी सद्बर्की शिथिलता छोड़ कर इंग्लैण्डके लोगोंको आयरलैंडका प्रश्न उठानेकी आवश्यकता जान पटने लगी। ३० मार्च सन् १८६८ को पार्लिमेण्टके

अपने भाषणमें ग्लैडस्टन साहबको यह कहना पडा कि—“बुरी बातोंसे भी तत्त्वज्ञानी मनुष्यको किस प्रकार अच्छा परिणाम निकालना चाहिए, इसका यह एक अच्छा उदाहरण है। इससे पहले जान ब्राइटने भी नागरिकोंके अधिकारोंका कानून रद्द करनेके समय इसी प्रकारकी बात कही थी और यह भी कहा था कि यह बात राजनीतिज्ञतामें बड़ा भारी कलरू लगानेवाली है कि जब तक ऐसे भयकर अनर्थ न हों तब तक पार्लिमेण्टके बड़े बड़े राजनीतिज्ञोंको न्यायान्यायके प्रश्न उठानेका ध्यान ही न हो। इसके लिए ग्लैडस्टन और ब्राइट दोनों पर ही उनके प्रतिपक्षियोंने खूब बौछारें कीं और स्पष्ट रूपसे उन पर यह दोष भी लगाया कि उनके ऐसे ऐसे भाषण ही इस प्रकारके अनथाको उत्तेजना देते हैं। लेकिन सारे सप्ताहको इस बातका विश्वास था कि ग्लैडस्टन अपना ब्राइटको इस प्रकारके दगे-फसादका उत्तेजक बतलाना दिनको रात बतलाना है, इस लिए उन महात्माओंको ऐसे दोषारोपणोंका उत्तर देनेकी भी आवश्यकता न पडी। आगेके फीनिअन आन्दोलनका सविस्तर इतिहास बतलानेकी आवश्यकता नहीं। यह आन्दोलन आगे पन्द्रह बीस बरस तक अर्थात् पार्लेमेंटके समय तक थोटा बहुत होता रहा। पार्लेमेंट पर भी यह अभियोग लगाया गया था कि वह इस आन्दोलनमें सहायता देता है। लेकिन इस आन्दोलनसे नियमानुमोदित आन्दोलनको चाहे कितनी ही अप्रत्यक्ष सहायता क्यों न मिली हो पर तो भी इन दोनों प्रकारके आन्दोलन करनेवाले मनुष्य, उनके विचार और गुणधर्म आदि एक दूसरेसे बिल्कुल भिन्न थे। इस लिए पार्लेमेंट आदि नेताओंके आन्दोलनको न तो फीनिअन आन्दोलन सदाके लिए दबा ही सका और न किसी प्रकार उनकी हानि ही कर सका।

युरोपीय महासमर छिड़नेके प्रायः तीन वर्ष बाद अप्रैल १९१६ में आयर्लैण्डमें एक और जोटासा विद्रोह हुआ था। पर जैसा कि पीछे से मि० विरेलने एक अवसर पर कहा था, इसकी गिनती राष्ट्रीय विद्रोहोंमें नहीं हो

सकती। तो भी वह एक ऐसे समयमें हुआ था जब कि इंग्लैण्ड एक घोर युद्धमें लिप्त था और उसके सामने जीवन-भरणका प्रश्न उपास्थित था। वह विद्रोह आयरलैण्डको स्वतंत्र करनेके उद्देश्यसे हुआ था, इस लिए उसका भी सक्षित विवरण यहाँ पर दे देना आवश्यक और उपयुक्त जान पड़ता है। युद्धसे कुछ वर्ष पहले आयरलैण्डके कुछ युवकोंने शिक्षितवर्गमें गेलिक भाषाके प्रचारके निमित्त कुछ प्रयत्न आरम्भ किया था, उसीके साथ साथ प्राचीन आयरिश शिल्पकी उन्नति करना भी उनका उद्देश्य था। इस दलका नाम सेनफेन था। युद्धसे कुछ ही पहले जब होमरूलका आन्दोलन हो रहा था तब आवश्यकता पड़ने पर लडमिड कर होमरूल रोकनेके लिए अलस्टर प्रान्तमें कुछ वालेंटियरोंका एक दल तैयार हुआ था। उनकी देखादेखी नेशनलिस्ट लोगोकी भी एक वालेंटियर सेना तैयार हुई थी। जब युद्ध आरम्भ हुआ तब दोनों दलोंने मिलकर साम्राज्यकी सेवा करना निश्चित किया। पर सेनफेनसँको यह बात पसन्द नहीं आई। उन लोगोंका मत था कि आयरलैण्ड इस युद्धमें कोई सहायता न दे और तटस्थ रहे। मजदूर दलके कुछ नेता इनके पृष्ठपोषक थे जिनमें मि० रेडमण्डके शत्रु मि० लारकिन भी सम्मिलित थे। इस लिए जो सेनफेनसँ नेशनलिस्ट वालेंटियर्समें थे, वे अलग हो गये और उपद्रव करनेकी चिन्तामे लगे। इनका उपद्रव यहाँ तक बढ़ चला कि अधिकारियोंको हस्तक्षेप करनेकी आवश्यकता हुई। कई जगह तलाशीके समय सेनफेनसँने पुलिस अफसरोंको गोली मार दी थी। इन्हीं भव उपद्रवोंके कारण सैनिक अधिकारियोंने सेनफेनदलके तीन नेताओंको छ दिनके अन्दर आयरलैण्ड छोड़ देनेके लिए कहा। इसका विरोध करनेके लिए ३० मार्चको एक सभा हुई जिसके सभासदोंने रातके समय कई जगह दंगा फसाद किया जिसमें कई आदमी मारे भी गये।

२१ अप्रैल सन् १९१६ को आयरलैण्डके पश्चिमी किनारे पर एक

जर्मन गोताखोर और एक लडाईका जहाज दिखाई दिया । जहाजको तो एक अंगरेजी जहाजने रोक्कर डुबा दिया और गोताखोरने किनारे पहुँचकर सेनफेनसिके नेता सर राजर केसमेण्टको उतारा । जिस प्रकार सन् १७९८ में उल्फस्टोन फ्रान्ससे सहायता लाया था उसी प्रकार इस बार केसमेण्ट जर्मनीसे सहायता लाया था । पर सौभाग्यवश सेनाने उसी स्थान पर केसमेण्टको पकडकर लन्दन भेज दिया जहाँ वह टावर आफ लण्डनमें कैद कर दिया गया । २४ तारीखको डब्लिनमें फिर झगडा हुआ जिसमें सेनफेनसिने कई बडी बडी इमारतों पर आक्रमण करके उन्हे अपने अधिकारमें कर लिया । उस दिन और भी कई स्थानों पर इसी तरहकी घटनायें हुई । डब्लिनमें बारेकको जाती हुई सरकारी सेना भी रोक ली गई । २४, २५ और २६ को दूसरे स्थानोंसे कुमक आई जिसने किसी प्रकार विद्रोहका दमन किया । सब नेताओंने हथियार रख दिये । कुल मिलाकर १००० विद्रोही पकडे गये, जिनमेंसे आधेके लगभग इंग्लैण्ड भेज दिये गये । उसी समय आयर्लैण्डमें फौजी कानून भी जारी हो चुका था जिससे शान्ति होनेमें बहुत सहायता मिली । कई आदमियोंको सेनिक न्यायालयकी आज्ञासे गोली मार दी गई और चहुतोंको बडी बडी सजायें हुई । १५ मईको लन्दनमें केसमेण्ट पर शत्रुके साथ मिलकर घोर उत्पात करनेके अभियोगमें मुकदमा चलाया गया । केसमेण्टको फाँसीकी आज्ञा हुई । केसमेण्टने अपील की थी जो १५ जुलाईको खारिज हो गई । ३ अगस्तको केसमेण्टको फाँसी होनेको थी । इससे पहले ही मि० एस्क्रिथकी सेवामें एक प्रार्थनापत्र उपस्थित किया गया जिसमें कहा गया था कि केसमेण्टको प्राण दण्ड न हो । उस पत्र पर छ' विशापो, २६ पार्लमेण्टके मेम्बरों और ५१ दूसरे बडे बडे आदमियोंके हस्ताक्षर थे । पर प्रार्थना स्वीकृत नहीं हुई और ३ अगस्तको केसमेण्टको फाँसी हो गई । यहाँ यह बतलानेकी आवश्यकता नहीं कि इससे बहुत पहले आयर्लैण्डमें पूर्ण शान्ति हो गई थी ।



## सारासार-विचार ।



फिरछले छः भागोंमें आयरलैंडका प्राचीन ओर अर्वाचीन इतिहास तथा आयरिश लोगोके न्यायानुमोदित तथा अन्य आन्दोलनोंका वर्णन सक्षेपमें दिया गया है । इस इतिहास और इस वर्णनको व्यानमें रसकर व्यापक और तात्त्विक दृष्टिसे जो सारासार-विचार उठ सकते हैं प्रस्तुत भागमें हम उन्हींका दिग्दर्शन करना चाहते हैं ।

आयरिश इतिहासके युगान्तर । ससारके इतिहासकी भाँति राष्ट्रके इतिहासमें भी युगान्तर होते हैं । युगान्तरका मतलब है—काल-विभाग । राष्ट्रके आयुष्यक्रमसे जिस काल-विभागमें कुछ विशिष्ट बातें होती हैं अथवा पहलेकी बातोंका परिणाम पूर्णताको प्राप्त होता है वह राष्ट्रका युग कहलाता है । इस दृष्टिसे देखते हुए आयरलैंडके इतिहासमें नीचे लिखे अनुसार काल-विभाग या युगान्तर होते हैं ।—(१) पहला युग पाँचवीं शताब्दीतक । इस युगमें आयरलैंडमें अनेक जातियोंके लोगोंकी वस्ती कायम हुई, सब लोग एक ही ईसाई धर्ममें लाये गये और उनका राष्ट्र बना । (२) दूसरा युग बारहवीं शताब्दीतक । इस बीचमें स्वदेशी आयरिश राजाओंने अनेक युद्ध करके और पराक्रम दिसलाके ऐसे कृत्य किये जिनके लिए उनके वंशजोंने आगे चलकर पैवाडे गाये ओर जिनका अभिमानपूर्वक उल्लेख किया । इन्हीं दिनोंमें खेती तथा शिल्प आदिका आरम्भ हुआ । (३) तीसरा युग सोलहवीं शताब्दीतक होता है । इस युगमें पहले आयरलैंडमें अत कलहका आरम्भ हुआ और अँगरेजोंका आयरलैंडमें प्रवेश हुआ । अँगरेजी सत्ताका चढ़ाव-उतार होते होते उसकी स्थिर रूपसे स्थापना हो गई और अतमें सोलहवीं शताब्दीमें सारे यूरोपमें धर्म-क्रान्ति हुई । इंग्लैंडके राजा आठवें हेनरीने पोपकी सत्ता हटा दी और स्वयं खुले-आम आयरलैंडके

राजाकी पदवी धारण की। (४) चौथा युग सन् १७०३ तक माना जाता है। इन सौ सवासी बरसोंमें आयरलैंडमें स्वतंत्रता प्राप्त करनेके लिए और वर्म-द्वेषके कारण दो एक विद्रोह हुए। लेकिन उनमें आयरिश लोगोंकी हार हुई और उन पर फिरसे स्थायी रूपसे अंगरेजोंका अधिकार जमा। देशमें प्रोटेस्टेण्ट लोगोंकी वस्ती सूत्र बढ़ी और राष्ट्रके दो परस्पर विरोधी अंग स्थापित हुए, एक तो सख्यामें अधिक रोमन कैथोलिक लोगोंका और दूसरा सम्पत्ति, सत्ता और राजाश्रयके कारण प्रबल प्रोटेस्टेण्ट लोगोंका। हजारों आयरिश लोग मारे गये और हजारों देश छोड़कर भाग गये। प्रायः सारी जमीन प्रोटेस्टेण्ट अंगरेज जमींदारोंके हाथमें चली गई और कैथोलिक लोग ऊपरी काष्ठकार बने। कैथोलिक लोगोंका सब ओरसे कानूनके द्वारा बहिष्कार हुआ, विद्या, सम्पत्ति तथा मान-सम्मान आदिमें वे स्वदेशमें ही पराये बने और उनकी स्थिति मूर्ख गुलामोंकी सी हो गई। व्यापारविषयक कानून भी बने, जिनके कारण देशका पुराना बचा हुआ थोटा बहुत शिल्प भी नष्ट हो गया। अतमें सन् १७०३ में आयरिश पार्लिमेण्टको अंगरेजी पार्लिमेण्टमें मिलानेका विचार हुआ, लेकिन यह समझ कर वह विचार कार्यरूपमें परिणत नहीं किया गया गया, कि उससे अंगरेजोंकी हानि होगी। आयरिश इतिहासमें यह युग बड़ा ही भयानक हो गया है। (५) पाँचवाँ युग सन् १७०३ से १८०१ तक केवल अट्टाने वर्षोंका है। इस युगमें आयरलैंडमें शान्ति थी, इसी युगमें प्रोटेस्टेण्ट और रोमन कैथोलिक लोगोंकी द्वेष-नुद्विमें कमी आरम्भ हुई, स्वधर्माभिमानकी अपेक्षा स्वदेशाभिमान अधिक श्रेष्ठ समझा जाने लगा और आयरिश पार्लिमेण्टके सुधारके सम्बन्धमें आन्दोलन आरम्भ हुआ। घटन और फलट सर्रासे राजागतिश और वक्ता इसी युगमें हुए, जिनसे आयरलैंडका मुक्त उज्ज्वल हुआ, नेशनल वालेंटियर लोगोंकी फलटने तैयार हुई और देशके लिए

लोग हर तरहका स्वार्थत्याग करनेको तैयार हुए। इसी भरोसे पर आयरिश लोगोंने सन् १७८२ में स्पष्ट रूपसे यह निश्चय कर लिया कि—

“ अंगरेजी पार्लमेण्ट और आयरिश पार्लमेण्टमें किसी प्रकारका सम्बन्ध नहीं है, केवल दोनों देशोंका राजा एक है। ” ज्योंही आयरिश पार्लमेण्टके सुधारका वास्तविक आरम्भ होनेको था, त्योंही बीचमें फ्रान्स और अमेरिकाकी राज्यक्रान्ति देखकर बहुतसे आयरिश देशभक्तोंके दिमागमें स्वतंत्रताका विचार चक्कर मारने लगा और फ्रान्सकी सहायता लेकर सन् १७९८ में उल्फटोनने विद्रोह किया। वह विद्रोह शान्त किया गया और पार्लमेण्टकी स्वतंत्रता पर आक्रमण हुआ। पिटने लाखों रुपये घूस देकर और पदवियाँ बाँटकर आयरिश पार्लमेण्टके सभासदोंको अपनी ओर मिला लिया। सन् १८०१ में आयरिश पार्लमेण्ट तोड़ दी गई और आयरिश लोगोंके प्रतिनिधि वेस्ट मिनिस्टरमें पार्लमेण्टमें बैठने लगे, डब्लिनमें केवल वाइसराय और शासन करनेवाले अन्य अधिकारी रह गये और राजकार्यका मुख्य केन्द्र लण्डन हो गया। ( ६ ) छठा युग सन् १८०० से १८९३ तक लिया जा सकता है। इस युगमें रोमन कैथोलिक लोगोंके साथ न्याय हुआ, उन्हें प्रोटेस्टेण्ट लोगोंके समान अधिकार मिले और उनके धनसे प्रोटेस्टेण्ट धर्म-मण्डलका पालन होना बढ़ हुआ। कैथोलिक काश्तकारोंको भूमिका स्वामित्व देनेका आन्दोलन बहुत कुछ सफल हुआ। होमरूलका प्रश्न अंगरेज राजनीतिज्ञोंने अपने हाथमें लिया और चाहे होमरूल नहीं मिला तो भी आयरिश लोगोंको स्थानिक स्वराज्यके पूरे अधिकार मिले और साम्पत्तिक स्थितिका सुधार आरम्भ हुआ। सन् १८९३ से आयरलैण्डके इतिहासके नवीन युगका आरम्भ होना माना जा सकता है। इस युगमें होमरूलका प्रश्न फिरसे उठा और मि० एस्कियकी कृपासे होमरूलका बिल पास होकर कानून भी बन गया। पर

युद्धके कारण कुछ दिनोंके लिए उसका पालन रोक रक्ता गया । आयरलैण्डको स्वराज्य मिलना निश्चय तो हो गया, पर अभी यह निश्चय नहीं कहा जा सकता कि पूर्ण स्वराज्यका सुख उसे कब भोगनेको मिलेगा । तो भी इसमें सन्देह नहीं कि उसका प्रारम्भ हो चला है । यदि इन छः युगोंके नाम रखने हों तो हमारी सम्मतिसे इस प्रकार रखे जा सकते हैं ।—पहला कान्ति युग, दूसरा कीर्ति युग, तीसरा कलह युग, चौथा दास्य युग, पाँचवाँ उत्साह युग और छठा आकाक्षा युग । इस प्रकारकी युग-परम्परा और भी अनेक राष्ट्रोंके इतिहासमें दिखाई देगी । पुराना ऐश्वर्य अपने हाथसे गँवाकर फिरसे नया ऐश्वर्य प्राप्त करना बहुत ही कष्ट-साध्य होता है और उसके प्राप्त होनेतक कभी कभी युगोंके युग बीत जाते हैं ।

आयरलैण्ड और स्काटलैण्डकी तुलना । आयरलैण्ड जिसप्रकार संयुक्त ब्रिटिश राष्ट्रका एक अंग है, उसी प्रकार स्काटलैण्ड और वेल्स ये दोनों राष्ट्र भी अंग हैं । ये दूसरे दोनो राष्ट्र भी पहले आयरलैण्डकी तरह स्वतंत्र थे, परन्तु कालान्तरमें इंग्लैण्डने उन्हें जीतकर अपने राज्यमें मिला लिया । वेल्स प्रान्त सन् १२८४ में इंग्लैण्डने राज्यमें जोड़ा गया, तभीसे इंग्लैण्डके युवराज 'प्रिन्स आफ वेल्स' अथवा वेल्सके राजकुमार कहे जाने लगे । स्काटलैण्ड और इंग्लैण्ड ये दोनों राष्ट्र सन् १६०१ में एक ही राज्यके अन्तर्गत आये और इसके सौ वर्ष बाद अर्थात् सन् १७०७ में दोनों राष्ट्रोंकी 'पार्लियामेंट सभा'ये दोनों राष्ट्रोंके लोगोंकी सम्मतिसे एक कर दी गई । एक ओर स्काटलैण्ड और वेल्स तथा दूसरी ओर आयरलैण्डकी स्थितिमें एक ध्यानमें रखने योग्य अन्तर है । स्काटलैण्ड और इंग्लैण्डके बीचमें एक छोटीसी नदीके सिवा ओर कोई बाधा नहीं है और वेल्स प्रान्त तो बिल्कुल इंग्लैण्डमें जुड़ा ही हुआ है । वह देश बिल्कुल एक साथ ही लगा हुआ है और बीचकी सरहद

शक्ति होती थी वे लूटमार, युद्ध, और शिकार करके अपना निवाह करते थे और नाम पैदा करते थे। आयरिश लोग शूंग अवश्य होते थे, लेकिन उनके शौर्यका मुख्य उपयोग सदा अतःकलह प्रदीप्त रखने-में ही हुआ, राष्ट्रके शत्रुओंको दूर रखने या जीतनेमें उसका विशेष उपयोग नहीं हुआ। इसका कारण यही है कि उन लोगोंमें आपसमें कभी एका नहीं हुआ। आयरलैंडके लोग अनेक शताब्दियों तक टोलियाँ बाँध कर रहते थे और प्रत्येक टोलीका मुरय काम दूसरी टोलीके देशमें घुसकर जो कुछ अनाज, गोरू या धन मिले उसे लूट लाना था। लेकिन किसी ऐसे शत्रुको देखकर भी जो सब टोलियोंके लिए समान रूपसे नाशक होता, उनमें आपसके झगड़े मिटाकर एका करनेकी सुझावित् उत्पन्न नहीं होती थी। आज कल भी अँगरेजी जल तथा स्थलसेनाओंमें आधेसे अधिक प्रसिद्ध योद्धा और वीर आयरिश ही हैं। तथापि उनका युद्ध-कौशल और शौर्य आयरिश लोगोंके 'शत्रुके शत्रु' का नाश करनेमें सर्व्व होता है। सैनिक अधिकारियोंका मत है कि अँगरेजी सेनामें आयरिश लोगोंके समान शिष्टताका व्यवहार करनेवाले सिपाही दूसरे नहीं हैं। लेकिन दुर्भाग्यकी बात यह है कि उनकी इस-सज्जनतासे उनके राष्ट्रीय कार्य्यको कभी विशेष लाभ नहीं हुआ। स्वदेशमें लड़ते समय आयरिश सिपाही कभी भलमनसतका वरताव नहीं करता, लेकिन जब वह अँगरेजी अधिकारीकी अधीनतासे काम करने लगता है तब उसके गुणका पूर्ण विकास हो जाता है। आयरिश लोगोंमें कवित्वशक्ति और सहृदयता भी उत्तम श्रेणीकी है और सैनिक ढगके देशभक्ति-प्रेरित सुस्वर कटरे और पँवाडे भी आयरिश लोग ही कहते और बनाते हैं। पराक्रमके लिए अत्यन्त उपकारी इन कडसों और पँवाडोंसे यद्यपि उनकी स्वातन्त्र्यप्रियताकी आग्नि प्रदीप्त हो सकती है, तथापि एकता न होनेके कारण उस ज्वालासे परतत्रताका जूआँ,

नहीं जलाया जा सकता । धर्मकी दृष्टिसे देखते हुए उनमें तेजस्विता और तेजी बहुत है । लेकिन कैथोलिक लोगो पर उनके धर्मगुरुओं और धर्मोपदेशकोंका कुछ विलक्षण प्रकारका प्रभाव होता है । प्रोटेस्टेण्ट पंथको देखते हुए कैथोलिक पंथ कुछ कम सुधरा हुआ है । उसमें विधिनियमोंका झगडा बहुत है और धर्मकी सारी इमारत शब्द-प्रमाण पर ही बनी हुई है । इस लिए धर्मोपदेशकों आदिके हाथमें शिष्यवर्गकी चोटी पूरी तरहसे है । अर्थात् धार्मिक विषयोंमें वे लोग जो आज्ञा अथवा व्यवस्था दें वही उनके शिष्यवर्गको चुपचाप मान लेनी पड़ेगी । इतना ही नहीं, बल्कि सामाजिक और राजकीय विषयोंमें भी धर्मगुरुकी बात ही बहुत कुछ मानी जाती है । कैथोलिक पंथ एक विशिष्ट प्रकारके विचारोंकी ओर ही झुका हुआ है और इस पंथके लोगोंमें तेजी कुछ अधिक और सहिष्णुता कुछ कम है । अतः विधर्मी लोगोंके साथ जब उनका सम्बन्ध होता है अथवा व्यवहार करनेका अवसर आता है तब वे नागरिकताकी दृष्टिसे सार्वजनिक हितके कामोंमें उन विदेशियोंसे उतनी सुविधायें नहीं करा सकते जितनी वास्तवमें करानी चाहिए । वे दैववादी होते हैं । लेकिन उद्योगसे मनुष्यका व्यक्तित्व जितना कसा और कमाया जाता है, उतना केवल दैवादसे और शब्द-प्रमाण मान कर परादलम्बी बननेसे कसा या कमाया नहीं जाता । धार्मिक विषयोंमें कैथोलिक लोगोंका मुख्य दोष ऊपर कहा हुआ विधि-नियमोंका बसेडा ही है । सामाजिक विषयोंमें अविवाहित रहनेके सम्बन्धमें धर्मकी आज्ञाका जो पक्षपात उनमें दिखाई देता है उसका परिणाम बहुत ही बुरा होता है । शिक्षाके विषयमें अधिकतर लोग श्रद्धा पर ही निर्भर रहते हैं, इस लिए शिक्षित लोगोंमें भी यथेष्ट चतुरता और युक्तिवादप्रियता नहीं दिखाई देती और शिक्षा एकांगी होती है । शिल्प, व्यापार आदिके सम्बन्धमें देखते हुए अविवाहित रहनेकी पद्धति और शब्द-प्रमाण भी

जूआँ आपसके झगड़ेके कारण ही अपने कन्धे पर रखवाया था । जिस समय यह जूआँ उनके कन्धे पर पड़ा था उस समय, चाहे आगेके परिणामका ध्यान न होनेके कारण कह लीजिए और चाहे यह कह लीजिए कि परकीयोंकी अपेक्षा स्वकीयोंका द्वेष ही आयरिश लोगोंके मनमें अधिक प्रबल था, राष्ट्रमें इतनी एकता उत्पन्न नहीं हुई थी जिसकी सहायतासे विदेशियोंके अधिकारका जूआँ तत्काल ही कन्धेपरसे फेका जा सकता । इसके उपरान्त आयरलैंडकी अपेक्षा इंग्लैंड दिन पर दिन अधिक बड़ा और प्रबल होता गया, जिससे यह जूआँ और भी भारी होता गया । तथापि इधर शताब्दियोंसे कभी आयरिश लोगोंने एकदिल होकर और दृढ निश्चय करके विदेशियोंका अधिकार हटानेका कभी कोई प्रयत्न नहीं किया । इंग्लैंडमें शान्ति विराजनेके समय और राष्ट्र पर अन्य किसी प्रकारका सकट न रहनेके समय आयरिश लोग एक होकर जो विद्रोह करते, उसके सफल होनेकी कोई सम्भावना नहीं थी । लेकिन—‘ जो अपने शत्रुकी होली वही अपनी दिवाली ’ अर्थात् ‘ अपने शत्रुका सकट ही अपने लिए सबसे अच्छी सन्धि है ’ वाले न्यायसे यदि आयरिश लोग काम करना चाहते, तो अंगरेजी अमलदारीका जूआँ अपनी गरदनसे हटा देनेके लिए उन्हें बहुतसे अवसर मिल सकते थे । इन सातसौ वर्षोंमें इंग्लैंडका सारा समय सुससे ही नहीं बीता । इस बीचमें इंग्लैंडमें ही दो तीन बार लड़ाई हुई, गज्यासनके लिए झगड़े हुए, राजवश उलट-पुलट गये और राज्यक्रान्तियाँ हुई । इंग्लैंडके ये सब अवसर बहुत ही यातना और चिन्तामें बीते थे । यदि आयरिश लोग चाहते तो इन अवसरोंका स्वतन्त्रता प्राप्त करनेके काममें अच्छा उपयोग कर सकते थे । लेकिन यह बात बहुत ही स्पष्ट है कि उनसे जिस प्रकार लाभ उठाना चाहिए था उस प्रकार उन लोगोंने लाभ नहीं उठाया ।

राजा सातों हेनरीके गद्दी पर बैठनेसे पहले कई वर्षोंतक इंग्लैण्डमें 'गुलाबी झण्डेका युद्ध' नामका प्रसिद्ध युद्ध होता रहा । उस समय देशके बहुतसे लडाके जवान कट गये थे और इंग्लैण्ड राष्ट्र बहुत ही नि सत्त्व और निर्भीर हो गया था । उस समय यदि आयरिश लोगोंने अपना हाथ चलाया होता तो चल गया होता । लेकिन उस समय आयरलैण्डके लोगोंमें आपसमें ही झगडा हो रहा था । प्रायः नब्बे आयरिश सरदार अपने अपने सात आठ सौ अनुयायियोंके साथ एक दूसरेसे लड रहे थे । इतिहासकारोंने आयरलैण्डकी उस समयकी स्थितिका जो वर्णन किया है उससे जान पडता है कि उन दिनों जहाँ किसी युद्धक योद्धाको यह मालूम हो जाता कि मेरा तलवारका हाथ अच्छा चलता है तहाँ वह अपने साथ सौ पचास आदमी ले लेता और छोटे मोटे जंगल, पहाडी पर या मैदानमें छोटीसी गद्दी बाँधकर जितनी जमीन मिलती उतनी अपने अधिकारमें कर लेता और एक छोटासा सूबा सडा करके उसका राजा बन बैठता । भला ऐसे समयमें राष्ट्रीयताकी कल्पनाका उदय कैसे हो सकता था ? इसके उपरान्त एक और अवसर उस समय था, जब कि राजा प्रथम चार्ल्सके राजत्वकालमें इंग्लैण्डमें राज्यक्रान्ति हुई थी । राजा ओर पार्लमेंटके नेताओंमें अनबन हो गई थी ओर युद्ध आरम्भ हो गया था । उस समय आयरलैण्डके लोगोंने कुछ उपद्रव अवश्य किया था, परन्तु यह उपद्रव मुख्यतः स्वदेशकी स्वतंत्रता प्राप्त करनेके लिए नहीं हुआ था । चाहे पहले पहल इस प्रकारकी कल्पना उनके दिमागमें आई हो, पर आगे चलकर यह कल्पना नहीं ठहरी ।

ओनील आदि कुछ आयरिश सरदारोंने यह सोचा था कि यदि राजा चार्ल्स रोमन कैथोलिक पथ स्वीकार करेगा तो उसे आयरलैण्डका राजा बनावेंगे और उसके लिए लड़ेंगे । तदनुसार राजाकी ओरसे विद्रोहका झण्डा सडा किया गया और कैथोलिक लोगोंने बसे हुए



लाभ कर सकता था। लेकिन पहले पहल 'स्वतंत्रता नष्ट होनेके समय आयरिश लोगोंको जो उत्तम प्रकारकी मरदानगी दिखलानी चाहिए थी वह तो उन्होंने दिखलाई नहीं, परन्तु उसके नष्ट होने पर उनमें जो एक गौण प्रकारकी मरदानगी थी, उसकी सहायतासे उन्होंने पाँच सौ वर्षों तक मन:क्षोभ और असन्तोष बना रक्खा और इस प्रकार राष्ट्रका मन और शरीर पीस डाला। वेल्श और स्कॉच लोगोंने स्वतंत्रता नष्ट होने पर जो थोडासा बल खाया उसके कारण उन्हें शीघ्र ही अंगरेजोंके समान अधिकार मिल गये और कुछ समयमें वे उनके साथ एकजीव हो गये। लेकिन आयरिश लोगोंने वह बात नहीं की। यों तो उनके रोमन कैथोलिक होनेके कारण अंगरेजोंके साथ उनके एकजीव होनेके मार्गमें अधिक अड़चन थी ही। तथापि आपसमें पूर्ण एकता करके अनुकूल परिस्थितिमें भी मिर उठानेकी तैयारी न करके उन्होंने केवल इधर उधर छोटे मोटे विद्रोह किये, और जिस समय विद्रोह भी नहीं हो सकते थे उस समय पद्मयत्र, लूट-मार और गुप्त वध आदि करके देशकी अस्वस्थता और असन्तोष तथा राजकर्मचारियोंका क्रोध सदा बनाये रक्खा। इस कारण उन्हें स्वतंत्रता तो मिली नहीं, उलटे उनकी दुरवस्थामें दुःसकी ही वृद्धि हुई।

' आयरिश लोग अपने इन्हीं गुणों और दोषों तथा पूर्वतिहास आदि बातोंके कारण राजनीति-प्रिय बने हुए हैं। उन्हें राजनीति जितनी प्रिय है उतनी और कोई चीज प्रिय नहीं है। शराबके लिए जैसे शराब और जुआरीके लिए जैसे जूआ है, आयरिश लोगोंके लिए वैसे ही राजनीति है। उसके अभावमें उन्हें और कुछ सूझता ही नहीं, और ऐसे प्रसंग बहुधा आया करते हैं। क्योंकि आयरिश राजनीति केवल विरोध करना ही है। लेकिन इस विरोधकी भी स्वभावतः कुछ मर्यादा है। विरोध अपने देशकी पार्लमेंटमें होना चाहिए। और फिर पार्लमेंटकी

अवस्था देसते हुए जितना विरोध पार्लमेंटके समयमें हो सकता था उतना अब नहीं हो सकता था । क्योंकि पार्लमेंट और उनके सहकारियोंने पार्लमेंटके नियमोंसे लाभ उठाकर जो धमा-चौकड़ी मचाई थी, उससे सचेत होकर पार्लमेंटने अपने वादविवादके नियम बहुत कुछ बदल दिये थे । इन नये नियमोंके कारण कोई सभासद किसी विषय पर बहुत अधिक विवाद नहीं बढ़ा सकता । यदि कोई बहुत अधिक विवाद बढ़ाने लगे तो पार्लमेंटका अध्यक्ष सभाकी सम्मति लेकर अथवा अपने अधिकारसे ही उसे रोक सकता है और यदि कोई सभासद इससे भी आगे बढ़ जाय तो वह सिपाहियोंके द्वारा पार्लमेंटसे बाहर निकलवाया जा सकता है । बहुत बोलकर लोगोंको दुःखी कर देना ही पार्लमेंटका विरोध है, और उसीके रोकनेका यह उपाय है । लेकिन यह उपाय पार्लमेंटके कामोंकी अडचन रोकनेके लिए है । स्वयं अपने पक्षमें मनमानी अडचन टालनेका सबको अधिकार है और उसे कोई रोक नहीं सकता । इसी लिए सन् १९१४-१५ में जब आयर्लैण्डका होमरूल बिल पार्लमेंटमें पेश था तब आयर्लैण्डके अलस्टर प्रान्तके यूनियनिस्ट दलने अपना राजनीतिक प्रयत्न नहीं छोटा और होमरूलका घोर विरोध किया था । बल्कि इन्हीं लोगोंकी इस राजनीति-प्रियताके कारण होमरूल बिलके पास होनेमें इतना विलम्ब हुआ । विरोधका दूसरा मार्ग है बहिष्कार, अक्षत्रप्रतीकार अथवा उपद्रव आदि । लेकिन एक तो इस प्रकारकी बातोंके लिए एक विशिष्ट समयकी आवश्यकता होती है और उसी विशिष्ट समयमें ये बातें हो सकती हैं । सालके ३६५ दिनोंमें वे बराबर हो नहीं सकतीं । और दूसरे इस प्रकारकी घोर और अनुचित बातें सरकारी अधिकारियोंके अनुचित नियमोंसे दुःखी और क्रुद्ध होने पर होती हैं, लेकिन ऐसे नियम प्रतिदिन नहीं बनते । अपने वाकीके सब कामोंको तिलाजलि देकर स्वार्थत्याग करके सरकारके कृत्योंकी केवल

लाम कर सकता था। लेकिन पहले पहल स्वतंत्रता नष्ट होनेके समय आयरिश लोगोंको जो उत्तम प्रकारकी मरदानगी दिखलानी चाहिए थी वह तो उन्होंने दिखलाई नहीं, परन्तु उसके नष्ट होने पर उनमें जो एक गौण प्रकारकी मरदानगी थी, उसकी सहायतासे उन्होंने पाँच सौ वर्षों तक मनःक्षोभ और असन्तोष बना रक्खा और इस प्रकार राष्ट्रका मन और शरीर पीस डाला। वेल्श और स्कॉच लोगोंने स्वतंत्रता नष्ट होने पर जो थोड़ासा बल साया उसके कारण उन्हें शीघ्र ही अँगरेजोंके समान अधिकार मिल गये और कुछ समयमें वे उनके साथ एकजीव हो गये। लेकिन आयरिश लोगोंने वह बात नहीं की। यों तो उनके रोमन कैथोलिक होनेके कारण अँगरेजोंके साथ उनके एकजीव होनेके मार्गमें अधिक अड़चन थी ही। तथापि आपसमें पूर्ण एकता करके अनुकूल परिस्थितिमें भी मिर उठानेकी तैयारी न करके उन्होंने केवल इधर उधर छोटे मोटे विद्रोह किये, और जिस समय विद्रोह भी नहीं हो सकते थे उस समय पद्म्यत्र, लूट-मार और गुप्त वध आदि करके देशकी अस्वस्थता और असन्तोष तथा राजकर्मचारियोंका क्रोध सदा बनाये रक्खा। इस कारण उन्हें स्वतंत्रता तो मिली नहीं, उलटे उनकी दुरवस्थामें दुःखकी ही वृद्धि हुई।

आयरिश लोग अपने इन्हीं गुणों और दोषों तथा पूर्वतिहास आदि बातोंके कारण राजनीति-प्रिय बने हुए हैं। उन्हें राजनीति जितनी प्रिय है उतनी और कोई चीज प्रिय नहीं है। शराबीके लिए जैसे शराब और जूआरीके लिए जैसे जूआ है, आयरिश लोगोंके लिए वैसे ही राजनीति है। उसके अभावमें उन्हें और कुछ सूझता ही नहीं, और ऐसे प्रसंग बहुधा आया करते हैं। क्योंकि आयरिश राजनीति केवल विरोध करना ही है। लेकिन इस विरोधकी भी स्वभावतः कुछ मर्यादा है। विरोध अपने देशकी पार्लमेंटमें होना चाहिए। और फिर पार्लमेंटकी

अपस्था देखते हुए जितना विरोध पार्नेलके समयमें हो सकता था उतना अब नहीं हो सकता था । क्योंकि पार्नेल और उनके सहकारियोंने पार्लमेंटके नियमोंसे लाभ उठाकर जो धमा-चोकड़ी मचाई थी, उससे सचेत होकर पार्लमेंटने अपने वादविवादके नियम बहुत कुछ बदल दिये थे । इन नये नियमोंके कारण कोई सभासद किसी विषय पर बहुत अधिक विवाद नहीं बढ़ा सकता । यदि कोई बहुत अधिक विवाद बढ़ाने लगे तो पार्लमेंटका अध्यक्ष सभाकी सम्मति लेकर अथवा अपने अधिकारसे ही उसे रोक सकता है और यदि कोई सभासद इससे भी आगे बढ़ जाय तो वह सिपाहियोंके द्वारा पार्लमेंटसे बाहर निकलवाया जा सकता है । बहुत बोलकर लोगोंको दुःखी कर देना ही पार्लमेंटका विरोध है, और उसीके रोकनेका यह उपाय है । लेकिन यह उपाय पार्लमेंटके कामोंकी अडचन रोकनेके लिए है । स्वयं अपने पक्षमें मनमानी अडचन डालनेका सबको अधिकार है और उसे कोई रोक नहीं सकता । इसी लिए सन् १९१४-१५ में जब आयर्लैण्डका होमरूल बिल पार्लमेंटमें पेश था तब आयर्लैण्डके अलस्टर प्रान्तके यूनियनिस्ट दलने अपना राजनीतिक प्रयत्न नहीं छोड़ा और होमरूलका घोर विरोध किया था । चल्कि इन्हीं लोगोंकी इस राजनीति-प्रियताके कारण होमरूल बिलके पास होनेमें इतना विलम्ब हुआ । विरोधका दूसरा मार्ग है बहिष्कार, अशस्त्रप्रतीकार अथवा उपद्रव आदि । लेकिन एक तो इस प्रकारकी बातोंके लिए एक विशिष्ट समयकी आवश्यकता होती है और उसी विशिष्ट समयमें ये बातें हो सकती हैं । सालके ३६५ दिनोंमें वे बराबर हो नहीं सकतीं । और दूसरे इस प्रकारकी घोर और अनुचित बातें सरकारी अधिकारियोंके अनुचित नियमोंसे हुई और क्रुद्ध होने पर होती हैं, लेकिन ऐसे नियम प्रतिदिन नहीं बनते । अपने बाकीके सन कामोंको तिलाजलि देकर स्वार्थत्याग करके सरकारके कृत्योंकी केवल

वही है। आयर्लैण्डको चाहिए तो था होमरूल, पर उसे न देकर इंग्लैण्ड उससे पूछता था कि तुम्हें कहीं म्युनिसिपैलटी चाहिए ? कहीं अधिकार चाहिए ? और आयर्लैण्ड 'नहीं' 'नहीं' करता और चिढ़ाता था। राम राम करके आयर्लैण्डको होमरूल मिलना निश्चय हुआ और यह चिढ़ाहट कुछ कम हुई।

अस्तन्तोपका मर्म । आयरिश लोगोंके पाँच सौ वर्ष दासत्वमें और दो ढाई सौ वर्ष आन्दोलनमें बीते । तथापि गई हुई राष्ट्रीयता फिरसे प्राप्त करनेकी उनकी उच्चाकाक्षा नष्ट नहीं हुई थी । यह उच्चाकाक्षा उनके रक्तमें मिली हुई थी । क्योंकि यह उच्चाकाक्षा केवल आयर्लैण्डमें रहनेवाले आयरिश लोगोंमें ही नहीं थी, बल्कि आयरिश वंशके उन लोगोंमें भी राष्ट्रीयताकी कल्पना थी जो सैकड़ों बरसोंसे स्वदेश छोड़ कर विदेशमें जा बसे थे और जिनका स्वदेशके साथ विशेष सम्बन्ध नहीं था। हिन्दू लोग जिस प्रकार कल्कि अवतारका होना मानते हैं उसी प्रकार आयरिश लोग भी—चाहे वे ससारके किसी भागमें रहते हों—यह मानते थे कि हमारे लिए कभी न कभी स्वतंत्रताका दिन अवश्य आवेगा और बहुधा वह दिन अब दूर नहीं है। सत्रहवीं और अठारहवीं शताब्दीमें प्रोटेस्टेंट शासनसे दुःखी और त्रस्त लाखों आदमी इंग्लैण्डको गालियाँ देते हुए बड़े कष्टसे और पिवश होकर विदेश चले गये थे। इस प्रकार स्वदेश छोड़कर आयर्लैण्डसे जितने लोग आजतक विदेश गये उतने और किसी देशसे किसी समय और किसी कारणसे नहीं गये थे। पर विदेश जाने पर वहाँ उन्हें स्वदेशकी अपेक्षा अधिक सुख मिला। वे स्थायीरूपसे वहाँ बस गये—उन्होंने घरबार बनाया, कामधन्या शुरू किया और धन कमाया। भला इससे अधिक और कौनसा सुख उन्हें स्वदेशमें मिलता ? देश छोड़कर आयरिश लोग प्रधानतः अमेरिका और फ्रान्स गये थे और वहाँ उन लोगोंने ऐसे ऐसे राष्ट्रीय काम

किये, जिनके कारण बहुत दिनों तक उनका नाम बना रहा ।, अर्थात् इस नई भूमि पर उनका प्रेम हो गया । तो भी दत्तक, लटकेको नये घरमें भोगनेके लिए चाहे कितनी ही सम्पत्ति और सुख क्यों, न मिले पर उसकी प्रेमपूर्ण दृष्टि अपने पहले घर पर रहती ही है । और विशेषतः जब पहले घरमें उसके माँ-बाप और भाई बड़ विपत्तिमें अपने दिन बिताते है तब उसके मनमें स्वभावतः उनकी सहायता करनेकी इच्छा उत्पन्न होती है । विदेशमें रहनेवाले आयरिश लोगोंकी भी यही दशा हुई । अपने पूर्वजोंकी जन्मभूमिका ध्यान उन्हें सदा बना रहा । वहाँसे वे अपने देशभाईयोंकी बराबर खबर लेते रहे, सब तरहके राष्ट्रीय आन्दोलनोंमें बराबर उनकी सहायता करते रहे, होमरूलके आन्दोलनमें अपना प्रत्यक्ष हिताहित समझकर बराबर उसकी चर्चा कान लगाकर सुनते रहे और उनमें इतना उत्साह तथा विश्वास बना रहा कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और परसों नहीं तो सौ परसों बाद, यदि आयरलैंड अनायास राष्ट्र बन गया तो ठीक ही है और नहीं तो यदि आयरलैंडके लिए लड़ाई करनी पड़ी तो हमारे नाती पोते ही आयरिश लोगोंकी सहायताके लिए दौंटगे । सन् १७९८ के विद्रोहमें फ्रान्सके आयरिश लोग उल्फटोनकी सहायताके लिए आये थे और यह पहले ही कहा जा चुका है कि उन्नीसवीं शताब्दीमें फीनियन लोगोंने राज्यक्रान्तिसे लिए जो उपक्रम किया था उमका सारा सामान अमेरिकाके आयरिश लोगोंने ही किया था । अब तक होमरूलके नेता 'जान रेडमण्ट ग्राय' प्रतिवर्ष अमेरिकामा एक दौरा किया करते थे और आते समय राष्ट्रीय पक्षके फण्डके लिए 'अमेरिकन आयरिश' लोगोंके स्वेच्छापूर्वक दिये हुए चन्देकी हजारों पाउण्डकी रकम जैयमे भर लाते थे ।

हानि ही हुई है \* । आजसे सैकड़ों वर्ष पूर्व आयरलैंडमें क़ैथोलिक लोगोंपर जो धार्मिक अत्याचार हुए थे यद्यपि उन अत्याचारोंके कर्त्ताओंका कब्रोंमें आज नामो-निशान भी नहीं है, तथापि उनका स्मरण और क्लेश आजतक आयरिश लोगोंके मनमें बना हुआ है । आयरिश व्यापारियोंके हाथ-पैर तोड़नेके लिए सत्रहवीं शताब्दीमें जो कायदे बनाये गये थे उसके बनानेवाले कभीके जमीनमें गाड़े जा चुके । यही नहीं बल्कि वे कायदे भी आज रद्द हो गये और इंग्लैंड अनियंत्रित व्यापारके तत्त्वका समर्थन और प्रसार कर रहा है । तो भी इस अनियंत्रित व्यापारसे लाभ किसका होता है ? जिसके हाथ-पैर पहलेसे साबुत है उसका । जनमते ही किसी शिशुको हाथ पैर बाँधकर अन्धेरेमें रख देना ओर एक दिन उसे बाहर निकालकर कहना कि—“ तुम मैदानमें मेरे साथ शर्त्त लगाकर दौड़ो, और यदि तुम न दौड़ो तो उसमें मेरा क्या दोष । ” और अब इंग्लैंडका आयरलैंडसे यह कहना कि—“ अब करो और मेरे बराबर सम्पन्न हो जाओ । यदि तुम ऐसा न करोगे तो दोष तुम्हारा ही होगा । ” दोनों बराबर ही हैं । ठीक वही बात पार्लमेण्टके सम्बन्धमें भी थी । आयरलैंडकी स्वतंत्र पार्लमेण्ट टूटनेके उपरान्त अँगरेजी पार्लमेण्टमें अबतक प्रायः सौ ही सभासद आयरलैंडकी ओरसे चुने हुए होते हैं और इन एकसोमें भी फूट रहती है । राष्ट्रीय पक्षके केवल पचास साठ सभासद होते थे जो यह समझ कर चुपचाप एक कोनेमें बैठे रहते थे कि बहुमतके सामने हमारी तो कुछ चलेगी ही नहीं । तब भला आयरिश लोग अपनी पुरानी स्वतंत्र पार्लमेण्टका वैभव कैसे भूल सकते थे ? पर अतमें बहुतसी कठिनाइयोंके उपरान्त ईश्वर

\* मूल मराठी पुस्तकमें इंग्लैंड और आयरलैंडके बैरकी अच्छी विवेचनाकी गई है । पर अब उस बैरका बहुतसे अंशोंमें नाश हो गया है, अतः इस अनुवादमें इस सम्बन्धकी बातें बहुत ही संक्षेपमें ली गई हैं ।—अनुवादक ।

आयरिश लोगोंके अनुकूल हुआ और उन्हें स्वतंत्र पार्लमेंट तथा स्वराज्य मिलना निश्चित हुआ ।

यह बात पहले ही कही जा चुकी है कि जबसे इंग्लैण्डने आयरलैंड पर विजय प्राप्त की तबसे वहाँ बराबर यही होता रहा कि जो काम करनेके लिए आयरिश लोग कहते थे वह नहीं किया जाता था, जो कुछ वे माँगते थे वह सीधी तरहसे नहीं दिया जाता था, और जिस कामके लिए वे मना करते थे वह जबरदस्ती उन पर लादा जाता था । यह सब आयरलैंडमें जाकर बसे हुए मुठीभर प्रोटेस्टेण्ट लोगोंके लिए होता था । आयरिश लोग धार्मिक स्वतंत्रता और स्वतंत्र पार्लमेण्ट ही माँगते थे, पर ये दोनों चीजें उन्हें नहीं दी गईं और उनके धनसे विधर्मी मण्डल और विधर्मी शिक्षा-पद्धति चलाई गई और सैकड़ों वर्ष तक जमींदारीकी वह पद्धति वहाँ रही जो क्षण क्षण पर उन्हें कष्ट पहुँचाती थी । आयरलैंडमें प्रवेश करने पर पहले सौ दो सौ वर्षों तक अँगरेजोंका जो व्यवहार था उसके लिए उन्हें अधिक दोष नहीं दिया जा सकता । क्योंकि आयरिश लोग भी उनके साथ बदमाशी करते थे । ये पहले सौ दो सौ वर्ष आयरलैंडमें अँगरेजोंकी अमलदारी होनेमें बीते और हर एक देशमें अमलदारी होनेका समय दोनों ही पक्षोंके लिए त्रासदायक होता है । कोई समझदार यह नहीं कह सकता कि अँगरेजोंको हाथमें आया हुआ देश छोड़ देना चाहिए था, और जब उसे रसना था तब उस पर अपना अधिकार जमाना भी आवश्यक था । अधिकार जमानेके लिए तलवार निकालनी और रसनी पटती है, पर अँगरेजोंने सदा तलवार निकाली ही रक्खी । आयरिश लोग अपनी स्वतंत्रता सोनेके लिए तैयार नहीं थे, इस लिए उन्होंने भी अँगरेजोंको कष्ट पहुँचानेमें कमी नहीं की । लेकिन सन् १६४१ में जब इस झगटेका सदाके लिए फैसला हो गया उस समय अँगरेजोंको यह भय कनेका



कोई कारण न रह गया कि अब आयरलैण्ड हमारे हाथसे निकल जायगा। अब यह बात अँगरेजोंको भी खुले दिलसे स्वीकार करनी पड़ेगी कि इसके उपरान्त अँगरेजोंको जितनी सहृदयताका व्यवहार करना चाहिए था उतनी सहृदयताका व्यवहार उन्होंने नहीं किया, इतना ही नहीं बल्कि अँगरेजोंने उस समय ऐसे कानून बनाकर आयरिश लोगोंकी राष्ट्रीयता नष्ट करनेका प्रयत्न किया जो सभ्यताके नाम पर कालिमा लगानेवाले थे। और यह बात बहुत ही बुरी हुई कि अट्टारहवीं शताब्दीमें इंग्लैण्डसरीखे राष्ट्रकी अधीनतामें रहकर आयरिश लोग दरिद्र, दीन और हीन हो गये और उनके करीब करीब कगाल होनेकी नौगत आ गई।

सन् १७७८ सेरुस कुछ बदल अवश्य गया था, परन्तु इसके उपरान्त भी अँगरेजोंने जो कुछ दिया वह बड़े ही कष्टसे दिया। उत्साहपूर्वक ओर स्वयं बहुत कम दिया। अनेक अवसरों पर यही हुआ कि जब आन्दोलन बहुत बढ़ गया और हाथावाँहीकी नौबत आई तब जाकर अँगरेज राजनीतिज्ञोंने आयरिश लोगोंकी प्रार्थना स्वीकृत की। पहले कैथोलिक लोग जमीनके मालिक होकर उसे काममें नहीं ला सकते थे। सन् १७७८ से उन्हें यह अधिकार मिला, परन्तु यह ध्यानमें रखना चाहिए कि इंग्लैण्डका वह वर्ष अमेरिकाकी गडबडकी चिन्तामें बीता था। साराटोगामें अँगरेजी सेनाके परास्त होनेके उपरान्त इधर आयरलैण्डमें कैथोलिक लोगोंके कायदेके बन्धन ढीले होने लगे। सन् १७८२ में ब्रिटिश पार्लिमेण्टने यह स्वीकृत किया था कि आयरिश पार्लिमेण्ट स्वतंत्र है, लेकिन उससे पहले आयरिश राष्ट्रीय स्वयंसेवकोंकी सेना क्वायद सीसकर तैयार हो चुकी थी और उसने वाकायदा तौर पर ही धर्मों न हो, भिन्न भिन्न प्रकारोंसे अपनी कारगुजारी ओर ओजस्विता दिसलाई थी। सन् १७९३ में कैथोलिक लोगोंको म्युनिसिपल टिथियोंके

चुनायमें सम्मति देनेका अधिकार मिला । लेकिन उससे पहले जॉन की-ओष और उल्फटोन दोनोंने आन्दोलन करके ओर इंग्लैण्डमें डेपुटेशन ले जाकर देश हिला डाला था और अलम्टर प्रान्तके स्वयं प्रोटेस्टेण्ट लोगोंने भी आँसू तरेरी थीं । १८२९ में कैथोलिक लोगोंको पूरी स्वतंत्रता आवश्य मिल गई, लेकिन उससे पहले आयरलैण्डकी स्थिति कैसी थी, उसका अच्छी तरह पता उस पत्रसे लगता है, जो उस समयके प्रधान मन्त्री सर राबर्ट पीलने लिमरिकके धर्माध्यक्षको एक अवसर पर लिखा था । उस पत्रमें लिखा था—“ इस समय इंग्लैण्डका किसी दूसरे राष्ट्रके साथ कोई झगडा नहीं है । यह बात दूसरी है कि इस कारण आयरलैण्डमें शान्ति रखनेके लिए इंग्लैण्डकी सारी सेनामेंसे पाँच पचाश सेना आज छ. महीनेसे हम वहाँ रक्ते हुए है । लेकिन प्रत्यक्ष विद्रोहकी अपेक्षा यह स्थिति कहीं तक अच्छी करी जा सकती है ? मैं तो इसे ओर भी निकृष्ट नहूँगा । ओर जब शान्तिके समय यह दशा है तब युद्ध आरम्भ होने पर क्या होगा, इसकी कल्पना कृपा कर आप ही कर लें । इंग्लैण्डके लोगोंके खर्चसे चलनेवाली सेनाका आधा भाग यदि आयरलैण्डमें ही रक्ता पडा तो यह रक्ता उन्हें कहीं तक पसन्द होगा ? सन् १७८२ और १७९३ में जो दशा हुई थी वह हम लोग कैसे भूल सकते हैं ? आप कहेंगे कि—‘ उस समय इंग्लैण्डने आयरिश लोगोंकी प्रार्थनाय स्वीकृत करलीं, यही बड़ी भूल की । ’ पगन्तु आपको इस बातका ध्यान रखना चाहिए कि उस समय वे प्रार्थनाय प्रसन्नतासे नहीं स्वीकृत की गई थीं । उनके स्वीकृत न करनेके कारण राष्ट्र पर जो पहलेसे भी अधिक भयप्रद सकट आनेवाले थे उन्हीं सकटोंसे बचनेके लिए उनकी बातें मानी गई थीं । ”

लार्ड मेलबोर्नके शासन-कालमें आयरलैण्डको थामस ड्रमण्ड सरिता प्रधान सेक्रेटरी मिला था और उसके अच्छे दिन आये थे । उस थोडे-

से समयमें आयरिश लोग यह समझने लगे थे कि केवल न्यायद्विसे अंगरेज राजनीतिज्ञ प्रजाको सुसुटे रहे है। उस समय ओकानेलने भी राजनीतिज्ञता दिसलाकर आन्दोलन कम कर दिया था और ऐसी नीतिका अवलम्बन किया था, जिससे अधिकारियोंको चिन्ता न रह जाय, और वास्तवमें जो अधिकार आयरिश कैथोलिक लोगोंको लिबरिककी सन्धिके समय मिलने चाहिए थे वे उस समय प्रायः १२५ वर्षोंके उपरान्त मिले। लार्ड मेलबोर्नको इंग्लैण्डके लोगोंने बहुतदुःखी कर दिया और वे अपनी इच्छानुसार आयरिश लोगोंका कल्याण न कर सके। यदि लार्ड मेलबोर्न और थामस ड्रमण्डके इच्छानुसार सब काम हो जाते और सन् १८३५ से १८४१ तक छ वर्ष ओकानेलने स्वयं थोड़ी बहुत अप्रियता सहकर भी आन्दोलनको जो ठीक दिशामें रक्खा था और अधिकारियोंको लोकमतकी जो उचित सहायता दी थी उसका यदि उचित आदर होता तो वे अनिष्ट न होते जो पीछे सन् १८४२ से १८४८ तक हुए और अधिकारी तथा प्रजा दोनोंको वह कष्ट न भोगना पडता। वल्लिक फीनियन लोगोंके आन्दोलनमें भी जोर न आता। लार्ड मेलबोर्नको जो कष्ट भोगना पडा उसका फल यह हुआ कि आगे सन् १८६८ तक किसी मन्त्रीने आयरलैंडका प्रश्न उठाकर यह कहनेका साहस नहीं किया कि—‘हमें चाहे कष्ट ही पहुँचे तो कोई चिन्ता नहीं, परन्तु जो बात उचित है वह हम करेगे ही।’ न्यायकी दृष्टिसे आयरलैंडको सुखी करना चाहिए था, लेकिन आयरलैंडका प्रश्न सामने आने पर न्याय-प्रिय मन्त्री भी यह समझ कर जहाँके तहाँ रह जाते थे, कि हम अधिकार-रखकर तो कुछ कर भी सकेंगे, पर जब हम अधिकार-भ्रष्ट हो जायेंगे तब क्या करेंगे ? पाँच सौ वर्षमें केवल दो ही अंगरेज राजनीतिज्ञ ऐसे हुए, जिन्होंने इस बातका आग्रह किया कि आयरिश लोगोंके कष्ट अवश्य दूर होने चाहिए। एक तो जॉन ब्राइट और दूसरे ग्लैडस्टन,

इनमेंसे ब्राइटके लिए उत्तरदायित्वकी रीतिसे राज्यसूत्र चलानेके प्रसंग थोड़े ही आते थे, क्योंकि वे अधिकारका सहारा नहीं लेते थे, बल्कि जो कुछ उन्हें ठीक ओर सरल जान पड़ता था वही वे कहते थे । हॉ ग्लेडस्टन साहब अपनी इच्छानुसार काम करके आयर्लैण्डका थोड़ा बहुत हित कर सके । प्रोटेस्टेण्ट वर्ममण्डलका स्वर्च कम करने और जमीनके सम्बन्धमें कानून बनाकर आयरिश प्रजाको जर्मीदारोंके अत्याचारसे अशत मुक्त करनेका यश उन्हींको मिला । लेकिन होमरूलके विषयमें उन्हें लार्ड मेलबोर्नसे भी अधिक कष्ट भोगना पड़ा और अन्तमें होमरूल बिलको पास होते देखनेसे पहले ही उन्हें यह सत्तार छोड़ देना पड़ा । इस सम्बन्धमें सबसे अधिक उल्लेखयोग्य तीसरा नाम मि० एडक्रिथका भी है, जिन्होंने अनेक युक्तियाँ लडाकर और बहुत कुछ लड़-झगड़ कर अन्तमें आयरिश होमरूल बिल पास ही करा दिया और जिन्हें इस कामके लिए अँगरेजोंके हाथों विशेष कष्ट भी न सहना पड़ा । तो भी इसमें सन्देह नहीं कि आयरिश लोगोंको अपने अधिकार प्राप्त करनेमें बहुतसे अशोभे अपने आन्दोलन पर ही निर्भर रहना पड़ा ।

आयरिश आन्दोलनकी भीमासा । कहा जा सकता है कि आयरिश लोगोका आन्दोलन सत्रहवीं शताब्दीसे आरम्भ हुआ । क्योंकि प्रायः उन्हीं दिनों उनके मनमें यह आकांक्षा उत्पन्न हुई कि यद्यपि हम लोग जीते जा चुके हैं, तथापि हमें अपनी स्थिति सुधारकर राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त करना है । उस समयसे पहले उनके इतिहासमें कोई ऐसा विशेष उद्योग नहीं दिखाई देता जिसके लिए आधुनिक सभ्यताके 'आन्दोलन' शब्दका प्रयोग किया जा सके । इससे पहले उनके इतिहासमें जो उद्योग हुए वे प्रायः व्यक्तिगत उच्चाकांक्षाके कारण हुए थे और उन्हें विशेष सार्वजनिकस्वरूप नहीं प्राप्त हुआ था । चार आदमी—आदमी ही क्यों बल्कि जानवर भी—जहाँ इकट्ठे

रहते हैं वहाँ उनमें जीवनकलह आरम्भ होता है। स्वार्थबुद्धि की प्रेरणासे एक व्यक्ति दूसरों पर अपना अधिकार चलानेका उपक्रम करता है और इस कारण झगडा आरम्भ होता है। लेकिन केवल व्यक्तिगत स्वार्थ-बुद्धि के कारण होनेवाले उद्योगोंसे मनोरञ्जक इतिहास नहीं बन सकता। इस प्रकारके इतिहासके तैयार होनेके लिए स्वार्थ-बुद्धिको उदात्त और सार्वजनिकस्वरूप धारण करना पडता है। यदि यह बात भी मान ली जाय कि सब प्रकारकी प्रवृत्तियोंकी उत्पत्ति अहकारसे ही होती है, तो भी यह स्पष्टरूपसे मानना ही पडेगा कि अहकारका विषय जितना बडा होगा, उसका काम भी उतना ही अधिक होगा और उसका काम जितना अधिक होगा उसका परिणाम भी उतना ही अधिक होगा। जिसके अहकारकी दौड अपने और अपने वाल बच्चोंके छोटेसे ससार तक ही है उसके हाथसे कहाँ तक बडा काम हो सकेगा ? लेकिन इसी अहकारके विषयका विस्तार पहले व्यक्ति, तब कुटुम्ब, तब गाँव, तब जाति, तब प्रान्त, तब देश, और तब समस्त ससार तक बढाया जा सकता है। मनुष्यकी बुद्धि और कृतिमें जितने प्रमाणमें यह विस्तार उतरेगा, उसके हाथसे उतने ही प्रमाणमें बडा काम भी होगा। स्वराज्य और परराज्य दोनोंमें ही अहकारका इस प्रकार विस्तार हो सकता है, लेकिन इन दोनों परिस्थितियोंमें मनुष्य-में दो भिन्न भिन्न प्रकारके गुणोंकी आवश्यकता होती है। राष्ट्रके सदा स्वतन्त्र रहने पर अहकारका विस्तार बहुत अधिक होनेके कारण इंग्लैंड आदिमें जिस प्रकार लोगोंके बहुत बडे बडे उद्योग करनेके उदाहरण मिलते हैं उसी प्रकार आयलैंडके इतिहासमें ऐसे लोगोंके उदाहरण मिलते हैं, जिन्हें देशकी स्वतन्त्रता नष्ट हो जाने पर इतना मानसिक दुःख हुआ था जितना पहले कभी नहीं हुआ था और जिनके मन पर स्वार्थकी अपेक्षा सार्वजनिक हितका अधिक अधिकार हुआ था। सत्र-

हवीं शताब्दीके आयरिश इतिहासमें अतकलरने उदाहरण ही अविक्रम मिलते हैं, लेकिन उनमें राजकीय प्रगतिकी दृष्टिसे कोई विशेष मनोरजक बात नहीं दिखाई देती । सत्रहवीं शताब्दीके उपरान्त आयरिश लोगोंके मनमें राष्ट्रीयताकी कल्पनाका उदय होनेके कारण उनके उद्योगको यथार्थ अर्थमें आन्दोलन कह सकते हैं और इसी लिए उनके बादका इतिहास मनोरजक हो गया है ।

आधुनिक राजकीय तत्त्वज्ञानकी दृष्टिसे आन्दोलन दो प्रकारका होता है । एकको वाकायदा या नियमानुमोदित और दूसरेको वेकायदा या नियमविरुद्ध कहते हैं । वास्तवमें इन दोनों प्रकारके आन्दोलनोंमें साध्य तो एक ही होता है, परन्तु साधनभेदके कारण उनका स्वरूप और साथ ही नाम भी बदल जाता है । प्रत्येक आन्दोलनके साधन-साधनका एक मार्ग होता है । इस साधनासे अन्तमें साध्य चाहे सधे और चाहे न सधे, लेकिन उसे साधनेके लिए व्यक्ति अथवा राष्ट्र उस साधनाका अपनी ओरसे उपयोग करते हैं । साधनाकी योजनामें साध्य और परिस्थितिके सम्बन्धसे और उसी प्रकार साधकके स्वभावके कारण अन्तर पडता है । बल्कि इन बातोंमें इस विचित्रताका सबसे मुख्य कारण स्वभाव ही कहा जा सकता है । अपनी तात्त्विक परम्पराके अनुसार हम लोग मुख्य सृष्टि-गुण तीन प्रकारके मानते हैं और वे तीन प्रकार सत्त्व, रज और तम है । जिस गुणका अवलेप मनुष्यके मन पर होता है उसी गुणके अनुसार वह साध्य और साधनाके औचित्यका विचार करता है । निजके और सार्वजनिक कार्योंमें यद्यपि बहुत बड़ा भेद है तथापि स्वभावके जो गुण दो मनुष्यके निजके व्यवहारोंमें नित्य दिखाई देते हैं, यदि यह मान लिया जाय कि वे गुण-दोष उसके सार्वजनिक व्यवहारोंमें भी दिखाई देंगे तो कोई हानि न होगी । यह बात नहीं है कि इस नियममें अपवाद न हों, अपवाद भी अनेक मिलते हैं ।

लेकिन वे अपवाद इतने दृढ़ नहीं होते, जिनसे उक्त सामान्य नियममें चाधा पड़े। वाकायदे और बेकायदेका भेद करते हुए यह बात ध्यानमें रखनी चाहिए कि अर्वाचीन राजकीय इतिहासमें कायदेका बंधन एक व्यवच्छेदक लक्षण बन गया है और राजसत्ताधारी व्यक्ति और वर्ग इस बन्धनको स्पष्टरूपसे मानने लगे हैं। सभ्यताके पूर्व कालमें 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' वाला न्याय ही चलता था। आजकलकी तरह पहले भी सब प्रकारके नियमोंका उत्पत्ति-स्थान राज-सत्ता ही था। तथापि नियमोंका स्वरूप अस्पष्ट और प्रवर्तन अनियमित रहनेके कारण उस समय यह अवस्था थी कि राजा जब जो कुछ कह देता था तब वही नियम हो जाता था, और यदि प्रजा न्यायानुमोदित व्यवहार करना चाहती तो भी वैसा व्यवहार करना उसके लिए विलकुल सुलभ नहीं था। लेकिन आजकलके बदले हुए जमानेमें कानूनके लिखे जानेकी प्रथा होने और राजकर्मचारियों पर प्रजाका कुछ न कुछ दबाव रहनेके कारण उनका प्रवर्तन भी नियमित ही होता है और यह समझने तथा निश्चय करनेके लिए कि अमुक बात नियमानुमोदित है या नियम-विरुद्ध, स्थूल मानसे कुछ न कुछ साधन मिलता है।

सत्रहवीं शताब्दीसे अब तक सार्वजनिक अहंकार-बुद्धिसे प्रेरित होकर आयरलैंडके नेताओंने नियमानुमोदित और नियमविरुद्ध दोनों प्रकारके आन्दोलन किये हैं। अतः अब हमें थोड़ेमें यह देखना है कि उन आन्दोलनोंसे गत तीन शताब्दियोंमें इस राष्ट्रका इतिहास कैसा हुआ और उसके लोगोंकी राजकीय स्थिति किन उपायोसे कितनी सुधरी। आयरिश लोगोंके लिए अंगरेजोंके साथ द्वेष करनेके चाहे कितने ही कारण क्यों न हों और चाहे उनकी उच्चाकाक्षा कितनी ही अमूर्त क्यों न हो तो भी प्रत्यक्ष व्यवहार और राजकीय वादविवादमें चोलनेके समय यह बात नहीं है कि वे शुद्ध स्वतंत्रता या प्रजासत्ताक

राज्य ही माँगते हों । सन् १७९८ के विद्रोहके पहले आयरलैण्डके लोक-मतकी स्थिति कैसी थी, इसके सम्बन्धमें स्वयं उल्फटोनने अपने आत्म-चरित्रमें लिखा है कि इस समय अर्थात् आयरलैण्डको स्वतंत्र पार्लेमेण्ट मिलने पर और अँगरेजी मन्त्रि-मण्डलकी कार्रवाई अत्यन्त कष्टदायक होने पर भी आयरिश राष्ट्रकी कभी यह इच्छा नहीं थी कि इंग्लैण्डका और हमारा सम्बन्ध विलकुल टूट ही जाय और जब टोनने लोगोंके सामने स्वतंत्रताका प्रश्न उपस्थित किया तब लोगोंकी ओरसे उसे विशेष प्रकारकी उत्तेजना नहीं मिली । अब भी आयरिश राष्ट्रके-वही जिम्मेदार नेता पार्लेमेण्टके सभासद होते हैं जिन्हें आयरिश लोग लोग चुनते हैं और साधारणतः यह कहा जा सकता है कि वे लोग जो कुछ कहते हैं अथवा जो मत प्रकट करते हैं वह उसी राष्ट्रका मत होता है । अतः लेकर आज रेडमण्ड तक 'पार्लेमेण्टरी' नेताओंमेंसे किसीने भी शुद्ध स्वतंत्रताका झण्डा नहीं सड़ा किया । इसमें सन्देह नहीं कि समाजमें अनेक ऐसे फिरे हुए दिमागके लोग भी दिराई देते हैं, जो उन नेताओंके हाथसे कुछ न होता देखकर उनके सन्तापमें अपने अविचारको भी मिला देते हैं और निराश होनेके कारण आवेशमें आकर कह बैठते हैं कि—“अच्छी बात है, जब हम थोड़ा माँगते हैं और तुम नहीं देते हो तब हम सभी ले लेते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते ।” परन्तु ये उद्गार सारे राष्ट्रके नहीं होते । पौराणिक अहिंसत्रमें यजमानने पहले केवल अपराधी तक्षककी आहुतीका ही सकल्प किया था । लेकिन जब इन्द्रने तक्षकको अपने पीछे ठिपा लिया तब 'इन्द्राय तक्षकाय स्वाहा' की दूनी आहुतीका सकल्प हुआ । इसी तरह आयरिश 'राष्ट्र' की सदाकी माँग स्वतंत्र पार्लेमेण्ट तक ही थी, पर वह अँगरेज लोग देते नहीं थे । अच्छा होमरूठ ही सही, पर वह भी नहीं, तब इस प्रकारके धृष्टतापूर्ण उद्गार निकलने लगे कि अब निसर्गसिद्ध स्वतंत्रता ही चाहिए, फुटकर बातोंसे



काम नहीं चलेगा। यह युक्तिवाद कि—“केवल होमरूल ही माँगा तो भी पार्लमेण्ट और राजा अडचन डालते हैं, तब फिर न इस पार्लमेण्टकी ही जरूरत है और न इस राजाकी।”—केवल उसी समय निकलता है जब और कोई उपाय नहीं रह जाता और जिञ्च हो जाती है। और इस दृष्टिसे देखते हुए स्वतंत्रताकी माँगके इन उद्गारोका उत्तर-दायित्व आयरिश लोगोंकी अपेक्षा होमरूल तक न देनेवाले राजकर्मचारियों पर ही अधिक है।

आयर्लैण्डके इतिहासको जो मनुष्य स्थूल दृष्टिसे देखेगा, सम्भव है कि पहले पहले वह यही समझेगा कि वह इतिहास विद्रोहों, दंगे-फसादों और विरोधके मार्गसे ही भरा हुआ है। परन्तु सूक्ष्म विचार करनेवालेको कुछ निराली ही बात दिखाई देगी। विद्रोहों और दंगे-फसादों आदिका स्वरूप ही ऐसा होता है कि मनुष्यके मन पर शान्तिके कामोंकी अपेक्षा उनका अधिक प्रभाव पड़ता है। लेकिन यह बात नहीं है कि जो बात मन पर जितनी ही जमे या नक़श हो, वह उतनी ही उपयुक्त और परिणामकारी भी हो। मृष्टिके इतिहासकी उत्पात, भूकम्प और बाढ आदि बातें ही अधिक ध्यानमें रहती हैं, परन्तु सृष्टिके नित्यके चरित्रक्रममें और विशेषतः उसकी प्रगतिमें उत्पात आदिका बहुत ही थोड़ा उपयोग होता है। सर्वध्वंसक भूकम्पका स्मरण हम लोगोको सूब रहता है, परन्तु नित्य प्रति दोनो किनारों पर धीरे धीरे मिट्टीके कणोंका थर लगाकर वहाँकी जमीनको उपजाऊ बनानेवाली नदीकी कृतिको जब तक हम विशेष रूपसे स्मरण न करें तब तक क्या हमें कभी उसका स्मरण रहता है? राष्ट्रोंके इतिहासोंकी लढाईयाँ हमारी स्मरणशक्तिकी जितनी जगह धरे रहती हैं उतनी जगह और कोई बात नहीं घेरती। लेकिन ऐसी लढाईयाँ कितनी थोड़ी मिलेंगी जिनसे इतिहासका सारा स्वरूप या मार्ग ही बदल गया हो?

फ्रान्सके 'सेण्ट वाथेलोम्यू' की हत्याओका स्मरण इतिहासने पाठकोंको सदा बना रहता है, लेकिन ये हत्यायें जिस कारण हुईं उस वर्म-सुधारके बीजको लगानेवाले व्यक्तिका नाम भी हमें नहीं मालूम रहता ! फ्रांसीसी लडाईकी तारीख हमारे यहाँके छोटे छोटे लटफोंको भी जवानी याद रहती है । लेकिन इस लडाईसे भी अधिक महत्त्वकी बात दिल्लीके बादशाहका अंगरेजोंको दीवानीकी सनद देना है । तथापि उसका पता बड़े-बड़ों और सुशिक्षितोंको भी नहीं रहता । नारायणराव पेशवा पर सुमेरसिंह गारदीके वार करनेका दृश्य हमारी आँखोंके सामने खूब बना रहता है, लेकिन ओकारेश्वरके मैदानमें मराठे राजनीतिज्ञ लोगोंकी आँखें बचाकर जो बालूके पिढ पर हाथ रखकर शपथ खाते हैं और इस प्रकार बारभाईकी जो कार्रवाई आरम्भ करते हैं उसका दृश्य कितने थोड़े लोगोंकी आँखोंके सामने रहता है ? इन सबका कारण यह है कि कार्य्य तो स्थूल होनेके कारण दिखाई देते हैं और कारण सूक्ष्म होते हैं, इसलिए वे दिखाई नहीं देते । लेकिन सच्चे तत्त्वज्ञोंकी विचारसामग्री दृश्यकी अपेक्षा अदृश्य बातोंमें और अलौकिककी अपेक्षा लौकिक बातोंमें ही अधिक रहती है ।

आयरलैण्डमें असन्तोष चाहे कभी नष्ट न हुआ हो और आयरिश इतिहासको ऊपर ऊपर देखनेवालेको चाहे यही मालूम हो कि उसमें अराजनिष्ठा और मारकाटेके सिवा और कुछ भी नहीं है, तो भी उसका ऐसा समझना भ्रमपूर्ण है । १६४१ का विद्रोह, १७९८ का विद्रोह, फ्रानियन लोगोंका आन्दोलन और १८४८ के दगे फसाद तां पाठकोंको दिखाई पड़ें और मन पर नक्श हो जायँ, लेकिन प्रत्येक पीढ़ीमें आयरिश नेताओंने जो नियमानुमोदित आन्दोलन किये हैं वे नहीं दिखाई पड़ेंगे, इसका दोष या तो निरीक्षकके सहज स्वाभाविक गुण पर और या उक्त कारण पर होना चाहिए, आयरिश लोगोंके इति-

हास पर नहीं। ऊपर कही हुई बातोंमेंसे सन् १६४१ का विद्रोह धर्मके लिए हुआ था, स्वराज्यके लिए नहीं। सन् १७९८ का विद्रोह राजकीय कारणोंसे हुआ था, लेकिन लोकसमाज उल्फटोन (१७९८) और राबर्ट एमेट (१८०३) के विशेष अनुकूल नहीं था। इसमें सन्देह नहीं कि फीनियन आन्दोलन और सन् १८४८ के दगे फसाद भी राजकीय कारणोंसे ही हुए थे, लेकिन इन प्रसंगों पर तो लोगोंने उतनी भी सहायता नहीं की, जितनी उल्फटोनको मिली थी। विरोधके मार्ग और काश्तकारोंके दगे-फसादमें जो मार-पीट हुई उसका कारण राजकीय स्वतंत्रताकी अपेक्षा छोटी श्रेणीका था। उस समय लोग जमींदारोंको दिक करके उनसे रियायतें कराना चाहते थे। अर्थात्-वास्तवमें अराजनिष्ठाके साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं था। सन् १९१६ में सिनफेनर्सका जो दगा हुआ था वह अवश्य बहुत बेमौके हुआ था और उसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्यको हानि पहुँचाना था। पर उसमें इतने थोड़े लोग सम्मिलित हुए थे, जिससे हम उसे राष्ट्रीय विद्रोह कह ही नहीं सकते। स्वयं नेशनलिस्ट वालंटियरोंने, सिनफेनर्स विद्रोही जिनका एक अंग थे, इस विद्रोहके दमनमें सहायता दी थी। सन् १८७६ में पूना प्रान्तमें और इससे कुछ वर्ष पहले नासिक और जुन्नर प्रान्तों तथा सानदेशमें जो दगे हुए थे उनका जितना राजकीय स्वरूप माना जा सकता है, आयरिश लोगोंके उक्त दगोंका उनसे अधिक राजकीय स्वरूप नहीं था। 'ओक वॉयज', 'व्हाइट वॉयज', 'हार्दस आफ् स्टील', 'रिवन सोसायटी' आदि जो गुप्त सभायें दगे करनेके लिए स्थापित हुई थीं उनका उद्देश्य अमीर जमींदारोंको हानि पहुँचाना और उन्हें दण्ड देकर तथा अन्य उपायोंसे गरीब सेतिहरोंकी शिकायतें सरकारके कान तक पहुँचाना था। कागजपत्रोंसे प्रमाणित होता है कि कई असरों पर उन्होंने अधिकारियोंके पास

राजनिष्ठापूर्ण प्रार्थनायें भी भेजी थीं। 'फ्राउड' सरीखे इतिहास-कारोंने भी जिन्हें आयरिश लोगोंसे घृणा है और तनिक भी सहानुभूति नहीं है, यह बात प्रमाणित की है। यह भी देखना पड़ता है कि लोक-मत ऐसे दगोंके कहीं तक अनुकूल था, और इस दृष्टिसे विचार करते हुए दिखाई देता है कि अँगरेज जमींदारोंसे आयरिश समाज कितना ही बुरा क्यों न मानता हो और गरीब खेतियारों पर उसे कितनी ही दया क्यों न आती हो, तो भी अत्याचारको वह समाज अत्याचार ही समझता था और वह उसका केवल निषेध ही नहीं करता था, बल्कि प्रतिकार करनेका भी प्रयत्न करता था। इस प्रयत्नमें रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेण्टका भेद नहीं रह जाता था। यद्यपि ये फसादी लोग अच्छे हेतुसे प्रेरित होकर दगे करते थे, तो भी उनके द्वारा अनुचित कार्य्य होते थे और हानि पहुँचानेकी कुछ मर्यादा न रह जाती थी, इस लिए सभी समझदार और विचारशील नेता जहाँ तक हो सकता था मिलकर ऐसे अत्याचारोंका प्रतिकार करते थे।

आयर्लैंडमें अँगरेजी अमलदारीके कारण जिन लोगोंको वास्तवमें और बहुत कष्ट पहुँचा वे लोग कैथोलिक ही हैं। यदि मनमें अराजनिष्ठा रखनेका सचमुच किसीके लिए कोई कारण था तो वह कैथोलिक लोगोंके लिए ही था। क्योंकि जमीनके कानूनों, शिक्षाके कानूनों, धर्मके कानूनों, और नागरिकोंके अधिकारके कानूनों आदि सबसे उन्हींको कष्ट पहुँचा। कैथोलिक लोगोंकी तरह व्यापारसम्बन्धी कानूनोंसे प्रोटेस्टेण्ट लोगोंको भी पहले पहल अवश्य कष्ट हुआ, परन्तु उस कष्टका शीघ्र ही अन्त हो गया। और यदि आयरिश 'पार्लियामेण्टके टूट जानेसे हानि हुई तो वह कैथोलिक और प्रोटेस्टेण्ट दोनोंकी बराबर हुई। तात्पर्य्य यह कि अँगरेजोंको शत्रु समझनेका कारण मुख्यतः कैथोलिक लोगोंके लिए ही था। लेकिन यदि सारे इतिहास-क्रम पर दृष्टि

डाली जाय तो जान पडेगा कि कैथोलिक लोग विशेष अराजनिष्ठ नहीं थे। आयरिश लोगोंके साथ पूर्ण सहानुभूति रखनेवाला इतिहासकार 'लेके' है। इस इतिहासकारने अपने आयरलैण्डके इतिहासमें यह स्पष्ट कहा है कि अठारहवीं शताब्दीमें कैथोलिक लोगोंमें वास्तविक अराजनिष्ठा इतनी कम थी कि उसे देखकर सचमुच बहुत आश्चर्य होता है। इसका एक कारण यह था कि इंग्लैण्डकी गद्दी पर बैठनेवाले कैथोलिक और प्रोटेस्टेण्ट दोनों राजा उन्हें समान ही जान पड़ने लगे थे। धर्माभिमानके कारण उन्होंने कैथोलिकपन्थी राजा द्वितीय जेम्सका पक्ष लिया था और उसकी ओरसे वे लड़नेके लिए भी तैयार थे, परन्तु 'ब्राइन' की लड़ाईके उपरान्तका उसका विलक्षण व्यवहार देखकर उन्हें यह जान पड़ने लगा था कि हम लोगोंने व्यर्थ कष्ट उठाया। अराजनिष्ठा और भयकर अन्दोलनके मूल कारण आयरलैण्डमें बसे हुए प्रोटेस्टेण्ट लोग ही थे, कैथोलिक लोग तो केवल वार्मिक स्वतंत्रता पाकर ही प्रसन्न हो जाते। प्रजा-स्वातंत्र्यके विचार प्रोटेस्टेण्ट और प्रेसविटरेनियन लोगोंके दिमागमें ही थे और इसीलिए पार्लमेण्ट स्वतंत्र करनेके आन्दोलनमें वे ही आगे हुए थे। तथापि यह माननेका कोई विशेष कारण नहीं था कि प्रोटेस्टेण्ट लोग ही स्वयं स्वतंत्र रीतिसे विद्रोह करेंगे। उल्फटोन स्वयं प्रोटेस्टेण्ट था और इसमें सन्देह नहीं कि कुछ अंशोंमें वह आयरलैण्डके उत्तरी भागके प्रोटेस्टेण्ट और प्रेसविटरेनियन लोगोंके मनकी बात जानता था, तथापि सन् १७९८ में फ्रेंच राजनीतिज्ञोंके सामने आयरलैण्डकी वास्तविक स्थिति उपास्थित करते समय उसे यह स्वीकार करना पड़ा था कि आयरिश लोग स्वयं विद्रोह नहीं करेंगे। उसे यह आशा थी कि यदि फ्रेंच सरकार आयरलैण्ड पर चढ़ाई करके लोगोंको हथियार देगी तो बहुतसे कैथोलिक और प्रोटेस्टेण्ट उसे आ मिलेंगे। लेकिन जब प्रत्यक्ष समय आया तब यह

आग्रा भी विफल हो गई । क्योंकि जब फ्रेंच जहाजोंका पहला भाग आयरिश किनारेके पास आकर रुका था तब लोगोंकी ओरसे विद्रोहका झण्डा खड़ा करनेके चिह्न भी दिखाई नहीं देते थे ।

आयरलैण्डके लोकमतके स्वाभाविक नेता देशके सुशिक्षित विचारशील और सम्पन्न लोग थे । यदि प्रत्येक पीढ़ीके इन नेताओं पर दृष्टि डाली जाय तो पता लगेगा कि सौमेंसे नब्बे नेता नियमानुमोदित आन्दोलन करनेवाले थे । नियम विरुद्ध आंदोलन करनेवाले नेताओंमेंसे लार्ड फिटजरल्ड, टोन, एमेट, मिचेल, ओत्रायन आदि प्रसिद्ध हैं । लेकिन नियमानुमोदित आंदोलन करनेवाले भी आरम्भसे अवतक बराबर होते आ रहे हैं और लोकमतकी दृष्टिसे देखते हुए दूसरे प्रकारके इन नेताओंको जितनी सहायता मिली उतनी पहले प्रकारके नेताओंको नहीं मिली । यह बात नहीं है कि पहले प्रकारके ( नियम-विरुद्ध आंदोलन करनेवाले ) नेता कुछ कम बुद्धिमान् थे । इसमें सन्देह नहीं कि टोन, एमेट और ओत्रायन आयरलैण्डके लिए ग्रँटन और ओकानेलके बराबर ही भूषणभूत रहेंगे । इन नेताओंकी देश-भक्तिके सम्बन्धमें कभी किसीको कुछ सन्देह नहीं था । यही नहीं बल्कि उन्होंने उस भक्तिके लिए अपना शरीर तक गँवा दिया । इसके अतिरिक्त और अनेक दंगे फसाद करनेवालोंकी तरह उनकी नीति विघ्न-श्रेणीकी नहीं थी, बल्कि वह बहुत ही उच्च श्रेणीकी थी । लेकिन चाहे यह कह लीजिए कि उनके काम समाजको पसन्द न थे और वह उससे सहमत न था, चाहे यह कह लीजिए कि समाजमें उनके कदमपर कदम रखकर चलनेका साहस नहीं था और चाहे यह कह लीजिए कि समाजके लिए उस समय उनके साहसका कोई उपयोग न हो सकता था, पर उनके द्वारा विशेष कार्य न हो सका और उन्हें प्राण देने पड़े । इसके विरुद्ध ग्रँटन और ओकानेल सर्रासे नेताओंने यद्यपि नियमानुमोदित

आन्दोलनका राज-मार्ग ग्रहण किया था, तो भी उन्हें अपने हाथसे थोड़ा बहुत प्रत्यक्ष कार्य करनेका यश मिला था। क्योंकि ग्रैटनको आयरिश लोग 'स्वतंत्रताका जनक' और ओकानेलको 'कैथोलिक लोकरक्षक अवतार' कहते हैं। यदि शिल्प-शास्त्रके शब्दोंमें कहा जाय तो टोन और एमेटका उपयोग आयरिश राष्ट्रकी इमारतमें महाराव पर बनाये हुए बेलवूटोंकासा था और ओकानेल तथा पार्नेलका उपयोग नकाशी किये हुए पायेके पत्थरका सा हुआ। अर्थात् पहले प्रकारके देश-भक्तोंके कारण उस इमारतकी सुन्दरता और शोभा बढ़ी और दूसरे प्रकारके देशभक्तोंके कारण जिस प्रकार उसकी शोभा बढ़ी उसी प्रकार उसे आधार भी मिला।

आयरलैंडके नियमानुमोदित और नियमविरुद्ध आन्दोलन दोनों एक प्रकारसे मिले-जुले दिखाई पड़ते हैं। यह पहले ही कहा जा चुका है कि सब लोग अपने अपने स्वभावके अनुसार अपना अपना साधन-मार्ग निश्चित करते हैं। आयरिश आन्दोलनके प्रत्येक युगमें—(१) आदिसे अन्त तक नियमानुमोदित आन्दोलन करनेवाले, (२) आदिसे अन्ततक नियमविरुद्ध आन्दोलन करनेवाले और (३) भिन्न भिन्न समयों पर प्रसंगके अनुसार दोनों प्रकारके आन्दोलन करनेवाले लोग भी दिखाई देते हैं। लेकिन पहले और दूसरे प्रकारके अर्थात् ऐसे लोग बहुत ही कम हैं जिन्होंने जन्मभर केवल एकदेशीय विचारोंके अनुसार ही अपना व्यवहार नियमित रक्खा हो और तीसरे प्रकारके लोग बहुत अधिक दिखाई देते हैं। इसका कारण भी स्पष्ट ही है। नेताओंमें ऐसे कट्टर वैदिक लोग बहुत ही कम मिलते हैं, जो कानूनके अक्षरोंको श्रुति ही मानते हों और यह समझते हों कि जरा भी उनके बाहर न जाना चाहिए अथवा उनमेंका एक स्वर्ग भी न बदलना चाहिए। जो कानून और शासन-पद्धतिको बिलकुल व्यर्थ समझ कर उठते

बैठते बन्दूक चलाते हों और तलवारकी मूठ पर हाथ ले जाते हों । ऐसे लोगोंको यदि नेतृत्व मिल भी जाय तो वह अविक्र दिनों तक रह नहीं सकता । जो नेता कार्यक्षम होगा वह यह प्रतिज्ञा करनेसे पहले कि—“केवल कानूनके अक्षरोंके अनुराधसे ही मैं कदम उठाऊँगा और कानूनकी निश्चित की हुई मर्यादाके बाहर मैं अपने शरीरका कोई भाग या शक्ति भी जाने न दूँगा ।” दस पाँच बार विचार करेगा, क्योंकि मनुष्यका स्वभाव ऐसी प्रतिज्ञाके विरुद्ध है और भूल करना मनुष्य धर्म है । दूसरी बात यह है कि इस प्रकारकी प्रतिज्ञा करनेवाले नेताओं पर सब लोगोंका समान विश्वास नहीं रहता । ‘गणेश-थोपडी’ आदि खेलोंमें यदि कोई सिलाटी यह प्रतिज्ञा करे कि—“मैंने आज तक कभी मार नहीं साई और आगे भी कभी न साऊँगा ।” तो लोग उस पर हँसेगे और उसे कोई अपने साथ खेलने न देगा । क्योंकि खेलमें कभी न कभी वह पकड़ा जाकर चौर बनेगा ही, और उसे चपत साना ही पड़ेगा । तीसरे वर्गके नेताकी बात अलग है । वह कभी इस बातकी भी प्रतिज्ञा नहीं करता कि अपने जीवनमें मैं कभी नियमानुमोदित मर्यादाके बाहर पैर भी नहीं रखूँगा और अविचार, आवेश अथवा वृथाभिमानके कारण सहसा उसके द्वारा उस रेखाकण्ड उल्लंघन भी नहीं होता । उसका प्रामाणिकतापूर्वक सदा इस बातका प्रयत्न रहता है कि कानूनकी मर्यादाका उल्लंघन न हो, लेकिन जब राजनीतिक आन्दोलन अच्छा स्वरूप धारण कर लेता है और कानून भी अपनी मर्यादाका उल्लंघन करके आगे कदम बटाने लगता है तब वह केवल परिणामके भयसे अपना पैर पीछे नहीं हटाता । उसे आरम्भसे ही इस बातका निर्विकल्पक ज्ञान रहता है कि हम नियमानुमोदित रीतिसे व्यवहार कर रहे हैं और यह बात उसके मनके समाधानके लिए यथेष्ट होती है । तथापि किसी अवसर पर यदि उसे इस



घातका सविकल्पक ज्ञान भी हो कि परिस्थिति बदलनेके कारण केवल औपचारिक रीतिसे हमारे द्वारा कानूनकी मर्यादाके उल्लंघनकी सम्भावना है तो वह इस भयमे कि व्यक्तिशः हमें अनिष्ट फल भोगना पड़ेगा, अपने अर्गाकृत कार्यसे पीछे नहीं हटता। इस लिए प्रत्येक प्रगमनशील राष्ट्रमें ऐसे नेता अग्रगण्य दिसलाई देते हैं, जो नियमत और हेतुपुर सर नियमानुमोदित रीतिसे व्यवहार करते हैं, लेकिन केवल अपवादत या उपाधि-दोषके कारण जान बूझकर या अनजानमें जिनसे नियमविरुद्ध व्यवहारकी भूल हो जाती है। उनके द्वारा यह अपवाद प्रायः उसी समय होता है जब सत्ताको यह दिसलानेकी आवश्यकता होती है कि अमुक कानूनकी प्राण-प्रतिष्ठा चाहे राजसत्ताके कारण ही क्यों न हो, पर उसकी उत्पत्ति सत्रोप है और इस लिए उसे न मानना चाहिए। और ऐसे कृत्यके लिए नीति-शास्त्रकी सम्मति भी मिलती है। लेकिन जिन लोगोंके द्वारा ऐसे अपवाद हो जाते हैं, उन्हें इन अपवादोंके कारण 'नियमविरुद्ध व्यवहार करनेवाले' बतलाना भूल है। प्रसिद्ध अंगरेज देशभक्त हैम्पटनने 'शिप मनी' नामक कर देनेसे इकार किया था और दक्षिण आफ्रिकामें देशभक्त कर्मवीर गांधीने रजिस्ट्रेशन आदिके कानूनोंको मानकर उनके द्वारा अपने देशवासियोंकी अप्रतिष्ठा करानेकी अपेक्षा जेल जाना अधिक उत्तम समझा था। लेकिन यह बात सभी लोगोंकी माननी पड़ेगी कि ये दोनो नियम-विरुद्ध आन्दोलन करनेवाले नहीं कहे जा सकते। यदि उक्त तत्त्वोंका आयरिश इतिहास पर उपयोग करके देखा जाय तो पता लगेगा कि आयरिश नेताओंमेंसे उन्हींके पक्षमें प्रचण्ड बहुमत था जो नियमग्न नियमानुमोदित आन्दोलन करनेवाले ही थे और केवल नियमविरुद्ध आन्दोलन करनेवाले नेता बहुत ही थोड़े थे। यहाँ 'नेता' शब्द ऐसे मनुष्योंके लिए लाया गया है जिन्होंने थोड़ा बहुत लोकमत तैयार किया था, अथवा

जो यथार्थमें कुछ दिनों तक लोकमतके निर्दर्शक गिने जाते थे । ऐसे आदमीको कोई नायक या नेता नहीं कहता जो मोके वे-मोंके इसी उद्देश्यसे हथियार उठाता हो कि लोग हमारे तलवार-के हाथ देखकर हमारी प्रशंसा करें । चार्लमाट, ग्रैटन, फ्लड, क्यूरन, डेनियल ओकानेल, जॉन किओघ, आइजिक वट, पार्नेल, डिलन, ओत्रायन, रेडमण्ड आदि आयरिश नेता नियमानुमोदित आन्दोलन करने-वाले थे और उनमेंसे कई नेताओंको जेल भी जाना पडा था । लेकिन केवल इतनेसे ही कभी किसीने यह नहीं कहा कि वे नियमविरुद्ध आन्दोलन करनेवाले थे । जिस प्रकार गेंद-बल्लेके खेलमें स्वयं चालाकीसे प्रतिपक्षीका बल्ला गिरा देने या 'अम्पायर' से पूछ कर उसकी भूलसे लाभ उठानेकी होशियार खिलाड़ियोंकी युक्ति होती है, उसी प्रकार दक्ष और कुशल राजकर्मचारियोंकी यह एक निश्चित और अनुभवसिद्ध युक्ति है कि वे किसी न किसी प्रकारसे जिस प्रजा-पक्षीय नेताको तग करना चाहते हैं उनके सम्बन्धमें यह फेसला करा लेते हैं कि उसके अगका प्रत्यक्ष भाग नहीं तो कमसे कम उसकी शौक अवश्य कानूनकी मर्यादाके बाहर गई है और इस प्रकार उसके मत्थे नियमविरुद्ध आन्दोलन करनेकी छाप लगा देते हैं । लेकिन केवल इतनेसे ही वह नेता नियम-विरुद्ध आन्दोलन करनेवाला नहीं ठहर सकता, जिसकी प्रवृत्ति सदा नियमानुमोदित आन्दोलन करनेकी ओर ही रहती हो । सन् १७८२ के लगभग आयरलैंडमें राजकीय आन्दोलन बहुत जोरों पर आया था । अमेरिकामें परास्त होनेके कारण इंग्लैंड निर्बल और भयभीत हो गया था । पास ही फ्रान्समें शासनके उलटने-पलटनेका रग दिखाई देने लगा था जिससे अंगरेज राजनीतिज्ञोंको यह जाशंका होने लगी थी कि वही इंग्लैंडका तरत भी तो न डगमगायगा, आयरलैंडमें धार्मिक पीडन चरम सीमातक पहुँचनेके उपरान्त सहिष्णुताका उदय

हुआ था और कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेंट दोनों पक्ष यह समझने लगे थे कि यह धार्मिक भेद मानना मूर्खतापूर्ण है, और प्रोटेस्टेंट लोगोंने स्वयं-सेवक सैनिकोंकी पलटनें और तोपसाने सिरसलाकर तैयार कर लिये थे। ऐसे अवसर पर ग्रॅटनने स्वभावतः यहाँतक कह डाला था कि यदि इंग्लैण्डने आयरिश पार्लमेण्टको स्वतंत्रता देना स्वीकार किया तो अन्ती वात है, नहीं तो फिर जो होना होगा सो होगा, और कदाचित् इंग्लैण्डके हठके कारण युद्ध भी हो जाता तो इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि ग्रॅटन एकाध पलटनका कर्नल बनकर लड़ता, अथवा कमसे कम नेताकी हैसियतसे वर पार्लमेंटमें इस देश-भक्त सेनाकी प्रशंसा और उसके कार्योंका समर्थन अवश्य करता। लेकिन ऐसे अवसर पर किसीने यह नहीं कहा कि वह नियमविरुद्ध आन्दोलन करनेवाला है। आयरलैण्डके अनभिषिक्त राजा ओकानेलका सारा जीवन अँगरेजोंके दोष डिरसलाने, न्यायालयोंमें सरकारके विरुद्ध लड़ने, महती सार्वजनिक सभाये करने, समाजमें खलबली मचाने, समितियाँ, सभायें और सस्थायें स्थापित करने और पार्लमेंटमें सरकार पर टूटकर आक्रमण करनेमें ही बीता, और ऊपर बतलाई हुई निश्चित युक्तिसे सरकारने उस पर बेकाय-दगीकी छाप लगानेका दो तीन बार प्रयत्न भी किया और अन्तमें एक बार वह प्रयत्न सफल भी हुआ, जिसके कारण कुछ दिनोंतक उसे कारागारमें रहना पडा। लेकिन स्वयं उसने न्यायानुमोदित आन्दोलनका वाना कभी नहीं छोडा। यही नहीं बल्कि उसे रखनेके लिए उसने अपनी जन्मभग्की सारी लोकप्रियताको तिलाजली दे दी और ऐसे अवसर पर जब कि उसके एक शब्द पर प्राण देनेके लिए उसके हजारों अनुयायी तैयार थे उसने लोगोंसे यह कहकर कि—“शान्तिका भग मत करो।” और सिर्फ एक सिपाहीका हुकुम मानकर अपने आपको गिरफ्तार करा दिया और अन्तमें कारागार भी भोगा। यद्यपि वह सभामें बोलनेके समय कभी

कभी बहुत आपेक्षमें आकर बेसुध सा हो जाता था, तथापि उसकी यह प्रतिज्ञा थी कि यदि अन्यायपूर्वक मनुष्यके एक बूंद लहूके गिरनेसे भी सारे राष्ट्रकी राजकीय मुक्ति होती हो, तो भी उस मुक्ति पर लात मारनी चाहिए और उस रक्त-बिन्दुको गिरनेसे वचाना चाहिए । कभी किसी-ने यह नहीं कहा कि वह नियमविरुद्ध आन्दोलन करनेवाला है । यह बात प्रसिद्ध ही है कि पानेल, डिलन, ओब्रायन आदि नेताओंको सरकारने दण्ड देकर कारागारमें भेजा था । सोमे नव्वे अंगरेज यही समझते थे कि लण्ड लीग और नेशनल लीगकी उत्तेजनासे ही आयर्लैंडमें बहुतसे अपराध होते हैं और पानेल आदि नेता गुप्तरूपसे इन अपराधोंमें सहायता देते हैं । लेकिन कोई न्यायी इतिहासकार पानेलको नियमविरुद्ध आन्दोलन करनेवाला नहीं कहेगा । नियमविरुद्ध आन्दोलन करनेवाले लोगोंमेंसे लार्ड फिडजरल्ड, उल्फटोन, राबर्ट एमेट, शीअर बन्धु, मिचेल, स्मिथ ओब्रायन और माइकेल डेविट आदि प्रसिद्ध हैं । इनमेंसे टोन, ओब्रायन और माइकेल डेविट दूसरे वर्गकी अपेक्षा तीसरे वर्गमें ही अधिक आते हैं । क्योंकि उल्फटोनने सार्वजनिक कामका जो आरम्भ किया वह विद्रोहका झण्डा सड़ा करके नहीं किया । यद्यपि वह स्वयं प्रोटेस्टेण्ट था, तो भी उसने कैथोलिक लोगोंके अधिकारका प्रश्न उठाकर नियमानुमोदित आन्दोलन आरम्भ किया । इस आन्दोलनमें उसने जॉन किओघको अच्छी सहायता दी थी, और कैथोलिक लोगोंकी ओरसे डेपुटेशन लेकर वह विलायत गया था । वह बहुत ही चलता हुआ और बुद्धिमान् था और उसने वेरिस्टरीकी परीक्षा दी थी । यदि सन् १७७६ में अमेरिकामें और १७८९ में फ्रान्समें राज्यक्रान्ति न हुई होती और फ्रान्स तथा इंग्लैण्डमें युद्ध होनेकी सम्भावना न होती, तो बहुधा वह विद्रोहके झमेलेमें न पड़ता । स्मिथ ओब्रायनके आरम्भके जनेक वर्ष नियमानुमोदित आन्दोलनमें ही बीते थे, लेकिन डेनिअल

ओकानेलके नियमानुमोदित आन्दोलनका सेदकारक परिणाम देस कर ही उसके साथके युवकोंको केवल परिस्थितिके कारण नियमविरुद्ध मार्गका अवलम्बन करनेकी उत्तेजन मिली थी। जिस समय माइकेल डेविटके सार्वजनिक आयुष्यक्रमका आरम्भ हुआ था, प्रायः उसी समय आयरलैंडमें फीनिअन लोगोंके विद्रोहात्मक आन्दोलनकी लहर आई थी और अपनी युवावस्थाके उत्साहके कारण वह भी उस लहरमें पड गया था। परन्तु दस वर्ष तक काले पानीकी सजा भुगतकर लौटने पर लैण्ड लीगका नियमानुमोदित आन्दोलन उसीने आरम्भ किया और पार्नेलको उस आन्दोलनमें सम्मिलित करके आन्दोलनको जोर पहुँचाया। एक माइकेल डेविट ही क्या, बल्कि फीनिअन आन्दोलनके फेरमें युवावस्थामें पडे हुए बहुतसे आयरिश लोग विद्रोहके मार्गका शोक छोड कर नियमानुमोदित आन्दोलनसे कार्य सिद्ध करनेके लिए पार्नेलके साथ हो गये और उन्हींके जोर पर तथा व्यावहारिक कर्तृत्वकी सहायतासे पार्नेलको ब्रिटिश पार्लमेण्टमें आयरलैंडका प्रथ हाथमें लेना पडा।

आन्दोलनके इस अगके सम्बन्धमें एक और बात ध्यानमें रखने योग्य है। वह यह कि यद्यपि आयरलैंडमें समय समय पर गुप्त मण्डलियोंका प्रसार हुआ, तथापि वह प्रसार कभी अधिक दिनों तक नहीं ठहरा और जब इन गुप्त मण्डलियोंका काम सुले आम आरम्भ होता था तब उसके थोड़े ही दिनो बाद इस उद्योगके सम्बन्धमें लोकमतकी प्रतिकूलता व्यक्त होती थी। अन्य मार्गोंका अवलम्बन करनेवाले जो लोग यह प्रतिकूलता व्यक्त करते हैं उन्हें यह निषेध आलंकारिक शब्दोंमें और ऐसी रीतिसे प्रकट नहीं करना पडता, जिसमें यह निषेध सरकारी अधिकारियोंकी वृष्टिमें पडे। देशके एक वर्गके लोगोंके व्यवहारके सम्बन्धमें दूसरे वर्गके लोगोंके निषेध व्यक्त करनेके अनेक दूसरे त्रिष्ट-मान्य मार्ग हैं। क्योंकि किसी बुराईके

राजकीय आंदोलनके अन्तर्गत होनेसे ही क्या होता है? काम जो बुरा है वह बुरा ही है। रेंडीका तेल ओपधि ही क्यों न हो, पर जो चीज बद्बूदार है वह बद्बूदार ही है। कुनैनकी गोली खानेके समय यद्यपि यह समझा जाता है कि कदाचित् इससे हमारा बुरा काम कम हो जायगा तथापि उसे यह सार्टिफिकेट कोई नहीं देगा कि—“यह बहुत मीठी होती है।” गुप्त मण्डलियों और पटयंत्रोंके कारण साहसी मनुष्योंको यद्यपि यह जान पड़ता है कि हमारे स्वदेशाभिमानकी लहर धामी पड़ती है, लेकिन साथ ही उन्हें वे झुट्टियाँ भी दिखाई पड़ने लगती हैं जो ऐसी सस्थाओंके हाथमें आंदोलनका नेतृत्व चले जानेके कारण होती हैं। स्वतंत्र कमीशन नियुक्त करके पार्नेल और उनके सहकारियों पर जो मुकदमा चलाया गया था उसके प्रमाणों आदिसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि उत्कट विचारके उन नेताओंने भी पहलेसे ही इस बातका ध्यान रखा था कि देशके आंदोलन पर गुप्त मण्डलियोंका गुप्त पाश न पड़े और आंदोलनको उस बोरेसे बचाया था। पार्नेलके शिष्य और रेंडमण्डके प्रतिपक्षी विलियम ओब्रायनने, जिसके लिए कुछ दिनों पहले आयरिश कन्वेंशनमें बड़ी मारपीट हुई थी, अपनी एक पुस्तक प्रकाशित की थी। उसमें उसने गुप्त मण्डलियोंके विरुद्ध अपना मत स्पष्ट रूपसे प्रकट किया था। ओब्रायन कानूनको देवता माननेवाला आदर्मी हरगिज नहीं था, तो भी उसका यह सिद्धान्त अवश्य था कि कानूनका ध्यान रखनेकी जिस प्रकार मर्यादा है उसी प्रकार देशभक्तिके नामसे होनेवाले कामोंकी भी मर्यादा है। फीनिअन विद्रोहके समय ओब्रायन छोटा था, लेकिन उसका बड़ा भाई उस पटयंत्रमें सम्मिलित था, इस लिए अद्भुत-रम्य युवावस्थाकी देशभक्तिसे प्रेरित होकर उत्पन्न होनेवाला शौक पूरा करनेके लिये वह भी इसमें सम्मिलित हो गया था। लेकिन आगे चलकर जब वह सयाना हुआ तब उसने कहा-

“ यदि राष्ट्रीय स्वतंत्रताके प्रचण्ड ओर विशाल कार्य तथा विद्रोहके साधनोंका परस्पर मिलान किया जाय तो यह बात अच्छी तरह मनमें बैठ जाती है कि केवल गुप्त मण्डलियोंके द्वारा देशको स्वतंत्रता दिलानेकी कल्पना बिलकुल अविचारपूर्ण और पागलपनकी है । ”

आयरलैंडमें सन् १८४० से १८५० तक राष्ट्रीय आन्दोलनके उदयके समय ‘नेशन’ पत्रकी सम्पादक-मण्डलीके लिए भी कानूनकी मर्यादाका उल्लंघन करनेका प्रसंग आया था । लेकिन राष्ट्रीय मतके बुद्धिमान् प्रसारक चार्ल्स गवन, डफी और डेविसने उन लोगोंकी दाल नहीं गलने दी जो उन पर अत्याचार करनेवाले थे । ए० एम० सुलिवानने, जो किसी समय ‘नेशन’ पत्रका सम्पादक था, आयरलैंडके लोगोंके मनकी स्थितिका वर्णन ‘नवीन आयरलैंड’ नामक पुस्तकमें किया है । वह वर्णन आयरलैंडकी आजकी स्थितिके लिए भी प्रयुक्त हो सकता है, अतः उसे हम यहाँ दे देते हैं । वह कहता है—  
“आयरलैंडमें सभी तरहके स्वभावके लोग हैं । इसमें सन्देह नहीं कि उनमेंसे बहुतसे लोगोंके मनमें उतावलेपनके कारण अथवा निराशा और देशभक्तिके आवेशमें नियमविरुद्ध प्रयत्न करनेकी भी तरंग उठती है । लेकिन यदि समस्त आयरिश समाजका लोकमत देखा जाय तो यही जान पड़ता है कि उनका निश्चय यही है कि इस समय हाथकी राजकीय सत्ता ओर उसकी सहायतासे मिलनेवाले लोकमत तथा इसी प्रकारके दूसरे शस्त्रोंका उपयोग करके ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त करनी चाहिए । ” उसके इस कथनका सबसे अच्छा प्रमाण वर्तमान युरोपीय महासमरके समय अंगरेज अधिकारियोंको मिल गया जब कि कैसरकी आयरलैंडमें विद्रोह सढे होनेकी आशा विफल हो गई और आयरलैंडवालोंने इंग्लैंडको न्याय-पक्षमें समझ कर सब प्रकारसे उनकी सहायता करना अपना परम देशभक्ति-पूर्ण कर्तव्य समझा और यह समझ कर

उस कर्त्तव्यका पालन किया कि इसी पर हमारी सारी भावी स्वतन्त्रता, वैभव और सुख निर्भर है ।

तथापि इस इतिहाससे एक और महत्त्वपूर्ण बात प्रमाणित होती है । वह यह कि केवल कानूनको ही श्रुतिके समान मान कर चलनेसे किसी नेताका ठीक तरहसे काम नहीं चल सकता । अठारहवीं शताब्दीमें आयरलैण्डमें ऐसे अनेक निर्लज्ज लोग हो गये हैं जो यह समझते थे कि देशहितसरीसरी अमृत्य वस्तु बेचकर चार पैसे पैदा करनेके लिए ही ईश्वरने हमें देश दिया है और इसके लिए वे ईश्वरका आभार मानते थे । इसी कारण उन्नीसवीं शताब्दीमें भी जान सेढालिअर, मिलियम किओघ, एडमण्ड ओप्लहरटी आदि अनेक ऐसे लोग हो गये हैं, जिन्होंने केवल अपनी बात बनाने और उन्नति करनेके लिए ही नियमानुमोदित देशसेवाका ढोंग रचा था । इस प्रकारके लोग देशका नाम लेकर और उसे अपवित्र करके जो काम करते हैं, उसकी आवश्यक प्रतिक्रिया पद्मयन्त्रकारियों और अत्याचारके समर्थक साहसी युवकोंके द्वारा ही होती है । लेकिन वास्तविक प्रगतिका सबसे अधिक उपयुक्त मार्ग सदा इन दोनों छोरोंके बीचमें ही कहीं होता है । प्रत्येक अत्याचारका निषेध करना बहुत ही आवश्यक है, तथापि उस निषेध पर सहजमें ही यह आक्षेप किया जा सकता है कि केवल निषेध करनेके समान सहज और अपने वचावका और कोई काम नहीं है । जो लोग केवल अपनी रक्षाके लिए ही अत्याचारका निषेध करते हैं उनका निषेध कौड़ी कामका भी नहीं है । वास्तविक मूल्य पानेँल आदि ऐसे ही लोगोंके निषेधका है, जिन्होंने अत्याचारप्रिय युवकोंके मनसे असद्-उद्देश्य निकाल कर उनके वैर्य, देशभाक्ति और उद्योग-प्रियताका उपयोग करनेके लिए उनके सामने सद्दुद्देश्य रक्ता, उनके सच्चे गुणोंको हानि न पहुँचाते हुए उनके मनसे तामस विचार उसी तरह निकाल दिये,



जिस प्रकार सुदूर फूलोंवाले पोधेको हानि न पहुँचाते हुए क्यारियोमेंसे निरर्थक और हानिकारक घास-फूस आदि निकाल देते हैं, जिन्होंने शारीरिक तथा नैतिक सामर्थ्यका मेल मिलानेके लिए अपने प्राणोंकी भी चिन्ता नहीं की और आवश्यकता पडनेपर जिन्होंने जेल जाना भी स्वीकार किया। चाहे हिन्दुस्तानमें हो और चाहे आयर्लैण्डमें हों, जब इस प्रकारके ओजस्वी परन्तु सद्य, उत्साही परन्तु विचारी, अत्याचार-शत्रु परन्तु साहसी और अपने बचावकी चिन्ता न करते हुए निषेधके काममें प्रवृत्त होनेवाले और एक बातके निषेधके साथ ही साथ उसकी अपेक्षा देशसेवाकी दूसरी अच्छी बातोंका प्रचार करनेवाले लोग होंगे तभी अत्याचार रुकेगा।

आयर्लैण्डमें लोकमतके नेता। प्रत्येक देशमें लोकमतके नेता प्रायः ऐसे ही दिखलाई देते हैं, जो प्रायः मध्यम स्थितिके वर्गमें उत्पन्न हुए हैं। इसका एक कारण यह है कि सच्चे सुशिक्षित लोग मुख्यतः इसी वर्गमें होते हैं। यह कहनेमें कोई हानि नहीं है कि कनिष्ठ श्रेणी और अशिक्षित वर्गकी बहुधा समव्याप्ति ही होती है और अशिक्षित मनुष्योंके मनमें देशहितसरीसे व्यापक और उन्नत विचारोंकी बातोंका सहसा आना कठिन ही होता है। इस वर्गके लोग स्वराज्यकी अपेक्षा सुराज्यका मूल्य ही अधिक समझते हैं। वे लोग उसी अधिकारीको पसन्द करते हैं, जिसके शासनसे तुरन्त सुख मिले, फिर उनका राजा और महाराज सब कुछ वही है। सुराज्य और स्वराज्यका भेद मार्मिक और रसिक मनुष्य ही समझ सकते हैं। यह बात अशिक्षित लोग नहीं समझ सकते कि बिना स्वराज्यके यदि सुराज्य हो भी, तो वह अधिक समय तक नहीं ठहर सकता। यह नहीं कहा जा सकता कि आयर्लैण्डमें दायन और कारमेक राजासे लेकर और हिन्दुस्तानमें अजातशत्रु धर्मराजसे लेकर महाराज पचम जार्ज तकके

भिन्न भिन्न शासन-कालोंमें कंगोटों खेतिहरोंकी प्रत्यक्ष स्थिति और सुख दुःख आदिमें समय समय पर जो अन्तर पड़ा कार्य-कारण सम्बन्धसे उनका सूत्र ठेठ राजातक ले जानेका ज्ञान उन्हें कभी हुआ हो । कन्धे पर लाठी रखकर दिनरात रोतीके कामोंमें लगे रहनेवाले खेतिहरोंको यदि विना कष्टके पेट भर रोटी मिल जाय तो उनकी दिवाली हो जाती है । जिस राजाके शासन-कालमें उन्हें पेट भर रोटी मिलती है वह राजा यदि स्वदेशी हो तो उन्हें उसका विशेष हर्ष नहीं होता और यदि विदेशी हो तो उसका विशेष विषाद नहीं होता । यह तो कनिष्ठ और आशिक्षित वर्गकी स्थिति हो गई । मान-भरतवे और वन सम्पत्ति आदिके कारण जो वर्ग श्रेष्ठ माना जाता है, उसकी बात भी एक प्रकारसे इसी कनिष्ठ वर्गके समान होती है । कनिष्ठ वर्गके लिए शिक्षा दुर्लभ होती है और सहजमें उसे वह मिल भी नहीं सकती, इस लिए उसके मनमें देशके सम्बन्धमें व्यापक और उन्नत विचार नहीं आते, लेकिन श्रेष्ठ वर्गके लिए शिक्षा सब प्रकारसे सुलभ होती है, लेकिन उनके पास विना शिक्षाके भी पेट भरनेके साधन होते हैं, इस लिए उनमेंसे बहुतोंको शिक्षाकी न तो आवश्यकता ही होती है और न उसका महत्त्व ही मालूम होता है । उन्हें इस बातका भी भय होता है कि हमारे मान-भरतवे और धन-सम्पत्ति आदिमें कहीं घटका न लगे, हमारी वर्तमान उत्तम स्थिति कहीं बिगड न जाय और धीरे धीरे हम निर्जीव न हो जायें । और यदि उनमें देश-कार्य-संबंधी व्यापक बातों पर विचार करनेकी योग्य-भी हो तो भी उन विचारोंके कार्यरूपमें पण्डित होने और देश-कार्य-में उनके नेता बननेमें उनकी स्वार्थ-वृद्धि अटचन टालती है । देश-कार्यके आन्दोलनोंमें इस श्रेष्ठ वर्गके लोग यदि नेता बनकर सम्मिलित भी हों तो ज्योंही वह आन्दोलन बढ़ेगा और विजयश्रीका मुहँ दिखाई देने लगेगा त्योंही वे पीठे हटने लगेंगे । वेदान्तमें जब बुद्धिमानका,

उदाहरण देना होता है तब जॉक ( तृण-जलौका-न्याय ) का उदाहरण देते हैं। जॉक जब घास पर चलने लगती है तब वह अपना पिछला पैर उसी समय उठाती है जब अगला पैर किसी तिनके पर बहुत मजबूतीसे जमा लेती है। यह नहीं कहा जा सकता कि जॉक प्रगमन-शील प्राणी नहीं है, लेकिन उसके मनमें प्रगतिकी अपेक्षा अपने आधार और सुरक्षितताका विचार अधिक प्रबल होता है। अपनी मान-मर्यादाके फेरमें पड़े हुए और अनिष्टमें भी जो कुछ घी मिल जाय वही अपनी रोटी पर चुपड लेनेवाले देशके 'श्रेष्ठ' वर्गके लोगोंकी भी राजनीतिमें इसी जॉककी सी दशा होती है। वे लोग समझते हैं कि— " इस समय जो कुछ है उससे अधिक अच्छा भी और कुछ हो सकता है, परन्तु जो कुछ है वह भी एक प्रकारसे अच्छा ही है। " लेकिन मध्यम स्थितिके लोगोंकी बात इन दोनों वर्गोंसे अलग होती है। कनिष्ठ वर्गकी अपेक्षा वे अधिक सुशिक्षित होते हैं और श्रेष्ठ वर्गके लोगोंकी तरह उनका पैर मान-मर्यादा और धन सम्पत्तिके कीचडमें फँसा हुआ नहीं होता। अतः देशके लोकमत और राष्ट्रीय आन्दोलनके नेता होनेके वे पूर्ण रूपसे योग्य होते हैं। प्रत्येक देशमें एक बार प्रस्थापित राजनीतिकी रूढ़ि इस प्रकार बदलनेमें बहुत ही कठिनता होती है जिसमें प्रजाका अधिक लाभ हो। और यह बात भी नहीं होती कि राजकीय आन्दोलनकी नदीमें चार हाथ चलाकर और परम्पराके प्रवाहकी धार तोटकर किनारे तक पहुँचनेका साहस करनेवाले अच्छे तैराक कभी बीचमें ही न डूब जाते हों। तथापि इस कामके करनेके लिए तैराक पर स्वार्थका बोझा जितना ही कम हो उतना ही अच्छा होता है। सार्वजनिक आन्दोलनमें मध्यम स्थितिके लोग जो धनुषसे छोड़े हुए तीरके समान कार्प्यक्षम होते हैं उसका कारण यही है कि तीरके फलकी तरह उनका मास्तिष्क शिक्षाके कारण तीक्ष्ण रहता है और तीरके पंख-

की तरह उनके शरीरका भार हलका होता है। इसी लिए राष्ट्रीय कार्योंमें वे लक्ष्यमेध ठीक और शीघ्र कर सकते हैं।

आयरलैण्डका क्या, और हिंदुस्तानका क्या, जिस देशका इतिहास देखिए, उक्त सिद्धान्तकी सत्यता प्रत्यक्ष हो जाती है। आयरलैण्डके कनिष्ठ वर्गके लोगोंने जहाँ तक कष्ट भोगा जा सकता था वहाँ तक कष्ट भोगा और जब उनसे कष्ट नहीं भोगा गया तब उन्होंने सिर्फ डडोसे अक्षम्य रक्तपात करके अपना शोक-क्षोभ ऐसी रीतिसे शान्त किया, जो उनके तथा दूसरोंके लिए घातक था। ओक वॉयज, व्हाइट वॉयज, पीप आफ डे वॉडज, हार्टस आफ स्टील, रिड्डन सोसायटी, डिफेण्डर्स आदि अनेक प्रकारके विद्रोही और उपद्रवी लोग आयरलैण्डमें हुए। प्रायः ये सब स्वयं ही नहीं समझते थे कि हमें क्या चाहिए, और जब वे समझते थे तब उनकी माँग बहुधा उनकी तत्कालीन स्थितिमें कष्ट देने वाली एकाध फुटकर बातके सम्बन्धमें ही होती थी। यह नहीं कहना चाहिए कि उन्होंने राष्ट्रीयता प्राप्त करनेके लिए रक्तपात किया था; उनके कष्ट वास्तविक थे। लेकिन उनके दगे-फसादसे अनेक बार निरपराधी लोग भी मारे जाते थे और तबलेकी बला बन्दरके सिर जाती थी। उनके द्वारा राष्ट्रीय आन्दोलन नहीं होता था। उधर आयरलैण्डके श्रेष्ठ वर्गके धनिक और जमींदार अपनी जमींदारीकी आगदनीसे ही चैन करते थे। राष्ट्र-कार्यका उन्हें स्वप्नमें भी ध्यान नहीं होता था। वास्तवमें जमींदारों और विशेषतः सुशिक्षित जमींदारोंको ही राष्ट्र-कार्यमें नेता बनना चाहिए था। लेकिन आयरलैण्डके ये लोग बहुत ही अत्याचारी और व्यसनी थे। इनके यहाँ लडनेवाले बकरे, शिकारी कुत्ते, घुडघौडेके घोडे, बडे बडे जुआरी, मस्त पहलवान और लडनेवाले, फरमायशी साना पकानेवाले बावर्ची और शराबके घडे ही दिखाई पडते थे। इन्हें कोई अच्छी पुस्तक या सुशिक्षित स्त्री ही या

सात्त्विक और धार्मिक आश्रित अथवा सलाहकार नाम मात्रको भी न मिलता था । लेकिन लोग कहते हैं कि मुफ्तका माल मुफ्तमें ही जाता है । आयरिश जमींदार गरीब काश्तकारों पर अत्याचार करके लाखों रुपये लेते थे और उनका उक्त रीतियोंसे अपव्यय होता था । उन्हें शराबके नशेमें कलका ध्यान ही नहीं रहता था, तब जिस राष्ट्रकार्यको देखनेके लिए कई कई पीढ़ियों तक नजर दोड़ानेकी आवश्यकता होती है भला वह राष्ट्र-कार्य उन्हें कैसे दिखाई देता ? उक्त वर्णन पढ़कर हिन्दुस्तानके नवाबों और अनेक ऐसे पुराने ऐयाश अमीर घरानोंका स्मरण होता है जो अब नष्ट हो गये हैं और जिनके लिए बहुत ही दुःख होता है । जिन लोगोंको स्वाभाविक रूपसे नेता बनना चाहिए था उनकी यह दशा होनेके कारण और आरम्भमें आयरिश लोगोंमें विना नेताके आगे कदम बढ़ानेकी योग्यता और वैर्य न होनेके कारण उन्हें दूसरी श्रेणीके उन नेताओंका पछा पकड़ना पड़ता था जो केवल स्वार्थके कारण राजनीतिक कामोंमें पड़ते थे और उनके पीछे चलनेसे उन्हें सदा गड़बड़में गिरना पड़ता था । आयर्लैण्डकी यह स्थिति अठारहवीं शताब्दीके मध्य तक थी । परन्तु आगे चलकर वह धीरे धीरे बदल गई । धर्म-सहिष्णुता बढ़ने लगी, कैथोलिक लोगोंके विरुद्ध बने हुए कानूनोंके बन्धन ढीले पड़ने लगे, शिक्षाका प्रचार होने लगा और इस प्रकार धीरे धीरे राष्ट्रीयताकी कल्पनाका अकुण्ड फूटने लगा । इस समय मध्यम वर्गके सुशिक्षित लोग राष्ट्रीय कार्य्योंमें नेता बनने लगे और तबसे वे ही अबाधित रूपसे नेता बने रहे । इन बातोंके कारण बदली हुई परिस्थितिमें जमींदारोंका महत्त्व कम होने लगा । मध्यम और कनिष्ठ वर्गके लोगोंमें मेल हो जानेके कारण ऐसे कानून बनने लगे जो जमींदारोंके अत्याचार और लोभमें अडचन डालने लगे, तब उनकी आँसोंका धुंध दूर हुआ और वे भी राष्ट्रीय कार्य्योंमें कुछ कुछ मन लगाने लगे ।

आयर्लैण्डमें गत डेढ़सौ वर्षोंसे राष्ट्रीय कार्य्योंका नेतृत्व स्वतंत्र पेशे-वाले लोगोके हाथमें ही रहा है और उनमें बैरिस्टर वकील और विद्या-व्यसनी लोग ही प्रधान है । ग्रॅटन, फ्लड, शील, क्यूरन, ओकानेल, आइजिक बट आदि नियमानुमोदित आन्दोलन करनेवाले और टोन, शीअर वन्धु आदि नियमविरुद्ध आन्दोलन करनेवाले सब बैरिस्टर ही थे । रावर्ट एमेट कालिजसे निकाला हुआ अडर ग्रॅजुएट था, ल्यूकस चिकित्सक ( एम डी ) था, स्विफ्ट, मालिनो, बर्के, वर्क आदि नेता अपनी विद्वत्ताके कारण जगत-प्रसिद्ध थे । टामस मूर प्रसिद्ध कवि हो गया है । वडा डिलन, डेविस डफी, सुलिवान, ओब्रायन, ओकोनर, मेकाकी आदि प्रसिद्ध विद्वान् समाचारपत्र-सम्पादक और लेखक थे । जान किओघ अच्छा व्यापारी और पार्नेल अच्छा जमींदार था । स्वयं सम्पन्न होने पर भी देशकार्यमें नेता बनानेवाले अर्ल आफ चार्ल माट, लार्ड फिटजरल्ड, स्मिथ ओब्रायन सरीखे लोगोके नाम बहुत कम मिलते हैं और इसका कारण ऊपर बतलाया जा चुका है । आयर्लैण्डके इतिहासके आरम्भमें ओनील, एडमण्ड आदि शूर राजा लड़ाई और विद्रोह करके इतिहासका नाम बदनाम कर गये, लेकिन उनका समय अंगरेजी राजसत्ताके पूर्णरूपसे स्थापित होनेसे बहुत पहले था और इसीलिए राष्ट्रीय आन्दोलनके इस सम्बन्धमें हमने विशेष रूपसे उनका नाम नहीं लिया । स्विफ्ट, मालिनो, आदिने प्रत्यक्ष राजकीय आन्दोलनमें कभी नेतृत्व ग्रहण नहीं किया था, परन्तु इनके लेख विद्वत्तापूर्ण, सारगर्भित और कड़े होते थे और उनके कारण समाजमें बड़ी सलबली मच जाती थी । मालिनो शास्त्रज्ञ और सच्चा तत्त्ववेत्ता था, तथापि उसमें उज्वल देश-भक्ति थी, इसलिए उसने सन् १६९८ में ' अंगरेजी कानूनोंसे आयर्लैण्डकी क्या स्थिति हुई ' नामक पुस्तक लिखी और राजाको समर्पित

की। उसके कारण इंग्लैण्डमें बड़ी खलवली मची और उस पुस्तकको राजद्रोही ठहराकर ब्रिटिश पार्लमेण्टने आज्ञा दी कि वह चौराहे पर जला दी जाय। स्विफ्ट राजनीतिज्ञ नहीं बल्कि धर्मोपदेशक था; तथापि उसने 'ट्रैपिअरके पत्र' नामक जो लेख प्रकाशित किये थे उनमें अंगरेजी शासन पर खूब बौछार की थी। इस लिए उसके लेखक पर मुकदमा चलाना निश्चित हुआ और आयरलैंडके वाइसरायने इशतहार दिया कि जो व्यक्ति उन पत्रोंके लेखकका पता लगा देगा उसे तीन हजार रुपया इनाम दिया जायगा। डा० ल्यूकसके लेख भी राजद्रोहात्मक और विद्रोहपूर्ण ठहराये और चौरस्ते पर जलाये गये थे। अधिकारियोंने इस बातकी कसम खा ली थी कि जिस तरह होगा उस तरह उसे अपराधी ठहराकर जेल भेजेंगे। इसलिए उसे कुछ दिनों तक आयरलैंड छोड़कर इंग्लैण्डमें रहना और वहीं अपना चिकित्साका व्यवसाय करना पडा था। उसके सम्बन्धमें ग्रॅटनने कहा है कि—“आयरलैंडमें राष्ट्रीय स्वतंत्रताकी कल्पनाकी नींव उसीने डाली थी। आयरलैंडके उस खाली समयमें स्विफ्टके उपगत भयङ्कर शब्द 'स्वतंत्रता' का उच्चारण करनेवाला ल्यूकस ही हुआ।” एडमण्ट बर्क इंग्लैण्डमें रहता था। तो भी आयरिश लोकमतके प्रधान नेताओंमें उसकी गिनती होती थी। अमेरिकामे स्वतंत्रताके लिए जो युद्ध हुआ था, बहुतसे अशोंमें उसका कारण बर्क ही था और आगे चलकर फ्रान्समें राज्यक्रांति करनेवाले लोगों पर उसने जो क्रोध दिसलाया था उसके कारण उसकी उस कीर्तिमें बड़ा नहीं लगता जो उसे स्वतंत्रताके भक्त और मित्र होनेके कारण प्राप्त हुई थी। ग्रॅटन सदा अपना व्यवहार ऐसा रखता था जिसमें पार्लमेण्टमें एक पक्ष सदा उसके देशके कार्योंके अनुकूल रहे और कभी झगड़े-फसादमें न पडकर नियमानुमोदित रीतिसे आन्दोलन करता था।

लेकिन सन् १७८२ के लगभग जब आयरिश पार्लमेण्टकी स्वतंत्रताका प्रश्न बहुत जोरों पर था तब यही राजनीतिज्ञ यह कहनेके लिए तैयार हो गया था, कि यदि आयरलैण्डकी प्रार्थना इंग्लैण्ड स्वीकृत न करेगा, तो फिर जो होना होगा सो होगा । अधिकारियोंकी दृष्टिसे देखते हुए जन्मभर नियमानुमोदित रीतिसे और नम्रतापूर्वक व्यवहार करने-वाले इस राजनीतिज्ञने जब इंग्लैण्डकी कठिनाइयोंसे लाम उठाकर पार्लमेण्टके स्वतंत्र होते ही प्रतिबन्धक व्यापारके कानूनोंको रद्द करनेकी बात उठाई थी, तब लिबरल पक्षके इस मित्रको 'कृतघ्न' और 'भयकर विद्रोही' कहनेमें इंग्लैण्डवालोंने कसर नहीं की, क्योंकि इसी सुप्रसिद्ध अवसर पर इसी नम्र राजनीतिज्ञने इंग्लैण्डके प्रति इस प्रकार उत्कृष्ट शब्दोंमें कहा था—“किसीका चाहे कितना ही बड़ा उपकार क्यों न होता हो, तो भी किसी पुरुषसे अपनी सदसद्विवेक बुद्धि, छीसे अपना पातिव्रत और राष्ट्रसे अपनी स्वतंत्रता नष्ट करनेके लिए कहनेके समान अधमता ससारमें और कोई नहीं है ।” सन् १७९८ के आयरिश-विद्रोहके समय इस नम्र राजनीतिज्ञ पर 'युनाइटेड आयरिशमैन' नामक गुप्त मण्डलीमें सम्मिलित रहनेके आभे-योग पर मुकदमा चलनेकी पूरी तैयारी हो गई थी । लेकिन वह प्रसंग बड़ी कठिनाइयोंसे टला । अधिकारियोंके सन्देहका केवल इतना ही आधार था कि इस गुप्त मण्डलीका नीलसन नामक एक नेता ग्रटनके पास उससे यह पूछनेके लिए गया था कि—“क्या आप इस मण्डलीके सभासद होंगे ?” और उस सभाके उद्देश्य आदि जो उसने ग्रटनके टेबुल पर रखे थे वे उसी तरह पड़े रह गये । लेकिन ग्रटनने उसी समय स्पष्ट कह दिया था कि—“मैं सभासद नहीं होऊँगा ।” सन् १७९८ और १८०१ वाले विद्रोहोंका निषेध भी उसने स्पष्ट रूपसे किया था । परन्तु केवल गुप्त पुलिसकी रिपोर्ट उसके विरुद्ध थी । अधिकारियोंने



घह रिपोर्ट प्रसिद्ध कर दी। और इसलिए राजाने 'प्रिवी' कौन्सिलमेंसे उसका नाम निकाल दिया। इतना ही नहीं, धल्किस सन् १७८२ में जिन लोगोंने उसे मानपत्र दिया था और उसके चित्र सभामंडपमें लगाये थे उन्हीं राजभक्त परन्तु 'विचारशून्य' और 'डरपोक' लोगोंने उसकी तसवीरें मकानसे निकाल कर फेंक दीं, उसे दिया हुआ मानपत्र फेर लिया और जिस रास्तेका नाम उसके नाम पर रक्खा था उस रास्ते परसे उसके नामकी तस्वीर निकाल कर फेंक दी। लेकिन यह मनुष्य वास्तवमें इतना निस्पृह बुद्धिमान और तेज मगर कानूनका ध्यान रखकर बोलनेवाला और कायदे-कानूनको माननेवाला था कि आगे चलकर जब घह पार्लमेंटका सभासद हुआ तब बड़े बड़े अंगरेज राजनीतिज्ञ भी उसे देखकर आदरसे उसके सामने मस्तक झुकाते थे। फलढ लोकपक्षका नेता माना जाता है। पार्लमेंटके वादविवादमें उसकी कड़ी टीका और राजकर्मचारियोंकी शिकायत कभी कभी ग्रन्थसे भी आगे बढ़ जाती थी। उसकी बातोंसे सयाल होता था कि यह विद्रोहका नेता भी होगा। तथापि सन् १७८०-८२ में जब आयरिश स्वयसेवकोंकी सेवामें सेनिक भाव संचार करनेका समय आया तब वह ठीक मौके पर पीछे हट गया। मन्त्रिमण्डलमें अथवा उसकी अधीनतामें बड़ी तनखाहकी नौकरी पानेकी आशा जन्मभर उसके मनमें बनी ही रही। शील और क्यूरेन बक्ता थे। वे लोकपक्षकी ओरसे पार्लमेंटमें सदा ही अधिकारियोंका विरोध करते थे और लोकमतके नेता माने जाते थे। तथापि शीलने आगे चलकर न्यायाधीशका पद स्वीकार किया और क्यूरेन सन् १८०१ वाले विद्रोहके इतना प्रतिकूल था कि जब उसकी लड़कीके प्रेमी और भावी दामाद रावर्ट एमेट पर विद्रोहका मुकदमा चला तब उसने उसका ककालतनामा लेना भी नामजूर कर दिया। इन दोनों ही बक्ताओंने अनेक राजकीय अपराधियोंकी ओरसे बहुत अच्छी ककालत की थी,

तथापि समझमें नहीं आता कि उक्त कारणोंसे उनके उक्त व्यवहारोंके लिए हम उन्हें क्या कहें। केवल आइजिक वटको हम 'सच्चा नरम-दलका आदमी' कह सकते हैं, क्योंकि उसने स्वयं कभी नियमानु-मोदित मार्गका अतिक्रमण नहीं किया और वह पार्नेलके विरोधके मार्गका भी विरोधी था। तथापि दूसरे पक्षसे देखते हुए नरम दलके इस नेताने फीनिअन सर्रासे भयकर आन्दोलनमें मिले हुए और पद्धयत्रकारियोंके मुकदमोंकी बहुत जोरोंसे पेरवी की थी, उसने प्रार्थना की थी कि फीनिअन लोगोंको एक दमसे क्षमा कर दिया आय और जब बीस वर्षके अनुभवसे ब्रिटिश पार्लमेण्टसे आयरिश लोगोंको अधिकार मिलनेका उसका सुप्त-स्वप्न टूट गया तब उसने उतरती उमरमें आयरिश पार्लमेण्टको स्वतंत्र करनेके आन्दोलनमें नेतृत्व ग्रहण किया। डेनियल ओकानेलके सम्बन्धमें तो यह कहना बहुत ही कठिन होता है कि वह नरम दलका था या गरम दलका। क्योंकि उसने अपना सारा जीवन न्यायाधीशों और अधिकारियोंकी फजीहत करने और उनके कामोंकी कटी टाँका करनेमें ही बिताया। सेकड़ों सस्थायें स्थापित करके हजारों व्याख्यान देकर और लाखों आदमियोंकी सार्वजनिक सभायें करके देशके कोनेकोनेमें उसने ऐसा असन्तोष फैला दिया था कि मानों वह राज्य-क्रान्तिकी तैयारी ही कर रहा है और इस प्रकार राष्ट्रीय आन्दोलनको वह बहुत जोरों पर ले आया था। स्वतः इन्द्रियुद्ध करके उसने एक बार अपने प्रतिपक्षीके प्राण भी लिए थे। वह उन लोगोंमेंसे था, जो सुलफर यह कहा करते थे कि लोग तो स्वयं कभी अधिकारियों पर आक्रमण नहीं करेंगे, पर अधिकारी यदि अपनी मर्यादा छोड़ कर खुराफात करेंगे तो ईश्वरकी कृपासे और राष्ट्रके भाग्यसे जो हो जाय वही अच्छा है। उसने सैनिक शब्दोंकी सहायतासे राष्ट्रीय आन्दोलनके अगों और उपागोंके नाम भी रखे थे। तथापि यह पहले ही कहा जा

चुका है कि नियमानुमोदित कार्यके लिए जब क्लानटार्फ नामक इतिहास-प्रसिद्ध स्थानमें लाखों आइरिशोंकी अपूर्व सार्वजनिक महासभा करनेका संकल्प हो चुका था, तब उसने सभासे एक दिन पहले सन्ध्याके समय केवल वह जरासा कागज देकर उक्त सभा रोक दी थी, जो सरकारकी आज्ञासे सभा रोकनेके सम्बन्धमें निकाला गया था, और मुकदमा चलने पर जब उसको सजा हो गई तब उसे एक अदना सिपाहीके पीछे पीछे जेल जाना पडा था। उसका यह सिद्धान्तिक वचन भी सभी लोग जानते हैं कि यदि निरपराधके रक्तकी एक बूँद गिरनेसे भी राष्ट्रीय मोक्ष मिलनेकी सम्भावना हो तो उसके लिए रक्तपात न करो। उसके कार्य-क्रममें भिन्न भिन्न समयोंमें ब्रिटिश पार्लिमेण्टसे न्याय कराने और स्वतंत्र पार्लिमेण्ट माँगनेकी दो विरोधी बातोंका समावेश हुआ था। डेविस, डिलन, डफी और सुलिवान ये नेता 'नेशन' पत्रके सम्पादक थे। उन लोगोंने इस पत्रके द्वारा आयरिश लोगोंको सर्वोत्तम प्रकारका राष्ट्रीय धर्म सिखलाया था। वे ओकानेलको नरम दलका बतलाते और उसकी निन्दा करते थे। तथापि राष्ट्रीय धर्मका मुख्य उपदेशक डेविस स्वयं मार काट और पट्टयत्र आदिका विरोधी था।

तथापि यह बात ध्यानमें रखनी चाहिए कि ऐसा कोई नहीं था, जो कानूनको श्रुति वचनके समान ही मानता हो। 'नेशन' पत्रके सम्पादक डफी पर तीन बार मुकदमा चला था। परन्तु अन्तमें वह अमेरिकामें जाकर एक उपनिवेशका प्रधान मन्त्री बना और पीछे सरकरने उसे 'सर' का खिताब भी दिया। डफीके बाद सुलिवान पहले 'नेशन' पत्रके सम्पादक-मण्डलमें था और अन्तमें वह उसका प्रधान सम्पादक बना। उसने भी अपने पत्रके द्वारा राष्ट्रधर्मकी बहुत अच्छी तरह शिक्षा दी थी। परन्तु उसके समयमें जो फीनिअन आन्दोलन हुआ था उसमें वह सम्मिलित नहीं था, और जब उसे मालूम हुआ

कि रासा आदि फीनिअन लोगोंने अपनी गुप्त मण्डलीमें मेरा नाम भी सम्मिलित कर लिया है तब उसने अपने समाचारपत्रमें स्पष्ट रूपसे गुप्त मण्डलका विरोध किया और अनेक युवकोंका मन उस आदोलनसे फेर दिया । माइकल डेविट फीनिअन मण्डलमें सम्मिलित था । पर-देशसे आयलैण्डमें अन्न शस्त्र आदि लानेके प्रयत्नमें वह पकड़ा गया था, जिससे उस पर मुकदमा चला और वह दस वर्षके लिए काले पानी भेज दिया गया । वहाँसे लौट कर उसने लैण्ड-लीगका आदोलन किया और फिर इस आदोलनके लिए भी उस पर मुकदमा चला । तथापि आगे चलकर पार्लेमेंटकी तरह उसने भी अपने आपको गुप्त मण्डलमें जलित ही रक्खा । पार्लेमेंटके समान अंगरेजी राज्यसे द्वेष करने वाला और कोई हुआ था या नहीं, इसमें सन्देह ही है । लैण्ड लीग तथा नेशनल लीग आदिके कामोंमें फीनिअन लोगोंके साथ सुले आम सम्बन्ध रखकर नियमानुमोदित आन्दोलनमें जहाँ तक हो सकता वह उन लोगोंसे सहायता लेनेमें कसर नहीं करता था । तथापि जब 'टाइम्स' पत्रने उस पर हाइडपार्कमें होनेवाले रूनके साथ सहानुभूति रखनेका मिथ्या अभियोग लगाया, तब उसे बहुत ही बुरा मालूम हुआ और उसने भरी पार्लेमेंटमें कहा कि इस अभियोगकी सुले-आम तहकीकात होनी चाहिए और तब कमीशनके सामने उसके वकीलने सिद्ध कर दिया कि किसी गुप्त वधकी मन्त्रणामें वह सम्मिलित नहीं था । पार्लेमेंटके उपरान्तके आयरिश नेताओंने सुले आम और सार्वत्रिक बहिष्कार जारम्भ किया । तथापि हाइडपार्ककी हत्याके उपरान्त गत तीस वर्षोंमें आयलैण्डमें इस प्रकारका कोई विशेष राजनीतिक अत्याचार नहीं हुआ ।

आयरिश लोकमतके जितने नेता हो गये हैं यदि उन सबका वृत्तान्त देखा जाय तो एक और बातका भी पता चलेगा । भिन्नभिन्न आयरिश

नेताओंके भिन्नभिन्न कार्य्योंके जो उदाहरण हमने दिये है उनसे प्रकट होगा कि सार्वजनिक कार्य करनेवाले व्यक्तियोंकी नीतिको सदा एक ही नाम नहीं दिया जा सकता। शासन-विधान वास्तवमें ऐसा ही है कि राजनीतिकी तरह उसे भी अनेक रूप धारण करने पडते हैं और अपने चारित्र्यके मूल तत्त्वका ध्यान रखकर काम करनेवाले शासन-विधायककी कृतिको भी देश काल और प्रसंगके अनुसार भिन्नभिन्न रूप धारण करते हुए देखा जाता है। एक तो स्वयं शासन-विधायकोंके स्वभावमें, बुद्धि और कार्य-क्षमतामें उनकी अजस्थाके अनुसार अन्तर पडनेकी सम्भावना होती है और ससारके किसी राष्ट्रमें ऐसा एक भी शासन-विधायक न मिलेगा, समाजमें उपास्थित किया हुआ जिसका पहला भाषण या लेख वैसा ही हो, जैसा कि उसका अन्तिम भाषण या लेख हो। उसकी देश-सम्बन्धिनी चिन्ता, निर्लौभता और योग्यता आदि सभी बातें उसके चरित्रके आरम्भसे अन्त तक एक ही तरहकी कायम रह सकती है, लेकिन जिस सार्वजनिक कृत्यको लोग अच्छा कहते हैं उसीको वे कल बुरा कहने लेंगे और शायद फिर उसीको परसों अच्छा कहने लेंगे। दूसरी बात यह है कि परिस्थिति बदलनेके कारण अथवा अपनी भूल आप ही समझ कर मनुष्य कभी कभी अपना मत बदलता है और यदि वह प्रामाणिक और निर्भय होता है तो वह स्पष्ट रूपसे यह कहनेमें जरा भी नहीं हिचकता कि मैंने अपना मत बदल दिया है। इसी प्रकार बहुतसे काम करनेवाले आदमियोंकी मुख्य दृष्टि कार्य पर रहती है और वे अपनी सुसगतताकी प्रसिद्धिकी अपेक्षा कार्यसिद्धिका ही विशेष ध्यान रखते हैं। ग्लैडस्टन साहब पार्लैमेण्टमें प्रवेश करनेके समय 'टोरी' थे, पर अन्तमें वे पक्षे 'लिबरल' हो गये। चेंबरलेन साहबकी बात इससे बिलकुल ही उलटी हुई। लार्ड रोजवरी पहले आयरिश होमरूलके पक्षपाती थे, पर आगे चलकर वे बड़े भारी साम्राज्यवादी और होमरूलके शत्रु बन गये। यह कोई नहीं

कह सकता कि ये सब परिवर्तन केवल अपने हितके विचारसे अथवा मनोधैर्यके अभावके कारण हुए । आयरिश नेताओंमेंसे प्रायः हर एक पर विसंगतताका आरोप लाया जा सकता है और यदि इस विसंगतताके दो ही उदाहरण देने हों तो डेनिअल ओकानेल और आइजिक वट दिये जा सकते हैं । साथ ही सार्वजनिक काम करनेवालेका लोग जो अनेक अपसरों पर आदर करते हैं वे उसके द्वारा होनेवाली प्रत्यक्ष कार्य-सिद्धिका आदर करते हैं, उसके प्रयत्न और परिश्रमका आदर नहीं करते । क्योंकि परिणामरहित प्रयत्न और फलरहित कर्मकी यद्यपि एक प्रकारकी विशेष योग्यता होती है, तथापि उसके समझनेके लिए सर्वसाधारणका मन यथेष्ट सस्क्रुत नहीं होता । यह कहना सहज है कि कर्मके फलकी चिन्ता न करो, पर इस बातको प्रत्यक्ष आचरणमें लाना बहुत ही कठिन होता है और जनताके लिए तो वह और भी कठिन होता है । एक बात यह भी है कि सार्वजनिक कार्य करनेवालेकी विजयश्री और प्रसिद्धिका तेज अधिक समयतक समान रूपसे नहीं ठहरता, उस पर बराबर पालिश करते रहनेकी आवश्यकता होती है । लेकिन न तो ऐसे कार्य या प्रसंग ही किसीके हाथकी बात है, जिनसे कीर्ति बनाये रखनेके लिए बराबर पालिश की जाया करे और न यश ही किसीके अधिकारमें है । इसलिए इतिहासमें दो प्रकारके नेता मिलते हैं । एक प्रकारके नेताओंके द्वारा उनके जीवनमें एकाध ऐसा भारी काम हो जाता है कि उस समय उसके कारण उन्हें अनुपम कीर्ति प्राप्त होती है । लेकिन यह यश स्थायी नहीं होता, शीघ्र ही नसीब मलटा खाता है और आगे चलकर चाहे वे जन्मभर रगटते या पचते ही क्यों न रहें, पर कोई उनके प्रति साधारण कृतज्ञता भी प्रकट नहीं करता । दूसरे प्रकारके नेताओंकी यह बात है कि चाहे उनमें अलौकिक कृत्य करनेकी योग्यता न होनेके कारण कहिए और चाहे उन्हें वैसा अवसर न मिलनेके कारण कहिए, यद्यपि उनके कार्योंसे

लोगोंकी आँखोंमें चकाचौंध नहीं हो जाती, तथापि उनके यशोनिर्झरका पानी वारहों मास बना रहता है और उन्हें जन्मभर इस बातका यश मिलता रहता है कि वे लौकिक दृष्टिसे अथवा अपने ही मनसे थोड़ा बहुत देशकार्य्य करते रहते हैं। पहले प्रकारके नेता एक दृष्टिसे देखते हुए अवतारी होते हैं और उनके 'अवतारवाले' कामके समाप्त होनेके उपरान्तका समय, उनके लिए भी और लोगोंके लिए भी, एक प्रकारसे बुरी ही तरहसे बीतता है। आयरिश इतिहासमें इस प्रकारके दो तीन स्पष्ट उदाहरण हैं। सन् १७८२ में जब ग्रटनके प्रयत्नसे, आयरिश पार्लमेण्ट स्वतंत्र हुई, तब उसकी अवस्था लगभग तीस वर्षकी थी। लेकिन कुछ ऐसा विलक्षण संयोग हुआ कि एक ही समयमें देशमें राष्ट्रीय आंदोलन जोरों पर आया, प्रोटेस्टेण्ट लोगोंका धार्मिक बर नष्ट हुआ और अमेरिकामें अंगरेज परास्त हुए। उस समय ग्रटन सरीखे चलते हुए राजनीतिज्ञ और बक्ताने पार्लमेण्टमें प्रवेश करते ही जो कुछ कहा वही होता गया और आयरिश लोगोंके पार्लमेण्टकी स्वतंत्रता माँगते ही ब्रिटिश पार्लमेण्टने वह स्वतंत्रता उन्हें दे दी। उस समय लोगोंने एक स्वरसे ग्रटनको 'राष्ट्रजनक' की पदवी दे दी, केवल इतना ही नहीं बल्कि पार्लमेण्टने तुरन्त एक लाख पाउण्ड अर्थात् उस समयके अनुसार दस लाख रुपयेकी रकम उसे इस लिए देना निश्चय किया कि जिसमें वह आगेसे बैरिस्टरी न करे और आरामसे बैठकर केवल देश-कार्य्यमें मन लगा सके। लेकिन ग्रटन इतनी बड़ी रकम नहीं लेता था, इस लिए उससे कहा गया कि कमसे कम पचास हजार पाउण्ड तो तुम अवश्य लो, जिससे लाचार होकर वह रकम उसने लेली। इसके उपरान्त, बकालतका काम छोड़कर उसने, सारा जीवन केवल लोकसेवाके काममें बिताया। लेकिन इस 'अवतारी कामके हो जानेके उपरान्त उसने अपने जीवनके जो प्रायः तीस वर्ष ओर बिताये, उनमें स्वयं उसका कोई दोष न होने पर भी उसके 'यशका ह्रास होने लगा'।

और अन्तमें वह यश प्रायः नष्ट हो गया । पर इस बीचमें वास्तवमें उसने बड़े ही महत्त्वके काम किये थे । सन् १७८२ में जब पार्लमेंट स्वतंत्र हो गई तब उसके उपरान्त अठारह वर्षतक उसने उस पार्लमेंटके सुधारके लिए अविश्रात परिश्रम किया । लेकिन अंगरेज जमींदार, रिश्वत देकर बहकाये हुए सभासद और अंगरेजी मन्त्री आदि सभी इस सुधारके विरुद्ध थे, इस लिए उसे निराश होना पड़ा । सन् १७९८ में उत्फ्रोनका विद्रोह हुआ और शान्तिके लिए ग्रटनने जो उद्योग किया था वह व्यर्थ हुआ और सन् १८०१ में आयरिश पार्लमेंट तोड़कर ब्रिटिश पार्लमेंटमें मिला दी गई । सन् १७९८ के उपरान्त ग्रटन उद्दिष्ट होकर कुछ दिनोंके लिए विदेश चला गया था । उस समय उस पर राजद्रोहके पद्वयत्रमें सम्मिलित रहनेका मिथ्या सन्देह किया गया, जिससे कारण उसे बहुत कष्ट उठाना पड़ा । इसके उपरान्त जब शान्ति हो गई तब कई वर्षोंतक वह ब्रिटिश पार्लमेंटका सभासद होकर काम करता रहा । उस समय अंगरेज राजनीतिज्ञ भी उसका आदर करते थे । पर सन् १७८२ के ग्रटन और अबके ग्रटनमें जमीन और आसमानका फरक था । वास्तवमें स्वयं प्रोटेस्टेण्ट होकर भी १७८२ के उपरान्त उसने अपना सारा समय रोमन कैथोलिक लोगोंको स्वतंत्रता दिलवानेके लिए अत्यन्त परिश्रम करनेमें बिताया । यदि आयरिश लोगोंके मित्र और शत्रु दोनोंसे ही देशभक्तिके लिए किसीको समान धन्यवाद मिला तो वह ग्रटनको ही मिला था । इतना होनेपर भी आगे चलकर स्वयं आयरिश लोग ही उसका आदर न करने लगे । उसकी मृत्युके कुछ ही पहले जो चुनाव हुआ था उसमें दगा हो गया था, जिसमें उसे जख्मी होना पड़ा था और अन्तमें आयरिश स्वतंत्रताके सम्बन्धमें निराश होकर उसे मर ही जाना पड़ा । हेनरिअल ओकानेलके समान लोकप्रिय नेता आयरलैण्डमें आज तक और कोई हुआ ही नहीं । वह आयरिश लोगोंका अनभिषिक्त राजा ही था, और



इसमें भी कोई कमी न रहे, इस लिए एक इतिहासप्रसिद्ध स्थानकी बड़ी भारी सार्वजनिक सभामें उसके भक्तोंने उसके सिरपर राष्ट्रीय चिह्नका राजमुकुट भी प्रत्यक्ष रूपसे रस दिया था। लेकिन जैसा कि पहले कहा जा चुका है क्लानटार्फमें जो भारी सभा होनेवाली थी, उसे रोकनेके लिए सरकारने घोषणपत्र निकाला जिसे उसने मान लिया। इससे उसी समय उसकी सारे जन्मकी प्राप्त की हुई लोकप्रियता क्षणभरमें नष्ट हो गई और फिर उसके सब कुछ करने पर भी गया हुआ समय न लौटा। ओकानेलकी लोकप्रियता बहुतसे अशोंमें सकारण थी। सौ बरसतक लात खाकर गिरे रहनेवाले कैथोलिक लोगोंमें पहला बैरिस्टर और पार्लमेण्टका पहला समासद् ओकानेल ही था। अपने कामोंमें उसने, वकालतकी चतुरता, वक्तृत्व, धैर्य और परोपकार वृत्तिकी सहायता लेकर समाज पर विलक्षण प्रभाव डाला था। उस समय उसके सम्बन्धमें यह प्रसिद्ध हो गया था कि सरकारी अत्याचारसे पीडित अनार्योंका ओकानेल ही नाथ है और इसीलिए उसने जो काम उठाया उसका महत्त्व बढ़ा। सन् १८२९ में जब कैथोलिक लोगोंको स्वतंत्रता दिलानेका उसका भीरु प्रयत्न सफल हुआ तब उसकी कीर्ति चरम सीमा तक पहुँच गई। उसे इस बातका अहकार हुआ कि अब मैं जो आन्दोलन आरम्भ करूँगा, वह अवश्य सफल होगा। इसलिए उसने आन्दोलन आरम्भ किया, जिसने बहुत कुछ रग भी पकड़ा। लेकिन उसका अवतार वास्तवमें सन् १८२९ में ही समाप्त हो गया था, इस लिए उसके उपरान्त उसने जो आन्दोलन किये उनमें सफलता नहीं हुई और अधिकारियोंने उसका मुँह बंद कर दिया। सन् १८४४ में उस पर मुकद्दमा चला और उसे नौ महीनेका दण्ड हुआ। उस समय उसकी बातें माननेवाले और उसके सिर पर मुकुट रखनेवाले लासों आदामियोंमेंसे एकने भी उसके लिए हथियार न उठाया। युवक लोग उसे नरम, दलका बतलाने लगे। यद्यपि अपीलमें वह छूट गया तथापि

एक बार उसकी जो लोकप्रियता नष्ट हुई वह नष्ट ही हो गई । पार्नेलकी भी यही बात है । लैण्ड लीग और नेशनल लीगके सम्बन्धमें उसने जो प्रयत्न किये थे वे बड़े ही महत्त्वके थे । पार्लमेण्टमें उसने विरोधका जो मार्ग ग्रहण किया था उसमें उसे सफलता हुई और इसलिए उसे ऐसा यश मिला जैसा और किसी नेताको पार्लमेण्टमें नहीं मिला था । हाइड पार्कमें होनेवाले सूनके साथ उसका जो सम्बन्ध जोड़ा गया था और उसके लिए जो कमिशन नियुक्त हुआ था, उसके कारण उसका वह यश दूना हो गया और जिस दिन कमीशनने उसके अनुकूल फैसला किया उस दिन तो उसकी कीर्ति चरम सीमातक पहुँच गई । परन्तु शीघ्र ही एक छ्त्रिके एक मामलेमें उसका यश जो एक बार नष्ट हुआ वह सदाके लिए नष्ट ही हो गया । ग्लेडस्टन तथा अन्य लिबरल राजनीतिज्ञोंने उसे छोड़ दिया । इतना ही नहीं बल्कि उसके पक्षके लोगोंने भी उसे नेतृत्वसे पदच्युत किया और दुःख तथा अपयशमें ही उसका अन्त हुआ । आज अनेक वर्षोंके उपरान्त केवल ऐतिहासिक दृष्टिसे विचार करनेवालोंको ग्रटन, ओकानेल और पार्नेलकी योग्यता निस्सन्देह उससे कहीं अधिक जान पड़ेगी, जितनी उसके आखिरी दिनोंमें स्वयं उसके देशभाइयोंको जान पड़ी थी । तथापि अनेक अवसरों पर सार्वजनिक काम करनेवाले नेताओंका चरित्र नदीके प्रवाहके समान होता है । आज उसका प्रवाह एक ओर है और दूसरी ओर साफ मैदान दिखाई देता है, और कल देखिए तो जहाँ मैदान था वहाँ जोरोंसे पानी बह रहा है और पानीवाली जगह पर साफ मैदान दिखाई देता है । ऐसी अवस्थामें वे ही लोग वास्तवमें धन्य हैं, जो अपने सिद्धान्त और अपने तत्त्व, अपने उद्दिष्ट और अपनी कार्यसिद्धि, सच्चा प्रवाह आरम्भसे अन्त तक चढ़ान तोड़कर उसके बीचसे बहनेवाली नदीकी तरह स्वच्छ, निर्मल, एकमार्गी और अनिरुद्ध रस सकें । लेकिन इसप्रकार धन्यवाद प्राप्त करनेवाले लोग वास्तवमें बहुत ही कम होते हैं ।

## १ आयर्लैण्ड और हिन्दुस्तान ।



साम्य-दर्शन । यहाँ तक हमने आयर्लैण्डका प्राचीन और अर्वाचीन इतिहास बतलाया है । इससे पाठकोंके ध्यानमें यह बात आ गई होगी कि किन किन बातोंमें आयर्लैण्ड और हिन्दुस्तानमें विशेष समानता है । इसके लिए आयर्लैण्डके इतिहासको केवल स्थूल उपमानके रूपमें लेना चाहिए । सब तरफसे और फुटकर बातोंमें भी समानता ढूँढने बैठना ठीक उसी प्रकार अयुक्तिक होगा जिस प्रकार यह कहने पर कि—‘ यह स्त्री गजगामिनी है ’ यह पूछना कि—‘ तब फिर उसका सूँड दिखलाओ । ’ सृष्टिमें जितना साम्य है उतना ही वैपम्य भी है । करोड़ों आदमियोंमें जिस प्रकार ठीक एक ही आकृतिके दो आदमियोंका मिलना कठिन है इसी प्रकार ऐसे दो राष्ट्रोंका मिलना भी कठिन है, जिनके इतिहास ठीक एकसे हों । तथापि मनुष्यका स्वभाव सब स्थानोंमें एक ही होता है और पृथ्विके भिन्न भिन्न भागोंमें भौतिक तत्त्व बहुधा समान लक्षणात्मक ही होते हैं । इस लिए मनुष्योंकी तरह राष्ट्रोंमें भी इतना साधर्म्य अवश्य मिल सकता है, जिससे वस्तुतः नहीं तो स्वरूपतः भ्रम अवश्य उत्पन्न हो जाय । साधर्म्य और वैधर्म्य ढूँढ निकालनेके लिए एक प्रकारकी मार्मिकताकी आवश्यकता होती है । यदि मनुष्य मार्मिक हो, तो भेद न भूलकर वह साधर्म्य देख सकता है । हिन्दुस्तान और आयर्लैण्डके साधर्म्य और वैधर्म्य देखनेका काम मार्मिकतापूर्वक और केवल सत्यके अन्वेषणकी दृष्टिसे करना चाहिए, नहीं तो आदमी चक्करमें पड जायगा । अस्तु, अब हम पहले साधर्म्यका विचार करते हैं ।

सभ्यताके अगों और उपागोंकी दृष्टिसे देखते हुए आयर्लैण्ड और हिन्दुस्तानमें बहुत कुछ समानता है । सेल्ट और ट्यूरन ये दोनों

प्रकारके लोग एक ही नाम 'यूरोपियनके अन्तर्गत अवश्य आ जाते हैं' तथापि स्वभाव और गुणकी दृष्टिसे उनमें बहुत अन्तर है। आयरिश लोग सेल्ट शाखामेंके हैं और अंगरेज लोग ट्यूरोन शाखामेंके। आयरिश मानव कुल भाषा, स्वभावगुण और चरित्रकी दृष्टिसे अंगरेज मानव-कुलकी अपेक्षा भारतवर्षके आर्य्य मानव-कुलके अधिक समीप है। आयरिश भाषा बहुत साफ और सस्कृतकी तरह मृदुव्यजनपूर्ण है। इतना ही नहीं बल्कि तुलनात्मक भाषा-शास्त्रके विद्वानोंका मत है कि रूप और विकृति आदिकी दृष्टिसे आयरिश भाषा वस्तुतः सस्कृत भाषाके जितना समीप है उतना वह यूरोपियन भाषाओंके भी समीप नहीं है। सभ्यताकी प्रगतिकी दृष्टिसे विचार करते हुए आयरिश लोगों और भारतवासियोंके गुण और दोष एक ही स्वरूपके हैं। ससा-रके इतिहासमें दो प्रकारके लोग दिखाई देते हैं। एक प्रकारके लोगोंमें सभ्यताका जन्म बहुत जल्दी होता है, लेकिन कुछ निश्चित सीमातक पहुँचनेके उपरान्त उसकी गतिका अन्त हो जाता है। दूसरे प्रकारके लोगोंमें सभ्यताका जन्म बहुत देरसे होता है, परन्तु जब एक बार उस सभ्य-ताका आरम्भ हो जाता है तब फिर उसमें बराबर उन्नति ही होती जाती है। कुछ लड़के बचपनमें बड़े तेज होते हैं और उनकी बुद्धि शीघ्र पक होती है, और कुछ लड़के बचपनमें बिलकुल बोदे होते हैं परन्तु उनकी बुद्धि बराबर बढ़ती जाती है। दोनों ही तरहके लड़कोंके सम्बन्धमें उनके बचपनके अनुभवसे जो तर्क या अनुमान किया जाता है वह उनके बड़े होने पर ठीक नहीं उतरता और उनके चरित्रक्रममें बहुत बड़ा और स्पष्ट अन्तर पड जाता है। हिन्दुस्तानकी तरह आयर्लैण्डमें भी सभ्यताका उदय बहुत प्राचीन कालमें हुआ था।

जिस समय इग्लैण्डके लोग शरीरमें रंग पीतकर और खाल ओढकर जगलोंमें भटकते फिरते थे, उस समय हिन्दुस्तानके ऋषि गहन वर्म-

विचारमें निमग्न रहते थे और साथ ही ऐहिक प्रवृत्तिके लोग भी उत्तम प्रकारका सासारिक सुख भोगते थे। आयरलैंड पर जिससमय विदेशियोंके आक्रमण हुए उससमय सेल्टिक मानव-वंशके लोग बहुत सभ्य थे। नारमन लोगोंकी अपेक्षा आयरिश लोगोंकी भाषा अधिक प्रौढ़ और अर्थपूर्ण, कविता अधिक सरस और संगीत अधिक मधुर होता है। परन्तु राजकीय दृष्टिसे आत्म-सरक्षण और प्रगतिके लिए जिन गुणोंकी आवश्यकता होती है वे गुण आयरिश लोगोंमें उतने नहीं थे जितने होने चाहिए। हिन्दुस्तान पर जिस समय मुसलमानोंके आक्रमण हुए थे, उस समय हिन्दुओंके सामने सभ्यताकी दृष्टिसे देखते हुए विदेशी लोग वैसे ही दिखाई पढ़नेके योग्य थे जैसे दादाके सामने पोते। लेकिन ससारके इतिहासमें राजकीय पराक्रम और सभ्यताका मेल सदा नहीं दिखाई देता। इन दोनोंकी प्रगतिके नियम अलग अलग हैं और इसीलिए पाँचवीं और छठी शताब्दीमें दक्षिण युरोपमें जो यह चमत्कार दिखाई दिया कि जगली लोगोंने सभ्य लोगोंको जीत लिया, ग्यारहवीं शताब्दीमें वही चमत्कार आयरलैंड और हिन्दुस्तानमें दिखाई दिया।

राज्य प्राप्त करनेके मार्ग इतिहासमें प्रायः एक ही स्वरूपके हुआ करते हैं। जिस प्रकार स्त्री-विषयक लोभके कारण अँगरेजोंका प्रवेश आयरलैंडमें हुआ उसी प्रकार स्त्री-कर्तृक लोभके कारण उनका प्रवेश हिन्दुस्तानके कमसे कम एक भागमें हुआ। परस्त्रालम्पट मेकडरमाट और स्वस्त्री-लम्पट रघुनाथराव पेशवाकी समानता तुरन्त ही लोगोंको ज्ञात हो जाती है। इसी प्रकार प्रजाजनोमें भेद रखकर अथवा बढ़ाकर राजसत्ता प्रबल करनेकी युक्ति इतिहासमें नई नहीं है। यदि यह देखा जाय कि आयरलैंडमें प्रोटेस्टेण्ट कैथोलिक लोगोका धर्म वर अँगरेजोंके लिए कितना उपयोगी हुआ और विजातीय जमींदारोंके वहाँ बसनेके समयसे स्वतंत्रताकी अभिलाषा करनेवाली

आयरिश प्रजाका किस प्रकार दमन हुआ, तो इस बातका पता तुरन्त लग जायगा कि भारतवर्षमें अँगरेजी सरकार हमारे मुसलमान भाइयोंको क्यों इतना सुहलाती और पुचकारती और आसाम प्रान्तमें बसे हुए अँगरेजोंकी मनमानी कार्रवाइयोंसे क्यों इस प्रकार आँस बचाती है । जब यह देसा जाता है कि आयलॅण्डके वीरोंने आपसमें ही लडकर किस प्रकार परायोंका हित साधन किया, तो भारतवर्षमें भी 'आत्मैव रिपुरात्मन' वाले दैवी वचनकी सत्यताका प्रमाण मिल जाता है । इसी प्रकार जब यह देसा जाता है कि आयरिश राजाओंके मनमें स्वतंत्रताकी इच्छा उत्पन्न होने पर भी भिन्न भिन्न अवसरों पर अपने अपने बल पर परन्तु केवल अपना ही हित करनेके लिए वे आपसमें किस प्रकार एक दूसरेसे लड़े और ससारको ईसापनीतिमेंकी 'किसान और उसके लडके' वाली कहानीका किस प्रकार अच्छा उदाहरण दिसला दिया, तो पाठकोंको तुरन्त यह जान पडने लगेगा कि हम हिन्दुस्तानके पेशवाओ, सिन्धिया, होलकर, मोगलों, अमीरों और सिन्धसोंके भिन्न भिन्न अपसरों पर किये और विफल हुए प्रयत्नोंका प्रतिबिम्ब आयरिश इतिहासमें देख रहे हैं । सन् १६४१ वाले आयलॅण्डके विद्रोह और सन् १८५७ वाले भारतवर्षके विद्रोहमें बहुत बड़ी समानता है । दोनोंके ही मूलमें धर्मान्धता और जातिद्वेष था और पीछेसे उन्हें गुप्त राजकीय हेतुओंका सहारा था, पर यह भी पता लगता है कि वह सहारा यथेष्ट नहीं था । इन मोनों विद्रोहोंमें दोनों पक्षोंमें समान रूपसे निन्दनीय और अनुचित कृत्य किये गये और दोनोंमें ही विशिष्ट वर्गके देशी लोगोंने आवेशमें आकर अपनी बहादुरीका कमाल कर दिया । तथापि अन्तमें स्वयं अँगरेज अपने अमूल्य गुण सहिष्णुताके कारण और एक दूसरे वर्गके देशी लोगोंकी सहायताके कारण इन विद्रोहोंको शान्त कर सके । स्वर्गीय श्रीयुत रमेशचन्द्र दत्तकी पुस्त-

कसे पाठकोंको यह बात मालूम होगी कि सत्रहवीं शताब्दीमें आयर्लैण्डमें व्यापारसंबंधी जो अन्यायपूर्ण नियम बने थे, हिंदुस्थानमें उनकी समानता ईस्ट इंडिया कम्पनीकी आरम्भिक अमलदारीमें बंगाल और मद्रास प्रान्तोंमें मिलेगी। परन्तु यह मानना ही पडेगा कि इस विशिष्ट विषयमें अधिक स्पष्ट समानता नहीं है। यदि यह मान लिया जाय कि आयर्लैण्डके प्रोटेस्टेंट जमींदारोंकी जगह भारतवर्षमें स्वयं अंगरेजी सरकार है तो उनके इतिहासके एक अगकी समानता उस आदोलनसे सिद्ध हो जायगी जो इन दोनों देशोंमें जमीनके संबंधमें हो रहे है। यद्यपि अभी हालमें आयर्लैण्डवाले भारतवासियोंसे बहुत आगे बढ़ गये है, तथापि स्वराज्य अर्थात् बहुतसे अंशोंमें स्वतंत्र पार्लमेण्टके अधिकारकी उच्चाकाक्षाके संबंधमें भारतवासियों और आयरिश लोगोंमें पूरी पूरी समानता है। ओर इस अन्तिम साध्यको प्राप्त करनेके लिए लिबरल पक्षके आसरे पर प्रार्थना और डेप्युटेशन आदिकी सहायतासे विलायतका लोकमत अनुकूल करने और उसके बल पर पार्लमेण्टसे सुधार करा लेनेके साधनों और मार्गोंमें आयर्लैण्ड और हिन्दुस्थानमें पहले जो समानता थी, सौभाग्यवश भारतमें इधर दस बारह वर्षसे अच्छे ढंग पर होनेवाले राष्ट्रीय आदोलन और दुर्भाग्यवश कुछ मूर्खोंके द्वारा होनेवाले अनुचित साहसपूर्ण कृत्योंसे उस समानताकी ओर भी अधिक पूर्ति हो जाती है।

इन दोनों देशोंका समीकरण करते हुए यह पता चलेगा कि अंगरेजी सत्ता अर्थात् सम्राट् जार्जके नियमित अधिकार, पार्लमेण्टके अनियमित अधिकार, स्टेट सेक्रेटरी ओर वाइसरायके प्रत्यक्ष शासन, प्रजाकी पूर्ण परतन्त्रता आदि बातोंमें ये दोनों देश एक समान ही नहीं है बल्कि प्रत्यक्ष एक ही है। दोनों ही देश अकल्पित शीतिसे एक ही साम्राज्यके अवयव हुए, दोनोंको ही अपनी वर्तमान

स्थितिके सम्बन्धमें सन्तोष नहीं हुआ और उनके मनमें स्वय ही अपना कारवार चलानेकी इच्छा उत्पन्न हुई । दोनोंको ही इंग्लैण्डके राजाका अधिराज्य मान्य है और कानूनके द्वारा जो राजसत्ता स्थापित हुई है उसे नष्ट करनेकी उनकी इच्छा नहीं है । लेकिन जिस यत्रके योगसे उस राजसत्ताका काम चलाया जाता है, साधारणत दोनो ही राष्ट्रोंके लोगोंकी समान रूपसे यह इच्छा है कि उस यत्रकी रचनामें कुछ परिवर्तन करके उसे अधिक लोकोपयोगी बनाया जाय और उसकी गति, दिशा आदि बातें निश्चित करनेमें प्रजासे अत्रकी अपेक्षा अधिक सहायता ली जाय । भारतवासी, आज कल जो यह कहते हैं कि हमें औपनिवेशिक स्वराज्य चाहिए उसके सम्बन्धमें कुछ लोग यह आक्षेप करते हैं कि साम्राज्यके भिन्न भिन्न भागोंकी परिस्थिति एक दूसरेसे भिन्न होती है, इसलिए औपनिवेशिक स्वराज्य माँगना पागलपन है । एक दृष्टिसे देखते हुए यह आक्षेप ठीक भी है । क्यों कि आयर्लैण्ड और हिन्दुस्तान दोनोंको स्वराज्य तो अवश्य चाहिए, तथापि यह बात नहीं है कि किसी एक उपनिवेशके स्वराज्यका नमूना बिना किसी प्रकारका परिवर्तन किये ज्योका त्यों इन दोनोंमेंसे किसीके लिए भी उपयोगी होगा । स्वय आयर्लैण्डने जो स्वराज्य माँगा है उसके रूप आदिमें गत सौ वर्षोंमें दो तीन बार परिवर्तन हुए । ग्रटन ( १७८२ ) ओकानेल ( १८४४ ) आयजिक बट ( १८७३ ) और पार्नेल ( १८८०-९० ) के माँगे हुए स्वराज्योंमें भी एक दूसरेसे कुछ न कुछ अन्तर था । और तो और, स्वय ग्लैडस्टन साहबने सन् १८८६ और १८९३ में जो दो होमरूल बिल पार्लैमेण्टके सामने उपस्थित किये, उन दोनोंमें भी बहुत अन्तर था । हिन्दुस्तानके सम्बन्धमें विचार करते समय, यदि उसे स्वराज्य अर्थात् स्वतंत्र पार्लैमेण्ट मिलनेका अवसर आ जाय तो शायद इन सबसे भिन्न एक अलग नमूना तैयार करना पड़ेगा । परन्तु ये सब स्वरूप सूक्ष्म



दृष्टिसे देखते हुए एक दूसरेसे चाहे कितने ही भिन्न क्यों न हों, तथापि उनका स्थूल स्वरूप एक ही होगा। और वह स्वरूप यह है कि इंग्लैंड और हिन्दुस्तान दोनोंको जोड़नेके लिए बादशाही सत्ताके 'सोनेकी सिकड़ी' के समान अत्राधित रहते हुए कर लगाने, वसूल किये हुए करोंको खर्च करने, कायदेकानून बनाने और राजकार्यमें भूल करने पर अधिकारियोंको जवाब-देह बनाने आदि ऐसी बातोंका अधिकार हो। यही अधिकार दोनों देश माँग रहे हैं, जिनका सच्चे स्वराज्यमें समावेश होता है। आयर्लैण्डमें पहले एक ऐसी ही पार्लमेंट थी, जो सन् १८०१ में टूट गई। वही पार्लमेंट अथवा उसी तरहकी दूसरी पार्लमेण्ट आयरिश लोग चाहते हैं। हिन्दुस्तानके लिए पार्लमेंट बिलकुल नई चीज है। परन्तु वे उसे चाहते हैं। आयर्लैंडकी यह आकांक्षा यद्यपि पूरी नहीं हुई है, तथापि सन् १९१४ वाले होमरूल बिलके पास हो जानेसे उसके कुछ अशोकी पूर्ति अवश्य हो गई है, पर भारतवर्षकी आकांक्षा दिन पर दिन बलवती होती जा रही है और यहाँ इस बातका प्रयत्न किया जा रहा है कि होमरूल या स्वराज्यके आन्दोलनमें यथासाध्य शीघ्र सफलता प्राप्त हो, और वर्तमान युद्धकी समाप्ति पर इस आकांक्षाके पूर्ण रूपसे नहीं तो आशिक रूपसे अवश्य पूर्ण होनेकी सम्भावना है। क्योंकि विलायतके अधिकारियों और प्रजाका ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जा रहा है। और आयर्लैंडको तो वर्तमान युद्धकी समाप्तिसे पहले ही सच्चे स्वराज्य-सुखका कुछ अंश 'कनवेन्शन' के सहमत होने पर भोगनेको मिल जायगा।

यदि राजकीय विषयको छोड़ दिया तो भी अनेक बातें ऐसी हैं, जिनमें आयर्लैंड तथा हिन्दुस्तानमें बहुत कुछ समानता दिखाई देती है। दोनों ही देशोंके लोगोंका गुजारा प्रायः खेती पर ही होता है और दोनों ही देशोंमें व्यापार और शिल्प आदि बहुत ही कम है। दोनों

ही देशोंके किसान बहुत दरिद्र है, उन्हें जल्दी जल्दी अफालकी पीड़ा होती है और उससे उन्हें बहुत कष्ट होता है। दोनों ही देशोंमें धर्मोपदेशकोंकी बहुत प्रचलता है। विधि, नियम, शब्द-प्रमाण और मूर्ति-पूजा आदिके कारण आयरिश लोगोंके कैथोलिक धर्म और सर्वसाधारण हिन्दू धर्ममें बहुत कुछ समानता दिखाई देती है और प्रत्यक्ष धर्म-व्यवहारमें हिन्दुस्तानके लोगोंकी तरह आयरिश लोग भी बहुत ही दृढनिग्रही, श्रद्धालु, भावुक और दयालु है। दोनों देशोंके लोगोंके गुणों और दोषोंमें कुछ विशेष प्रकारका साधर्म्य दिखाई देता है। आयरिश लोग बुद्धिमान परन्तु चंचल, उत्साही परन्तु जल्दवाज, प्रेमी परन्तु सीधे और वक्ता परन्तु वक्तृत्वलुब्ध होते हैं। आयरिश लोगोंके मनकी दशा बहुतसे अशोंमें बगालियोंके मनकी दशाके समान है। उनके मन पर प्रत्येक बातका बहुत जल्दी प्रभाव होता है, परन्तु वह प्रभाव दृढ नहीं होता, और यदि हो भी तो अधिक समय तक नहीं ठहरता। लालित्यकी दृष्टिसे उनकी कविता और कला सुन्दर होती है, परन्तु उनमें गुरुता या विचारोंकी गहनता अधिक नहीं होती। उनकी कल्पना-शक्ति भारी होती है, पर उनके सकल्प गम्भीर और दृढ नहीं होते। इसी लिए वे कोई स्थायी काम नहीं कर सकते। आयरिश लोगोंके समान मिलनसार, विनोदी और आनन्द मगल करनेवाले लोग दूसरे स्थानमें कम ही मिलेंगे। परन्तु उनके गुणोंके साथ बक्रीपन, अविचार, अदूरदर्शिता आदि अवगुण भी मिले हुए हैं, इसलिए उनके गुणोंका यथेष्ट फल नहीं होता। आयरिश जाति रणशूर है। अंगरेजी जल और स्थल-सेनामें आधेसे अधिक प्रसिद्ध योद्धा आयरिश लोग ही हैं। तथापि उनकी युद्ध-कुशलता और शूरतासे आज तक उनके देशकी अपेक्षा विदेशको ही अधिक लाभ पहुँचा है। इसके अतिरिक्त आयरलैण्डमें जितने रणशूर देशभक्त हुए, उतने ही घरके भेदी होकर लका जलानेवाले और

सद्व्यवहारकी आवश्यकता होती है जमीनका लगान वसूल करनेमें उतने सद्व्यवहारकी आवश्यकता नहीं होती । इसके आतिरिक्त हिन्दू लोग कैथोलिक लोगोंके समान निग्रही और धर्म्मनिष्ठ होने पर भी सहिष्णुतामे उनसे बढकर है । इन्हीं सब कारणोंसे हिन्दुस्तानमें अँगरेजोंके द्वारा धार्म्मिक पीढन नहीं हुआ ।

यदि इस बातका ध्यान रक्खा जाय कि जमीनके सम्बन्धमें आयर्लैण्डके प्रोटेस्टेण्टोंकी जगह पर हिन्दुस्तानमें स्वयं अँगरेज सरकार है, तो इसमें सन्देह नहीं कि इस समय हमें आयर्लैण्ड और हिन्दुस्तानकी स्थितिमें वैधर्म्यकी अपेक्षा साधर्म्य ही अधिक दिखाई देगा । तथापि एक बातका ध्यान रखना आवश्यक है । वह यह कि सैकड़ों बरसोंतक आन्दोलन करने पर आयरिश प्रजा आज जिस सुधरी हुई स्थितिमें है हिन्दुस्तानकी भी आज वही स्थिति है और अँगरेजी अमलदारीमें ही पहले इसकी अपेक्षा और अच्छी स्थिति थी । आयर्लैण्डमे यह बात बहुत हालमें निश्चित हुई है कि जमीन पर प्रजाका स्वामित्व हो । पर हिन्दुस्तानमें यह तत्त्व बहुत पुराने जमानेसे माना जाता है । हाँ, इधर बम्बई प्रान्तके सर्वे एक्टने और विशेषतः सन् १९०१ के लैड रेविन्यू बिलने इस तत्त्व पर थोडा बहुत आक्रमण किया है । आयर्लैण्डके जमींदार अँगरेज थे, उनके लगान माँगनेकी कुछ सीमा होनी चाहिए थी, और यदि वे अधिक लगान माँगते तो लगान निश्चित करना सरकारका काम था । लेकिन इस सीधी सादी बातके लिए भी कानून बनवानेमें आयरिश लोगोंको सैकड़ों वर्षोंतक आन्दोलन करना पडा था और किसी किसी अवसर पर रक्तपात तक करना पडा था । लेकिन भारतवर्षमें केवल प्रजाकी दृष्टिसे देसते हुए जमींदारोंके विरुद्ध उनके साथ जो न्याय होना चाहिए था वह पहले ही और बिना किसी प्रकारके कष्टके हो गया । बंगाल तथा मध्यप्रदेशमें 'टेनेन्सी लॉज' नामके कानूनोंका व्यवहार होता

है, उसके अनुसार यह काम न्यायालयके सुपुर्द किया गया है कि प्रजाकी सामर्थ्य देखते हुए वह यह निश्चित करे कि जमींदारको उन्हे कितना लगान देना चाहिए। इस कानूनका व्यवहार भी अच्छी तरह होता है। इसी प्रकार बम्बई प्रान्तमें साहूकारोंके विरुद्ध कानून बने आज लगभग चालीस वर्ष हो गये। सन् १८८१ में ग्लैडस्टन साहूबके प्रयत्नसे आयलैण्डमें जमीनके सम्बन्धमें जो सबसे अधिक समाधानकारक नियम बना, उसके दो वर्ष पहले ही महाराष्ट्र प्रजाके बचावका कानून बन चुका था। सन् १८८१ वाले कानूनके बनने तक आयलैण्डमें प्रायः टेढ़ सो वर्षों तक जो मारकाट और रक्तपात हुआ, उसे देखते हुए इस बातका सन्देह होता है कि सन् १८७६ के अकालमें और उसके उपरान्त महाराष्ट्र स्वतंत्र होने जो रक्तपात किया था वह मनके मुकाबलेमें रत्ती भर भी है या नहीं। अब यह प्रश्न दूसरा है कि इन कानूनोंसे साहूकारों और जमींदारोंकी हानि होती है या नहीं और यदि होती है तो कितनी होती है। उसी प्रकार यह प्रश्न भी अलग है कि साहूकारों और जमींदारोंके साथ सरकार जिन नियमोंका पालन करती है उन्हीं नियमोंका पालन वह अपने साथ करती है या नहीं, अथवा वह स्वयं अपनी प्रजासे जो लगान माँगती है वह ठीक है या नहीं, और इसे ठीक करनेके लिए सरकार और प्रजाके बीचमें किसी तीसरे आदमीकी आवश्यकता है या नहीं। लेकिन आयरिश प्रजा और भारतीय प्रजाकी स्थिति देखते हुए यह वैधर्म्यकी बात ध्यानमें रखने योग्य है कि आज एक अनायास ही जिस स्थितिमें है और जो इस समय उसे पहलेसे भी बिगड़ी हुई मालूम होती है उस स्थिति तक पहुँचनेके लिए दूसरेको सैकड़ों वर्षों तक आन्दोलन करना पडा था। और यदि सरकारका यही सिद्धान्त बना रहा तो यह भी सम्भव है कि कुछ वर्षोंमें यहाँ भी उन्हीं कारणोंकी सृष्टि हो जाय, जिनसे बहुत

दिन पहले आयर्लैण्डकी प्रजामें असन्तोष फैला था। तथापि इस समय आयरिश तथा भारतीय प्रजाकी स्थितिमें अन्तर है और यहाँ पर यही बतलाना हमारा मुख्य उद्देश्य है कि, यह अन्तर किसी समय भारतीय प्रजाके लिए हितकारक था। इस सम्बन्धमें आयर्लैण्डके इतिहाससे जो शिक्षा ली जा सकती हो वह गत कालकी अपेक्षा भविष्यकालके लिए ही अधिक लाभदायक हो सकती है। देशी प्रजाकी जमीनके विधर्मी और विजातीय जमींदारों अथवा साहूकारोंके हाथोंमें चले जानेसे अत्यन्त हानि होती है। पर आसाम आदि प्रान्तोंको छोड़कर भारतके अन्य आन्तोंमें सौभाग्यवश अभीतक यह दशा नहीं हुई है। आयरिश इतिहासको देखते हुए केवल यह बात ध्यानमें रखने योग्य है कि सरकार भविष्यमें यहाँ वह दशा न करे ! हमारी अपेक्षा अंगरेजी सरकार आयरिश इतिहास अविक जानती है। क्योंकि हम लोग तो उसके सम्बन्धकी केवल पुस्तकें ही पढ़ते हैं, पर उसके हाथों तो वह दशा हुई ही है, इस लिए सरकारको यह बात अधिक दक्षतापूर्वक ध्यानमें रखनी चाहिए।

शिक्षामें हम लोग आयरिश लोगोंसे बहुत पिछड़े हुए हैं। लेकिन इस बातका ध्यान रखते हुए—कि आयर्लैण्डका इतिहास चार सौ वर्षोंका है और हमारा इतिहास केवल सो सवा सौ वर्षोंका है—यही कहना उचित होगा कि हम लोग अच्छी स्थितिमें हैं। धर्म और शिक्षाका बहुत ही निकट संबंध होता है। इस सम्बन्धके कारण आयर्लैण्डमें अंगरेजी सरकारद्वारा विशेष सहायता नहीं हुई। आयरिश लोग भी बिना धर्मकी शिक्षा नहीं चाहते थे, इस लिए शिक्षाका सब भार आयरिश लोगोंने पहलेसे ही आप सँभाला है। आयर्लैण्डमें जब तक पीनल कोड जारी था, तब तक इस भारको सँभालनेमें उन्हें बहुत अड़चन पड़ती थी, क्योंकि उस समय अपने धर्मके आधार पर शिक्षा देना

अपराध माना जाता था । परन्तु सन् १८२९ से ये सत्र कानून रद्द हो गये । भारतवर्षमें भी धार्मिक शिक्षामें सरकारसे प्रत्यक्ष सहायता नहीं मिलती । धर्मके विषयमें सरकार 'न तो प्रतिकूल हुई और न अनुकूल । पहलेसे उसने केवल ऐहिक प्रवृत्तिको लेकर ही शिक्षा देना आरम्भ किया । उसका यह सिद्धान्त लोगोंको भी मान्य हुआ । अपने तौर पर धार्मिक शिक्षा देनेका हम लोगोंका अधिकार है, इस लिए जार्लेण्डकी तरह भारतवर्षमें शिक्षाका प्रश्न धर्मके विचारसे कभी वादग्रस्त नहीं हुआ और आगे भी उसके वादग्रस्त होनेकी सम्भावना नहीं है । हिन्दुस्तानमें यदि शिक्षाके सम्बन्धमें कोई झगडा है तो वह केवल राष्ट्रीय शिक्षाके सम्बन्धमें है । इस लिए इस झगडेको शिक्षाकी अपेक्षा राष्ट्रीय दृष्टिसे अधिक महत्त्व प्राप्त हुआ है । कुछ दिनों पहले जिस प्रकार आयलण्डमें रोमन कैथोलिक शिक्षणसंस्थाओंका अथवा फ्रान्समें धर्मशिक्षणसंस्थाओंका दमन हुआ था, उसी प्रकार इस समय भारतमें राष्ट्रीय शिक्षा देनेवाली संस्थाओंका दमन आरम्भ हुआ है और इस बातका भय होता है कि संशयप्रस्त सरकारके द्वारा यह दमन दिन पर दिन बढ़ता ही जायगा । भारतवासियोंको जिस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षाकी आवश्यकता है, उसी प्रकार आयरिश लोग धार्मिक शिक्षा चाहते हैं । सम्भव है कि लोगोंने आयरिश धार्मिक शिक्षाके लिए जो कुछ पहले सहे हैं वे राष्ट्रीय शिक्षाके लिए हमें अब सहने पड़ें, पर आयरिश लोग धार्मिक शिक्षाके लिए जो युनिवर्सिटी चाहते थे सम्भव है कि वह उन्हें अब भी मिल जाय ।

धर्मके विषयमें आयरिश लोगोंकी एक और शिकायत थी, जो सन् १८६७ में ग्लेडस्टन साहबकी कृपासे दूर हो गई । आयलण्डकी ७५-८० प्रति सैकड़े प्रजाका धर्म रोमन कैथोलिक था और हर साल उस प्रजाके सजानेके लासों रुपये खर्च करके अंगरेज सरकार प्रोटे-

स्ट्रेण्ट धर्ममण्डलका पालन करती थी। अर्थात् यह केवल अन्याय था। लेकिन एक और बात ऐसी थी जो आयरिश लोगोंको अधिक चिदाने और दुःखी करनेवाली थी। वह यह कि रोमन कैथोलिक सेति-हरोंको अपने खेतकी उपजका दसवाँ भाग प्रोटेस्टेण्ट भिक्षुकों और धर्मोपदेशकोंके निर्वाहके लिए देना पडता था। जब खेतमें फसल खड़ी रहती थी तब भिक्षुकोंको यह कहनेका अधिकार होता था कि इसमें-का दसवाँ भाग हमारा अंश है। इस अंशको वसूल करनेवाले ठीकेदार दलाल बडा अत्याचार करते थे। यदि सरकार यहाँ यह कानून बना दे कि ५० दीनानाथ अग्निहोत्रीके अग्निहोत्रका सर्च चलानेके लिए इल-ताफ हुसेन अपनी आमदनीका दसवाँ भाग दिया करे और उस भाग-को वसूल करनेका अधिकार कलू अहीरको दे दिया जाय, अथवा यह कानून बना दे कि काजी साहब आरामसे मसजिदमें बैठकर कुरानकी तलावत किया करें और उनके खानेके लिए गहरभरके ब्राह्मणोंके यहाँसे नित्य हविष्यान्न जाया करे, तो कितने अन्यायकी बात होगी! कैथो-लिक सेतिहरोंकी फसलका दसवाँ भाग प्रोटेस्टेण्ट धर्मोपदेशकोंको दिल-वाना भी उतना ही अन्याययुक्त और चिदानेवाला था। यह नामुनासिव कार्रवाई आयलैंडमें सौ वर्षसे भी अधिक तक जारी रही। सन् १८३७ के लगभग यह कार्रवाई बन्द हुई और सन् १८६७ में सर-कारी धनसे प्रोटेस्टेण्ट धर्ममण्डलका पाला जाना भी बन्द हुआ। मगर हम लोगोंमें कभी ऐसी शिकायत नहीं हुई। इसमें सन्देह नहीं कि हिन्दुस्तानके राजानेसे ईसाई धर्ममण्डलका थोडा बहुत सर्च चलाया जाता है, लेकिन और खर्चोंको देसते हुए यह सर्च बहुत थोडा है, इसलिए भारतीय प्रजाको वह दिसाई नहीं देता। इसके अतिरिक्त ईसाई धर्ममण्डलकी तरह हिन्दुओंके मन्दिर और मुसलमानोंकी मस-जिदें आदि भी सरकार चलाती है, इसलिए उस सर्चका हम लोगोंको

विशेष दुःख नहीं होता । इस प्रकार राजकर्मचारियों और प्रजाके नित्य अथवा अनित्य सम्बन्धमें कोई ऐसी धार्मिक बात नहीं है जो हम लोगोंको अधिक खटकती हो । वैधर्म्यका यह विषय बहुत ही महत्त्वपूर्ण है ।

हों राजकीय दृष्टिसे विचार करते हुए इन दोनों देशोंका वैधर्म्य हमारे लिए बहुत ही शोचनीय हो सकता है । आयरिश लोग और अंगरेज यद्यपि अपना अपना राष्ट्र अलग अलग मानते हैं, तथापि आयरिश लोग हिन्दुस्तानवालोंकी अपेक्षा अंगरेजोंके अधिक निकटवर्ती हैं । चाहे इंग्लैंडके अधिकांश लोगोंका धर्म प्रोटेस्टेंट और आयरलैंडके अधिकांश लोगोंका धर्म कैथोलिक हो, तो भी वे दोनों ही राष्ट्र ईसाई हैं । इतना ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तानके प्रोटेस्टेंट ईसाईयोंकी अपेक्षा आयरलैंडके कैथोलिक लोग अंगरेजोंको अधिक निकटके जान पड़ते हैं । यह बात नहीं है कि इंग्लैंडमें रोमन कैथोलिक लोग बिल्कुल ही न हों । लार्ड रिपन और ड्यूक आफ नारफोक सरीसे लोगोंका धर्म रोमन कैथोलिक ही है । कुछ दिन पहले लन्दनमें रोमन कैथोलिक लोगोंका जो बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, उसका जुलूस निकालनेके सम्बन्धमें उस समय प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक लोगोंमें यद्यपि कुछ झगडा हो गया था तथापि इसमें सन्देह नहीं कि उस मामलेमें अंगरेज प्रोटेस्टेंट लोगोंने बहुत सहिष्णुता दिखाई थी । आयरिश रोमन कैथोलिक और भारतीय प्रोटेस्टेंटोंमें अंगरेजोंकी दृष्टिसे आकाश-पातालका अन्तर है । और युरोपियन तथा एशियाटिकका सूक्ष्म भेद निकाल कर दक्षिण अफ्रिका और कनाडामें जिन कारणसे एशियाटिक लोगोंका अपमान होता है और वे उन देशोंमें घुसने नहीं पाते हैं, वही कारण आयरिश तथा भारतीय ईसाईयोंमें पक्ति-भेद कराता है । दूसरी बात यह है कि अंगरेजों और आयरिश लोगोंमें रोटी-व्यवहार



तो बराबर होता ही है, परन्तु यदि वेटी-व्यवहारका भी अवसर आवे तो धर्म बदल कर वह व्यवहार करनेमें अधिक देर नहीं लगती। क्योंकि उनमें जाति-भेद तो है ही नहीं, केवल धार्मिक पन्थका भेद है। और वह भी विशेषतः आज कल जैसे सहिष्णुताके दिनोंमें उतना नहीं सटक सकता। सहिष्णुतासे वैर-भाव घटता और गुणग्राहकता बढ़ती है, और अवसर पडने पर सहजमें ही धर्म बदला भी जा सकता है। इस समय आयरलैण्डमें ऐसे घराने भी दिखाई देते हैं जिनकी एक शाखा कैथोलिक है तो दूसरी शाखा प्रोटेस्टेण्ट। प्रोटेस्टेण्ट पन्थको देखते हुए कैथोलिक लोगका धर्म चाहे कैसा ही हो, तथापि उसमें उपपन्थ नहीं है, और आयरलैण्डके प्रति सैकड़ पचहत्तर आदमी अपने धर्मगुरुके सूत्रसे एगमें ही बंधे हुए हैं। पर भारतवर्षकी दशा इससे विलकुल उलटी है। यहाँ एक ही हिन्दू धर्ममें सैकड़ों जातियों और सैकड़ों पन्थ हैं। मुसलमान ईसाई आदि जो दूसरे धर्म हैं वे अलग। यह बात ठीक है कि इतने भेद-भावोंके होते हुए भी भारतवर्षमें राष्ट्रीयताकी कल्पना उठ रही है और चाहे इस समय उसका प्रसार कितनी ही अधिकता और शीघ्रतासे क्यों न हो रहा हो तथापि यही माना जायगा कि यहाँ उसका उदय अभी हालमें ही हुआ है। जिस दिन यह कल्पना सूत्र बढ़ती हुई मध्य आकाशमें पहुँच कर सारे राष्ट्र पर समान रूपसे उज्ज्वल प्रकाश डालेगी वही दिन हमारे लिए सुदिन होगा। तो भी भारतमें इस समय जागृतिके जो लक्षण दिखाई पड रहे हैं वे बहुत ही शुभ और सन्तोषजनक हैं और दिनपर दिन उन लक्षणोंकी वृद्धि ही होती जाती है। आजसे सालभर पहले तक जिसे लोग राष्ट्रीय सभा या नैशनल कांग्रेस कहते थे वह केवल हिन्दुओंकी ही सभा समझी जाती थी। पर सौभाग्यवश गतवर्ष नैशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीगने एकत्र होकर निश्चित कर लिया कि हम दोनोंका एक मात्र उद्देश्य स्वराज्य प्राप्त करना है। और तबसे नैशनल कांग्रेस पर

जो एक जातीय होनेका आक्षेप होता था उसका कारण दूर हो गया और स्वराज्यकी माँग राष्ट्रीय माँग समझी जाने लगी। स्वराज्य प्राप्तिके हमारे प्रयत्नमें मुसलमानोंके भी सम्मिलित हो जानेसे हमारा बल भी बढ़ गया और हमारी माँगका महत्त्व भी, और इस प्रकार पहले जो हमारा ध्येय हमसे बहुत दूर था यह अब अधिक समीप आ गया। अधिकारी लोग पहले हमारी जिन बातोंको उपेक्षाकी दृष्टिसे देखते थे हमारी वे ही बातें अब उन्हें सोचमें डालने लगी हैं। परस्परकी अन्यान्य अनेक बातोंमें हिन्दुओं और मुसलमानोंमें जो मत-भेद या विरोध होता था वह भी कांग्रेस और मुस्लिम लीगके सम्मिलनसे बहुत कुछ कम हो जायगा। इधर कौन्सिलों और म्युनिसिपालिटियोंके चुनावके सम्बन्धमें मुसलमानोंको 'राजनीतिक महत्त्व' Political Importance देनेके लिए सरकारने उन्हें कुछ विशिष्ट अधिकार देकर हिन्दुओंको बहुत क्षुब्ध कर दिया था, जिससे देशमें बहुत कुछ असन्तोष फैल चला था। पर परमेश्वरने हिन्दुओं और मुसलमानोंको समय पर ही सँभालकर सुवृद्धि दी और दोनोंने मिलकर कौंसिलोंके चुनावके संबंधमें आपसमें ही समझौता कर लिया। आज हम भारतकी राष्ट्रीय कल्पनाको जिस उन्नत अवस्थामें देखते हैं, उसका बहुत कुछ कारण उक्त क्षोभ और असंतोषका दूर हो जाना तथा दोनों जातियोंका एक हो जाना ही है।

भारतीय 'स्वराज्य' की माँगके सम्बन्धमें इस स्थान पर एक बात और भी बतला देना बहुत ही आवश्यक है। इधर कई वर्षोंमें और विशेषतः वर्तमान युरोपीय युद्धके आरम्भ होनेके उपरान्तसे जिस मानमें आयलॅण्डने राजनीतिक क्षेत्रमें उन्नति की है यदि उतने ही मानमें नहीं तो भी उससे कुछ ही कम मानसे भारतने भी पैर आगे बढ़ाये हैं। पर आयलॅण्ड और भारतके इस अग्रसर होनेमें कुछ अन्तर है। युद्ध आरम्भ

होनेसे पहले ही आयरिश होमरूल बिल पास हो चुका था। परन्तु कुछ तो अलस्टरके यूनियनिस्ट लोगोंके विरोध करने और कुछ लड़ाई छिड़ जानेके कारण उसके अनुसार कार्य नहीं हो सका था। पर तो भी आयरिश लोगोंको यह आशा अवश्य हो गई थी कि युद्धकी समाप्ति पर हमें 'स्वराज्य' अवश्य मिल जायगा। परन्तु आयरलैंड पर ईश्वरकी कृपा थी, वह उन्हें उनकी आशाके समयसे पहले ही उनके परिश्रमका थोड़ा बहुत सुखादु फल उन्हें देना चाहता था। अतः जब रूसमें राज्य-क्रान्ति हो जाने पर अमेरिका भी मित्र दलकी ओरसे महायुद्धमें सम्मिलित हुआ तब उसने आयरलैंडका पक्ष लेकर अँगरेजों पर उसे स्वराज्य देनेके लिए दबाव डाला और अँगरेजोंने भी अनेक कारणोंसे अमेरिकाकी बात मानकर आयरलैंडमें 'कनवेन्शन' करना निश्चित किया। इसमें सन्देह नहीं कि 'कनवेन्शन' होनेके उपरान्त आयरिश लोग सच्ची स्वतंत्रताका बहुत कुछ सुख-भोग करने लगेगे।

यह तो हुई आयरलैंडके अप्रसर होनेकी बात। अब इधरकी भारतीय उन्नति और जाग्रतिको लीजिए। आजसे दस पन्द्रह बरस ही पहले हिन्दुस्तानमें एक वह जमाना था जब कि यहाँ 'स्वराज्य' या 'होमरूल' का नामतक लेना राजनीतिक अपराध समझा जाता था। यद्यपि कुछ भारतीय नेता अवश्य इतने साहसी थे, कि समय समय पर किसी न किसी रूपमें वे स्वराज्यकी चर्चा करते थे तथापि साधारण नेताओंकी मण्डली और जनता उसे 'हौवा' ही समझती थी। उसका नाम तक लेना पाप समझती थी। सन् १९०६ में कलकत्तेमें जातीय महासभाका जो अधिवेशन हुआ था उसमें सभापति स्वर्गीय ऋषि दादामाई नौरोजीने स्पष्ट रूपसे कह दिया कि हमारा अन्तिम व्यय 'स्वराज्य' ही है और हमारे सारे प्रयत्न उसीकी प्राप्तिके लिए होने चाहिएँ। उसी दिन मानों उस स्वर्गीय महात्माने भारतवासियोंके हृदय-क्षेत्रमें स्वराज्य और

स्वतंत्रताकी कल्पनाका स्पष्टरूपसे बीज बोया था । उससे पहलेके नेताओंने इस सम्बन्धमें जो काम किया था वह जमीन तैयार करने और बोनेके योग्य बनानेके समान था । इतने विशाल वृक्षका बीज चटपट तो अकुरित हो ही नहीं सकता था, इसलिए आरम्भमें कुछ समय तक स्वराज्यकी कल्पना बढ़ी नहीं, बीज जमीनमें पड़ा रहा । सन् १९०७ में जब बग-भगके कारण बंगालियोंका आन्दोलन बहुत बढ़ा और कुछ मूर्ख बंगालीयुवकोंने कुछ राजनीतिक अपराध किये तब भारत सरकारने दमननीतिका अवलम्बन किया । उसकी तत्कालीन नीतिसे प्रजा कुछ भयभीत हो गई थी जिसके कारण लोगोंमें स्वराज्यकी कल्पना कुछ भी न बढ़ सकी । पर आगे चलकर प्रजा और शासक दोनों कुछ शान्त हुए और तब लोगोंको दम लेनेका अवसर मिला । उसी समय सूरतकी कांग्रेसमें स्वराज्यसम्बन्धी प्रश्नके कारण ही नेताओंमें झगडा हो गया और दो दल बन गये । इन्हीं सब कारणोंसे स्वराज्यका प्रश्न पीछे पड़ा रह गया । यह दशा कई वर्षों तक रही । पर राष्ट्रीयता और स्वराज्यकी कल्पना एक बार उठनेके उपरान्त कभी नष्ट होना जानती ही नहीं । समय समय पर अनेक नेता लोकमत जाग्रत करते रहे और अन्तमें उस जाग्रतिमें श्रीमती एनी बेसेण्ट तथा लोकमान्य तिलकने सन् १९१६ में होमरूल-लीगोंकी स्थापना करके इस काममें बहुत भारी सहायता की और स्वराज्य सम्बन्धी आन्दोलनको एक अच्छे ढंग पर लगा दिया । होमरूल लीगकी स्थापना करनेके उपरान्त श्रीयुत लो० तिलकने बेलगाँव तथा अहमदनगरमें सन् १९१६ के अन्तमें जो व्याख्यान दिये थे उनके कारण सरकारने उन पर मुकदमा चलाकर उनसे बीस हजार रुपयेकी जमानत माँगी थी । परन्तु हाईकोर्टने उन्हें निर्दोष समझ कर छोड़ दिया और जमानतकी आशा रद्द कर दी । कहा जाता है कि ईश्वर जो कुछ करता है

नहीं हो सकता। अब देखना यह है कि युद्धकी समाप्ति पर स्वतंत्रताकी दौड़में अपनी शक्तिको देखते हुए हम उचित स्थान पर पहुँच जाते हैं अथवा अपेक्षाकृत पीछे ही पड़े रह जाते हैं। इस अवसर पर हमारे देश-भाईयोंको केवल एक बातका विशेष ध्यान रखना चाहिए। वह बात यह है कि जब किसी कार्यका उपयुक्त अवसर निकल जाता है तब उस कार्यकी सिद्धि बहुत दूर जा पड़ती है। सन् १७८२ में आयरिश लोगोंको जो स्वतंत्र पार्लमेण्ट मिली थी, वह यदि प्रस्तुत अवसरका ठीक ठीक उपयोग करती और सन् १८०० में स्वयं अपना नाश न कर डालती, तो इस समय आयरलैंड जिस उन्नत दशामें होता उसका अनुमान सहजमें नहीं किया जा सकता। पर जब उस पार्लमेण्टने अपना नाश करके देशके अभ्युदयका वह बहुमूल्य समय खो दिया तब उसकी स्वतंत्रता और उन्नतिका अवसर सैकड़ों बरस दूर जा पड़ा। आयरलैंडको होमरूल शीघ्र ही मिल जायगा पर १७८२ वाली स्वतंत्र पार्लमेण्टके समान अधिकार आयरिश लोगोंको कब मिलेंगे यह अभी नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकारकी कुछ दशा इस समय हमारी भी है। युद्धके उपरान्त होनेवाले साम्राज्य-सगठनमें यदि भारत अपना उचित अधिकार और स्थान प्राप्त न कर सका, तो कहा जा सकता कि और कितने दिनों तक उसे इसी पड़ेगा। अतः इस समय हम लोगोंके लिए दो - शक्य है। एक तो भारतीय लोकमत तैयार करना उत्पन्न करना और दूसरे अँगरेजी अधिकारियों योग्यता भली भाँति प्रकट कर देना, उन्हें तरहसे बतला देना और उनके सम्बन्धमें निश्चय प्रकट कर देना। इन सब कामोंके समय यही है और यदि भारत उसे इस उपयुक्त समयका उपयोग

राजकीय स्थितिमें पिछड़े होनेके कारण राजकीय शिक्षामें भी आयलैंडसे भारतवर्ष पिछड़ा हुआ है । यद्यपि इस समय आयलैंडमें स्वतंत्र पार्लिमेण्ट नहीं है, पर तो भी किसी समय वहाँ स्वतंत्र पार्लिमेण्ट थी और अब भी आयलैंडसे सौ सभासद चुनकर ब्रिटिश पार्लिमेण्टमें भेजे जाते हैं । हम लोग अभी पार्लिमेण्टके ढगकी सस्था मॉग रहे हैं और उसका मिलना कुछ दूर है । ऐसी दशामें यह बात मुक्त कण्ठसे स्वीकार करनी पड़ेगी कि जो लोग पार्लिमेण्ट सरसी सस्थासे सैकड़ों वर्षसे परिचित हैं वे राजकीय शिक्षामें अवश्य ही हमसे कहीं आगे बढ़े हुए हैं । इस समय भारतवर्षमें ग्रॅटन, फ्लड, ओकानेल, पार्नेल आदिके समान वक्ता और पार्लिमेण्टके सभासद तथा नेता होने योग्य लोग बहुत ही कम हैं, पर तो भी आशा है कि शीघ्र ही ऐसे लोगोंकी सख्या बढ़ेगी । परन्तु पात्रता और प्रत्यक्ष अनुभवमें बड़ा अन्तर होता है । किसी काममें प्रयुक्त होनेवाले गुणका मनुष्यमें होना और बात है और उस गुणके रहते हुए उस कामको प्रत्यक्ष करना और बात है । यद्यपि इस समय हम लोगोंको थोड़े बहुत पार्लिमेण्टरी नेता मिल सकते हैं, तथापि अभी तक हम लोगोंको पार्लिमेण्टका अनुभव नहीं है । हम लोगोंमें पात्रता तो पूरी है, पर अनुभवकी कमी है । उस अनुभवके लिए हम पर कामका बोझ पढ़ना चाहिए और इसमें सन्देह नहीं कि कामका जितना बोझ हम पर होना चाहिए उतने बोझके न होनेका दोष यहाँकी सरकार पर है । मार्लीसाहवने अपनी काउन्सिलमें कुछ दिन पहले दो भारतवासियोंकी नियुक्ति की थी और उसके थोड़े ही दिन बाद कहा था कि 'उन दोनोंका काम बहुत अच्छा हुआ है । अर्थात् इस सम्बन्धमें पात्रता सिद्ध करके अनुभव करानेका श्रेय मार्ली साहबको है और इन्हींकी कृपासे बड़े लाटकी कार्यकारिणी सभामें भी सन् १९०९ से एक हिन्दुस्तानी मेम्बर रहने

लगा है। यदि उसमें और अधिक लोग नियुक्त किये जायें तो वहाँ भी, इसकी पात्रता आपसे आप सिद्ध हो जाय और उन्हें अनुभव प्राप्त हो। विना किये कोई काम नहीं आता, और लोगोंको बार बार काम करनेका अवसर न देनेकी दोषी सरकार है। तो भी हम लोगोंमें अनुभवका जो अभाव है, चाहे अनिच्छासे ही म्यों न हो, पर वह हम लोगोंमें बना रहता है। जिन मालीसाहबने पहले एक बार कहा था कि भारतवासी अधिकारके पद प्राप्त करनेके योग्य है उन्हीं मालीसाहबने आगे चलकर फिर कहा था कि—“पार्लमेण्टका उपयोग करनेके योग्य वे लोग अभी नहीं हुए हैं और आगे कई युगोंतक योग्य हो भी न सकेंगे।” उनका यह कथन ठीक नहीं था, इसी लिए आगे चलकर उसका सण्डन भी हुआ। गत १२ जुलाई सन् १९१७ को लन्दनमें भारतमन्त्री मि० माण्टेगने जो वक्तृता दी थी उसमें आपने स्पष्ट रूपसे कह दिया था कि भारतवासियोंके अनुभव आदिमें पिछड़े रहनेके लिए मुख्य दोषी भारतका शासकवर्ग है और वास्तवमें भारतवासी सब प्रकारके अधिकारोंके योग्य हैं। मि० माण्टेग इसी सम्बन्धमें जाँच करने तथा यहाँके अधिकारियोंसे बातें करनेके लिए भारतमें आये हुए हैं। आशा है कि उनके भारत आगमनका फल हम लोगोंके लिए बहुत ही अच्छा होगा और भविष्यमें हम लोगोंको शासन तथा सेना-विभागमें बड़े बड़े पद भी मिलने लगेंगे। तो भी जिस पार्लमेण्टका आयरिश लोगोंको तीन चार सौ वर्षोंसे प्रत्यक्ष अनुभव है हमारे लिए उसके दर्शन भी अभी दूर है, इसलिए यह बात स्पष्ट ही है कि आयरिश लोगोंको देखते हुए हम लोग राजकीय शिक्षामें बहुत पिछड़े हुए हैं।

लेकिन यह मानना बड़ीभारी भूल है कि ब्रिटिश पार्लमेण्टमें बैठने-वाले सभासदोंसे आयरिश लोगोंको केवल राजकीय शिक्षा ही मिलती है।

ये सौ सभासद चाहें प्रत्यक्षरूपसे अपना कार्य न सिद्ध कर सकते हों, तो भी अप्रत्यक्ष रीतिसे वे कभी न कभी अपना काम निकाल ही लेते हैं। चाहे वे अपनी नाक साबुत रसकर अपना शकुन न कर सकते हों, तो भी वे उसे कटा कर दूसरेका अपशकुन अवश्य कर सकते हैं। चाहे अपनी नाव न चला सकते हों, पर तो भी वे दूसरेकी नाव अवश्य डुबा सकते हैं। और इसलिए उनकी जो बातें प्रेमपूर्वक स्वीकृत नहीं होतीं, वे कभी कभी केवल उनके भयके कारण ही स्वीकृत हो जाती हैं। पाठक यह बात जानते ही होंगे कि ब्रिटिश पार्लियामेंटका राजकार्य राजकीय पक्षके बलाबल पर अवलम्बित रहता है और इसलिए आयरिश सभासदोंके मतका महत्त्व कभी कभी बहुत बढ़ जाता है। यों पत्थरके किसी टुकड़ेका चाहे कोई महत्त्व न हो, पर तराजूका पासग टीक करनेके समय अथवा किसीके सिर पर खींचकर मारनेके समय उसे जाकर लाना पड़ता है। इसी तरह किसी प्रश्न पर बहुमत प्राप्त करके पार्लियामेंटमें अधिकारका पट्टा भारी करनेके लिए आयरिश सभासदोंसे अनेक अवसरों पर सहायता माँगी गई है और उन्होंने उसका 'उचित बदला' लेकर सहायता दी है। फॉक्स और पिटके समयसे लेकर आजतक कंसर्वेटिव पक्षने अनेक बार लिबरल पक्ष पर यह अभियोग लगाया है कि वह आयरिश सभासदोंके साथ मिल गया है। पार्नेल्लके समयमें आयरिश सभासदोंमें खूब एका रहता था और वे लोग तद्दा चुपचाप दूर बैठे हुए कंसर्वेटिव और लिबरल पक्षकी लड़ाई देखा करते थे, और ठीक समय पर मौका ताक कर पिण्डारियोंकी तरह वे एक पक्ष पर दूट पड़ते थे और क्षणभरमें जय-पराजयके चूने देते थे। इसमें सन्देह नहीं कि ग्लेडस्टन साहबके इतने जोरसे होनेवाले प्रश्न उठानेमें उनकी न्यायबुद्धि और उदारता तो कल्पित नहीं हो सकती थी, लेकिन यह कारण भी कुछ गौण नहीं है कि लिबरल पक्ष



पार्लमेण्टमें भारी करनेमें आयरिश सभासदोंसे भी उन्हें सहायता मिलती थी। कई बार आयरिश सभासदोंकी प्रतिकूलताके कारण स्वयं ग्लैडस्टन साहबकी भी हार हुई थी, और कन्सर्वेटिव पक्षने भरी सभामें इस राजनीतिज्ञ पर यह दोष लगाया था कि किलमाइनहमके जेलमें पार्नेलके साथ वात-चीत पक्की करके और उसे मुक्त करके आयरिश सभासदोंको उसने अपनी ओर मिला लिया है। तात्पर्य यह कि ब्रिटिश पार्लमेण्टमें आयरिश सभासदोंके रहनेसे यद्यपि उनके सभी काम पूरे नहीं उतरते और आयर्लैण्डके सभी दुःखोंका यद्यपि निवारण नहीं होता, तथापि ये सभासद इतना उपद्रव कर सकते और इतनी अडचनें डाल सकते हैं कि जिनसे आयर्लैण्डकी स्थितिकी ओर सब लोगोंका ध्यान बलपूर्वक आकृष्ट हो जाय। पर भारतवर्षको इस प्रकारका लाभ बिलकुल नहीं है। भारतका एक भी प्रतिनिधि पार्लमेण्टमें नहीं रहता, अतः भारतकी ओर पार्लमेण्टका ध्यान आकृष्ट करनेके लिए किसी अँगरेज सभासदकी सहायता लेनी पडती है, और उन लोगोंको इस देशके सम्बन्धकी बातोंका ज्ञान बहुत ही कम रहता है। इस लिए एक ऐसे जानकारकी आवश्यकता होती है जो उसे आवश्यक बातें बतलाया करे। पर इस बातका अनेक बार अनुभव हुआ है कि प्रत्यक्ष वादविवादमें इन भाड़ेके टड्डुओंसे कोई काम नहीं निकलता। कन्सर्वेटिव हो और चाहे लिबरल, भारतकी अनुकूलता पर किसी पक्षका हिताहित अवलम्बित नहीं है और इस लिए केवल न्यायबुद्धिकी प्रेरणासे भारतवर्षकी ओर उनका जो कुछ ध्यान आकर्षित हो वही ठीक है, परन्तु ऐसा बहुत ही कम होता है कि जिसके साथ हमारा कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है। उसका काम चाहे कितना ही न्याय-युक्त और ठीक क्यों न हो, पर केवल न्याय-बुद्धिकी प्रेरणासे उसकी ओर ध्यान जाय। न्याय-शीलताका ढोंग रचकर अनेक बार दोनों ही पक्ष भारतके हितमें बाधक

होते हैं और एग्लो इण्डियन अविकारियोंको प्रसन्न करनेके लिए उनके साथ मिल जाते हैं । पर इन लोगोंका यह मिलाप देखकर जान पड़ता है कि उसका उद्देश्य केवल यही है कि जिस तरह हो लड-झगड कर मुसाफिरका साना खराब कर दिया जाय और आपसमें बॉट कर खा लिया जाय !

ब्रिटिश पार्लिमेण्टमें प्रतिनिधि चुनकर भेजनेका भारतको अधिकार नहीं है, जिससे कई अप्रत्यक्ष हानियाँ भी हैं । एक तो इसके कारण भारतवासियों पर हीनता और अयोग्यताकी छाप लग जाती है और वे ससारमें जहाँ जायँ वहाँ यह छाप उनके लिए बाधक होती है । आफ्रिका, कनाडा, यूरोप आदि देशोंमें जब हम भारतवासी जाते हैं तब हम लोगोंको इसका अच्छा अनुभव हो जाता है और ऐसा होना स्वाभाविक भी है । अगर पति ही अपनी स्त्रीको रॉड कहेगा तब भला पढोसी उसे रॉड क्यों न कहेंगे ? वही बात यहाँ भी है । हमारे शासक हमें जो सर्टिफिकेट देगे प्रायः उसीके अनुसार विदेशमें भी हमारा आदर होगा । यदि पार्लिमेण्ट आदि सस्थायें हम लोगोंको अयोग्य और अज्ञान बताने लें, तब फिर परदेशमें हमको कौन पूछेगा ? लेकिन आयरिश लोगोंकी स्थिति इससे भिन्न है । चाहे वहाँ होमरूल हो और चाहे न हो, पर सारे ससारमें लोग उसे ब्रिटिश साम्राज्यका एक घटक और स्वराज्यका किसी समयका भोक्ता मानते हैं और उसीके अनुसार अब तक उसका आदर होता आया है और अब भी बराबर होता है । अमेरिकामें जाकर आयरिश लोगोंने अच्छे अच्छे पद पाये हैं और इस समय भी अमेरिकाकी राजनीतिमें आयरिश लोगोंका बहुत कुछ प्रभुत्व है । फ्रान्सके सम्बन्धमें भी वही बात है । यह बात प्रसिद्ध ही है कि नेपोलियन बोनापार्टके साथ उत्फटोन और

राबर्ट एमेटकी भेंट हुई थी। लिमरिकमें कैथोलिक लोगोंकी तलवारकी कीर्ति रखनेवाले सार्सफील्ड ओर उसके उपरान्त टोनको फ्रान्सीसी सेनामें जनरलकी जगह मिली थी और इस समय भी उन्हें वैसा मान मिल सकता है। स्वयं इंग्लैण्डमें और उपनिवेशों तथा भारतमें आयरिश लोगोंको वडीसे वडी जगहें मिल सकती हैं। इंग्लैण्डके ड्यूक ऑफ वेल्डिंग्टन ओर लार्ड राबर्ट्स ये दोनों ही सेनापति आयरिश थे। हिन्दुस्तान तथा उपनिवेशोंकी सिविल सर्विसमें आयरिश, अंगरेज और स्कॉचका भेद नहीं है। युक्तप्रान्तके भूतपूर्व छोटे लाट सर एण्टनी मेकडानल आयरिश थे। जिस समय आयरिश लोगोंको होमरूल मिलना निश्चित नहीं हुआ था, उस समय उन्हें अंगरेजी साम्राज्यमें होनेवाले सब प्रकारके लाभ होते थे। इधर भारतवासियोंको इतना भी अधिकार नहीं है कि पार्लमेण्टमें प्रतिनिधि ही चुनकर भेजें, बल्कि यहाँ तक कि अबसे कुछ ही दिन पहले सर्वोत्कृष्ट लिबरल तत्त्वज्ञानी कहा करते थे कि भारतवासियोंका इस प्रकारका अधिकार माँगना वैसा ही है, जैसा किसी बच्चेका खेलनेके लिए चन्द्रमा माँगना। अब तक सेनाविभागमें भारतवासियोंको अधिकसे अधिक सूबेदारीकी दो टाई सौकी जगह ही मिल सकती थी। भला हो इस महायुद्धका, जिसने भारतवासियोंके गुण प्रकाशित करके उनका आदर तो बढ़ाया और सेनामें उन्हें कुछ कमीशन तो मिलने लगे। जहाजों पर हम लोगोंको खाली तेलके पीपे साफ करने और रस्से लपेटनेका ही काम मिलता है और शासनविभागमें हम लोग डिप्टी क्लर्ककी आगे सहसा नहीं पहुँचते। हाँ, एक निरुपद्रवी न्यायविभागमें हम लोगोंको हाईकोर्टकी जजीतक मिल सकती है। दूसरे राष्ट्रोंमें हमें उच्चेजन मिलना तो दूर रहा, यदि किसी प्रकार हम लोग अपने गुणोंसे ही वहाँ प्रविष्ट हो जायें तो सरकार हमें उसका लाभ भी पहुँचाने देनेके लिए तैयार नहीं है।

अब हम अन्तमें वैधर्म्यके एक एक विशिष्ट विषयका वर्णन करके प्रस्तुत विषयके इस अगका विवेचन पूरा करेंगे। यह विषय है आयर्लैण्ड और हिन्दुस्तानके आकार मान और लोकसख्या आदि बातोंके अन्तरके सम्बन्धका। यह बात हम पहले ही भागमें बतला चुके हैं कि आयर्लैण्डका क्षेत्रफल और लोकसख्या दोनों ही हिन्दुस्तानके सबसे छोटे प्रान्तके बराबर भी कठिनतासे हैं। इतना होने पर भी एक ही साम्राज्यके अन्तर्गत इन दोनों देशोंके राजकीय सुधारोंमें जो अन्तर है उसका कारण भी ध्यानमें रखने योग्य है। हमारी समझसे कारण यह है कि भारतवर्षके अतिशय विस्तार और विपुल लोकसख्यासे उसका उपकारकी अपेक्षा अपकार ही अधिक हुआ है। यदि हम ससारके अनुभवसे अथवा आप ही आप राष्ट्रीयताकी मायासा करने लें तो हमें एक मुख्य सिद्धान्त दिखाई देगा। वह सिद्धान्त यह है कि राष्ट्रीयताकी कल्पनाके केन्द्रीभूत होकर प्रभावशाली बननेके लिए क्षेत्र जितना ही छोटा हो उतना ही अच्छा होता है। इधर हम लोगोंको बहुत ही सर्कीर्ण रूपसे भारतवर्षका विचार करनेका अभ्यास पढ गया है। अपने राज्यकी रक्षामें सुविधा उत्पन्न करनेके लिए अथवा अपनी अभिनव उच्चाकांक्षाके समाधानके लिए भारत-सरकार ज्यों ज्यों अपने हाथ-पैर फैलाने लगी और नये नये प्रान्त जीत कर अपने राज्यमें मिलाने लगी त्यों त्यों भारतवर्षके भूवर्णनविषयक शब्दोंकी व्याप्ति भी बढ़ने लगी और इस प्रकार धीरे धीरे यहाँ तक नौबत आ गई कि सह्याद्रिके नीचे कॉकण और चीनकी सरहद परके ब्रह्मदेशके लोग एक राष्ट्रके अवयव कहे जाने लगे। लेकिन यह बात स्पष्ट ही है कि औपचारिक नामकरणसे राष्ट्रके लोगोंमें वास्तविक एकता होनेकी सम्भावना नहीं है। राष्ट्र पाणिनिका व्याकरणसूत्र नहीं है कि उसमें श्वन् (कुत्ता), युवन् (युवक) और मधवन् (इन्द्र) सभी समानान्त होनेके कारण

एकहीमें खप जायेंगे, अथवा उनका समान रूपकरण हो जायगा । अथवा राष्ट्र शेक्सपीअरके मेकवेथ नाटकमेंकी दासीकी कट्टाई नहीं है कि उसमें रसोई बनानेके लिए कच्चा-पक्का, सजीव-निर्जीव, अच्छा-बुरा जो चाहिए सो ढालते चले जाइए । अथवा राष्ट्र 'शाकभरी' के बतके उद्यापनका 'भोजन नहीं है कि जिसमें आप दस बीस तरहकी साग-तरकारी एकहीमें बना डालें । राष्ट्र बनानेके लिए कुछ विशेष प्रकारके नियमोंकी आवश्यकता होती है । उसमें धर्म, भाषा, वंश-विस्तार, ऐतिहासिकपरम्परा और प्रत्यक्ष राजकीय हिताहित आदि अनेक बातें प्रधान है । परन्तु ऊपर कहे अनुसार सहाय-द्विके नीचे कोंकण और चीनकी सरहद परके ब्रह्मी लोगोंमें उक्त बातोंमेंसे कोई बात समान नहीं है । उसमें केवल ब्रिटिश सरकारकी उच्चा-कांक्षाकी नियमानुमोदित सत्ताके अतिरिक्त और कोई दूसरा साधारण आधिष्ठान नहीं है । अर्थात् 'राष्ट्र' की दृष्टिसे भारतवर्षका विचार करनेके समय ब्रिटिश सरकार राज्य-मर्यादाकी दृष्टिसे विचार करती है । लेकिन उस प्रकार विचार न करके आवश्यकता इस बातकी है कि इस विशाल राज्यविस्तारमें समाविष्ट उसके प्रत्येक घटक या अगकी परिस्थिति देखते हुए विचार किया जाय । यदि इस बातका विचार किया जाय कि राष्ट्रीयताके जो लक्षण ऊपर बतलाये गये हैं वे लक्षण मद्रासियों, महाराष्ट्रों, पजाबियों, गुजरातियों, बंगालियों, और बरामियोंको एकमें मिला देनेसे कहाँतक घटते हैं तो जान पड़ेगा कि इन सब लोगोंको मिलाकर एक राष्ट्र बनाना कठिन है । और जबतक वैसा राष्ट्र न बन जाय तबतक इस प्रकारका निर्बन्ध करना सर्वथैव भ्रमपूर्ण होगा, कि ये भिन्न भिन्न लोग कमसे कम अपना अपना अलग राष्ट्र न मानें, और जबतक इन सबके मेलसे एक राष्ट्र न बन जाय तब तक चुपचाप बैठे रहनेके लिए कहना वैसा ही है जैसा किसी नदीके पुलको बनानेके

समय यह कहना कि जबतक नदीका सारा पानी न बह जाय तबतक चुपचाप रुके रहो ।

आयरलैण्डके राष्ट्र बननेमें उसका अल्प विस्तार, आयरिश लोगोंकी भाषा, धर्म और पूर्व परस्परा आदि बातें बहुत ही उपयोगी हुई हैं। लेकिन इतना होने पर भी उत्तर आयरलैण्डमें प्रोटेस्टेण्ट लोगोकी जो थोड़ीसी बस्ती है, राजकीय बातोंमें थोड़ासा विरोध होनेके कारण उसकी दशा ठीक काचके उस टुकड़ेके समान है जो न पेटमें जाकर पचता है और न बाहर ही निकलता है, केवल एक जगह अडकर आयरिश राष्ट्रकी अंतर्द्वियोंको कष्ट देता है। भारतवर्षकी भिन्न भिन्न जातियों, उनके पुराने स्वभाविक विरोध और उस विरोधकी बढ़ानेके लिए सरकारी नीति आदिको देखते हुए जो मनुष्य यह समझता हो कि भारतवर्ष जब पहले राष्ट्र बन लेगा तब उसका उदय होगा, उसके सिर पर निराशाका थप्पड़ अवश्य लगेगा। हाँ, इस सम्बन्धमें सफलता होनेकी आशा उसी समय हो सकती है जब हिन्दुस्तानकी भिन्न भिन्न जातियोंके लोग अपने अपने सुभीतेके अनुसार कुछ क्षेत्र या सीमा निश्चित करके राष्ट्रीयताकी कल्पनाकी वृद्धिका प्रयत्न करना निश्चित करें। इसके लिए कुछ दिनों पहलेके बंगालका उदाहरण बहुत अच्छा प्रमाण होगा। बग-भग और स्वदेशी आन्दोलनके समय बंगाली राष्ट्रकी जो राष्ट्रीयता दिखाई देती थी उसका कारण यह था कि आयरलैण्डकी तरह वहाँ भी मर्यादित क्षेत्रमें कल्पना-बीज बोया गया था। भारतवर्षके अन्य सब प्रान्तोंसे क्षेत्र-फल और जन-सङ्ख्यामें बंगाल चाहे बड़ा ही ज्यों न हो, तो भी जो बातें अन्य प्रान्तोंके लिए दुर्लभ होती हैं वे भी बंगालियोंके लिए अनुकूल होती हैं। भौगोलिक दृष्टिसे इस समयका बंगाल प्रान्त असण्ड है और वहाँ रहनेवाले लगभग चार करोड़ बंगालियोंकी भाषा, धर्म और ऐतिहासिक परम्परा एक ही हैं। उन सब लोगोंको एक ही

तरहकी शिक्षा मिली है और बंग-भंग होनेके पहलेसे लेकर बंगालके फिरसे मिलाये जाने तकके समयको छोड़ कर अबतकके शेष कालमें वे सब एक ही शासनके अधीन रहे हैं। उनमें धर्मसम्बन्धी भेद-भाव नहीं है और यद्यपि पूर्व बंगालमें मुसलमानोंकी आवादी अधिक है, तथापि उन सबके अशिक्षित होनेके कारण भारतीय राष्ट्रीयताकी कल्पनामें उनके कारण कोई अड़चन नहीं पड़ सकती। बंगालियोंकी भाषा और विद्या जिस प्रकार एक है, उसी प्रकार उनके सुखःदुख और मानापमान भी एक ही है। बंगालके एक सिरेसे लेकर दूसरे सिरे तकके सभी बंगाली पहले 'ढीली धोतीवाले' कहे जाते थे और लोग 'बंगाली' शब्द सुनते ही नाक भौं सिकोढ़ने लगते थे। पर जब उनमें अपना नाम उज्ज्वल करनेकी उच्चाकाक्षा उत्पन्न हुई तब उसका प्रसार भी देखते देखते बंगालके एक सिरेसे दूसरे सिरे तक हो गया। बंग-भंग होनेके कारण दोनों प्रान्तोंमें और भी दृढ़ मेल हो गया। अस्तु। इसी प्रकार यदि प्रत्येक भारतीय राष्ट्र अपनी अपनी राष्ट्रीयताका यथोचित अभिमान \* करके अन्य जातियोंके साथ प्रेमभाव बढ़ावे तो वह समय भी आ जायगा जब कि ब्रिटिश साम्राज्यके अन्य देशोंकी तरह यहाँ भी राष्ट्रसंघ बन जायगा। लेकिन इस समय यदि प्रत्यक्ष देखा जाय तो आयरलैण्ड और

\* बंगालियोंमें राष्ट्रीयताका जो अभिमान है वह यथोचित होनेकी सीमासे वहाँ अधिक बढ़ा-चढ़ा और अनुचित है। भारतकी अन्य जातियों, देशों अथवा वहाँके नेताओं आदिके लिए उनके हृदयमें विशेष आदर नहीं है। उनकी समझमें बंगालसे बढ़कर कोई देश नहीं है और बंगाली जाति विद्या, बुद्धि, नेतृत्व आदि गुणोंमें सर्वश्रेष्ठ है। अपनी इसी ना-समझीके कारण वे अन्य भारतवासियोंके साथ व्यवहार करनेमें बहुत कुछ उपेक्षा करते हैं। उनका यह दुर्गुण आवश्यक प्रेमभावकी दृष्टिमें बहुत बाधक होता है। इसका परिणाम यही होगा कि जिस तरह और लोगोंके साथ बंगालियोंको सहानुभूति नहीं है, उसी तरह बंगालियोंके साथ भी किसीको सहानुभूति न रह जायगी।—अनुवादक।

भारतवर्षके क्षेत्र-फल और लोक-सख्यामें जो अन्तर है वह हमारी सकीर्ण राष्ट्रीयताके प्रतिकूल ही है, और इन दोनों देशोंके वैधर्म्यका विचार करते हुए हिन्दुओंकी सरयाकी अधिकता और देशका विस्तार हमारे लिए बाधक ही है और इसी लिए फाउड सर्राखे इतिहासकारको भी कहना पड़ा था कि—“ अँगरेज लोग हिन्दुस्तान पर राज्य कर सकते हैं, पर आयरलैण्ड पर राज्य नहीं कर सकते । ” वैधर्म्यका यह महत्त्वपूर्ण विषय सदा ध्यानमें रखना चाहिए ।

उपसंहार । आयरलैण्डके इतिहासके सम्बन्धमें जो कुछ फुटकर बातें और अपने विचार हमने इस पुस्तकमें पाठकोके सामने उपस्थित किये हैं उनके उपसंहारके रूपमें कुछ बातें बतलाकर हम यह भाग समाप्त करते हैं । आयरलैण्डका मनन करने योग्य इतिहास पाँच सौ वर्षोंका है और उसमेंसे सौ डेढ़ सौ बरसका इतिहास तो भारतवर्षकी वर्तमान स्थितिसे बहुत ही कुछ मिलता जुलता है और उससे बहुत कुछ शिक्षा ली जा सकती है । कोई विषय चाहे कितना ही महत्त्वपूर्ण और मनोरञ्जक क्यों न हो, तो भी उसके सम्बन्धमें कुछ लिखनेके लिए एक स्वाभाविक मय्यार्दा होती है, इसलिए उक्त इतिहासकी केवल मुख्य-मुख्य बातें बतलाकर और इस बातका दिग्दर्शन कराके कि वे भारतके इतिहासके लिए कहाँ तक उपमानभूत हो सकती हैं, हमें अपनी कलम रोकनी पड़ती है । आयरिश लोगोंके युद्धों, सन्धियों, विद्रोहों, उन्हें रोकनेके लिए अँगरेज अधिकारियोंके उपायों और अन्याचारों, आयरलैण्डके राजकीय सगठन और शासन-पद्धति, साम्राज्य और स्थानिक स्वराज्यके सम्बन्धके नियम आदि, समाजरचना, विद्या और कला, लोक-स्वभाव और आयरिश नेताओंके आन्दोलनों आदिका यदि पूरा पूरा इतिहास दिया जाय, तो एक बड़ाभारी ग्रन्थ बन जायगा । तो भी पिछले सात आठ भागोंमें इस इतिहासका जो अग हमने दिया है,



आशा है कि पाठक उससे यह बात समझ गये होंगे कि आयरिश लोगोंका अंगरेजोंके साथ पूर्वापर सम्बन्ध कैसा बनता गया, उनका राजकीय व्यय क्या है और इस ध्येयकी प्राप्तिके लिए आज तक उन लोगोंने कौन कौन उपाय किये है । बहुत दिनोंतक आयर्लैण्डमें दमननीतिका अलम्बन होता रहा और अब इधर कुछ दिनोंसे भारतमें भी उसी नीतिका अवलम्बन होने लगा है। अतः भारतवर्षके लिए आयर्लैण्डका इतिहास अनेक विषयोंमें आदर्शरूप है और इस योग्य है कि यहाँके शासक और प्रजा दोनों ही शान्तिपूर्वक उस पर विचार करके उससे शिक्षा ग्रहण करें। यद्यपि संसारमें कोई दो आदमी कभी सोलहों आने समान नहीं होते, तो भी प्रत्यक्ष व्यवहारमें बहुधा ऐसी समानता होती है जिससे भ्रान्ति हो जाती है। सभी जगह मनुष्यका स्वभाव एकसा होता है, इस लिए भिन्न भिन्न देशोंके इतिहासमें इतनी समानता दिखाई देती है कि जिससे यह सिद्धान्त ठीक जान पडने लगता है कि—“संसारमें इतिहासकी पुनरावृत्ति होती है।” लेकिन जैसा कि हमने पहले एक स्थान पर दिखलाया है, हिन्दुस्तान और आयर्लैण्डमें कुछ ऐसी विशेष समानता है जैसी जुड़वाँ भाइयोंमें होती है। आयर्लैण्डके इतिहाससे सीखने योग्य बात यही है कि केवल तामसी वृत्तिके अत्याचारों और उपद्रवोंसे राष्ट्रका उद्धार नहीं होता, बल्कि राष्ट्रीयताकी भावना बिल्कुल सार्विक है और शासक चाहे कितना ही दमन क्यों न करें तो भी राष्ट्रीयताकी कल्पना उठती और बढ़ती ही है। जिस प्रकार शासक लोग अपने मनसे ही प्रजाका अन्तिम ध्येय समझ लेते हैं उसी प्रकार प्रजा भी यह समझती है कि अपनी राजसत्ता छोडनेमें शासक लोग अप्रसन्न क्यों होते है। यदि केवल जबानी बातोंसे ही आपसका झगडा मिट सकता होता तो ‘आन्दोलन’ ओर ‘दमन’ शब्दका अस्तित्व ही न होता। जिस प्रकार अनुभव या साक्षात्कारके बिना ब्रह्मज्ञान

मिथ्या है, उसी प्रकार बिना प्रत्यक्ष अनुभवके राजकीय अन्तिम साध्य भी मिथ्या ही होता है। इसी लिए व्यावहारिक राजनीतिमें लडाइयाँ होती हैं और जिस प्रकार प्रजा पग पग पर अन्तिम साध्यका ध्यान और उच्चारण करनेका प्रयत्न करती है, उसी प्रकार शासक भी उनकी उस प्रवृत्तिको नष्ट करनेका प्रयत्न करते हैं। इस द्वन्द्वमें प्रत्येक देशाभिमानि मनुष्यको यही जान पड़ता है कि मैं सारी प्रजाका प्रतिनिधि हूँ, और प्रत्येक राजसेवकमें यह भाव उत्पन्न होता है कि राज्य संभालनेका सब भार मुझ पर ही है। यदि अपने बम या पिस्तौलके ठीक निशाने पर लगानेके कारण कोई अत्याचारी मनुष्य यह समझ सकता है कि—“अंगरेजी राज्यका अभेद्य परकोटा मैंने तोड़ दिया” अथवा कोई पुलिस अफसर एकाध झूठा मुकदमा खड़ा करके और कुछ निरपराध मनुष्योंको दण्ड दिलवाकर यह समझ सकता है कि—“मैंने अच्छी तरह राजद्रोहका दमन किया।” तो यदि स्वदेशी और बहिष्कार सरीरा आन्दोलन उत्पन्न करनेवाला कोई देशभक्त यह समझे कि—“एक आदमी जितना राट्रो द्वार कर सकता है उतना राष्ट्रोद्धार मैंने किया।” अथवा काउन्सिलोंमें कुछ अधिक भारतवासियोंको स्थान देनेवाला स्टेट सेक्रेटरी अपने मनमें यह समझे कि—“मैंने ऐसी राजनीतिज्ञतासे शासन रकिया जैसी राजनीतिज्ञतासे आजतक कभी किसीने शासन नहीं किया।” तो इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। इसप्रकारका भाव रख कर राजा और प्रजा दोनों पक्षोंके लोग जो उद्योग करते हैं उन्हींसे राष्ट्रका राजकीय इतिहास बनता है। हम केवल यही दिसलाना चाहते थे कि जिसप्रकार आयलैंडमें यह इतिहास बना है उसीप्रकार वह भारतमें भी बन रहा है और इसमें कुछ न कुछ सिद्धि भी हुई है।

आयलैंडमें राष्ट्रीयताकी कल्पनाके उदित होनेके समयसे लेकर आजतक जो आन्दोलन हुए हैं, समय समय पर उनका नामनिर्देश होता

रहा है। परन्तु उनका पूरा इतिहास नहीं दिया जा सकता। विहगम दृष्टिसे देखते हुए आयरिश लोगोंकी तीन प्रधान माँगें थीं—धार्मिक-स्वतंत्रता, भूमिका स्वामित्व, और स्वराज्य। इनमेंसे पहली माँग तो सन् १८२९ में पूरी हुई। धार्मिक स्वतंत्रताकी तरह धार्मिक शिक्षाकी स्वतंत्रता भी आयरिश लोग माँगते हैं, लेकिन कैथोलिक लोगोंकी अभी तक कोई स्वतंत्र युनिवर्सिटी नहीं बनी है। पर कभी न कभी वह बनेगी ही। जमीनके सम्बन्धमें उनकी प्रार्थना सन् १८७० से ही अंशतः मानी जाने लगी और सन् १९०३ में कन्सर्वेटिव मंत्रिमण्डलके रहते हुए जमीनके सम्बन्धमें जो कानून बना उसके कारण उनकी माँग बहुतसे अंशोंमें पूरी हो गई। पहले सन् १८७० के कानूनसे यह बात सिद्ध हो गई कि आयरलैंडकी जमीनके मालिक आयरिश ही होने चाहिएँ। लेकिन चालीस वर्षतक यह विचार होता रहा कि अंगरेजी जमींदारोंसे अपनी जमीन छुट्टवानेके काममें आयरिश खेतिहरोंको किस प्रकार सहायता दी जाय, और अब यह तै हुआ है कि इस कामके लिए उन्हें सरकारी खजानेसे मदद की जाय। अब दिन पर दिन आयरिश खेतिहरोंके अधिकारमें बराबर जमीन आती जाती है, राजनीतिके क्षेत्रमें झगडनेके लिए राष्ट्रके लोगोंमें पहलेसे ही एक विशेष प्रकारकी सामाजिक सुस्थितिकी आवश्यकता होती है और आयरिश लोगोंकी उक्त दोनों माँगें पूरी हो जानेके कारण उनके समाजमें वह सुस्थिति आ गई है। जिस समय धार्मिक और सामाजिक स्वतंत्रता हो, राजकीय विषयोंमें समान अधिकार हों, शिक्षा आदि अपने अधिकारमें हों, तभी राजनीतिक प्रश्नोंकी अच्छी तरह मीमासा हो सकती है। सुराज्य और सुस्थिति होने पर यह नहीं कहा जा सकता कि किसी राष्ट्रके लोग किस विशिष्ट प्रकारका स्वराज्य माँगेंगे, तो भी यह यह बात निर्विवाद है कि आयरलैंडकी दरिद्रता और आपत्तिके

समय, उदाहरणार्थ उन्नीसवीं शताब्दीके मध्यमें आयरिश लोग पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे, पर आगे चलकर जब उनकी स्थिति कुछ सुधरी तब उनकी माँग भी कुछ हलकी हो गई । सन् १८८६ और १८९३ में पार्लमेण्टके सामने जो होमरूल बिल उपस्थित किये गये थे और जिनका आयरिश समासदोंने समर्थन किया था उनमेंका स्वराज्य उस स्वराज्यसे एक कला कम ही था जो उससे सौ वर्ष पहले अर्थात् सन् १७८२ में आयरिश लोग प्रत्यक्ष माँगते थे । सन् १७८२ वाला स्वराज्य भी सच्चे और स्वतंत्र स्वराज्यसे एक कला कम ही था । सन् १८९३ में आयरिश लोग एकमतसे चौदह आने स्वराज्य माँगते थे और सहानुभूतिपूर्ण इतिहासकार लेकके कथनानुसार दैवगतिसे आयरिश लोकमतमें सन् १८०० और १८९३ के बीचमें कुछ ऐसा विलक्षण परिवर्तन हुआ कि जो लोकपक्ष सन् १७८२ में सोलह आने स्वराज्यके लिए लड़नेको तैयार था उसीके वशज सन् १८९३ में चौदह आने स्वराज्य माँगनेके लिए भी तैयार नहीं थे और इंग्लैण्ड तथा आयरलैण्डके संयोगसे राष्ट्रको जो लाभ हो सकते थे वे ही उन्हें अधिक मूल्यवान् जान पड़ते थे, लेकिन समाजमें ऐसा परिवर्तन होता ही रहता है । इसमें कोई विशेषता नहीं है । व्यक्ति या वर्गके मतमें चाहे परिवर्तन हो गया हो, तो भी होमरूल बिल पास होनेके समयतक आयरलैण्डमें कमसे कम एक वर्ग अवश्य ऐसा था जो चाहे चौदह ही आने क्यों न हो, पर स्वराज्य माँगता था और लोकमत की सत्ता भी उसके हाथमें थी । सन् १८९३ तक जो आयरिश नेता हुए उन सबका स्विफ्ट अथवा वर्केमेंसे किसी न किसीकी शिष्य-शाखा अथवा सम्प्रदायमें समावेश होता है और स्विफ्ट अथवा वर्केमेंसे कोई शुद्ध स्वराज्यवादी नहीं था । तथापि स्विफ्ट राजस तत्वज्ञानी और राजस राष्ट्रीय सिद्धान्तका प्रतिपादक था और उसके शिष्य-

सम्प्रदायमें ल्यूकस, ग्रॅटन, फ्लड, ओकानेल और पार्नेलका समावेश होता है। वल्ले सात्त्विक तत्त्ववादी था और उसकी शिष्य-शास्त्रामें वर्तमान नेता सर होरेश प्लुकेट हैं। सन् १८९३ वाले होमरूल बिलके नामजूर होनेके बाद होमरूलका काम कुछ ठण्ठा पड गया और उसके दो अगोंमें दो दूसरे पक्ष प्रबल होने लगे। एक पक्ष 'गोलिक अमेरिकन लीग' का और दूसरा सर होरेश प्लुकेटका। पहले पक्षका मत फीनियन लोगोंके मतका सा था और पार्नेलके उपरान्त राष्ट्रीय पक्षका जो हास हुआ था और सन् १८९३ में होमरूलके रणक्षेत्र पर ग्लैडस्टन साहबका जो पराभव हुआ था उससे उस पक्षके एकान्तिक स्वातन्त्र्यवादमें पीछेसे थोड़ा तेज आ गया था। दूसरे पक्षका सिद्धान्त वल्लेके सिद्धान्तके अनुसार था और उसका मत था कि आयरिश लोगोंको अपनी स्थिति सुधारनेके लिए राजकीय आन्दोलनके साथ साथ बल्कि उससे कुछ अधिक ही, शिल्प, कृषि, सराफी और व्यापार आदिका ज्ञान प्राप्त करके स्वावलम्बनके तत्त्व पर अपनी साम्प्रतिक अवस्था सुधारनी चाहिए। जमीनके सम्बन्धमें जो आखिरी कानून बने थे वे इसी पक्षके आन्दोलनका फल थे और उन कानूनोंके कारण इस पक्षमें धीरे धीरे बहुतसे लोग आ गये थे। लेकिन ऊपर बतलाये हुए पहले पक्षका अमेरिकामें जितना जोर था उतना आयर्लैण्डमें नहीं था। आयरिश इतिहासके भिन्न भिन्न समयके अनेक उदाहरणोंसे यह बात सहजमें सिद्ध की जा सकती है कि राजकीय सुधार-सम्बन्धी निराशा और एकान्तिक स्वतन्त्रताकी माँगकी समान व्याप्ति होती है। अर्थात् सुधारोंसे निराश होने पर लोग पूर्ण स्वराज्य माँगने लगते हैं। यद्यपि आगे चलकर सन् १७९८ अथवा १८४४ की तरह विद्रोह करनेमें कठिनाइयाँ बढ गई थीं तो भी किसी बहुत ही अनुकूल समयमें आवश्यकता पढने पर सम्भव था कि वह पक्ष कुछ उपद्रव स्रष्टा कर देता।

( वर्तमान यूरोपीय महायुद्धके समय अप्रैल सन् १९१६ मे आयरलैण्ड-में उसीके सिद्धान्तोंकी रूपासे एक छोटासा विद्रोह भी हो गया था जो सहजमे ही और तुरन्त शान्त कर दिया गया था । ) इंग्लैण्ड उस पक्षको ढवाकर दूसरे पक्षको प्रबल करना चाहता था । इमी पक्षको कुछ कुछ सन्तुष्ट करनेके अभिप्रायसे १०-१२ बरस पहले लिबरल मन्त्रिमण्डलने 'अधिकार-विभाग' के स्वरूपमें दस आने स्वराज्य देना चाहा था, पर उस पक्षने उसे लेनेसे साफ इन्कार कर दिया । लेकिन इंग्लैण्ड किसी न किसी रूपमें अधिकार देकर आयरिश लोगोंको सन्तुष्ट करना चाहता था, इस लिए सन् १९१२ मे मि० एसकियने पार्लैमेण्ट-में आयरिश होमरूल बिल उपस्थित किया, जो बड़ी बड़ी कठिनाइयोंसे अन्तमें सितंबर १९१४ में पास हो गया । इस प्रकार आयरलैण्डका राष्ट्रीय आन्दोलन बहुतसे अंगोंमें सफल हो गया । आजसे प्राय सत्तर वर्ष पहले जिस राष्ट्रके प्रियमें लोगोंको यह सन्देह होता था कि यह बचेगा अथवा नष्ट हो जायगा, वही राष्ट्र आयरिश लोगोंकी नि सीम राष्ट्रमक्ति और उज्वल स्वार्थन्यागके कारण बहुत शीघ्र स्वराज्यका सुख भोगता हुआ दिखाई देगा । आयरिश लोगोंमें थोड़ेसे दोष थे जिनके कारण उनके प्रयत्नके सफल होनेमें कुछ अड़चनें थीं । लेकिन जब उन दोषोंका पता लग गया और वे दूर किये जा सके तब भारतवासियोंको भी निराश नहीं होना चाहिए । यदि आयरलैण्ड पर ईश्वर प्रसन्न है तो भारतवर्षसे वे अप्रसन्न नहीं है । दोनोंको देखते हुए मध्ययान आदिके दोष आयरिश लोगोंकी अपेक्षा भारतवासियोंमें अवश्य ही बहुत कम है । इस समय यदि हमें आवश्यकता है तो एकता, उद्योग और स्वार्थन्यागकी । यदि भारतवासियोंमें ये गुण आ गये तो आपसे आप इस बातका पता लग जायगा कि इंग्लैण्डके सम्बन्धसे देखते हुए हिन्दुस्तानके लिए स्वराज्य मिलनेमें आयरलैण्डकी अपेक्षा अनुकूल बातें ही अधिक है ।

आयरलैंडका होमरूल बिल पास हो गया है और भारतने वर्तमान यूरोपीय युद्धमे साम्राज्यके प्रति जो भक्ति दिखलाई है और तन-मन-धनसे उसकी जो सहायता की है उसके बदलेमें वह आशा करता है कि युद्धकी समाप्ति पर शीघ्र ही उसे भी स्वतंत्रता मिल जायगी। ईश्वर करे, उसकी यह भूषणभूत आशा सफल हो।

---

## चरित्र-माला ।

किसी देशके लोगोंके चरित्रकी कल्पना उस देशके प्रधान पुरुषोंके चरित्रसे की जा सकती है। और आयरलैंडके सबधमें तो यह बात ओर भी ठीक उतरती है। क्यों कि आयरलैंडका इतिहास सस्थाका इतिहास नहीं बल्कि व्यक्तियोंका ही इतिहास कहा जा सकता है। आयरिश राष्ट्रके लोगोंके गुणों ओर दोषोंका वर्णन पीछे आठवें भागमें थोड़ा बहुत किया जा चुका है। अब आगेकी चरित्रमाला पढ़कर पाठक यह बात अच्छी तरह देख ले कि समष्टिरूप समाजके गुण दोष व्यष्टिरूपसे इन भिन्न भिन्न सुप्रसिद्ध पुरुषोंमें कैसे उतरे हुए थे। यह चरित्रमाला कालानुक्रमसे दी हुई है और इसका कारण स्पष्ट ही है। लेकिन एक दूसरी रीतिसे भी इन लोगोंका अनुक्रम लगाया जा सकता है, और वह राजकीय आन्दोलनकी पद्धतिकी दृष्टिसे होगा। इस अनुक्रमके तत्त्वके अनुसार पहले आइजिक वट, तब चार्लमाट, ग्रॅटन, तब टैनियल ओकानेल्, तब पानेल्, तब स्मिथ ओब्रायन, तब उल्फटोन और तब रावर्ट एमेट आते हैं। और विलकुल शास्त्रशुद्ध, सरल और वाक्यायदा या न्यायानुमोदित आन्दोलन करनेवाले नेताओंसे लेकर विलकुल ही उद्वेगतापूर्ण और नीति-विरुद्ध आन्दोलन करनेवाले नेताओंकी एक माला तैयार हो जाती है। यह बात नहीं है कि वास्तविक चरित्र,



नीतिमत्ता, बुद्धिमत्ता अथवा देशभक्तिकी दृष्टिसे देखते हुए उक्त अनुक्रम सीधा अथवा उलटा ही लग सकता है। बल्कि जिस प्रकार किसी रगकी भिन्न भिन्न छायायें होती हैं और उनमेंसे किसी एकके दूसरीकी अपेक्षा सप्रमाण अच्छी सिद्ध होनेके साधनके अभावमें रुचि-वैचित्र्यके कारण कोई छाया किसीको और कोई किसीको पसंद होती है उसी प्रकार यह भी संभव है कि उक्त चरित्रवालोंके भिन्न भिन्न पुष्प किसीको पसंद और किसीको नापसंद हों।

दाधि मधुरं मधु मधुरं द्राक्षा मधुरा सुधापि मधुरैव ।  
तस्य तदेव हि मधुर यस्य मनो यत्र सलसत् ॥

यह तो मधुर पदार्थोंके सवधकी बात हुई। लेकिन भोजनमें भी हम लोग यही बात देखते हैं कि किसीको सूत्र बढ़िया ताजा मीठा दही अच्छा लगता है और किसीको तीन दिनका वासी खट्टा मट्टा। उक्त सब व्यक्तियोंमें, यह तो माना जा सकता है कि, देशभक्तिका धर्म साधारण था। लेकिन साथ ही यह बात भी माननी ही पड़ेगी कि उनके स्वीकार किये हुए भिन्न भिन्न मार्गोंके भेदका कारण रुचिवैचित्र्यके सिवा और कुछ भी नहीं था। लेकिन ग्रंटने जो केवल न्यायानुमोदित और वैध आन्दोलन किया उसका यह अर्थ नहीं है कि उसकी देशभक्ति बहुत ही निम्न कोटिकी थी, और राबर्ट एमेटने जो एक दम विप्लवतक दौड़ लगाई उसका यह अभिप्राय नहीं है कि उसकी देशभक्ति बहुत श्रेष्ठ कोटिकी थी। मूर्खतापूर्ण और उतावलपनके साहसको जिस प्रकार अनेक अवसरों पर उज्ज्वल देशभक्तिकी अनुचित श्रेय मिलनेकी सम्भावना होती है उसी प्रकार सच्ची और उचित दूरदर्शितापर कायरताके व्यर्थ दोषारोपणकी भी सम्भावना होती है। देशप्रेमकी पहचान मनुष्यके किसी एकाध कृत्यसे नहीं होती है। उसके समस्त जीवन-क्रमसे यह निश्चय किया जाता है कि उसमें वह गुण था या नहीं।

इस चरित्रमालामें आयरलैण्डके इतिहाससे सन् १७४० से लेकर १८९० तकके अर्थात् १५० वर्षोंके सभी नेताओंका समावेश किया गया है, और उन सबके मेलसे एक प्रकारकी शृंखला भी बन गई है। चार्लमाट और ग्रॅटन दोनों समकालीन थे। ग्रॅटनकी प्रायः मध्य अवस्थामें उल्फटोन और एमेटके विद्रोह हुए। ग्रॅटनको डैनियल ओकानेलने देखा था और इन बृद्ध तथा तरुण देशभक्तोंमें बातें भी हुई थीं। स्मिय ओब्रायन ओकानेलका प्रतिपक्षी और समकालीन था। आइजिक बट ओकानेलके सामने लड़ना जान पड़ता था, पर तो भी वह उसका समकालीन था। और पार्नेलने आइजिक बटको उसकी उतरती अग्रस्थामें आयरिश पक्षके नेतृत्वसे पदन्युत किया था। अर्थात् इन आठ व्यक्तियोंका इतिहास आयरलैण्डके १५० वर्षोंका इतिहास है।\*

### १ अर्ल आफ चार्लमाट ।

अठारहवीं शताब्दीके अतमें आयरलैण्डके राष्ट्रीय आन्दोलनकारियोंमें लार्ड चार्लमाट प्रधान नेता थे। इनका जन्म सन १७२८ में टवलिन नगरमें एक बड़े अमीर जमींदारके घरमें हुआ था। वहाँ काउन्टकी पदवी इनके घरानेमें कई पीढ़ियोंसे चली आती थी। बाल्यावस्थामें भी ये बड़े बुद्धिमान, विद्याप्रेमी और गुणग्राहक थे। अपनी युवा अवस्था इन्होंने सारे योरपमें प्रवास करनेमें बिताई थी। २६ वर्षकी अग्रस्थामें इन्होंने डबलिन विश्वविद्यालयमें एल० एल० डी० की उपाधि पाई थी। उसी समय ये आर्मा प्रातके गवर्नर भी बनाये गये थे। लेकिन ये हुकूमत चलानेकी अपेक्षा लोकसेवा करना अधिक उत्तम समझते थे, अतः तत्कालीन आयरिश लिबरलपक्षमें सम्मिलित हो गये। सन् १७६० ई० में आय-

\* पुस्तक बंद जानेसे भयसे तथा अन्य कई कारणोंसे ये जीवनियों इस धनु बादमें अधिकल नहीं दी जा सकी, इनके सबबकी मुख्य मुख्य बातें संक्षेपमें ही दे दी गई हैं। अनुवादक ।

लैंडके उत्तर भागमें जो बलवा हुआ था, उसमें इन्होंने अपनी योद्धीसी सेना लेकर बेलफारट नगरकी रक्षामें अच्छी सहायता दी थी। कैथोलिक लोगोंके साथ इनका व्यवहार बहुत ही मातृभावयुक्त और प्रेमपूर्ण होता था। इन्होंने उन्हें सैनिक शिक्षा दिलवाने तथा सेनामें भरती करानेके लिए बहुत प्रयत्न किया था। सन् १७६२ ई० वें जब फिर उत्तर आयरलैंडमें प्रोटेस्टेंटोंने बलवा किया तब इन्होंने राजपक्षको अच्छी सहायता दी थी। उसीके उपलक्षमें इन्हें अर्लकी पदवी मिली थी। आयरिश पार्लमेण्टके सुधार कराने तथा उसके सभासदोंकी सरख्या और अधिक बढ़वानेके प्रयत्नमें भी इन्होंने, बिना राजपक्षके असतोप आदिका विचार किये, अच्छी सहायता दी थी। सन् १७७३ से ये अपना सारा समय आयरलैंडमें ही बिताने लगे थे। उस समय आयरलैंडके प्रायः सभी निवासी मिलकर स्वतंत्र होनेका उद्योग करने लगे थे। जब आयरलैंडकी सेना अमेरिकामें लड़नेके लिए भेजी गई थी तब आयरलैंडमें साठ हजार ऐसे स्वयसेवकोंकी सेना खड़ी की गई जिसमें अच्छे अच्छे नेताओंको बड़े बड़े पद मिले थे। इस सेनाके सैनिकोंने अपने देशको विदेशियोंके आक्रमणसे बचाने और साथ ही अपने देशको दासत्वसे मुक्त करनेके विचारसे हथियार उठाये थे। अर्ल चार्लमाण्ट इस सेनाके प्रधान नायक थे और जब तक वह सेना रही तब तक उसी पद पर रहे। इन्हींके प्रयत्नसे सन् १७८२ में आयरिश पार्लमेण्ट स्वतंत्र हुई थी और व्यापारसबधी कानून रद्द हुए थे। कैथोलिक लोगोंको स्वतंत्रता देनेके सबधमें आयरिश नेताओंमें जो मतभेद हुआ था उसके कारण स्वयसेवकोंकी यह सेना बिना अपना काम पूरा किये ही टूट गई और साथ ही चार्लमाण्टकी अपने परम मित्र और प्रधान सहायक ग्रैटनके साथ अनबन हो गई, नहीं तो आयरलैंडमें संभवतः उन्हीं दिनों पूर्ण स्वराज्य स्थापित हो गया होता। सन्

१७९१ ई० में अधिकारियोंसे मनमुटाव हो जानेके कारण चार्लेमाण्टने आर्मीकी गवर्नरीसे इस्तेफा दे दिया । लिबरलोके 'व्हिग क्लब' में भी चार्लेमाण्टने बहुत कुछ काम किया था । लेकिन फ्रान्सकी राज्यक्रांतिका चार्लेमाण्टके मन पर कुछ उलटा ही परिणाम पड़ा, इसी लिए ये कैथोलिक लोगोको स्वतंत्रता देनेके कुछ विरोधी हो गये थे । अतमें देशसेवाके कामोंमें भी यथेष्ट सफलता न मिलनेके कारण, इनका उत्साह भग हो गया और ये उसमें बहुत ही कम योग देने लगे । लेकिन सन् १७९८ वाले विद्रोहके कारण जब देशकी बहुत दुर्दशा हुई, तब ये बहुत दुःखी हुए थे । उस समय ये वृद्ध हो गये थे, अतः देशसेवाका कोई विशेष कार्य नहीं कर सके । उसी अवसर पर १७९९ में इनका देहात हो गया । अपनी विद्या, वन, स्वतंत्रता और सामाजिक उच्च स्थिति आदिका देशसेवाके कामोंमें इन्होंने जितना उत्तम और अधिक उपयोग किया वह केवल आदरणीय ही नहीं बल्कि अनुकरणीय भी है ।

## २ हेनरी ग्रॅटन ।

पूर्वगत नियमानुमोदित रीतिसे आन्दोलन करनेवाले हेनरी ग्रॅटनका जन्म सन् १७४६ में हुआ था । इनके पिता जान ग्रॅटन राजपक्षके थे और प्रजापक्षीय आन्दोलनके विरोधी थे । बाल्यावस्थामें हेनरी ग्रॅटन बड़े ही परिश्रमी, बुद्धिमान्, दृढनिश्चयी और तेज पर कुछ ढरपोक थे । अपना ढर दूर करनेके लिए ये रातको कनिस्तान आदि भयानक स्थानोंमें जाकर बैठा करते थे । इन्होंने आरम्भमें ग्रीक और लेटिन भाषाओंका बहुत अच्छा अभ्यास आयलैंडमें ही किया था । इनकी युवावस्थाके समय डा० ल्यूकस और हेनरी फ्लट आदि नेता काम करते थे । उस समय फ्लटके सम्बन्धमें इनके मनमें विशेष आदर और प्रेम था, पर आगे चलकर ये दोनों प्रतिपक्षी या परस्पर विरोधी हो गये

थे और पार्लमेंटमें दो पक्षोंके नेता होकर खूब लड़ते झगड़ते थे। हेनरी ग्रॅटनका प्रजापक्षमें चला जाना उनके पिता जान ग्रॅटनको अच्छा न लगा, जिससे वाप-बेटेमें अनवन हो गई और वापने अपनी मिल-कियत परसे बेटेकी वरासत रद्द कर दी। सन् १७६७ में ग्रॅटन बैरिस्टरी पढनेके लिए विलायत गये, पर वहाँ ये बैरिस्टरीकी पढाईमें अधिक ध्यान नहीं देते थे, बल्कि बहुतसा समय पार्लमेंटके व्याख्यान सुननेमें बिताते थे और वक्तृत्वका अभ्यास करनेके लिए चाँदनी रातमें किसी पेड़ या पत्थरके सामने खटे होकर व्याख्यान दिया करते थे। इससे कोई कोई इन्हें पागल भी समझते थे। अन्तमें बैरिस्टरीकी परीक्षा देकर सन् १७७२ में ये आयरलैण्ड लौट आये। पर वकालतमें इनका मन नहीं लगता था, इससे पहला मुकदमा ये हार गये और इन्होंने अपने मुवाकिलको आधी फीस लौटा दी और डबलिन छोड़कर कहीं एकान्त-वास करना निश्चय किया। पर शीघ्र ही आकस्मिक कारणोंसे इन्हे राजनीतिमें प्रवेश करना पड़ा, जिससे एकान्तवासका विचार छूट गया।

सन् १७७५ में चार्लमाटकी सहायतासे पार्लमेण्टके चुनावमें ये भी आ गये। फ्लड मन्त्रिमण्डलमें चले गये और पार्लमेण्टमें उनका स्थान इन्हें मिला। आरम्भमें ही इन्होंने पार्लमेण्टमें अच्छी तरह अपनी योग्यता सिद्ध कर दी। उस समय इंग्लैण्ड और आयरलैण्डमें झगड़ा चल रहा था। व्यापार-सम्बन्धी कानूनोंसे दुःखी होकर आयरिश लोगोंने अँगरेजी मालका बहिष्कार आरम्भ कर दिया था। गुप्त रूपसे कुछ लोग विद्रोहकी चिन्तामें थे, स्वयंसेवकोंकी फलटनें तैयार हो गई थीं और सब लोग व्यापारसम्बन्धी कानून रद्द करनेके लिए एकमत हो गये थे। उस समय ग्रॅटनने नियमविरुद्ध आन्दोलनका खूब विरोध किया था। सौभाग्यवश रक्तपात नहीं हुआ और व्यापार-सम्बन्धी कानून रद्द हो

गये । पर लोगोंने समझा कि ये कानून स्वयसेवकोंके तलवार खींचनेके कारण रद्द हुए हैं, जिससे उनका उत्साह बढ़ गया और उन्होंने चाहा कि किसी प्रकार यह भी निश्चित हो जाय कि भविष्यमें फिर कभी ये कानून जारी न होंगे । इसके लिए वे अपनी पार्लिमेण्टके अधिकार बढ़ाकर उसे स्वतंत्र करना चाहते थे । ग्रॅटनका मत भी उस समय ऐसा ही था, पर कुछ राजनीतिज्ञ उस समय शान्त रहकर केवल अंगरेजोंके प्रति कृतज्ञता ही प्रकट करना चाहते थे । पर यह उन लोगोंके विचार नहीं सुनना चाहते थे, इससे पार्लिमेण्टकी छुट्टियोंमें डबलिन उठकर एकान्तवास करनेके लिए दूर चले गये । ये कहते थे कि लोग कृतज्ञता अवश्य प्रकट करें, पर उसके लिए अपनी भावी उच्चाकाशायें न उठे ।

सन् १७८१ में इन्होंने पहले पहल पार्लिमेण्टकी स्वतंत्रताका प्रश्न आयरिश पार्लिमेण्टमें उठाया । लेकिन बिना सेवकोंकी सहायताके उन्हें सफलताकी आशा नहीं थी, इसलिए १ फरवरी सन् १७८२ को उन्होंने डबलिनमें स्वयसेवकोंके प्रतिनिधियोंकी एक सभा की जिसमें १४३ सस्थाओंके २४४ प्रतिनिधि आये थे । उस सभामें पार्लिमेण्टकी स्वतंत्रता और कैथोलिक लोगोंके अधिकारके सम्बन्धमें प्रस्ताव पास हुए थे । इसके उपरान्त १६ अप्रैल सन् १७८२ को ग्रॅटनका पार्लिमेण्टकी स्वतंत्रताके सम्बन्धना प्रस्ताव आयरिश पार्लिमेण्टमें पास हुआ । उसदिन आयरलैण्डके लोगोंमें खून एकता दिखाई दी । लेकिन जब ब्रिटिश पार्लिमेण्ट इस बातको मजूर न करती तबतक इसका फल ही क्या हो सकता था ? पर सौभाग्यवश उस समय ग्रॅटनका परममित्र फाक्स ब्रिटिश मन्त्रिमण्डलमें था और आयरलैण्डका स्टेट सेक्रेटरी था । ग्रॅटनने एक निजके पत्रमें फाक्सको लिखा कि यदि ब्रिटिश पार्लिमेण्ट हमारी पार्लिमेण्टको स्वतंत्रता दे तो ठीक ही है, नहीं तो बड़े दुःखसे मुझे स्वयसेवकोंको हथियार उठानेके लिए कहना पड़ेगा । फाक्स स्वतंत्रताका पक्षपाती

और निम्न निम्न वर्गोंसे लोगोंकी सख्याके अनुसार प्रतिनिधि चुने जायें। अर्थात् प्रतिनिधित्वका लाभ सब लोग उठा सकें, कुछ खास आदमियोंके हाथमें ही मत्ता न रह जाय। ग्रॅटन, फ्लड, चार्लमाट आदि सभी इस सुधारके पक्षमें थे। पर फुटकर बातोंमें वे लोग सहमत नहीं होते थे। उसी अवसर पर ग्रॅटन और फ्लडकी अनबन बहुत बढ़ गई और उन लोगोंने भरी पार्लमेंटमें एक दूसरेको ऐसी ऐसी बातें कहीं, जैसी कभी कहनी नहीं चाहिए। द्वन्द्वयुद्धकी नौबत आ जाती, पर लोगोंने बीच बचाव कर दिया। उस समय स्वयसेवकोंका सचालन चार्लमाटके हाथमें था और ग्रॅटनके साथ उसका सम्बन्ध छूट रहा था। ८ सितम्बर सन् १७८३ को स्वयसेवकोंकी २७२ पलटनोंके पाँच सौ प्रतिनिधियोंका एक सम्मेलन हुआ, जिसमें पार्लमेण्टके सुधारका प्रस्ताव पास हुआ। उस प्रस्तावको पार्लमेंटमें उपस्थित करनेके लिए उस सम्मेलनने फ्लडको नियुक्त किया। इसप्रकार ग्रॅटन पिछड़ गया। ग्रॅटनने उदारतापूर्वक पार्लमेंटमें फ्लडका पक्ष लिया, पर पार्लमेण्टने फ्लडकी सूचना स्वीकृत नहीं की। इसके उपरान्त स्वयसेवकोंने कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया, जिससे यह सुधार रह गया और उनके प्रति लोगोंका आदर भी घट गया। उधर ग्रॅटन और चार्लमाटका स्नेह भी टूट गया। उस समय मन्त्रिमण्डलने आयरलैण्डमें ब्रिटिश सेना बढ़ानेके सम्बन्धमें सूचना दी थी, ग्रॅटनने इसका समर्थन किया, जिससे वे लोगोंके चित्तसे बहुत उतर गये।

आयरिश पार्लमेण्टका सुधार नहीं हुआ और अन्तमें सन् १८०० में वह टूट गई। इस कामके लिए मन्त्रिमण्डलने लोगोंको स्थित तो दी ही थी, पर साथ ही आयरिश लोगोंमें आपसमें अनबन भी बहुत थी और वे एक दूसरेका महत्त्व भी खूब घटा रहे थे। उस समय व्यापार-सम्बन्धी कानूनोंका झगडा फिर उठा। फ्लड चाहता

था कि देशी कारीगरीकी रक्षाके लिए विलायतसे आनेवाले मालपर टैक्स लगाया जाय । परन्तु ग्रॅटन कहते थे कि यदि इंग्लैण्डके मन्त्रिमण्डलको पराभूत करना हो तो आयरिश लोगोंको लिबरल पक्षसे मेल रसना चाहिए और लिबरल पक्ष इस अनियंत्रित व्यापार-पद्धतिके पक्षमें है, इस लिए आयरिश लोगोंको उसका विरोध न करना चाहिए और जहाँतक हो सके इंग्लैण्डसे मित्रता रखनी चाहिए । पर फ्लड कहता था कि, इंग्लैण्डके दोनों ही पक्ष बराबर है । ग्रॅटन सरासे मन्द-बुद्धि नेता यह नहीं समझते थे कि उनमेंसे कोई हमारा हित नहीं कर सकता, सब हमें मूर्ख बनाकर अपना काम निकालते हैं । फ्लडने आयरलैण्डमें आनेवाले मालपर कर लगानेके सम्बन्धमें पार्लमेंटमें एक बिल उपस्थित किया पर वह नामजूर हुआ । सुधारके प्रयत्न तथा इस बिलसे प्रधान मंत्री पिट चिढ़ गया और उसने पार्लमेंटको तोड़ देना निश्चय किया । जब पार्लमेंटके कामोंमें बराबर अड़चन पढ़ने लगी तब लोगोंमें पार्लमेंटके सम्बन्धकी श्रद्धा और प्रीति घटने लगी । उधर पिट उसे तोड़नेकी चिन्तामें था । उसी समय फ्रान्समें क्रान्तिके चिह्न देखकर आयरिश लोगोंका धर्म-द्वेष कम होने लगा, और धर्मसे भी श्रेष्ठ राजनीतिके तत्त्वोंका प्रसार होने लगा । इससे मन्त्रिमण्डल भयभीत और सशक्त होने लगा । लोगोंमें वैमनस्य बनाये रखनेके लिए वह कहने लगा कि कैथोलिक लोगोंको उचित धार्मिक अधिकार देनेके लिए हम तैयार ही हैं । उस अवसर पर आयरलैण्डके परम हितचिन्तक लार्ड फिड्ज विलियम वहाँके वाइसराय नियुक्त हुए और ग्रॅटनने कुछ दिनोंतक मंत्रीके पद पर रहकर उसके साथ काम किया । पर इन दोनोंके रहते हुए भी उनके हाथों आयरिश पार्लमेंटके द्वारा कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिससे कैथोलिक लोगों अथवा आयरिश राष्ट्रका कोई हित होता । पिटसे अनवन हो जानेके कारण शीघ्र फिड्ज वि-



लियमको अपना स्थान छोड़ देना पडा। सन् १८९२ में आयरिश पार्लमेंटमें कैथोलिक लोगोंको अधिकार देनेके सम्बन्धमें एक बिल उपस्थित हुआ था जो नामजूर हुआ, इससे चिढ़कर कैथोलिक लोगोंने दगा किया। अधिकारियोंने प्रोटेस्टेंटोंका पक्ष लेकर बिना जाँच किये या मुकदमा चलाये ही तेरहसौ कैथोलिकोंको देश-निकालेका दण्ड दिया। दूसरे वर्ष अविकारियोंने अपने अधिकार बढ़ानेके सम्बन्धमें एक बिल उपस्थित करके पास करा लिया। ग्रँटन और उसके साथियोंने इस बिलका घोर विरोध किया था और कहा था कि ऐसे दमनकारक नियमोंसे देशका असन्तोष कम नहीं होगा। कैथोलिक लोगोंको समान अधिकार दिलानेके लिए ग्रँटनने फिर एक बिल पेश किया जो नामजूर हुआ। दूसरे वर्ष उल्फटोनने विद्रोह किये और वह बहुतसे फ्रेंच जहाज लेकर आयरलैण्ड पहुँचा। लेकिन तूफानसे वे जहाज नष्ट हो गये और आयरिश लोगोंने इस काममें उल्फटोनकी यथेष्ट सहायता नहीं की। ग्रँटन विद्रोहके विरोधी थे। वे अधिकारियोंसे कहते थे कि अब भी तो औरों खोलो, पर अधिकारी कुछ सुनते ही न थे। इससे डु स्ती होकर दूसरे वर्ष वे पार्लमेंट छोड़ कर घर जा बैठे। पर अधिकारी इतनेसे भी सन्तुष्ट नहीं हुए और यह प्रमाणित करनेके प्रयत्नमें लगे कि वे विद्रोहमें सम्मिलित थे। उन्हीं दिनों वे आर्थर ओकानेल नामक अपने एक मित्रके मुकदमेमें गवाही देनेके लिए इंग्लैण्ड गये। वहाँ उसके मित्रोंने यह समझकर उन्हें रोक रक्खा कि आयरलैण्डमें अधिकारी उन्हें कहीं किसी आफतमें न फँसा दें। सन् १७९९ में विद्रोह और उपद्रव शान्त होने पर वे फिर आयरलैण्ड लौटे और बारहसौ पाउण्ड खर्च करके व फिर पार्लमेंटके मेम्बर बने। दूसरे वर्ष जब पिटने आयरिश पार्लमेंट तोड़नेका प्रयत्न किया तब उन्होंने उसके विरोधमें अपना सारा वक्तृत्व सारा बल और सारा आवेश खर्च कर दिया, परन्तु पिटकी रीश्वतोंसे

लोगोंके केवल मुँह ही नहीं बन्द हुए थे बल्कि कान भी बन्द हो गये थे। अतः ग्रैंटनकी बात किसीने न सुनी। उस समय ग्रैंटनने मंत्रिमण्डलका सारा भण्डा फोड़ दिया था और उसकी रिश्तकी कार्रवाई लोगों पर प्रकट कर दी थी। इससे चिढ़ कर मंत्रिमण्डलकी ओरसे कॉर्री नामक एक मंत्रीने दूसरे ही दिन उसे द्वन्द्वयुद्धके लिए ललकारा। ग्रैंटन जैसे सभाशूर थे वेसे ही रणशूर भी थे। अतः उन्होंने द्वन्द्वयुद्धमें कॉर्रीको घायल करके छोड़ा। १ अगस्त सन् १८०० को ग्रैंटनकी निराशाकी हद्द हो गई। १६० विरुद्ध और ११७ अनुकूल सम्मतियोंसे आयरिश पार्लमेंटने आत्मघातका प्रस्ताव पास किया और इस तरह वह सुघरनेके बदले टूट गई। इसके उपरान्त चार वर्षतक घर बैठे रह कर अन्तमें उन्होंने ब्रिटिश पार्लमेंटमें प्रवेश करके कुछ काम करना ही अधिक उत्तम समझा और तदनुसार सन् १८०५ में वे ब्रिटिश-पार्लमेंटके सभासद भी हो गये। तबसे उनके मरनेके समय तक दो आन्दोलन होते रहे—एक कैथोलिक लोगोंको अधिकार दिलानेका और दूसरा आयरिश पार्लमेंट फिरसे स्थापित करनेका। पर ग्रैंटनके जीवनमें एक भी आन्दोलन सफल न हुआ। सन् १८०५ से १८१८ तक प्रतिवर्ष कैथोलिक लोगोंको अधिकार दिलानेके लिए कुछ न कुछ प्रयत्न होता रहा, पर उनसे पार्लमेंटके सभासदोंके अनुकूल होनेके अतिरिक्त और कोई लाभ नहीं हुआ। सन् १८१४ में सफलताकी कुछ आशा हुई थी, पर ग्रैंटन और ओकानेलमें इस सम्बन्धमें मतभेद हो गया कि कैथोलिक विधायक चुनाव राजा करे या पोप, जिससे बिल पास न हो सका। सन् १८१८ में यह मतभेद मिटा और ग्रैंटन डबलिनवालोंकी ओरसे पार्लमेंटमें चुने गये। चुनावके दिन घर लौटते समय एक बदमाशने उन्हें लाठी मार दी, पर उन्होंने उदारतापूर्वक यह कहकर उसे छोड़ दिया कि यह सब धर्मान्विता है। सन् १८१० में फिरसे पार्लमेंट स्थापित करनेके लिए डबलिनमें एक सभा हुई थी जिसमें ग्रैंटन भी थे, पर उस समय वे इतना

निराश हो गये थे कि उन्हें पार्लमेंटकी स्वतंत्रताकी आशा ही नहीं रह गई थी। सन् १८१८ के बादसे उनकी तबीयत बराबर खराब होती जाती थी, इसलिए उन्होंने पार्लमेंटके अध्यक्षसे बैठकर ही बोलनेकी आशा ले ली थी, पर अन्तसमय तक उन्होंने अपने कर्तव्योंका पालन दृढ़तापूर्वक किया।

ग्रैंटनमें ऊँचे दरजेके देशाभिमान, बुद्धिमत्ता, निस्पृहता और स्वार्थत्याग आदि अनेक गुण थे। सन् १८०० में जब आयरिश पार्लमेंट घूस देकर तोड़ी गई तब वे मंत्रियोंके लालचमें नहीं फँसे, बल्कि उन्होंने मंत्रियों तथा सभासदोंके उस अनुचित कार्यका निर्भय होकर स्पष्ट रूपसे घोर विरोध किया था और यथासाध्य भागी दुरुवस्थाको रोकनेका प्रयत्न किया था। पार्लमेंटमें उसकी बातोंका आदर और महत्त्व मंत्रियोंकी बातोंके समान होता था। विदेशियोंके शासनकालमें प्रजापक्षके किसी नेताको मंत्रीका पद नहीं मिलता, पर ग्रैंटनको मंत्रीके पद पर रहनेका भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वे अधिकारियोंकी अथवा प्रजाकी प्रीति सम्पादन करना नहीं चाहते थे और जो उचित समझते थे सो निर्भयतापूर्वक कह डालते थे। वे दुराग्रही भी नहीं थे और सदा पारस्परिक मत-भेद दूर करनेके प्रयत्नमें रहते थे। उनकी गिनती प्रधान आयरिश वक्ताओंमें होती है। उनका व्याख्यान अलकारों और गूढ़ विचारोंसे पूर्ण और सुशिक्षितोंके सुनने योग्य होता था। आयरिश राजनीतिज्ञों और वक्ताओंमें उनका स्थान बहुत ऊँचा है।

### ३ उल्फटोन।

दुर्गा-रुसाद करके राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त करनेका प्रयत्न करनेवाले जो थोड़ेसे अविचारी आयरिश नेता हो गये हैं उल्फटोन उनमेंसे मुख्य था। इसका जन्म सन् १७६४ में हुआ था। शिक्षा समाप्त करते ही इस अलौकिक बुद्धिमान, उद्योगी, धीर, साहसी और कार्य-

कुशल व्यक्तिने राजनीतिमें प्रवेश किया और शीघ्र ही बड़े-बड़ोंसे वाजी मार ली। सन् १७९१ में उसने बेलफास्टमें 'सयुक्त आयरिश राष्ट्रमण्डल' नामकी सभा स्थापित की। यद्यपि वह स्वयं प्रोटेस्टेंट था, तथापि देश-हितके विचारसे उसने पहले नियमानुमोदित रीतिसे कैथोलिक लोगोंके कष्ट पहुँचानेवाले कानूनोंको रद्द करनेका प्रयत्न किया। इससे सिद्ध होता है कि वह निरा अराजक या मूर्ख ही नहीं था, बल्कि स्वतंत्रताका सच्चा प्रेमी था। जब सामाजिक दुख दूर करनेके काममें बाधाएँ होने लगीं तब वह उस समयके दूसरे महत्त्वपूर्ण राजनेतिक कामोंमें लगा। उसने देखा कि ग्रँटनके लगातार पन्द्रह सोलह वर्षतक प्रयत्न करने पर भी अन्तमें पिटकी रिश्चतासे आयरिश पार्लमेंट नष्ट होना चाहती है। उसी समय फ्रान्स और अमेरिकाकी दशा देखकर उसके मनमें एक विलक्षण बात आई। उसने सोचा कि जो बात फ्रान्स और अमेरिकामें हुई वह आयरलैंडमें भी हो सकती है। पर परिस्थितिका ठीक ठीक ज्ञान न होनेके कारण उसका यह सोचना भी ठीक नहीं उतरा। सन् १७९४ में एक वादविवादके समय मतभेद होनेके कारण 'सयुक्त आयरिश राष्ट्रमण्डल' से नरम दलके सब लोग उठकर चले गये और बाकी बचे हुए लोगोंने क्रान्तिकारक गुप्त सभा स्थापित की। इस सभामें टमलिनके टोन, थामस एमेट, मिलमन रसेल, नेपर टेण्टी आदि अनेक युवक मुख्य थे। टोनके प्रोटेस्टेंट होनेके कारण अलस्टर आदि प्रान्तोंमें भी उसे बहुतसे अनुयायी मिले। नये सभासदोंको सभामें सम्मिलित होनेके समय कुछ शपथ खानी पड़ती थी और उनका उत्तरदायित्व उन्हें लानेवाले पुराने सभासदों पर होता था।

सन् १७९४ में फ्रांससे विलियम जैम्सन नामक एक प्रोटेस्टेण्ट धर्मापदेशक आयरलैंड पहुँचा, जिसका क्रान्तिकारक सन्देश 'सयुक्त राष्ट्रमण्डल' को बहुत पसन्द आया। पर जैम्सन ओझ था, उसने

१० नवम्बर सन् १७९८ को डवलिनके सैनिक न्यायालयमें उसका विचार हुआ और उसे फाँसी देना निश्चित हुआ । उसने अभियोगकी सब बातें स्वीकृत कीं और अपना लिखा हुआ इजहार धडाकेसे पढ़ सुनाया । उसका इजहार बहुत ही प्रेमपूर्ण और आवेशयुक्त था । उसका आशय था—“ मैंने स्वदेशको स्वतंत्र करनेके लिए अग्र्य युद्ध किया, परन्तु इसमें मेरा मुख्य उद्देश्य यह था कि देशके प्रचलित अत्याचार और गुप्त वध आदि बन्द हों । यदि मैं वाशिंगटनकी तरह यशस्वी होता तो कोई मुझे बदनाम नहीं करता । लेकिन केवल मेरे प्रयत्नके निष्फल होनेके कारण ही मुझे विद्रोही और गुप्त हत्यारा आदि कहना अनुचित होगा । ” न्यायासनपर बैठे हुए सैनिक अधिकारी और टोनमें बहुतसे प्रश्नोत्तर हुए थे जिससे उसकी योग्यता प्रकट होती थी । कैथोलिक लोगोंके सम्बन्धमें उसने जो प्रेमभाव प्रकट किया था, उससे उसकी देशभक्तिकी व्यापकता और मनकी उदारता भी प्रमाणित होती है । उसने प्रार्थना की थी कि मुझे गोलीसे मारे जानेका सौभाग्य प्राप्त हो, परन्तु लार्ड कार्नवालिसने उसे फाँसी देना ही निश्चय किया । १२ तारीखको उसे फाँसी दी जानेकी थी, पर उससे पहले ही रातको जेलकी अन्धेरी कोठरीमें उसने किसी प्रकार अपने गलेकी रक्तवाहिनी नली काट डाली जिससे रक्त बहनेके कारण वह प्रातःकाल ही मरणासन्न हो गया । उधर १२ तारीखको सबेरे ही प्रसिद्ध वक्ता और वकील क्यूरनने हाईकोर्टमें कहा कि यद्यपि टोन पर विद्रोह करनेका अभियोग है, तथापि उसका मुकदमा सैनिक न्यायालयमें होना कानूनके विरुद्ध है । हाईकोर्टने शेरिफके पास टोनको तुरन्त जेलसे लाकर कोर्टके सामने उपस्थित करनेकी आज्ञा भेजी । शेरिफने जेलमें जाकर देखा कि टोन जरमी होकर पड़ा है । जब हाईकोर्टको यह बात मालूम हुई तब उसने

फॉसीकी सजा रह कर दी । सात दिनतक जीवित रहनेके उपरान्त १९ नवंबर सन् १७९८ के दिन जेलमें ही टोन मर गया । इस प्रकार आयरलैण्डके एक उत्कृष्ट देशभक्तका अन्त हो गया ।

टोनने पचीस वर्षकी अवस्थामें बैरिस्टरीकी परीक्षा दी थी, परन्तु परमेश्वरकी इच्छा थी कि वह बैरिस्टरी न करे और नौ वर्ष बाद सार्वजनिक काममें इस प्रकार अद्भुत और अक्ल्पित रीतिसे उसके जीवनका अन्त हो, और वही हुआ ।

### ४ राबर्ट एमेट ।

इसका जन्म सन् १७७८ में हुआ था । इमे वाल्यवस्थासे ही व्याख्यान देनेका बहुत शौक था, पर इसके विचार बहुत प्रसर थे इसलिए यह कालिजसे निकाल दिया गया । तब इसने सारे युरोपका प्रवास किया और बहुतसे राजकीय अपराधियोंसे भेंट की । सन् १८०० में जब आयरिश पार्लिमेंट टूट गई तब यह फ्रान्स जाकर नेपोलियनसे मिला । नेपोलियनने इससे कहा कि जब फ्रान्स तथा इंग्लैण्डमें युद्ध आरम्भ होगा तब मैं अपनी सेना आयरलैण्ड भेज दूंगा । १८०२ में यह आयरलैण्ड लौट गया । जब युद्ध आरम्भ हुआ तब इसने बड़ी आशासे गोला-बारूद जमा किया । २३ जुलाई सन् १८०३ को इसने विद्रोह करना निश्चय किया था और तदनुसार डबलिनमें विद्रोह हुआ भी, पर और स्थानोंके लोग शान्त थे इस लिए घण्टे भरमें ही विद्रोह रोक दिया गया । उस दिन सन्ध्याको इसने प्रधान न्यायाधीश लार्ड किलवारटेनको मार डाला था । इसके बाद वह भाग गया और महीने भर तक लापता रहा । अपनी प्रेमिका प्रसिद्ध वकील क्यूरनाकी लटकीसे मिलकर वह आयरलैण्डसे भागना चाहता था, इसी बीचमें वह गिरफ्तार हो गया ।

उसने कोर्टके सामने जो भाषण किया था वह बहुत ही वक्तव्यपूर्ण और वैयर्थ्ययुक्त था । २० सितम्बर १८०३ को उसे फाँसी दे दी गई । मरते समय उसने कह दिया था कि मुझे कीर्तिकी इच्छा नहीं है, इस लिए मेरी कब्र पर कुछ भी न लिखा जाय । इस लिए ऐसा ही हुआ ।

### ५ डेनियल ओकानेल ।

ह्यूसका जन्म ६ अगस्त सन् १७७५ को आयलण्डके एक छोटेसे गाँवमें हुआ था । इसके पूर्वज कठोर कैथोलिक थे । इसे उनकी अच्छी सम्पत्ति मिली थी । लडकपनमें यह बहुत ही तेज और चलता था । इसने ढेढ़ दिनमें वर्णमाला सीखी थी और दस वर्षकी अवस्थामें एक नाटक लिखा था । देशमें उच्च शिक्षाका प्रबन्ध न होनेके कारण सन् १७९१ में यह पढनेके लिए फ्रान्स गया । उस समय तक फ्रान्सकी राज्यक्रांति शान्ति नहीं हुई थी, इससे उसका कुछ अज्ञ इसने भी अपनी आँखों देखा था । लेकिन उसमें इसे कुछ बदमाशी दिताई दी, इस लिए यह राजपक्षके अनुकूल हो गया । सन् १७९३ में फ्रान्ससे लौट कर यह वकालत सीखनेके लिए इंग्लैंड गया और पाँच वर्ष बाद वहीं बैरिस्टरी करने लगा । पहले तो इसकी बैरिस्टरी नहीं चली, पर पीछे अच्छी चमक उठी । यह बहुत अच्छा वक्ता था और साथ ही मसखरा भी था । जिरह भी वह खूब करता था, इसलिए बहुत जल्दी सर्वप्रिय हो गया । अवसर पढ़ने पर वह हाकिमोंको फटकार भी देता था । धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि और सर्वप्रियता इतनी अधिक हो गई कि 'वकील' का अर्थ ही लोग 'डेनियल ओकानेल' करने लगे । अगर कोई किसीसे वकीलका घर पूछता, तो वह उसे ओकानेलका पता बतला देता था ।

अब वह राजनीतिकी ओर झुका । पर पहले उसका कोई निश्चित सिद्धान्त नहीं था । वह ग्रॅटन, फ्लड और चार्ल्समण्टका भक्त था, पर उधर उल्फटोन आदिकी ओर भी उसका मन कुछ कुछ सिंचता था, इसलिये वह निश्चय न कर सका कि मैं कौनसा पक्ष ग्रहण करूँ । पर पहले वह शपथ खाकर 'सयुक्त आयरिश मण्डल' नामक एक स्वातन्त्र्यवादी सभाका सभासद हुआ । आरम्भमें ही उसे उस मण्डलकी कई बातें बहुत बुरी मालूम हुईं और उसका जी उससे हट गया । उसी अवसर पर विद्रोह आरम्भ हुआ जिसमें बहुतसे लोग पकड़े जाने लगे । यदि वह बीमार होकर घर पर न पड़ा होता तो बहुत सम्भव था कि वह भी पकड़ा जाता । आराम होने पर वह उस मण्डलसे अलग हो गया । उसीसमय देशकी रक्षाके लिए कुछ देशवासियोंने स्वयंसेवकोंकी एक पलटन तैयार की थी, उसीमें वह भी शामिल हो गया ।

विद्रोहके शान्त होने पर देशमें फिर नियमानुमोदित आन्दोलन आरम्भ हुआ । उस समय लोग कैथोलिकोंको समान अधिकार और स्वतन्त्रता देनेके पक्षमें थे । उससमय जॉन किओघने इस सम्बन्धमें बहुत कुछ लोकमत तैयार किया था और कानूनोंके बन्धन भी कुछ ढीले कराये थे । जब वह बहुत वृद्ध हो गया तब उसका आदर भी कम हो चला । एक बार वह आयरलैण्डवालोंकी ओरसे इंग्लैंड भी गया था, पर वहाँ आयरलैण्डको केवल स्थानिक स्वराज्यके सम्बन्धमें कुछ अविकार मिले जिससे वह लोगोंके मनसे उतर गया । तब उसका स्थान ओकानेलको मिला । ग्रॅटन उस समय पार्लमेंटमें काम कर रहा था, ओकानेलने समाजमें काम करना आरम्भ किया । सन् १८११ तक वह आयरलैण्डवालोंका सर्वमान्य नेता हो गया । उसने एक 'कैथोलिक एसोसिएशन' नामकी सस्था भी स्थापित की थी, जिसमें उसका बहुत कुछ स्वर्च हुआ था । सन् १८११ में अधिकारियोंने उस सभाको नियम विरुद्ध



ठहराया था, जिसका विरोध एक बहुत बड़ी सार्वजनिक कैथोलिक सभाने किया था। सन् १८१२ में कैनिगने कैथोलिक लोगोंके सम्बन्धमें जो प्रस्ताव पार्लमेंटमें उपस्थित किया था उसके पक्षमें विरुद्ध पक्षकी अपेक्षा १२९ वोट अधिक थे, जिससे सिद्ध होता था कि इंग्लैण्डका लोकमत कैथोलिक लोगोंके बहुत कुछ अनुकूल हो गया है। नेपोलियनका भाग्योदय होना भी एक प्रकारसे उसके बहुत कुछ अनुकूल था। उसकी सेनामें बहुतसे ऐसे लोग मिल गये थे जो इंग्लैण्डसे बहुत नाराज थे। उसमें आयरिश कैथोलिक लोग भी बहुत अधिक थे। पिट आदिको भय होने लगा कि कहीं ये लोग इंग्लैण्ड पर आक्रमण न करा दें इस लिए कैथोलिक लोगोंको सन्तुष्ट करनेका प्रयत्न होने लगा। पर राजा तृतीय जार्ज कैथोलिक लोगोंका बहुत विरोधी था। जो मंत्री कैथोलिक लोगोंके पक्षमें होते थे उन्हें वह मन्त्रित्व पदसे अलग कर देता था। इसी लिए कैथोलिक लोगोंकी धार्मिक स्वतंत्रतामें इतना विलम्ब हुआ था। सन् १८१३ में जब ग्रंटनने पार्लमेंटमें बिल उपस्थित किया उस समय मुख्य प्रश्न यह उठा कि बिशपको राजा नियुक्त करे अथवा पोप। उस समय यदि कैथोलिक लोगोंने ग्रंटनकी बात मान ली होती और राजाको ही बिशपकी नियुक्तिका अधिकार दिया होता, तो जो अधिकार उन्हें आगे चलकर पन्द्रह वर्ष बाद मिले थे वे बहुत पहले ही मिल जाते। लेकिन ओकानेलको आगे सट्टा ष्करके कैथोलिक लोगोंने यह हठ किया कि बिशपको पोप ही नियुक्त करे। ग्रंटन मंत्रियोंको अपनी ओर मिलाना चाहता था, इस लिए उसने ओकानेलकी बात नहीं मानी। तब उसने ग्रंटनकी निन्दा करना आरम्भ किया। उधर मंत्रियोंने पोपके सलाहकारोको मिलाकर यह आज्ञापत्र मँगवा लिया कि यदि कैथोलिक लोग पूरी स्वतंत्रता चाहते हों तो बिशपकी नियुक्तिका अधिकार राजाके हाथमें ही रहने दे। तब वे पोपके भी विरोधी हो गये

और कहने लगे कि स्वयं पोपको ही अपने अधिकार नष्ट करनेका कोई अधिकार नहीं है। पोपके सलाहकारोंमें कुछ लोग कैथोलिक लोगोंकी तरफके भी थे, इस लिए उन्होंने फिरसे प्रयत्न करके पहला आज्ञापत्र रद्द करा दिया। तबसे ओकानेल समझने लगा कि मेरी शक्ति अमोघ हो गई है।

इतनेमें ही उधर युरोपकी परिस्थिति बिलकुल बदल गई। नेपोलियन परास्त हो गया और इंग्लैण्ड पर आक्रमण होनेकी आशका न रह गई। तब मंत्रियोंने निश्चिन्त होकर कैथोलिक लोगोंसे कह दिया कि यदि तुम लोग आधे अधिकार नहीं लेते हो तो हम तुम्हें कुछ भी नहीं देते। और साथ ही कैथोलिक एसोसिएशनको नियमविरुद्ध बतला कर तोड़ दिया। इस प्रकार जो काम एक बार विगडा उसके फिरसे बननेमें चौदह वर्ष लगे और इसके लिए इतिहासकारोंने ओकानेलको ही दोषी बतलाया है। पर ओकानेलकी ओरसे कहा जाता है कि उस समय इस झगडेको शान्त करना इष्ट नहीं था, बल्कि उसे चलाये चलना ही इष्ट था। क्योंकि यदि अधिकार पहले ही मिल जाते तो लोगोंमें उतना जोश न रह जाता और स्वतंत्र पार्लमेंट प्राप्त करनेकी ओर उनका ध्यान न जाता। लेकिन यह युक्तिवाद ठीक नहीं है, क्योंकि न तो मिलते हुए अधिकारको छोड़ देना ही ठीक है और न एक कामका जोश दूसरे काममें आ सकता है, और इस बातका अनुभव आगे चलकर स्वयं ओकानेलको भी हो गया था। अस्तु। इसी जोशको काममें लानेके लिए उसने फिरसे आयर्लैण्डको स्वतंत्र करानेका प्रयत्न आरम्भ किया। उस समय घर पहला जोश काम न आया, उलटे पहले जो मत भेद लोगोंमें हो गया था वह कुछ बाधक हुआ। यद्यपि देशकी स्वतंत्रताके सम्बन्धमें लोगोंमें उतना अधिक मत-भेद न था तथापि पहलेके मत-भेदके कारण लोगोंमें मेल नहीं होता था। कैथोलिक लोगोंके प्रश्नका

भी खूब हुआ। ओकानेलकी स्थापितकीहुई एक सभा जब अधिकारी तोड़ देते थे तब वह दूसरे नामसे एक और सभा स्थापित करता था। उस समय कैथोलिक फण्डमें पचास हजार पाउण्ड आ गये थे और आठ लाख आदिमियोंके हस्ताक्षरसे एक प्रार्थनापत्र तैयार किया गया था। उस समय लार्ड कौनिग जो कैथोलिक लोगोंकी ओरसे पार्लमेण्टमें लड़ रहे थे, चाहते थे कि कैथोलिक एसोसिएशनका काम उद्दण्डतापूर्वक न हो, पर कैथोलिक लोग कुछ सुनते ही न थे। उसी अवसरपर जब वलेयर परगनेकी ओरके सभासदका स्थान पार्लमेण्टमें खाली हुआ तब लोगोंने बहुत धूमधामसे उसके चुनावके लिए प्रयत्न किया। इसके लिए टवलिनमें लोगोंने बारह दिनमें चौदह हजार पाउण्ड जमा किये। उस परगनेमें आठ हजार मतदाता थे। चुनावका काम पाँच दिन तक होता रहा। प्रबन्धके लिए वहाँ तीन सौ पुलिसके सिपाही और दो हजार सैनिक सिपाही रखे गये थे। पाँचवें दिन ओकानेलके प्रतिपक्षिणि उम्मेदवारी छोड़ दी और उसकी जीत हुई। उस समय लोगोंने उसके खूब जूलूस निकाले और उसे खूब बधाइयाँ दीं। इसके बाद ही पार्लमेण्टने एक कानून बनाकर वह पुराना कायदा तोड़ दिया, जिसके अनुसार-कैथोलिक लोगोंको सभासद होनेके समय शपथ खानी पड़ती थी। पर ओकानेलका चुनाव उस कानूनके बननेसे पहले ही हुआ था। इसलिए जब उसने शपथ खानेसे इकार किया तब उससे पार्लमेण्टसे निकल जानेके लिए कहा गया। उस समय उसने कुछ बहस भी की थी, पर उसके विरुद्ध अतिक्रम मत आये। वह फिर आयरलैण्ड पहुँचा और दोबारा उसका चुनाव हुआ, और सन् १८३० में वह पार्लमेण्टका सभासद हो गया। लेकिन इससे एक साल पहले ही कैथोलिक लोगोंको पूरी स्वतंत्रता मिल चुकी थी।

सन् १८३१ में यह कानून बना कि अधिकारोंके लिए झगडनेवाली कोई सभा स्थापित न हो सके। तब ओकानेलने तीन सौ आदिमियोंको

अपने यहाँ भोजन करनेके लिए बुलाया । इस पर वहनेसे समा करनेके अपराधमें उस पर मुकदमा चलाया गया । फैसलेसे पहले ही ओकानेल लण्डन गया । वहाँ उससे कहा गया कि यदि तुम स्वतन्त्र पार्लिमेण्टकी प्राप्तिके लिए प्रयत्न करना छोड़ दो तो तुमपरसे मुकदमा हटा लिया जाय । पर उसने यह बात नहीं मानी । उसी अगसर पर पार्लिमेण्टके सुधारके सम्बन्धका ( १८३२ वाला ) बिल पार्लिमेण्टमें उपस्थित था, जिस पर उसने बहुत ही अच्छा भाषण किया जिससे मंत्री लोग प्रसन्न हो गये । उधर अदालतने चतुराईसे फैसलेकी तारीख और भी बढ़ा दी । बीचमें ही सभा-विध्वंसक नियमकी मुद्दत खतम हो गई और उसके बाद वह मुकदमा उठा लिया गया ।

इसके उपरान्त ओकानेलने टाइथ कर और प्रोटेस्टेण्ट धर्म-मण्डलके सम्बन्धमें आन्दोलन किया और लोगोंको उपदेश दिया कि टाइथ कर मत दो और अगर उसके लिए किसीकी जमीन नीलाम हो तो उसे मत खरीदो । लोगोंने भी ऐसा ही किया, जिसके कारण सन् १८३२ में एक ही जिलेमें इस करके सम्बन्धमें नियमितसे नौ हजार अधिक अपराध हुए जिनमेंसे दो सौ केवल सून ये । इसके बाद पार्लिमेण्टके चुनावके समय उसने मतदाताओंको उनके अधिकारों और कर्तव्योंके सम्बन्धमें बहुतसी बातें समझाई और चुनावमें वह स्वयं, उसके दो लड़के और वींसियों साथी चुने गये । कैथोलिकोंके सुभीतेके लिए उसके उद्योगसे पार्लिमेण्टमें कई नये कानून तो बन गये, पर उनका बहुत दिनोंतक पालन नहीं हुआ । इसके साथ ही पार्लिमेण्टमें लोगोंके दमनके लिए भी बहुतसे नये नियम बने, जिनसे अधिकारियोंको सब तरहसे बल प्रयोग करनेका अधिकार मिल गया ।

सन् १८३४ में पार्लिमेण्टमें बहुतसे स्वातन्त्र्यवादी आयरिश सभासद हो गये । उस समय ओकानेलने राजाके सन्मुख उपस्थित करनेके लिए

अभिपेक्ष भी हो गया और उसके सिरपर मुकुट भी रख दिया गया ! उसके जीवनमें यही उसका सबसे बड़ा और अन्तिम सम्मान था ।

ऐसी सभामें भाषण करते समय नियमका ध्यान रहना बहुत ही कठिन होता है, पर बड़ी ही चतुराईसे उसने नियमकी सीमाका उल्लंघन न होने दिया । उस समय लोगोंने समझ लिया कि स्वयं तो कभी दगा-फसाद नहीं करना चाहिए, पर यदि अधिकारी अन्यायपूर्वक बलप्रयोग करें तो आत्म-रक्षाके लिए उन्हें छोड़ना भी न चाहिए, पर साथ ही लोग यह भी समझ गये थे कि कभी न कभी अधिकारियोंसे सशस्त्र होकर हमें लड़ना ही पड़ेगा । इस लिए समाचारपत्रोंतकमें अस्त्र-शस्त्र संग्रह करने, लड़ाईके लिए उपयुक्त स्थान चुनने और मोरचे आदि बॉम्बने तककी चर्चा होने लगी । लोग समझते थे कि अधिकारी अन्यायपूर्वक बलप्रयोग करेंगे ही ओर ओकानेल आज्ञा देगा लड़ जाओ, छोड़ो मत । लेकिन उन बेचारोंको क्या मालूम था कि ओकानेल पूरा शान्ततावादी है, वह कभी ऐसा न करेगा ।

लेकिन लोक-क्षोभका तार चढ़ाना जितना सहज होता है उसका उतारना उतना सहज नहीं होता । इस लिए लोग शान्त नहीं हुए । सात आठ महीने तक सहन करनेके उपरान्त अधिकारियोंने इंग्लैण्डमें शिकायत भेजी और पार्लिमेण्टमें प्रश्न होने लगे । सरकारने कह दिया कि चाहे जो हो, हम स्वतंत्र पार्लिमेण्ट नहीं देंगे । साथ ही विद्रोहकी आशकासे उसे दमन करनेके लिए सरकारने वहाँ पैतीस हजार सेना भी भेज दी और किलों और बुरजों आदि पर तोपें चढ़ने लगीं । उस समय ओकानेलने समझ लिया था कि सभाके अधिवेशन करना बोखेसे खाली नहीं है, पर उन्हें बन्द करनेके लिए उसे कोई कारण नहीं मिलता था । तब उसने निश्चय किया कि क्लार्लिफमें एक अभूतपूर्व सभा करके तब इसके अधिवेशन बन्द कर दिये जायँ । अधिकारियोंने यद्यपि समझ,

लिया था कि यह सभा अन्तिम है, पर तो भी उसे रोकनेके लिए उन्होंने गुप्तरूपसे आज्ञा दे दी थी। सभाका जो कार्य-क्रम था उसमें एक यह बात भी थी कि स्वयं-सेवक सवारोंकी पलटनोंको यह बतलाया जायगा कि सभाके अगसर पर क्या क्या करना चाहिए। वस, सरकारी वकीलोंने कह दिया कि इस प्रकार सैनिक ठाठ दिगाकर सरकारको लोग डराना चाहते हैं। पर यदि पहलेसे ही उसे रोकनेका प्रयत्न किया जाता तो बात बिगड़ जाती। इस लिए सभासे ठीक एक दिन पहले सन्ध्याके समय उसे रोकनेकी आज्ञा निकली। इस बातकी कुछ सुनगुन ओकानेलको पहले ही लग गई थी, इस लिए वह बहुत ही चिन्तित था और इसी बात पर विचार करनेके लिए सन्ध्या समय रिपीन्की प्रबन्धकारिणी सभाका अधिवेशन हो रहा था कि इतनेमें सभाको रोकनेकी आज्ञाका छपा हुआ कागज लेकर एक आदमी वहाँ पहुँच गया। उसे देखते ही सब लोग सन्न हो गये, बहुत देरतक किसीके मुँहसे कोई बात न निकली। पर थोड़ी ही देरमें कुछ युवक कहने लगे कि चाहे जो हो, सभा होनी ही चाहिए। तीस वर्षतक धैर्य-पूर्वक नियमानुमोदित आन्दोलनको व्यर्थ देखकर यदि कुछ युवकोंके मनमें यह रात उठी हो तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। पर बहुत कुछ सोच समझकर ओकानेलने कह दिया कि नहीं, सभा नहीं होनी चाहिए। सभाका प्रेडफार्म तुड़वा दिया गया और सभाके बट किये जानेके सम्बन्धमें बड़े बड़े विज्ञापन छपवाकर दूर दूर तक बँटवा और चिपकाव दिये गये। उधर अधिकारियोंने भी सूत्र तैयारियों की थीं। जगह जगह पर पुलिस और सेनाके मिपाही सडके कर दिये गये थे और उन्हें चौबीस घण्टेके लिए भोजन और कारतूस आदि दे दिये गये थे। दो तीन तोपें भी तैयार थीं। पर इन सबके उपयोगका आवश्यकता नहीं पड़ी। सब लोगोंको तुरन्त मालूम हो गया कि सभा नहीं होगी।

इधर इंग्लैंडमें अपील हुई। अपीलके फैसलेका समाचार आयरलैंड तक पहुँचानेके लिए भी एक खास जहाज तैयार था। अपीलमें वे लोग छोड़ दिये गये। उसका सालिसिटर कूदकर जहाज पर जा चटा और उस पर एक झण्डा लगा दिया गया जिस पर मोटे अक्षरोंमें लिखा था— 'ओकानेल छूट गया।' रातको ओकानेल और उसके साथी छूट गये और अपने अपने घर चले गये। दूसरे दिन लोग उन्हें फिर जेलके दरवाजे तक ले गये और वहाँसे उन लोगोंने जुलूस निकाला।

इसके बाद सरकारकी ओरसे कई ऐसी बातें हुईं, जिनसे रिपील सभाके नष्ट होनेकी नौबत आ गई। ओकानेलके लडके जानने निश्चय किया कि, जो लोग कसम खा लें कि हम कभी कोई नियमविरुद्ध कार्य न करेगे वे ही इस सभाके सभासद रह सकते हैं। इस लिए बहुतसे लोगोंने उस सभाको छोड़ दिया। उसी अवसर पर देशमें अकाल पड़ा। जब बड़े बड़े नेताओंने गरीबोंका कष्ट दूर करनेका कोई उपाय न किया तब वे लोग उन्हें गालियाँ देने लगे। कुछ लोग ऐसे भी सड़े हो गये जो कहने लगे कि ओकानेल रिपील सभाके रुपये खा जाता है और तरह तरहसे उसकी निन्दा करने लगे। उस समय ओकानेलका दिमाग भी कुछ खराब हो गया था। दो बरस बाद यह इंग्लैंड चला गया। पर वहाँ पार्लिमेण्टमें उसकी कुछ भी न चली। तब वह पहले पेरिस और फिर रोम गया। रोमसे लौटने पर १५ मार्च १८४७ को जनेवामे उसकी मृत्यु हो गई। उसके लडकेने उसके शवको आयरलैंड ले जाकर सूब धूमधामसे गाढा और सन् १८६९ में उसकी कब्र पर आयरिश लोगोंने चन्दा करके स्मारकरूप एक १६५ फुट ऊँचा स्तम्भ खड़ा किया।

ओकानेलमें गुण अधिक थे और दोष कम। वह कुछ सम्पन्न भी था। उसकी बकालत भी खूब चलती थी। वह बहुत ठाठसे रहता था।

उसके चार लडके, तीन लडकियाँ थीं - और बहुतसे दूसरे रिश्तेदार थे । वह स्वर्च भी खूब करता था, इसलिए लोगोंने कहा कि वह समाका धन खा जाता है । वह समाका हिसाब भी ठीक समय पर प्रकाशित न करता था । वह हर साल अपने लिए भी लोगोंसे कुछ चन्दा लिया करता था । चन्दा उगाहनेके समय उसके भक्त पत्रोंमें धन देकर उसकी खूब प्रशंसा करते थे और तब खूब चन्दा जमा करते थे । इस काममें हर साल पाँच हजार पाउण्ड रच होते थे और दस हजार पाउण्ड बच रहते थे । उसके प्रतिपक्षी उसे ' भारी मिखमंगा ' कहा करते थे । उसका यह काम शिष्टसम्मत नहीं था, इसीलिए लोगोंमें उसका आदर भी बहुत कम हो गया था । कैथोलिक लोगोंने भी स्वतंत्र होने पर उसे पचास हजार पाउण्ड दिये थे, पर इसके लिए वह दोषी नहीं था, क्यों कि इसी तरह और भी बहुतसे देशोंमें नेताओंको विशेष कार्य करनेके लिए धन मिला है । लेकिन उत्तम पक्ष यही है कि नेता किसी पर एक पैसेका भी बोझ न डालें और जैसे हो कष्ट सहकर भी अपना गुजारा करें । और नहीं तो अधिकसे अधिक केवल अपने निर्वाहके लिए लोगोंसे धन लिया करें । ग्रँटनको पचास हजार और पार्नेलको तीस हजार पाउण्ड मिले थे, पर इतनी बड़ी रकम पानेके बाद उन्होंने कभी धन एकत्र करनेका प्रयत्न नहीं किया था । पर ओकानेल तो हर साल चन्दा वसूल करता था, किन्तु इसमें भी सन्देह नहीं कि तीस-पैंतीस वर्ष तक उसने निरन्तर देशकी बहुत अच्छी सेवा की थी ।

आरम्भमें वह कुछ विपयी भी था, पर पीछे वह धार्मिक हो गया । वह लोगोंको विना समझे ब्रूझे गालियाँ भी खूब देता था । पार्लमेण्टमें बोलनेके समय भी वह औचित्यका ध्यान नहीं रखता था । यदि उसने इन्द्र युद्ध न करनेकी कसम न खाई होती तो वह बहुत ही पहले मर



चुका होता, क्योंकि पीछे बहुतसे लोगोंने उसे इन्द्र-युद्धके लिए ललकाग था। उसका स्वभाव अवश्य अच्छा था। वह कभी कभी लडकपन भी कर जाता था। उसमें रजोगुण और तमोगुण अधिक था। वह बुद्धिमान् तेजस्वी और बलिष्ठ था। सैर-शिकारका भी उसे शौक था। घोड़ेपर एक दिनमें वह साठ साठ मीलकी यात्रा करता था। पच्चीस वर्ष तक वह आयरलैण्डका सर्व प्रधान नेता था। उसके भक्तोंमें अशिक्षित और साधारण लोग ही अधिक थे। देशकार्यके लिए वह बहुत बड़े आदमियोंको उपयुक्त नहीं समझता था। कैथोलिक लोगोंको स्वतंत्रता दिलानेमें उसे जो सफलता हुई उसका कारण यह था कि उसके सम्बन्धके प्रश्नकी पहले ही बहुत कुछ मीमांसा हो चुकी थी और कई मंत्री भी उसके पक्षमें थे। पर रिपीलमें सफलता न होनेका कारण यह था कि आयरलैण्डमें ही इसके सम्बन्धमें मतभेद था और इंग्लैण्डवाले भी इसके विरुद्ध थे। इसीलिए उसके कई मित्रों और भक्तोंने कहा था कि यदि कैथोलिक लोगोंके स्वतंत्र होते ही उसका अन्त हो जाता तो बहुत अच्छा होता, क्यों कि उस दशामें उसे पीछेसे रिपीलसभाके सम्बन्धमें बदनाम न होना पडता। पर तो भी इसमें सन्देह नहीं कि वह एक, अलौकिक मनुष्य था और आयरलैण्डके लिए उसने बहुत कुछ काम किया था।

## ६ विलियम स्मिथ ओत्रायन।

ओत्रायनकी गिनती आयरलैण्डके उन्नीसवें शताब्दीके मध्यके अच्छे अच्छे नेताओंमें की जाती है। वह अच्छे घरानेका था। तेईस वर्षकी अवस्थामें सन् १८२६ में उसने पार्लिमेण्टमें प्रवेश किया था। सन् १८३० में उसने आयरलैण्डकी दरिद्रताके सम्बन्धमें एक बहुत अच्छा लेख प्रकाशित किया था। सन् १८४० में जब ओकानेलेने रिपीलका आन्दोलन आरम्भ किया उस समय यह उसमें

सम्मिलित नहीं हुआ । क्यों कि इसके मनमें ओकानेलके प्रति आदर नहीं था । पर सन् १८४४ में यह भी रिपील सभामें सम्मिलित हो गया । आगे जब ओकानेलके जेलसे छूटने पर युवकोंमें उसका आदर न रह गया तब ओब्रायन ही उन लोगोंका नेता बना । सन् १८४८ में युरोपके अन्य देशोंकी तरह आयरलैण्डमें भी विद्रोहकी सम्भावना थी । उससमय ओब्रायन और मीगर आदि नेताओंने पेरिस जाकर वहाँके प्रजापक्षीय नेताओंसे आयरलैण्डके लिए सहायता माँगी थी । पर उसमें इन लोगोंको भी उल्फटोनकी तरह निराश ही होना पड़ा था । इस आन्दोलन और प्रयत्नके सम्बन्धमें पार्लमेंटमें उसे यह भी कहना पड़ा था कि—“मैं इंग्लैण्डकी रानीका राज्य तो चाहता हूँ, पर आयरलैण्ड पर अंगरेजी पार्लमेंटका अधिकार नहीं चाहता । और इसीलिए मैं जन्मभर स्वतंत्र पार्लमेंटके लिए प्रयत्न करता रहूँगा, चाहे इसमें मेरे प्राण भी चले जायँ ।” मई १८४८ में उस पर लोगोको विद्रोहके लिए उत्तेजित करनेका अभियोग लगाया गया, पर ज्यूरियोंमें मतभेद हो जानेके कारण वह छूट गया । पीछे जब अधिकारियोंके अधिकार बढ़गये तब उन्होंने फिर उस पर हाथ साफ करना चाहा । लेकिन क्रियाके साथ प्रतिक्रिया भी बढ़ती जाती है, इसलिए ओब्रायन, टिलन, ओगार्मन, मीगर आदि नेताओंने लोगोंको खुले आम शस्त्र ग्रहण करनेका उपदेश देना आरम्भ किया । जुलाईमें इन लोगोंने तीन चार हजार आदमी भी इकट्ठे कर लिये, लेकिन इनके पास हथियार तीन-चारसौ ही थे और धन भी कुछ नहीं था । ओब्रायनने अपने पासका बहुत कुछ धन लगाया, पर ऐसे कामोंमें एक आदमीके धनसे क्या हो सकता था ? लोगोंने सहायता नहीं दी, जिससे इस सेनाका विद्रोह एक दो दिनसे अधिक नहीं ठहरा । प्रत्यक्ष लड़ाईके समय ओब्रायनके पास केवल दो सौ आदमी बच गये थे । अन्तमें अपने बचावके लिए वह भाग गया और उसे पकड़नेके लिए पाँच

सौ पाउण्डका इनाम मुकर्रर किया गया। वह एक स्टेशन पर टिकट खरीदनेके समय पकड़ा गया। मुकदमा चला और उसे फॉसीका हुकुम हुआ, पर अपीलसे काले पानीका ढण्ड मिला। मेरिथा टापूसे उसने एक बार भागनेका भी प्रयत्न किया था, पर वह भाग न सका। जब सन् १८५४ में १८४८ वाले विद्रोहके लोग छोड़े गये, तब वह भी छूट कर अपने घर पहुँचा। रास्तेमें मेलबोर्नमें, अंगरेजोंने उसका अच्छा आदर किया और एक हजार पाउण्ड मूल्यका एक सोनेका प्याला उसे नजर किया। युरोपमें कुछ दिन रह कर उसने राजकीय विषयों पर दो एक पुस्तकें लिखीं और १८५६ में वह फिर आयरलैंड पहुँचा। इसके उपरान्त उसने कोई विशेष कार्य नहीं किया। इसके बाद वह अमेरिका गया जहाँ उसने व्याख्यान आदि देकर थोड़ा बहुत लोकमत जाग्रत किया। सन् १८६४ में उसकी मृत्यु हो गई। वह अच्छा वक्ता तो नहीं था, पर उसकी स्वदेश-भक्तिमें कभी किसीको शक नहीं हुई। वह स्वार्थत्यागी भी था। उसने सन् १८४८ में अपनी सम्पत्ति पत्रोंके अधिकारमें कर दी थी, और उससे स्वयं वह केवल एक हजार रुपये साल लिया करता था। सुप्रसिद्ध इतिहासकार लेकेने उसके सम्बन्धमें बहुत अच्छा मत दिया है। उसने लिखा है कि यद्यपि १८४८ में विद्रोह करके उसने भूल की, लेकिन यह बात ध्यानमें रखनी चाहिए कि सच्चे हृदय और उत्साहसे काम करनेवाले लोग जब सभ प्रकारसे निराश हो जाते हैं तब उनसे स्वभावतः ऐसी भूलें हो जाया करती हैं। वह सच्चे हृदयसे देशसेवा करता था और व्यर्थ बटवढानेवाले लोगोंको बहुत बुरा समझता था। अन्तमें उसने यह भी समझ लिया था कि फ्रान्सीसियोंसे सहायता लेने अथवा कैथोलिक लोगोंकी केवल प्रधानता स्थापित करनेमें ही कोई लाभ नहीं है, बल्कि इसमें उलटे हानि ही है। यद्यपि उसकी ये बातें उस समय लोगोंको अप्रिय

मालूम हो सकती थी, और सम्भव था कि इससे उसकी जन्म भरकी कमाई हुई प्रतिष्ठा और लोकप्रियता नष्ट हो जाती, पर तो भी उसने इन बातोंकी परवा नहीं की। वह सदा सच्चाईसे लोगोंमें इसी मतका प्रसार करता रहा।

### ७ आइजिक बट ।

ओकानेलके बाद और पार्नेलसे पहले पार्लमेण्टमें आयरिश पक्षका यही नेता था। इसका जन्म एक प्रोटेस्टेण्ट घमोंप-देशकके घर १८१३ में हुआ था। बीस वर्षकी अवस्थामें इसे डबलिनके विश्वविद्यालयमें अर्थ-शास्त्रके प्रोफेसरका पद मिला था। १८३८ में वह बैरिस्टर हुआ और १८४२ में इसे 'कॉन्सिल' की पदवी मिली। १८४४ में जब डबलिनकी म्युनिसिपैलटीमें ओकानेलने रिपीलका प्रश्न उपस्थित कराया उस समय यह यूनियनिस्टर दलका नेता था। उस समय इसका भाषण बहुत ही उत्तम हुआ था। ओकानेलने भी उसकी बहुत प्रशंसा की थी, साथ ही यह भी कह दिया था कि जिस पक्षका तुम आज समर्थन कर रहे हो, आगे चलकर तुम उसीका सण्डन करोगे और स्वतंत्र पार्लमेंट माँगोगे, और १८७० में यही बात हुई भी।

वकालतमें उसने अच्छा नाम और धन कमाया था। १८५२ में उसने पार्लमेंटमें प्रवेश किया। १८४४ और १८४८ के मध्यमें आय-लैंडमें जितने राजनीतिक मुकदमें हुए, उनमेंसे अधिकांशमें यही वकील था। और फिर १८६०—७० के मध्यमें फीनियन लोगोंने जो उपद्रव किये थे उनके सम्बन्धमें भी स्वार्थत्यागपूर्वक इसने कुछ काम किया था। यह व्यक्ति-स्वातंत्र्यका बहुत बड़ा पक्षपाती था, और

कभी किसीको किसी पर अन्याय न करने देता था। फीनियन लोगोंके प्रति इसक मनमें कुछ सहानुभूति थी भी, क्योंकि यह देखता था कि दोनों देशोंकी पार्लमेंटोंके एक हो जानेसे साठ वर्षमें आयरलैण्डकी हानि ही अधिक हुई है। यह स्वयं नियमानुमोदित आन्दोलन करनेवाला था और पार्लमण्टके नियमोंसे अच्छी तरह परिचित था। वहाँ उसका आदर भी बहुत होता था। फीनियन उपद्रवके सम्बन्धमें जब सेकड़ों अपराधी जेल भेज दिये गये तब उन सबको छुड़ानेका प्रयत्न करनेके लिए जो 'एमनेस्टी एसोसिएशन' स्थापित हुई थी, उसका यह सभापति बनाया गया था और आगे चलकर यह रिपील आन्दोलनका भी नेता बन गया था।

१९ मई १८७० को डबलिनके एक होटलमें कैथोलिक और प्रोटेस्टेण्ट लोगोंकी एक प्राइवेट सभा देशकी राजकीय स्थिति पर विचार करनेके लिए हुई थी। उस सभाकी कार्रवाईसे यह बात सिद्ध होती थी कि विद्रोहके मार्गको तो लोग नहीं पसन्द करते, पर वे पूर्ण स्वतंत्रता अवश्य चाहते हैं और इस स्वतंत्रताके लिए दोनों पक्षोंने मिलकर नियमानुमोदित आन्दोलन करना निश्चय किया। उसमें स्वतंत्र पार्लमेण्टके लिए सबसे अधिक जोर बटने ही दिया था और इस प्रकार ओकानेलकी भविष्यवाणी पूरी की थी। फीनियन आन्दोलनका जिक्र करते हुए उक्त सभामें उसने कहा था—“राष्ट्रीय स्वतंत्रताके सम्बन्धमें जब सब लोग बोलने लगते हैं तब उनमेंसे कुछ लोग अविचार भी कर बैठते हैं, पर इसी कारण वे लोग बोलनेसे रोके नहीं जा सकते। नेताओंको चाहिए कि उनकी बातोंको उचित और नियमानुमोदित बनाकर राष्ट्रमें जोर लावें। इस कामको नाजुक समझ कर छोड़ नहीं देना चाहिए, बल्कि सावधानीसे दोष दूर करनेका प्रयत्न करना चाहिए। फीनियन लोग इसीलिए अत्याचारी हुए हैं कि नियमानु-

मोदित आन्दोलन करनेवाले नेताओंने अपने कर्तव्योंका उचित रीतिसे पालन नहीं किया ।” आइजिङ वटके केवल इसी भाषणसे सारा काम हो गया । सभी धर्मों, पन्थों और पक्षोंके लोगोंने एकमत होकर स्वतंत्र पार्लिमेण्ट मँगना निश्चय कर लिया और उसी तारीखसे ‘ होमरूल ’ के आन्दोलनका जन्म हुआ । १८७३ में हजारों आयरिश लोगोंके हस्ताक्षरसे एक निमंत्रणपत्र प्रकाशित किया गया और १८ नवम्बरसे चार दिन तक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ । सौ वर्ष पहले उसी स्थान पर चार्ल्समण्टके सभापतित्वमें स्वयं-सैनिकोंका सम्मेलन हुआ था जिसमें निश्चय हुआ था कि आयरिश पार्लिमेण्टपरसे ब्रिटिश पार्लिमेण्टकी हुक्मत उठा दी जाय । इस नये सम्मेलनमें देशके भिन्न भिन्न भागोंसे नौसौ प्रतिनिधि आये थे । उस अवसर पर ‘ होम गवर्नमेण्ट ’ नामकी पुरानी सभा तोड़ कर ‘ आयरिश होमरूल ’ नामकी एक नई सभा स्थापित की गई थी । १८७४ वाले पार्लिमेण्टके चुनावमें साठ होम रूलर सभासद चुने गये थे, जिनमें जान मार्टिन, मिचेल, हेनरी, विलियम शा, सर जान ग्रे आदि प्रधान थे और जिन सबका नेता वट था । सब लोग मिलकर होमरूलका काम करने लगे । पर वट उस समय तक बहुत बुढ़ा हो गया था और पार्लिमेण्टकी स्थिति भी काम करनेके विशेष अनुकूल नहीं थी । इसलिए धीरे धीरे वटके प्रति लोगोंका उत्साह और आदर कम हो चला और पार्लिमेण्टके उठते ही उसे पार्लिमेण्टमेंका नेतृत्व छोड़ देना पड़ा । इस सम्बन्धकी विशेष बातें आगे पार्लिमेण्टके चरित्रमें दी गई हैं । ५ मई १८७९ को वटकी मृत्यु हो गई ।

## ८ पार्नेल ।

दुन्नीसवीं शताब्दीमें ओकानेलके उपरान्त आयरिश लोगोंका प्रधान नेता पार्नेल ही हुआ । इसका घराना बहुत पुराना और प्रतिष्ठित था और उसमें बहुतसे अच्छे कवि और राजनीतिज्ञ हो गये हैं । जिस-समय आयरिश पार्लमेंट जोरों पर थी उससमय पार्नेलका एक पूर्वज मंत्रि-मण्डलमें था और उस पर अँगरेजी मंत्रिमंडल तथा आयरिश प्रजा दोनोंका ही समान रूपसे विश्वास था । आयरिश पार्लमेंटके टूटनेके समय उसके पूर्वजोंने राजपक्षसे सूब टकर ली थी । पार्नेलका दादा अँगरेजोंका बहुत बड़ा द्वेष था और उसने धार्मिक स्वतंत्रताके आन्दोलनमें ओकानेलको बहुत सहायता दी थी । पार्नेलकी माता भी बहुत सुयोग्य, साहसी और अच्छी राजनीतिज्ञ थी । उसके माता-पिता बहुत दिनोंतक अमेरिकामें रहे थे, इस लिए वह भी अँगरेजोंसे बहुत द्वेष रखती थी । पार्नेलमें तो यह द्वेष-बुद्धि पराकाष्ठा तक पहुँच गई थी । सूक्ष्म दृष्टिसे देखा जाय तो जान पड़ेगा कि पार्नेलमें राष्ट्रभाक्तीकी अपेक्षा अँगरेजोंके प्रति द्वेष-भाव ही अधिक था ।

पार्नेलके पूर्वजोंके पास बहुत बड़ी सम्पत्ति थी और जमींदारीसे उन्हें खासी आमदनी थी । डबलिनसे कुछ दूर पर राथड्रम नामक उनका एक गाँव था जहाँका सृष्टि-सौन्दर्य दर्शनीय था । आसपास नदी, जगल और पहाडियाँ थीं । वहीं २७ जून १८४६ को पार्नेलका जन्म हुआ था । बचपनमें वह गम्भीर और मितभाषी था और अधिक खेल-कूद पसन्द न करता था । स्कूलमें वह प्रायः लडकोंसे झगडनेके अति-रिक्त और कुछ न करता था । वह इतना हठी था कि समय पर कह देता था कि जो कुछ मैं कहता हूँ वही ठीक है और ग्रन्थ तथा शिक्षक दोनोंकी भूल है । लडकपनमें प्रायः और बड़े होने पर कभी कभी वह

सोए सोए भी उठकर चलने लगता था । वह शूर तो था, पर अकेले उसे डर लगता था ।

सन् १८६९ में बिना पदवी लिये और बिना शिक्षा-क्रम पूरा किये ही वह कैम्ब्रिजका कालिज छोड़कर घर चला आया था । उस समय एक शराबीसे मार पीट करनेके कारण वह कालिजसे कुछ दिनोंके लिए निकाल दिया गया था और उस वार जब वह घर आया तब फिर कभी लौट कर कालिज नहीं गया । उसमें न तो विशेष विद्या-प्रेम था और न कमानेके लिए पढनेकी जरूरत थी । वह खाना-पीना और सेर-शिकार ही करना जानता था । अँगरेजोंके साथ उसका द्वेष अवश्य था, पर उसे अपने देश तथा पूर्वजोंका पुराना इतिहास कुछ भी न मालूम था । वह सिर्फ इतना जानता था कि १७९८ में कुछ आयरिश देशभक्तोंने विद्रोह किया था । बीस वर्षकी अवस्थातक उसमें देश-भक्ति नाम मानको भी न दिखाई पडती थी ।

ऐसे आदमीका राजनीतिमें पढना एक बहुत ही विलक्षण बात है । सन् १८६७ में मेंचेस्टरमें जो मारपीट, फाँसियाँ और खून हुए थे, उन सबको अँगरेज लोग तो तिरस्कारपूर्वक 'हत्या' कहते थे और आयरिश लोग चिढ़कर कहते थे कि फीनियन लोग दिन दहाडे सशस्त्र और सावधान पुलिससे लडे है, उन्हें 'हत्यारा' कहना ठीक नहीं । पार्लेमेंटका राजनीतिमें तो कुछ दरल था ही नहीं; पर इस घटनाके सम्बन्धमें उसका भी यही मत था । अवसर पढने पर वह जोरसे फीनियन लोगोंके पक्षका समर्थन करता था । पर उसकी यह प्रवृत्ति क्षणिक ही होती थी । १८७३ में पार्लेमेंटके चुनावके समय उसमें तथा उसके भाई जानमें राजनीतिके प्रति कुछ अनुराग उत्पन्न हुआ । उसी समय सन लोगों और पक्षोंने मिलकर फीनियन कैदियोंको छुडानेका प्रयत्न आरम्भ किया जिससे लोगोंमें राजनीतिक एकता हो



चली । स्वतंत्र पार्लिमेण्टके लिए बट आन्दोलन करने लगा । लोगोंमें पार्लिमेण्टमें प्रवेश करके काम करनेकी इच्छा हुई । उसी समय पार्नेलके मनमें भी पार्लिमेण्टमें प्रवेश करनेकी समाई ।

पार्नेल अँगरेजोंका द्वेष था और द्वेष साधारणत दोष ही है, पर पार्नेलके लिए वह गुण हो गया । बट यद्यपि पार्लिमेंटमें काम करता था, पर न तो वह लडना-भिड़ना जानता था और न शिष्टताका व्यवहार छोड़ सकता था । इस कामके लिए पार्नेल सरीसा अँगरेजोंका द्वेषी ही अधिक उपयुक्त था और इसीलिए वह पार्लिमेंटमें प्रवेश करनेके कुछ ही दिनों बाद आयरिश पक्षका नेता हो गया । पहले १८७४ में पार्नेलने डबलिन नगरकी ओरसे सभासद होनेका प्रयत्न किया था, पर उसमें सफलता नहीं हुई । इसके अतिरिक्त उस समय उसे सार्वजनिक कार्य करना भी नहीं आता था । उसका पहला भाषण बिल्कुल ही बे-सिर-पैरका और प्रायः निरर्थक था । इसलिए लोगोंने उसकी हँसी उड़ाई थी । लेकिन दूसरे वर्ष अपने प्रतिष्ठित कुलके कारण वह मीथ प्रान्तकी ओरसे चुन लिया गया । उस समयके ५९ होमरूलर आयरिश सभासदोंका नेता बट था और वह पार्लिमेंटमें शिष्ट व्यवहार करता था, इस लिए अँगरेज उससे सुश थे । पर इससे उसके राष्ट्रका कोई हित न होता था । बल्कि जैसा कि ऐसे लोगोंके सम्बन्धमें प्रायः पीछेसे हुआ करता है, लोगोंके मनमें एक प्रकारका आदरमिश्रित अनादर उत्पन्न हो गया था । उन ५९ सभासदोंमें बिगर नामका एक भी सभासद था, जो यह समझता था कि मीठी और सीधी बातोंसे काम नहीं चलता और इसलिए वह कभी कभी कुछ बढ़कर बातें कह डाला करता था । उसके मनमें अँगरेजों और पार्लिमेंटके सम्बन्धमें कुछ भी आदर नहीं था, पर वह भी बकूता देना नहीं जानता था । जो मनमें आता था, वही वह उजड़ुपनसे कह चलता था । उसके भाषणसे अँगरेज लोग

खिजला जाते थे । पार्नेल कुछ जानता वृद्धता नहीं था। पर वह समझता था कि नियमोंका ज्ञान प्राप्त करनेका सबसे अच्छा उपाय नियमोंका उल्लंघन करना ही है, इसलिए उसने भी विंगरका ही अनुकरण किया और कुछ दिनोंमें वह उससे बहुत आगे बढ़ गया ।

२२ अप्रैल १८७५ को पार्नेल सभासद हुआ था, पर ३० जून तक उसे कुछ बोलनेका अवसर नहीं मिला । ३० जूनको जब होमरूल पर विचार हो रहा था तब एक अँगरेजने फीनियन लोगोंको सूनी कह डाला । इस पर पार्नेल बड़े आवेशमें आकर एक दमसे बोल उठा—“नहीं, यह शब्द ठीक नहीं है ।” उस अँगरेजने गम्भीरतापूर्वक कहा—“मुझे दुःख है कि खूनका समर्थन करनेवाला भी एक सभासद यहाँ है ।” सब लोग पार्नेलसे अपनी बात लौटा लेनेके लिए कहने लगे, पर पार्नेलने नहीं माना, बल्कि उलटे जोरोंसे अपने कथनका समर्थन किया, जिस पर आयरिश सभासदोंने सब तालियाँ पीटیں । यह बात यही तक रह गई । पर इसके कारण अँगरेजोंका ध्यान भी उसकी ओर गया और फीनियन लोगोंका भी । अँगरेज उससे चिढ़े और फीनियन उससे प्रसन्न हुए ।

सन् १८७७ से वह पार्लमेण्टके वादविवादमें अधिक सम्मिलित होने लगा । जहाँ तक होता वह नियमानुमोदित रीतिसे पार्लमेण्टके काममें अडचन डालता । अब वह सब बातें भी अच्छे ढंगसे कहने लगा था और सब तरहके ऊँच नीच पर भी खूब विचार करता था । वह और बट दोनों मिलकर अँगरेजोंको प्रायः चिढ़ाया और सिद्धाया करते थे, पर बटको यह बात पसन्द न थी । एक दिन दक्षिण आफ्रिकाके सम्बन्धमें एक बिल पर वादविवाद हो रहा था, इतनेमें पार्नेलके मुँहसे निकल गया कि—“इन्हीं सब कारणोंसे मन्त्रिमण्डलके काममें अडचन डालनेमें मुझे एक विशेष प्रकारका आनन्द होता है ।” वस, इसी पर

सर नार्थकोटने वादविवादके नियमोंमें बहुत कुछ परिवर्तन करा डाला । निश्चय हो गया कि अशिष्ट व्यवहार करनेवाला सभासद सभासे निकाल दिया जाय और व्यर्थ अडचन डालनेके लिए यदि कोई कुछ कहे तो उस पर विचार न किया जाय । परतो भी इन निश्चयोंका विशेष उपयोग नहीं हुआ । क्योंकि कानून बनानेवालोंकी सदा कानून तोड़ने-वालोंके सामने हार ही होती है । इसके चार ही दिन वाद एक वाद-विवाद-के लिए पार्लिमेण्टके सभासदोंको लगातार छब्बीस घण्टे तक माथापच्ची करनी पड़ी । इस कारण अंगरेज लोग तो पार्नेलसे द्वेष करने लगे और आयरलैंडमें उसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी । १८७८ में वह बटके स्थान-पर आयरिश होमरूल सभाका सभापति बनाया गया । इसमें फीनियन लोगोंने उसकी बहुत सहायता की । यद्यपि वह स्वयं फीनियन नहीं था, तथापि वह उनसे विरोध करना नहीं चाहता था और यथासाध्य अपने काममें उनसे उचित सहायता लेना चाहता था । फीनियन लोग तो कहते थे कि पार्लिमेण्ट खेलवाड है और वहाँ लोग समय बितानेके लिए जाते हैं; पर पार्नेल कहता था कि “केवल नियमविरुद्ध आन्दोलनसे आज तक कभी कोई काम नहीं हुआ । इसलिए तुम लोग अपना काम करो और हम अपना काम करें । कोई किसीके काममें अडचन न डाले । ” बट और ओकानेले भी प्रायः यही बात कही थी, पर तो भी वे लोग सार्वजनिक कामोंमें फीनियन लोगोंको मिलाना ठीक नहीं समझते थे । पर पार्नेल उनसे यथेष्ट मेल-मिलाप रखता था । वह उनसे काम तो ले लेता था, पर स्पष्ट उनके फेरमें न पड़ता था । इस प्रकार विना अधिक घनिष्ठताके ही उसने उन लोगोंकी प्रीति सम्पादित कर ली थी । साथ ही उसने आगे चलकर उन लोगोंको यह भी समझा दिया था कि हथियार उठानेसे कोई लाभ नहीं; क्योंकि हथियार उठाकर जान पर खेलनेवाले लोग बहुत ही थोड़े होते हैं और थोड़े आदमियोंका

आन्दोलन कभी सफल नहीं होता । इसलिए पार्लमेण्टमें आन्दोलन करना ही अधिक लाभदायक है । साथ ही उसने यह भी समझ लिया था कि साधारण जनसमाज राजनीतिके गूढ तत्त्वोंको नहीं समझ सकता । अतः ऐसी बातोंके लिए आन्दोलन करना चाहिए, जिनसे उसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध हो और इसी विचारसे उसने २१ अक्टूबर १८७९ को 'आयरिश लैण्ड लीग' नामक एक सभा स्थापित की । इस सभाका उद्देश्य यह था कि आयरिश खेतिहरोंके कष्ट कम करके अँगरेज जमींदारोंसे उनकी रक्षा की जाय और पार्लमेण्टसे ऐसे नियम बनवाये जायँ, जिनसे वे आगे चल कर अपनी जमीनके मालिक बन जायँ ।

दूसरे वर्ष पार्लमेण्ट लोर्गोंको इस सभाके उद्देश्य समझानेके लिए अमेरिका गया । वहाँ दो महीनेमें उसने प्रायः ग्यारह हजार मीलका प्रवास किया । वासठ शहरोंमें उसने व्याख्यान दिये और चार लाख रुपया चन्दा वसूल किया । वहाँ उसका सत्कार भी सूब हुआ और उक्त लीगकी एक शाखा भी स्थापित हो गई । उसी वर्ष अप्रैलमें वह तीन नगरोंकी ओरसे फिर पार्लमेण्टमें चुना गया । पार्लमेण्टमें पहुँचते ही उसने आयरिश खेतिहरोंका प्रश्न उठाया, जिसमें लैड लीगके आन्दोलनसे सहायता मिली । १९ सितम्बर १८८० को उसने एनिसमें व्याख्यान देकर खेतिहरोंको अँगरेजोंका बहिष्कार करनेका उपदेश दिया और तदनुसार सबसे पहले एक जमींदारके 'बॉयकोट' नामक मुस्ताफाका बहिष्कार हुआ । यहाँ तक कि उसके नोकरोंने भी उसका बहिष्कार कर दिया । इसी प्रकार और भी बहुतसे लोगोंका बहिष्कार हुआ । जगह जगह इसीके सम्बन्धमें व्याख्यान होने लगे । इस आन्दोलनको दवानेके लिए सरकारने पार्ले, डिलेन, विगर आदि चौदह नेताओं पर मुकदमा चलाया । इक्कीस दिन तक मुकदमा होनेके बाद ज्यूरियोंकी रायसे सब अभियुक्त छूट गये । इससे चिढ़ कर

आयर्लैण्डके वाइसराय लार्ड कूपरने पार्लमेण्टसे यह अधिकार प्राप्त कर लिया कि बिना अदालतमें भेजे ही लोग जेल भेज दिये जा सकें और तदनुसार १८८१ में सैकड़ों आदमी जेल भेज दिये गये ।

यद्यपि १८८० में ग्लैडस्टनने जमीनके सम्बन्धमें कुछ नये कानून बनवा दिये थे, पर उनका कुछ अज लोगोको मान्य नहीं था, इस लिए लैण्ड लीगने लोगोको यह उपदेश देना आरम्भ किया कि लोग स्वालम्बनपूर्वक पहलेकी तरह प्रयत्न और आदोलन करते रहे और इस लिए फिर दंगे-फसाद होने लगे । ग्लैडस्टनने पार्नेलके इस कृत्यका बहुत जोरोसे निषेध किया और उसे साथियो सहित जेल भेजना निश्चय किया । १२ अक्टूबर १८८१ को वह वारण्टके द्वारा पकड कर किलमाइनहमके जेलमें भेज दिया गया । पार्नेलने वहाँसे अपने आदमियोको कहला दिया कि यदि मैं शीघ्र ही जेलसे छूट गया तो मैं समझूंगा कि तुम लोगोंने अपने कर्तव्योका पालन नहीं किया, अर्थात् तुम लोग ऐसे कृत्य बराबर करते रहो जिससे सरकार मुझे मुक्त न करे । तदनुसार लैण्ड लीगने लोगोसे कहा कि खेतिहर लोग लगान देना विलकुल बन्द कर दें । इस सम्बन्धमें जो विज्ञापन प्रकाशित किया गया था उस पर पार्नेलके भी हस्ताक्षर थे, इस लिए लोगोमें उसका बहुत मान हुआ । उस आज्ञाको परम पवित्र समझ कर लोगोंने उसका पालन आरम्भ कर दिया, यहाँतक कि खेतिहरोकी पीडित स्त्रियो भी इसमें सम्मिलित हो गई । राजकीय अपराध दुगुने और तिगुने होने लगे । जगह जगह लैण्ड लीगकी शाखाये स्थापित हो गई । एकके जेल जाते ही दूसरा उसकी जगह आपसे आप तैयार हो जाता था । इन सब उपद्रवोको देखकर ग्लैडस्टन साहबने अपनी नीतिमें परिवर्तन करना निश्चित किया । ग्लैडस्टनने जेलमें जाकर पार्नेलसे भेट की और दोनोने मिलकर निश्चित किया कि जमीनके सम्बन्धमें १८८० वाले कानूनकी व्याप्ति पहलेकी

अपेक्षा अधिक विस्तृत हो, सेतिहरोपके फुटकर कर कम किये जायें और जब इन बातोंका रोना निश्चित हो जाय तब पार्नेल अपना घोषणापत्र लोटा ले । पार्नेलका कटना था कि इस प्रकार दगा फसाद आपसे आप कम हो जायगा । यद्यपि उसमें उसने अपने दृष्टनेकी शर्त नहीं लगाई थी, तथापि ग्लैडस्टन साहब समझते थे कि इसके उपरान्त उसे जेलमें रखना ठीक न होगा । इस निश्चयके उपरान्त मन्त्रिमंडलकी आज्ञासे वह छोड़ भी दिया गया । लेकिन आयरिश सेक्रेटरी मि० फॉर्स्टरको यह बात पसन्द न आई और उसने अपने पदसे इस्तीफा दे दिया । लेकिन जो निश्चय इतने कठिन परिश्रमसे हुआ था वह भी अधिक दिनोंतक न ठहरा । क्योंकि ६ मईको फीनिक्सपार्क नामक बागमें आयर्लैण्डके मुख्य सेक्रेटरी लार्ड फ्रेटरिक कॅन्डिश और मि० वर्कको कुछ दुष्टोंने उगियोंसे मार डाला । उस समय सारे इंग्लैण्डमें क्रोधकी बहुत अधिक ज्वाला भड़की और लोग मारे क्रोधके अन्धे हो गये । पार्नेलकी कीर्ति उससमय बहुत फेली हुई थी, क्योंकि उसने अपने आन्दोलनसे प्रधान मन्त्रीतककी नीति बदल दी थी । यद्यपि शान्ति रहती तो उसकी कीर्ति और भी बढ़ती । लेकिन कुछ दुष्टोंके इस दुष्कर्मसे सारा बना बनाया रेल विगड गया और पार्नेलको बहुत अधिक दुःख हुआ । उसने निश्चय किया कि अब नेतृत्वका काम छोड़ कर चुपचाप घर बैठना ही ठीक है । उसने ग्लैडस्टन साहबको पत्र भी लिखा कि अब मैं आयरिश सभासदोंके नेतृत्वसे इस्तीफा देना चाहता हूँ । लेकिन ग्लैडस्टन और चेंबरलेन आदिने सहानुभूति दिसलाते हुए उसे समझाया कि ऐसे अवसर पर इस्तीफा देना ठीक नहीं है, क्योंकि इससे लोगोंमें भ्रम फैलनेकी सम्भावना है । इस लिए इस्तीफेकी बात रह गई ।

६ मईको पार्नेल, डिलन और डेविटने आयरिश लोगोंके नाम एक घोषणापत्र निकाला जिसमें बहुत ही तिरस्कारपूर्वक उक्त हत्याका निषेध

किया गया था और उसे सबसे अधिक निकृष्ट अपराध बतलाया था । साथ ही यह भी कहा गया था कि जब तक अपराधी पकड़ा न जायगा और उसे कठोर दण्ड न मिलेगा तब तक आयरिश लोगोंके मुँह पर लगी हुई कालिख न मिटेगी । ८ मईको पार्नेल जब पार्लिमेंटमें गया तब बहुत ही उदास और खिन्न दिखाई पडता था । उसने एक छोटेसे भाषणमें हत्याका निषेध किया, पर साथ ही यह भी कह दिया कि यदि ऐसे अपराधोंके कारण अधिकारी लोग नये कड़े नियम बनावें तो इसमें आश्चर्य ही क्या है । इस दुर्घटनासे ग्लैडस्टन और पार्नेलको लज्जित होना पडा, पर फास्टर कुछ प्रसन्न था । उसी समय सर विलियम हार्कोर्टने राजकीय अपराधोंके सम्बन्धमें एक नया बिल उपस्थित किया, पर उसकी कुछ गारार्यें बहुत ही अन्यायमूलक थीं इस लिए आयरिश सभासदोंने उसका विरोध किया, कई दिनतक वादविवाद होता रहा । पार्लिमेंटके नियमोंका भंग करनेके कारण अव्यक्ष्ण अट्टारह आयरिश सभासदोंको मुअत्तल कर दिया । लेकिन उस समय भी ग्लैडस्टनने बड़े ही धैर्यसे सेतिहरोंके बाकी लगानके सम्बन्धमें एक बिल उपस्थित किया जो जुलाईमें पास हो गया । तो भी पार्नेलका दुःख कम नहीं हुआ । उसने आयर्लैण्ड जाकर लोगोंको राजकीय आन्दोलन कुछ समय तक बन्द रखनेकी सलाह दी । इस पर कुछ लोग उसे डरपोक और दबू समझने लगे और बहुतसे फीनियन लोग उससे चिढ़ कर अमेरिका चले गये । तथापि पार्नेल बिलकुल चुपचाप बैठना नहीं चाहता था । उसने कुछ दिनोंके लिए जमीनके सम्बन्धमें आन्दोलनको रोक कर होमरूलसम्बन्धी आन्दोलन करना चाहा । १६ अगस्तको डबलिनकी म्युनिसिपैलटीने उसे ' नागरिकताके अधिकार ' भेंट किये और उस अवसर पर उसने लोगोंके समाने अपने विचार प्रकट किये । १७ अक्टूबर १८८२ को नैशनल लीगकी स्थापना हुई । स्वतंत्र पार्लिमेंट

और भूमिका स्वामित्व उस समाका साध्य और नियमानुमोदित आन्दोलन साधन रमता गया । डिलन और डेविटको पार्नेलकी यह सौम्य नीति बुरी मालूम हुई, जिसके कारण उन लोगोंमें बीच-बीचमें झगड़े होने लगे । उसके अदूरदर्शी अनुयायियोंने यह नहीं समझा कि जिस प्रकार गायक या वक्ताको समय-समय पर अपना स्वर उतारना और चढ़ाना पडता है उसी प्रकार राजकीय नेताओंको भी चढ़ाना और उतारना पडता है, और इसलिए वे उसकी निन्दा करने लगे ।

पार्लमेण्टमें फास्टर आदिने पार्नेल पर खूब वौठारों की थीं, लेकिन पार्नेलने उनकी कुठ भी परवा न की और न आगे चलकर उसने केवल राजभक्ति दिखलानेके लिए अत्याचारोंका व्यर्थ निषेध ही किया । उसका मत था कि देशमें शान्ति रखना और अपराध न होने देना सरकारका कर्तव्य है, लोगोंको व्यर्थ दोष देना ठीक नहीं । दूसरे वर्ष पार्लमेण्टके चुनाव तथा दूसरे खर्चोंके लिए आयरिश लोगोंने चन्दा करके उसे तीस हजार पाउण्ड देकर अपनी कृतज्ञता प्रकट की । १८८५ में जब पार्लमेण्टमें टोरी दलका बहुमत हुआ तब उसने लिबरल दलकी सहायतासे टोरी मन्त्रि-मण्डलको दिक करना शुरू किया । उस समय टोरी और लिबरल दोनों दल प्रायः बराबर बराबर ही थे, और जिस ओर आयरिश दल मिल जाता या वही पक्ष भारी हो जाता था । इसलिए बारी-बारीसे प्रत्येक पक्षकी सहायता करके उन्हें चढ़ाने उतारनेमें पार्नेलको खूब आनन्द आता था और साथ ही उसके राष्ट्रका बहुत कुठ लाभ भी होता था आयरिश लोगोंके उपकारका स्मरण करके टोरी मन्त्रि-मण्डलने १८८५ में दमनकारक नियमोंकी वार्षिक पुनरावृत्ति नहीं की । इसके बाद जब नये चुनावका समय आया तब मतदाताओंके सामने व्याख्यान देते हुए लिबरल राजनीतिज्ञों और विशेषतः ग्लेडस्टन साहबने यह झलका दिया कि आयरिश होमरूलका प्रश्न शीघ्र ही पार्लमेण्टमें उपस्थित किया



जायगा। उस चुनावमें ३३५ लिबरल और २४९ कन्सर्वेटिव चुने गये। अर्थात् ग्लैडस्टन साहबके पक्षमें ८६ मत अधिक थे, और १०३ आयरिश सभासदोंमें ८५ होमरूलर और एक साथ मिलकर काम करनेवाले थे। इसलिए वह जिस पक्षमें मिल जाता उसीकी जीत होती। अपने पक्षकी सत्ताको बनाये रखनेके लिए ग्लैडस्टन साहबने ८ अप्रैल १८८६ को पार्लिमेण्टमें आयरिश होमरूल बिल उपास्थित किया। लेकिन लिबरल दलमें ही इस विषयमें मतभेद हो गया। कुछ लिबरल मेम्बरोने तो यहाँतक निश्चय कर लिया कि चाहे लिबरल दल अधिकारच्युत हो जाय, पर यह बिल पास न हो। अतः ३१३ अनुकूल और ३४३ विरुद्ध मतोंके कारण ७ जूनको वह बिल रद्द हो गया। लिबरल मन्त्रिमण्डलने इस्तीफा दे दिया और फिर चुनावकी धूम मची। इस पराभवके कारण पार्नेल बहुत दुःखी हुआ। तो भी उसके शत्रु और मित्र सभी यह कहने लगे कि ५० वर्षमें आयरिश नेताओंने जितना काम नहीं किया था उतना अकेले पार्नेलने दस वर्षमें कर डाला। नये चुनावमें फिर होमरूलके पक्षपाती ५८ सभासद चुने गये। नई पार्लिमेण्टमें जमीनके सम्बन्धमें पार्नेलने जो बिल उपास्थित किया था वह पास नहीं हुआ, तो भी विलियम ओत्रायन आदि युवक नेता उसके सम्बन्धमें आन्दोलन करते रहे। दुर्भाग्यवश अनाजके सस्ते हो जानेके कारण उस वर्ष सेतिहरोको घाटा हुआ और फिरसे दगा-फसाद होने लगा, पर पहलेका सा जोर इस बार नहीं रह गया था।

टाइम्स पत्र पार्नेलका बड़ा विरोधी था। समय समय पर वह यही सिद्ध करनेका प्रयत्न किया करता था कि देशमें नेताओंके कारण ही अत्याचार और उपद्रव होते हैं। सन् १८८७ में पिगट नामक एक देशद्रोही अधम व्यक्तिने पार्नेलको परेशान करनेके लिए उसके

नामकी कुछ जाली चिट्ठियाँ तैयार कीं और उनमेंसे दो एक पत्रों पर पानेल्के जाली दस्तरत भी बना लिये । उन पत्रोंमें ऐसी बातें लिखी थीं, जिनसे सिद्ध होता था कि पानेल् फ़ानिम्स पार्कवाली हत्याओंका पक्षपाती और समर्थक है । उसने टाइम्सके सम्पादकोंसे कहा कि बड़ी कठिनतासे ये पत्र मुझे अमेरिकामें मिले हैं, और उन्हें बहका कर ८५० पाउण्ड पर वे पत्र उनके हाथ उसने बेच डाले । टाइम्सने बड़ी प्रसन्नतासे और बड़े जोरदार लेखोंके साथ उन पत्रोंको छाप डाला । उनमेंसे एकमें लिखा था —

“आपके मित्रके नाराज हो जानेसे मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि आपको और उन्हें यह बात ध्यानमें रखनी चाहिए कि हत्याका स्पष्ट रूपसे निषेध करनेके अतिरिक्त मेरे लिए और कोई मार्ग ही नहीं था । हत्याका निषेध तत्काल करना ही उस समय वास्तविक बुद्धिमत्ताका काम था । लेकिन मे तुम्हें यह बतला देना चाहता हूँ कि लार्ड कैवेंडिशके अकारण मारे जानेका मुझे कुछ दुःख है । हाँ, बर्कको उचित दण्ड मिला । मेरी समझमें उसमें कोई अनुचित बात नहीं हुई । मेरा यह मत आप जिन लोगोंको जतलाना उचित समझे उन्हें प्रसन्नतापूर्वक जतला दें और जिन लोगों पर आपका विश्वास हो उन्हें यह पत्र दिसला दें, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है । पर मेरा पता आप कभी किसीको न बतलावें ।

भन्दीय—

चार्ल्स स्टुअर्ट पानेल् ।”

१८ अप्रैलको उक्त पत्र प्रकाशित हुआ और सन्ध्याको उसे इसका पता लगा । उसी समय पार्लमेण्टमें पहुँचकर गम्भीरतापूर्वक उसने कह दिया कि यह पत्र बनावटी है, जिससे उसके विरोधियोंको भी चुप रहना पडा । लेकिन पानेल् और टाइम्स दोनोंकी प्रतिष्ठा बराबर

थी, इसलिए पार्नेलको अपनी निर्दोषताके प्रमाण देनेकी आवश्यकता थी। तीन महीने तक इस सम्बन्धमें कुछ भी न हुआ। इसके उपरान्त सरकारी वकील सर रिचर्ड वेव्स्टरने पार्नेल पर फिर वही पुराना अभियोग आरोपित किया और कहा कि आयरिश नेता अत्याचार कराते हैं। तब पार्नेलने कहा कि पार्लमेण्ट इस अभियोगकी जाँचके लिए एक कमेटी स्थापित करे। कमेटी तो नहीं बनाई गई, पर तीन न्यायाधीशोंका एक स्वतंत्र कमीशन इस सम्बन्धमें जाँच करनेके लिए नियुक्त हुआ। पार्नेलको और अभियोगोंकी तो कोई चिन्ता नहीं थी, पर उक्त पत्रको जाली प्रमाणित करनेकी उसे बहुत चिन्ता थी और वह जाल बनानेवालेको गिरिफ्तार कराना चाहता था। उस पत्रमें कुछ अक्षर पार्नेलके लेखसे भिन्न और दो एक शब्द विलकुल अशुद्ध लिखे हुए थे। उन्हींसे लेखकका पता लगाना आवश्यक था। पार्नेलके सहकारी और लैण्ड लीगके एक सेक्रेटरी पैट्रिक ईगनके पास पिगटके लिखे हुए कुछ पत्र थे, जिनमें वैसी ही मूर्छें थीं। इसी आधार पर पिगट तलब किया गया और २० फरवरी १८८९ को कमीशनके सामने उसका इजहार हुआ। उस अवसर पर पार्नेलके वकील सर चार्ल्स रसलने उससे स्पष्ट शब्दोंमें तो नहीं, पर हेर फेरसे यह अवश्य स्वीकार करा लिया कि मैंने ये पत्र जाली बनाये हैं। उसी समय पिगटका उतरा हुआ चेहरा और घबराहट देखकर सब लोगोंने असली मामला समझ लिया। उस दिनके वादसे अदालतमें दर्शकोंकी भीड़ भी कम होने लगी। २६ फरवरीको उससे न्यायालयमें उपास्थित होनेके लिए कहा गया था, पर उस दिन वह नहीं आया। उसने अदालतमें लिखकर भेज दिया कि मैंने यह जाल किया है। पिगटके नाम वारण्ट निकला, और जब वारण्ट उसके पास पहुँचा तब उसने पिस्तौलसे आत्महत्या कर ली। पिगट सदा देशद्रोही कार्य्य करके और लोगोंको धमकाके रुपये वसूल किया करता था। इस लिए इस प्रकार उसका मर जाना अच्छा ही हुआ।

१३ फरवरी १८९० को कमीशनने जो रिपोर्ट तैयार की उसमें आन्दोलनके सम्बन्धमें अन्यान्य अभियोगोंको तो उसके प्रमाणित रक्खा पर यह अवश्य कह दिया कि फीनिक्स पार्कवाले और दूसरे अत्याचारोंके साथ पार्नेल आदिका कोई सम्बन्ध नहीं था और न लैण्ड लोग आदिके सार्वजनिक कोषसे इन अत्याचारोंके लिए आर्थिक सहायता दी जाती थी । चारों और पार्नेलका खूब अभिनन्दन होने लगा । बड़े बड़े लिबरल राजनीतिज्ञ बुलाबुलाकर उसका आदर करने लगे । इस प्रकार शत्रु और मित्र दोनों ही उसे मानने लगे और उसका यश बहुत बढ़ गया । पर शीघ्र ही उसके इस यशका हास भी होने लगा । यद्यपि इसके उपरात वह दो ही वर्ष जीवित रहा, पर यह समय उसके लिए बहुत ही दुःखद और चिन्ताजनक हुआ । २४ दिसबर १८८९ को कैप्टन ओशिया नामक एक आयरिश सभासदने न्यायालयमें उस पर यह अभियोग लगाया कि मेरी स्त्रीसे इसका अनुचित सम्बन्ध है और कहा कि इसी लिए मैं अपनी स्त्रीको तलाक देना चाहता हूँ । तबसे लोकमतका प्रवाह उसके विरुद्ध हो गया । उसकी बहुत बदनामी हुई, जिससे उसके शत्रु बहुत प्रसन्न हुए । उसने इस मुकदमेके सम्बन्धमें कुछ भी न किया और ओशियाकी डिग्री हो गई । अब चारों ओरसे सब लोग उससे कहन लगे कि तुम अपना नेतृत्व और होमरूलके आन्दोलनसे सम्बन्ध छोड़ दो । उनमेंसे कुछ तो उसके शत्रु थे और कुछ पापमीरु और सच्चे लोग थे, और ग्लेडस्टन साहब उनमेंसे एक थे । यद्यपि निजके और, सार्वजनिक आचरणका सम्बन्ध जोड़नेके लिए कुछ नियमित मर्यादा होनी चाहिए, तथापि होमरूलसरीखे महत्त्वपूर्ण कामके साथ उसके सम्बन्ध होनेके कारण बड़े बड़े योग्य मनुष्योंने उसे सार्वजनिक कार्य छोड़ देनेके लिए कहा । वह होमरूलके आन्दोलनसे अलग नहीं होना चाहता था और इसके लिए तीन कारण बतलाता था । एक तो यह कि आज-

तक मैंने देशकी जो सेवा की है उसे देखते हुए मुझे अलग होनेके लिए कहना ठीक नहीं है, क्योंकि राजकीय विषयोंमें सारासारका विचार करनेकी पात्रता मुझमें अब तक है। दूसरे यह कि अँगरेज मुझसे भले ही अलग हो जानेके लिए कहें, पर आयरिश लोगोंको उनका अनुकरण करना मानों अपनी दुर्बलता प्रकट करना है। अँगरेजोंका तो इसीमें कत्याण है, पर आयरिश लोगोंको अपना हानि लाभ सोचना चाहिए। तीसरे यह कि होमरूलके सम्बन्धमें आन्दोलनमें बहुत कुछ सफलता हो रही है, ऐसे अवसर पर यदि उसका काम किसी दूसरेके हाथमें चला जायगा तो उक्त आन्दोलनका अहित होगा। लेकिन उस समय यह निश्चय करना कठिन था कि इन बातोंमें कितनी सत्यता है और पार्नेल इसमें कर्हातक अपने स्वार्थका ध्यान रखता है। तो भी उसके अनुयायियोंमें दो दल हो गये। डिलन, ओब्रायन, ओकोनर मेकार्थी, हीली आदि दूसरी श्रेणीके नेताओका पहले यह मत था कि पार्नेलको पदभ्रष्ट न किया जाय। लेकिन पीछे आयलेण्ड और इलेण्ड दोनों देशोंके बड़े बड़े सदाचारी, नीतिमान् और सद्दर्मशील पुरुषोंने उसे पदभ्रष्ट करनेकी ही सम्मति दी। ग्लैडस्टनने तो इसके लिए यर्हातक उद्योग किया कि 'स्टेण्डर्ड' में एक पत्र भी अपने नामसे छपवा दिया, जिसके उत्तरमें पार्नेलने 'शेथ कोपेन पूरयेत्' के न्यायानुसार उनको तथा लिबरल पक्षको बहुतसी उलटी सीधी बातें कह सुनाई। अन्तको १ दिसबरको पार्लिमेण्टके एक दालानमें आयरिश सभासदोंकी एक अलग सभा हुई जिसमें स्वयं पार्नेल ही सभापति हुआ। एक सभासदने प्रस्ताव किया कि अब पार्नेल नेता न रहे, पर उसने कुछ औपचारिक कारण लगाकर वह प्रस्ताव रद्द कर दिया। इसके बाद यह कहा गया कि इस वाद्ग्रस्त विषयपर विचार करनेके लिए डबलिनमें एक सभा हो, पर बहुमतसे यह भी अम्बीकृत हुआ। और तब यह निश्चय हुआ कि

पहले यह अच्छी तरह समझ लिया जाय कि पानेलको पदभ्रष्ट करनेसे आयरिश लोगोंको ग्लेडस्टन साहब देंगे क्या, और तब उसे पदभ्रष्ट किया जाय । लेकिन यह लोगोंको चढ़मा देना ही था । क्योंकि ग्लेडस्टन साहब होमरूलके सम्बन्धमें पहलेसे ही कोई वचन तो दे नहीं सकते थे । अन्तु । एक डेप्युटेशन ग्लेडस्टनके पास गया । उन्होने केवल इतना उत्तर दिया कि होमरूल बिल शीघ्र ही उपास्थित किया जायगा, उस समय सब बातें लोगोंको मालूम हो जायेंगी । इसके बाद फिर आयरिश सभासदोंकी सभा हुई, पर उसमें झगडा होनेके कारण मेकार्थरके साथ २६ सभासद उठकर चले गये । इस प्रकार पानेलकी जीत तो हो गई, पर उससे प्रश्नकी मीमांसा नहीं हुई । जिस अन्त-कलहके लिए आयलैंड इतना प्रसिद्ध है वही आगे चलकर फिर सारे देशमें फैली हुई दिसाई वी । डेविट, टिलन आदि पानेलके नेतृत्वसे निकल गये । आयलैंडमें उसे केवल फीनियन युवकोंका भरोसा रह गया था । रेंडमण्डसरसे भी कुछ अनुयायी थे, जो उसे मरण-पर्यन्त नहीं छोड़ना चाहते थे । इस लिए गाँव गाँवमें उसके पक्षपाती और विरोधी दोनो दल खड़े हो गये । डेविट सरसे लोग जो पहले स्वय-फीनियन लोगोंमें सम्मिलित थे कहने लगे कि पानेल फीनियन लोगोंको उत्तेजित करके देशमें उपद्रव सडा करता है । इसी प्रकार एक वर्ष तक और भी बहुत सी बातों पर कहा सुनी होती रही । पानेलने पद-भ्रष्ट न होनेके लिए सैकड़ों कारण दिये पर फल कुछ भी न हुआ । लेकिन एकबार गई हुई बात फिर हाथ नहीं आती । इसी बीचमें ३१ सितंबर १८९१ को वह बीमार पडा और १० अक्टूबरको इग्लेण्डमें ही मर गया । उसकी लाश दूसरे दिन आयलैंड लाई गई और बड़े स-मारोहसे लाखों आठमियोंकी मौजूदगीमें उरून वी गई ।

पानेल बहुत ही योग्य, बुद्धिमान और चलता हुआ आदमी था,

पर वह अच्छा वक्ता नहीं था। विद्वत्ता भी उसमें विलकुल नहीं थी, वह इतिहास भी कुछ नहीं जानता था। तो भी अपने समयके सब नेताओंसे वह केवल इसीलिए बढ गया था कि उसमें अँगरेजोंके प्रति द्वेष बहुत अधिक था, और जिस समय वह राजनीतिक क्षेत्रमें उतरा वह समय ऐसा था कि सब लोग अँगरेजोंके द्वेषकी बात माननेके लिए तैयार रहते थे। अँगरेजोंसे द्वेष करनेवाले और भी बहुतसे लोग थे, पर आदर उसीका हो सकता था जो आन्दोलनके मुख्य केन्द्र पार्लमेंटमें वह द्वेष प्रकट करनेका साहस करता। लोगोंको यद्यपि पार्लमेंटसे कुछ आशा न रह गई थी, तो भी उसकी हँसी उड़ाना लोगोंको बहुत पसन्द था। और पार्नेलको यह काम खूब आता था। उसने केवल यही देश-सेवा की कि पार्लमेंटका ध्यान बलपूर्वक आयर्लैण्डकी ओर आकृष्ट किया। उससे पहले पार्लमेंटके नक्कारखानेमें आयर्लैण्डकी तूतीकी आवाज कोई नहीं सुनता था। लेकिन यह बात बहुत ही महत्त्वपूर्ण है कि कुछ समयके लिए उसने पार्लमेंटका नक्कारा बन्द कर दिया और अपनी तूती ससारको सुना दी। आयरिश सभासदोंका पहले पार्लमेंटमें रहना और न रहना दोनों बराबर होता था, पर पार्नेलने पार्लमेंटमें पहुँचकर हलचल मचा दी थी। वह भरी सभामें वेधडक होकर अँगरेजोंको फटकार बताता था और इसीलिए उसका इतना यश हुआ। वह परिस्थितिको खूब ताड लेता था और सबसे अधिक अनुकूल उपाय निकाल लेता था। वह बहुत थोड़ी बातें कहता था, पर लोग उन थोड़ी बातोंको ही विशेष और महत्त्वपूर्ण समझते थे। वह पहलेसे अपने विचार प्रकट नहीं करता था, पर जब जो कुछ कह देता था वह बज्रलेप हो जाता था। किसीकी बातमें आकर वह अपना मत या विचार नहीं बदलता था, सब प्रश्नोंकी मीमासा स्वयं ही करता था। वह आयरिश सभासदोंको अपने अधिकारमें रखकर अँगरेजोंको तग करता था। उसने समझ लिया था कि बिना कुचेष्टाके प्रतिष्ठा

नहीं बढ़ती, ओर इसीलिए सबका ध्यान उसकी ओर लगा रहता था । वह लोगोंमें अपना आदर कराना नहीं चाहता था । उसे केवल द्वेषकी धुन सवार थी । विद्या, कला, धैर्य, नीति, परोपकार आदिसे उसका कोई सरोकार नहीं था । राजनीतिक कार्योंको छोड़कर समाज-हितका और कोई कार्य उसने नहीं किया । तो भी उसने जो कुछ किया उससे उसके राष्ट्रका हित अवश्य हुआ ।

ओकानेल और पार्नेलका साधर्म्य भी ध्यानमें रखने योग्य है । दोनों ही पार्लमेंटमें नियमानुमोदित आन्दोलन करनेवाले थे, और उसीके द्वारा वे सन काम करना चाहते थे । लेकिन दोनों ही समझते थे कि पार्लमेंट हमारे शत्रुओंसे भरी हुई है, इसलिए वे कानूनको खींच तान कर लड़ते थे । दोनों ही निर्भय होकर भरी सभा पर टूट पड़ते थे । लेकिन दोनोंमें अन्तर बहुत था । ओकानेल अधिक बुद्धिमान था और लोगोंके साथ खूब मिल-जुल कर काम करता था । यों तो सारा आय-लैंड उसका साथ देता था, पर पार्लमेंटमें ३०-४० सभासद ही उसके सहायक थे । पर पार्नेलके आज्ञाकारी ८० सभासद थे । ओकानेल लोगोंमें राजभक्ति उत्पन्न करना भी खूब जानता था और जब चाहता था तब उन्हें विद्रोहके लिए भी तैयार कर लेता था । पर पार्नेलका सिद्धान्त सदा एकसा रहता था । वह समझता था कि विना खूब झगड़े कुछ भी नहीं मिल सकता । तो भी वह कभी कोई काम नियम-विरुद्ध नहीं करता था । हाँ नियम-विरुद्ध काम करनेवालोंसे अपने काममें सहायता अवश्य लेता था । पर ओकानेल उनसे बात करना भी पसन्द नहीं करता था । ओकानेल लोगोंको अपने अनुकूल करता था और पार्नेल स्वयं लोकमतके अनुकूल चलता था । पार्नेलकी पार्लमेंटके सभी सभासद खुशामद करते थे । ओकानेल हँसता हुआ पार्लमेंटमें जाता था और पार्नेल सिन्न-बदन होकर । ओकानेल इंग्लैण्ड और आयर्लैण्डका सम्बन्ध



रखना चाहता था पर पार्नेलका उस ओर ध्यान ही नहीं था। ओकानेलका मत था कि इंग्लैण्डके साथ सद्भाव रखकर स्वतंत्र पार्लमेण्ट प्राप्त की जाय, पर पार्नेलका मत था कि आयरिश लोग जो कुछ मँगें वह इंग्लैण्डको देना पड़े। ओकानेलकी तरह पार्नेल खुले-आम गुप्त सभाओंका विरोध नहीं करता था, बल्कि उसकी समझमें उन्हें दवाना सिर्फ सरकारका काम था। वह कहता था कि बिना आयरिश नेताओंकी सहायताके तीन सौ वर्ष तक राज्य करके भी यदि अँगरेज लोग ज्ञान्ति नहीं रख सके तो उन्हें राज्य छोड़कर अलग हो जाना चाहिए और देशको नेताओंके संपुर्ण कर देना चाहिए। ओकानेलके विरुद्ध उसका यह भी मत था कि जब तक अनुग्रह करनेके साधन हमारे पास न हों तब तक हम व्यर्थ निग्रहके झगडेमें क्यों पड़ें ?

पार्नेलके समय आयरिश पक्ष सबसे अधिक प्रबल था। १८९० वाली दलबन्दीसे पहले आयरिश सभासदोंमें उसने सूब एक्ता रमती थी। उसके अनुयायी अच्छे अच्छे विद्वान्, वक्ता और लेखक थे। पर ओकानेलके जैसे साथी नहीं थे, उसे आकाश कार्य अकेले ही करने पड़ते थे। पर पार्लमेण्टमें पार्नेलकी मण्डली कभी कभी भारी पड़ती थी और इसी लिए उसके प्रयत्नोंमें सफलता भी होती थी। मौका पाते ही कभी उसकी मण्डली तालियों बजाकर, कभी हास्यकारक बातें कहकर, कभी ब्यारयान देकर और कभी पार्लमेण्टका काम रोकनेका उपक्रम करके चलती गाड़ीके आगे काठ डालती थी। वह मन्त्रि-मण्डलको दिक् करके आयरिश लोगोंकी बातोंकी ओर उसका ध्यान आकृष्ट कराती थी। सब तरहके दाव-पेच करके, आक्रमण करके और लड़-झगड़के वह सदा राजनीतिकरण-क्षेत्रमें आगे बढ़नेके लिए तैयार रहती थी। इस सम्बन्धमें वह कवायद करना सूब जानती थी और इस कवायदका श्रेय पार्नेलको था।



## परिशिष्ट \* ।

‘राष्ट्रीय स्वतंत्रताका आन्दोलन’ शीर्षक छोटे प्रकरणके अन्तमें हम बतला चुके हैं कि ब्रिटिश सरकारने आयरिश समस्याकी मीमासाके लिए वहाँके प्रायः सभी राजनीतिक दलों तथा अन्यान्य समाजों और वर्गोंके प्रतिनिधियोंको एक महासभा या कनवेंशन करके यह निश्चय करनेका अधिकार दिया था कि वे सब लोग मिलकर स्वयं यह निश्चित करें कि भविष्यमें आयरलैंडका शासन किस प्रकार हो। उस समय हमने यह भी लिखा था कि—“इस समय जो दल इससे अलग रहेगा उसके नेताओं पर बड़ा भारी दायित्व रहेगा और यदि वह कनवेंशन कुछ सिद्धान्त स्थिर न कर सकी तो इसमें स्वयं आयरिश ही दोषी होंगे और यही समझा जायगा कि समस्त आयरलैंड स्वराज्य नहीं चाहता। × × × × × × × × × आयरिश लोगोंकी उच्चाकाक्षाओंकी पूर्ति और स्वराज्य-पात्रताकी सिद्धि आकर इन्हीं कनवेंशन पर निर्भर हुई है। आगा है आयरलैंड ऐसा अमूल्य अवसर अपने हाथों नष्ट न करेगा।” (देसो पृष्ठ १५७)

लेकिन जिस घरकी फूटके लिए आयरलैंड इतना प्रसिद्ध है और जिस फूटके कारण सैकड़ों वर्षसे उसे परार्थनताके गड्ढेमें पड़े रहना पड़ा है, देखते हैं, उस फूट और मतभेदने अभीतक उसका पीछा नहीं छोड़ा। सर होरेश प्लेटरकी जव्यक्षतामें कनवेंशनके अधिवेशन हुए और गत अप्रैल (१९१८) के मध्यमें उसकी रिपोर्ट भी प्रकाशित हो गई। यद्यपि प्रायः आठ मासतक आयरलैंडके सभी दलोंको ठीक

\* इस पुस्तकका अनुवाद ४-५ मास पहले ही तैयार हो चुका था, पर इसके छपनेमें बहुत अधिक विलम्ब हो गया। अतः इस परिशिष्टमें आयरलैंड-सम्बन्धी इधरकी कुछ नई बातें दी जाती हैं।—रामचन्द्र वर्मा।

रास्ते पर लाने और एकमत करनेके लिए कठिन परिश्रम किया गया था तथापि उसमें सफलता नहीं हुई और जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई सर्व-सम्मतिसे नहीं बल्कि बहुमतसे हुई। उस रिपोर्टको इंग्लैण्डके महामंत्री मि० लाइड जार्जके पास भेजते हुए उन्होंने साथमें एक पत्र भी भेजा था जिसमें उन्होंने उस रिपोर्टकी मुख्य मुख्य बातें दे दी थीं। उस रिपोर्ट तथा पत्रको देखनेसे ज्ञात होता है कि कनवेनशनमें बहुमतसे यह तो निश्चय हो गया कि आयरलैण्डमें ६४ सदस्योंका एक सिनेट तथा २०० सदस्योंका एक हाउस आफ कामन्स हो, और नेशनलिस्ट अथवा जातीय दलके लोगोंने यह बात भी कह दी थी कि यदि आवश्यकता हो और यूनियनिस्ट दलके लोग चाहें तो वे हाउस आफ कामन्सके लिए ४० प्रति सैकडे अर्थात् २०० में से ८० सभासद स्वयमनोनीत कर सकते हैं। अलस्टरवालोंने अपने प्रान्तसे सभासदोंको मनोनीत करना भी अस्वीकृत किया और अपने दलकी ओरसे एक अलग रिपोर्ट लिखकर उसमें इस बात पर जोर दिया कि यदि आयरलैण्डको स्वराज्य दिया भी जाय तो हमारा प्रान्त अलस्टर उससे बिल्कुल अलग और स्वतंत्र रहता जाय। उनमेंसे कुछ लोगोंका मत था कि यदि आयरलैण्डको यूनाइटेड किंगडम (United Kingdom) से अलग हो जानेका अधिकार है तो अलस्टरको भी शेष आयरलैण्डसे अलग हो जानेका अधिकार है। थोड़ेसे नेशनलिस्ट भी ऐसे निकले, स्वराज्य-सम्बन्धी बातोंमें जिनका मत और लोगोंसे भिन्न था। शेष सब नेशनलिस्ट, समस्त दक्षिणी यूनियनिस्ट और मजदूर-दलके सात प्रतिनिधियोंमेंसे पाँच प्रतिनिधि होमरूल या स्वराज्यके पूरे पक्षपाती थे और इन्हीं लोगोंकी सख्याकी अधिकताके कारण बहुमतसे यह रिपोर्ट भी प्रकाशित हो सकी जो होमरूल या स्वराज्यके पक्षमें है। यदि अलस्टरवाले यूनियनिस्ट भी इन लोगोंका साथ देते तो कहा जा सकता

था कि यह रिपोर्ट सर्वसम्मतिसे प्रकाशित हुई है । अलस्टरवालोंको मिलानेके लिए नेशनलिस्ट लोगोंने उनकी ओर कई बातें मान ली थीं, पर फिर भी स्वराज्यके सम्बन्धमें नेशनलिस्ट लोगोंकी बातें अलस्टरवालोंने नहीं मानीं और एक विवादात्मक प्रश्न उपस्थित कर ही दिया । तथापि कनवेनशनने बहुमतसे यही निश्चित किया कि सारे आयर्लैण्डके लिए एक पार्लिमेण्ट हो जिसे देशके सब प्रकारके आन्तरिक प्रबन्ध आदिके लिए पूरा पूरा अधिकार हो, वह अपने देशके लिए कानून बना सके, उसका शासन कर सके और लोगों पर स्वय ही टैक्स आदि लगा सके । साधारणतः आयरिश लोग चाहते हैं कि हमें वैसा ही स्वराज्य मिले जैसा कि उपनिवेशों आदिको प्राप्त है । उपनिवेशोंमें अपने यहाँकी जल तथा स्थल-सेनाका प्रबन्ध स्वय ही किया जाता है, साम्राज्य-सरकार उससे कोई सम्बन्ध नहीं रखती । परन्तु आयर्लैण्डकी भौगोलिक स्थिति ऐसी नहीं है—वह इंग्लैण्डके इतना पास है, कि वहाँ जल तथा स्थल-सेनाका स्वतंत्र प्रबन्ध नहीं हो सकता । इस लिए कनवेनशनने भी यही निश्चित किया कि जल तथा स्थल-सेनासम्बन्धी सब अधिकार ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश पार्लिमेण्टके ही हाथमें रहे ।

स्वराज्यका दूसरा महत्त्वपूर्ण अंग अर्थ-प्रबन्ध है । यदि स्वराज्य मिल जाने पर भी किसी देशको अपने यहाँका आर्थिक प्रबन्ध करनेका अधिकार न हो तो वह स्वराज्य अधूरा ही ठहरेगा, उससे लोगोंकी उच्चाकाक्षाओंकी पूर्ति नहीं हो सकती । लेकिन मि० लाइड जार्जने पहले ही एक अवसर पर बतला दिया था कि कमसे कम जबतक युद्ध समाप्त न हो जाय तब तक आयर्लैण्डको आर्थिक स्वतंत्रता मिलना सम्भव नहीं है और ब्रिटिश सरकार चाहती है कि ग्रेटब्रिटेन तथा आयर्लैण्डमें इस समय जो आर्थिक सम्बन्ध है वह ज्योंका त्यों बना रहे, उसमें किसी प्रकारका व्यत्यय न हो । और यह बात बहुतसे अर्थोंमें ठीक भी थी ।

गवर्नमेण्टका यह भी विचार था कि युद्धके दो वर्ष बाद तक आयरलैंडके आयात-सम्बन्धी करों तथा आवकारी पर ब्रिटिश पार्लमेण्टका पूरा पूरा अधिकार रहे और ज्यों ही आयरिश पार्लमेण्ट स्थापित हो त्यों ही एक सयुक्त एक्सचेजर बोर्ड इस बातका निश्चय करनेके लिए स्थापित हो कि आयरलैंडकी वास्तविक आय क्या होनी चाहिए, और तब इस बातकी जाँचके लिए एक रायल कमीशन नियुक्त हो कि आयरलैंड कितना धन प्रतिवर्ष साम्राज्य सरकारको साम्राज्यसम्बन्धी व्ययके लिए दिया करे और दोनोंका आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध किस प्रकारका हो। पुलिस और डाक-विभागको भी सरकार युद्ध-कालतक अपने ही अधिकारमें रखना चाहती थी। इन बातों पर कनवेनशनमें बहुत कुछ वादविवाद हुआ था और कुछ लोगोंने अपनी अपनी सम्मतिके अनुसार इस सम्बन्धमें भिन्न भिन्न प्रस्ताव उपस्थित किये थे। पर उनमेंसे लार्ड मेकडानलका प्रस्ताव कनवेनशनको अधिक पसन्द आया, क्योंकि उसमें मि० लाइड जार्ज तथा सरकारकी मुख्य मुख्य बातोंका समावेश होगया था। तदनुसार कनवेनशनने निश्चित किया कि आवकारी और बाहरसे आनेवाले माल पर महसूल लगानेका अधिकार अभी तो साम्राज्य सरकारको ही रहे, पर उनके सम्बन्धकी सब बातोंका अन्तिम निर्णय युद्ध समाप्त होनेके सात वर्षके अन्दर ही हो जाय, ग्रेटब्रिटेनके व्यापारमें किसी प्रकारकी बाधा न हो इसके लिए दोनों देशोंमें मुक्तद्वार या स्वच्छन्द वाणिज्य होता रहे, युद्धकालमें पुलिस और डाक-विभाग पर आयरिश तथा साम्राज्य दोनों सरकारोंका सयुक्त अधिकार रहे, और सयुक्त एक्सचेजर बोर्ड तो बने पर रायल कमीशनकी नियुक्त न हो। अलस्टर यूनियनिस्टोंने इस सम्बन्धकी अनेक बातोंको अस्वीकृत किया और उनके विषयमें अपनी स्वतंत्र रिपोर्ट दी। कुछ नेशनलिस्टोंका कहना था कि इम्पीरियल पार्लमेण्टको

इस बातका अधिकार नहीं होना चाहिए कि वह आयर्लैण्डके लिए अनि-  
 चार्य्य सैनिक सेवाका विधान करे । पर कुछ नेशनलिस्टोंने कहा कि नहीं,  
 इस कठिन समयमें हमे साम्राज्य-सरकारकी वन और जनसे कुछ सहायता  
 करनी चाहिए । देश-रक्षा और पुलिस-सम्बन्धी जो सब कमेटी नियुक्त  
 हुई थी उसने अपनी रिपोर्टमें कहा था कि यदि आयर्लैण्डको स्वराज्य  
 मिल जाय तो उस दशामें विना आयरिश पार्लमेण्टकी स्वीकृति और सहा-  
 यताके आयर्लैण्डमें जबरदस्ती भर्तीका कानून जारी न हो सकेगा । आगे  
 बढ़नेसे पहले इस अवसरपर इस रिपोर्टके सम्बन्धमें हम केवल दो बातें  
 बतला देना चाहते हैं । एक तो यह कि कनवेनशनकी बैठक आरम्भ  
 होनेसे पहले आयरिश लोगोंमें जो मत भेद था, वह मत-भेद कनवे-  
 नशनकी रिपोर्टतकमें बना रहा । और दूसरी बात यह कि कुछ तो  
 युद्धके कारण और कुछ इस मत-भेदके कारण कनवेनशनकी स्वराज्य-  
 सम्बन्धी अधिकारोंकी मांगे अनेक अशोभे घट गईं । जैसा कि हम पहले  
 कह चुके हैं इस रिपोर्टके आधार पर आयर्लैण्डको मिलनेवाला स्वराज्य  
 प्रायः अधूरा ही ठहरेगा—उससे नेशनलिस्टोंकी उच्चाकाक्षाओंकी पूर्ति  
 नहीं होगी । इसी वृत्तिमें ( अप्रैल १९१८ के आरम्भमें ) हाउस आफ  
 कामन्समें जन वल सम्बन्धी बिल पर विचार हो रहा था । विचार क्या  
 हो रहा था, उस बिलको जल्दी जल्दी रसम अदा करके पास करनेकी  
 चिन्तामें लोग लगे हुए थे । युद्धके लिए सैनिकोंकी आवश्यकता दिन पर  
 दिन बढ़ती जाती थी । सरकार चाहती थी कि अट्टारहसे पचास वर्ष  
 तककी अवस्थाके सब लोग और पचपन वर्षतककी अवस्थाके  
 कुछ विशिष्ट योग्यता तथा शिक्षाप्राप्त लोग सैनिक सेवामें लिये  
 जा सकें, पहले कुछ विशिष्ट नियमोंके अनुसार जो लोग सैनिक  
 सेवा करनेसे मुक्त हो सकते थे, वे आगे मुक्त न हो सकें और  
 सम्राटको इस बातका अधिकार प्राप्त हो जाय कि वे इस 'आश-

गवर्नमेण्टका यह भी विचार था कि युद्धके दो वर्ष बाद तक आयरलैंडके आयात-सम्बन्धी करों तथा आवकारी पर ब्रिटिश पार्लमेण्टका पूरा पूरा अधिकार रहे और ज्यों ही आयरिश पार्लमेण्ट स्थापित हो त्यों ही एक सयुक्त एक्सचेकर बोर्ड इस बातका निश्चय करनेके लिए स्थापित हो कि आयरलैंडकी वास्तविक आय क्या होनी चाहिए, और तब इस बातकी जाँचके लिए एक रायल कमीशन नियुक्त हो कि आयरलैंड कितना धन प्रतिवर्ष साम्राज्य सरकारको साम्राज्यसम्बन्धी व्ययके लिए दिया करे और दोनोंका आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध किस प्रकारका हो। पुलिस और डाक-विभागको भी सरकार युद्ध-कालतक अपने ही अधिकारमें रखना चाहती थी। इन बातों पर कनवेनशनमें बहुत कुछ वादविवाद हुआ था और कुछ लोगोंने अपनी अपनी सम्मतिके अनुसार इस सम्बन्धमें भिन्न भिन्न प्रस्ताव उपस्थित किये थे। पर उनमेंसे लार्ड मेकडानलका प्रस्ताव कनवेनशनको अधिक पसन्द आया, क्योंकि उसमें मि० लाइड जार्ज तथा सरकारकी मुख्य मुख्य बातोंका समावेश होगया था। तदनुसार कनवेनशनने निश्चित किया कि आवकारी और बाहरसे आनेवाले माल पर महसूल लगानेका अधिकार अभी तो साम्राज्य सरकारको ही रहे, पर उनके सम्बन्धकी सब बातोंका अन्तिम निर्णय युद्ध समाप्त होनेके सात वर्षके अन्दर ही हो जाय, ग्रेटब्रिटेनके व्यापारमें किसी प्रकारकी बाधा न हो इसके लिए दोनों देशोंमें मुक्तद्वार या स्वच्छन्द वाणिज्य होता रहे, युद्धकालमें पुलिस और डाक-विभाग पर आयरिश तथा साम्राज्य दोनों सरकारोंका सयुक्त अधिकार रहे, और सयुक्त एक्सचेकर बोर्ड तो बने पर रायल कमीशनकी नियुक्त न हो। अलस्टर यूनियनिस्टोंने इस सम्बन्धकी अनेक बातोंको अस्वीकृत किया और उनके विषयमें अपनी स्वतंत्र रिपोर्ट दी। कुछ नेशनलिस्टोंका कहना था कि इम्पीरियल पार्लमेण्टको,

इस बातका अधिकार नहीं होना चाहिए कि वह आयर्लैण्डके लिए अनि-  
 वार्य्य सैनिक सेवाका विधान करे । पर कुछ नेशनलिस्टोंने कहा कि नहीं,  
 इस कठिन समयमें हमें साम्राज्य-सरकारकी धन और जनसे कुछ सहायता  
 करनी चाहिए । देश-रक्षा और पुलिस-सम्बन्धी जो सब कमेटी नियुक्त  
 हुई थी उसने अपनी रिपोर्टमें कहा था कि यदि आयर्लैण्डको स्वराज्य  
 मिल जाय तो उस दशामें विना आयरिश पार्लमेण्टकी स्वीकृति और सहा-  
 यताके आयर्लैण्डमें जबरदस्ती भर्तीका कानून जारी न हो सकेगा । आगे  
 बढ़नेसे पहले इस अवसरपर इस रिपोर्टके सम्बन्धमें हम केवल दो बातें  
 बतला देना चाहते हैं । एक तो यह कि कनवेनशनकी बैठक आरम्भ  
 होनेसे पहले आयरिश लोगोंमें जो मत भेद था, वह मत-भेद कनवे-  
 नशनकी रिपोर्टतकमें बना रहा । और दूसरी बात यह कि कुछ तो  
 युद्धके कारण और कुछ इस मत-भेदके कारण कनवेनशनकी स्वराज्य-  
 सम्बन्धी अधिकारोंकी मँगों अनेक अशोंमें घट गई । जैसा कि हम पहले  
 कह चुके हैं इस रिपोर्टके आधार पर आयर्लैण्डको मिलनेवाला स्वराज्य  
 प्राय अधूरा ही ठहरेगा—उससे नेशनलिस्टोंकी उच्चाकाक्षाओंकी पूर्ति  
 नहीं होगी । इसी बीचमें ( अप्रैल १९१८ के आरम्भमें ) हाउस आफ  
 कामन्समें जन-बल सम्बन्धी बिल पर विचार हो रहा था । विचार क्या  
 हो रहा था, उस बिलको जल्दी जल्दी रसम अदा करके पास करनेकी  
 चिन्तामें लोग लगे हुए थे । युद्धके लिए सैनिकोंकी आवश्यकता दिन पर  
 दिन बढ़ती जाती थी । सरकार चाहती थी कि अट्टारहसे पचास वर्ष  
 तककी अवस्थाके सब लोग और पचपन वर्षतककी अवस्थाके  
 कुछ विशिष्ट योग्यता तथा शिक्षाप्राप्त लोग सैनिक सेवामें लिये  
 जा सकें, पहले कुछ विशिष्ट नियमोंके अनुसार जो लोग सैनिक  
 सेवा करनेसे मुक्त हो सकते थे, वे आगे मुक्त न हो सकें और  
 सम्राटको इस बातका अधिकार प्राप्त हो जाय कि वे इस आश-



यकी एक घोषणा प्रचारित कर दें कि इस जातीय सकटके समय कोई मनुष्य सैनिक सेवासे मुक्त न हो सकेगा—सबके लिए सैनिक सेवा अनिवार्य हो जाय । ९ अप्रैलको मि० लाइड जार्जने हाउस आफ कामन्समें युद्धकी तत्कालीन स्थिति तथा अन्यान्य अनेक बातोंके सम्बन्धमें एक बहुत बड़ा व्याख्यान दिया था जिसमें उक्त जन वल-सम्बन्धी विल पर भी कुछ बातें कही थीं और उनके स्वीकृत होनेकी आवश्यकता तथा लाभ बतलाये थे । जिस समय आयरलैण्डका जिक्र आया और उन्होंने कहा कि ऐसे अवसर पर आयरलैण्डको अलग छोड़ देना और उससे जन-बलकी सहायता न लेना न्याय-संगत न होगा उस समय पार्लमेण्टके आयरिश सदस्योंने अपना असन्तोष और अस्वीकृति प्रकट की थी । मि० लाइड जार्जने कहा था कि—“हाउस आफ कामन्समें आजतक होमरूलसम्बन्धी कोई ऐसा प्रस्ताव उपस्थित नहीं हुआ, जिसमें जल तथा स्थल-सेनासम्बन्धी पूर्ण अधिकारोंसे साम्राज्यकी पार्लमेण्टको वंचित रखनेकी बात कही गई हो, इसलिए इस नये विलसे जातीय अधिकारों पर किसी प्रकारका आक्रमण नहीं होता । इस युद्धके साथ इंग्लैण्डका जितना सम्बन्ध है आयरलैण्डका भी उसके साथ उतना ही बल्कि उससे भी कुछ बढ़कर सम्बन्ध है । युद्धके आरम्भमें आयरलैण्टने अपनी पूरी सहानुभूति प्रकट की थी । अमेरिका भी युद्धमें सम्मिलित है और आयरलैण्डकी अपेक्षा अमेरिकाके सयुक्त राज्योंमें अधिक आयरिश निवास करते हैं, जो सबके सब वहाँ सैनिक सेवा करनेके लिए बाध्य हैं । इसी प्रकार ग्रेटब्रिटेन और कनाडामें रहनेवाले आयरिश लोग भी सैनिक सेवाके लिए बाध्य हैं । एक छोटेसे कैथोलिक देश ( वेलजियम ) की स्वतंत्रताकी रक्षाके लिए इंग्लैण्ड, वेल्स और स्काटलैण्डके १८ से ५० वर्ष तकके व्याहे और बालबच्चेवाले लोग तो सेनामें ले लिये जायँ और २० से २५ वर्ष तकके आयरिश सेनामें भर्ती होनेसे बच जायँ,

यह अनुचित और अन्याय ही है । ” आदि आदि बातें कहकर मि० लाइट जार्जने कहा कि इसी लिए आयलैंडमें भी उन्हीं शर्तों पर मिलिटरी सर्विस एक्ट ( Military Service act) का व्यवहार करनेका प्रस्ताव किया जाता है जिन शर्तों पर ग्रेटब्रिटेनमें उसके व्यवहृत होनेकी बात है । साथ ही आयलैंडमालोंको सन्तुष्ट करनेके लिए उन्होंने यह भी बतला दिया कि सरकार चाहती है कि पार्लमेण्टसे तुरन्त आयरिश होमरूल बिल पास करनेके लिए कह दिया जाय । इस पर आयरिश मेम्बरोंने बहुत शोर मचाया और कहा—‘रहने दीजिए’ । मि० लाइट जार्जने यह भी कह दिया कि होमरूल और अनिवार्य सैनिक सेवाको एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए । दोनों पर अलग अलग और उनके महत्त्वके अनुसार विचार होना चाहिए । पर आयरिश लोग चिढ़ाते ही जाते थे और कुछ तो यहाँतक कहते थे कि—‘दोनोंको रहने दीजिए ।’ कनवेनशनकी रिपोर्टके सम्बन्धमें उन्होंने यह भी बतला दिया था कि यद्यपि वह रिपोर्ट बहुमतसे तैयार हुई है तथापि उससे मली भौंति यह सिद्ध नहीं होता कि सज्जदलोंमें पूरा समझौता हो गया है, इसी लिए उन्होंने यह भी बतला दिया कि इस सम्बन्धमें भाविष्यमें क्या होना चाहिए । उन्होंने कहा कि कनवेनशनकी रिपोर्टके आधार पर पार्लमेण्टके सामने स्वयं सरकारको ऐसे प्रस्ताव उपस्थित करने चाहिए जो कि बिना किसी भारी विरोध या आपत्तिके स्वीकृत हो जायँ । सरकार शीघ्र ही ऐसा मसौदा पार्लमेण्टमें उपस्थित करेगी और उसको शीघ्र पास कर देनेकी सम्मति भी उसे देगी । जिस समय बहुतसे आयरिश युवक रणक्षेत्रमें लड़ते हों उस समय उनके मनमें यह भाव उत्पन्न होना चाहिए कि वे अपने देशके बाहर उस सिद्धान्तकी स्थापनाके लिए नहीं लड़ रहे हैं जो स्वयं उन पर प्रयुक्त नहीं हुआ है । इस पर आयरिश दलने खूब तालियाँ पीटकर अपनी प्रसन्नता प्रकट की थी ।

उसी अवसरपर मि० डिलनने जो स्वर्गीय मि० जान रेडमडकी + मृत्युके उपरान्त आयरिश दलके नेता हुए है, सढे होकर भरी पार्लिमेण्टमें कह डाला कि आयरलैंडमें सरकारका जवरदस्ती भर्तीका कानून जारी करना पागलपनका काम है। उसी समय उन्होंने यह भी प्रस्ताव किया था कि यह जन-बलसम्बन्धी बिल अभी स्थगित कर दिया जाय, परन्तु उनके पक्षमें केवल ८५ मत आये और विपक्षमें ३०१ मत रहे, जिससे वह स्थगित न हो सका। तात्पर्य यह कि बिना स्वराज्यका निपटारा हुए आयरिश लोग जवरदस्ती भर्तीका बिल स्वीकृत करनेके लिए तैयार नहीं थे। मजदूर दलने भी स्पष्ट कह दिया था कि आयरलैंडको बिना स्वराज्य दिये वहाँ कभी जवरदस्ती भर्तीका कानून जारी नहीं करना चाहिए। जिस समय पार्लिमेण्टमें जन-बल-बिल पर वादविवाद हो रहा था, उस समय मि० डिलनने यह भी प्रस्ताव किया था कि इस बिलमेंसे आयरलैंड शब्द निकाल दिया जाय, परन्तु प्रधान मंत्री मि० लाइड जार्जने इसके उत्तरमें कहा था कि आयरलैंडमें जवरदस्ती भर्तीका कानून जारी करनेसे पहले ही होमरूल बिल पास कर दिया जायगा। इसपर मि० हीलीने प्रश्न किया कि हाउस आफ लार्ड्सने आयरिश होमरूल बिल अस्वीकृत कर दिया तो क्या उस दशामें मन्त्रिमण्डल इस्तीफा दे देगा? उत्तरमें मि० बार्नेसने

+ मि० जान रेडमड ब्रिटिश पार्लिमेण्टमें आयरिश नेशनलिस्ट दलके प्रधान नेता थे। सन् १९१२ वाला आयरिश होमरूल बिल पार्लिमेण्टमें उन्हींके अविश्रात परिश्रम और प्रयत्नसे पास हुआ था। आयरिश कन्वेंशनमें सब दलोंको मिलाने और भावी होमरूलकी स्कीम तैयार करनेमें भी ये ही अग्रगण्य थे। ये स्वराज्यके कट्टर पक्षपाती होनेके अतिरिक्त साम्राज्यके भी कट्टर भक्त थे और आयरलैंडको साम्राज्यसे कभी अलग नहीं करना चाहते थे। इनकी मृत्युसे जो ६ मार्च १९१८ को हुई, आयरलैंडकी बहुत बड़ी जातीय और राजकीय हानि हुई है।

कहा कि हाँ यदि हाउस आफ लार्ड्सने होमरूल बिल अस्वीकृत कर दिया तो हम लोग इस्तीफा दे देंगे । इसी अवसर पर प्रधान मंत्री मि० लाइड जार्जने और भी कई महत्त्वपूर्ण बातें कही थीं, जिनसे सिद्ध होता था कि विशेषतः अमेरिकाकी प्रसन्नताके लिए आयरलैण्डको होमरूल देना और भी आवश्यक था । उन्होंने कहा था कि अमेरिकामें जबरदस्ती भर्तीका कानून जारी हो गया है और अमेरिकन सेना हम लोगोंकी सहायताके लिए आ रही है । ऐसी दशामें यदि हम भी अपने देशमें जबरदस्ती भर्तीका कानून जारी न करें तो यह बात ठीक न होगी । साथ ही अमेरिकाका भी यह मत है कि आयरलैण्डमें जबरदस्ती भर्तीका कानून जारी करनेसे पहले उसे स्वराज्य दे देना चाहिए । यद्यपि अपने देशके आन्तरिक शासन और प्रबन्धके सम्बन्धमें अमेरिकाको हम पर आज्ञा चलानेका अधिकार नहीं है, तथापि राष्ट्रपति बिलसनका मत है कि यदि इस समय आयरलैण्डको स्वराज्य दे दिया गया तो अमेरिकन लोग सन्तुष्ट हो जायेंगे और हमारे युद्ध-सम्बन्धी कार्योंमें सुगमता हो जायगी । इसी लिए हम लोग होमरूल बिलको युद्धकी समाप्तिका एक साधन समझते हैं और आयरलैण्डको होमरूल देना चाहते हैं । यदि इस समय आयरिश लोग यह होमरूल बिल स्वीकृत न करेंगे तो उसके कारण जो खराबी होगी उसकी जवाबदेही उन्हीं लोगों पर रहेगी । बिना स्वराज्य दिये आयरलैण्डमें जबरदस्ती भर्तीका कानून जारी करना अन्याय ही है । सब लोगोंको सन्तुष्ट करनेके लिए हम आयरलैण्डको स्वराज्य भी देंगे और वहाँ जबरदस्ती भर्तीका कानून भी जारी करेंगे ।

तात्पर्य यह कि उस समय इंग्लैण्डको महासमरके लिए जन-बलकी बहुत बड़ी आवश्यकता थी, इस लिए उसने आठ दस दिनके अन्दर ही कामन्स तथा लार्ड्स दोनों सभाओंमें जन-बल-बिल पास कर डाला

और सम्राटकी स्वीकृतिसे वह कानून भी बन गया। उस समय आयरलैंडके सम्बन्धमें दो कठिनाइयाँ उपस्थित थीं। एक तो यह कि यदि उसे स्वराज्य न दिया जायगा तो उससे जबरदस्ती जन-बलकी भी सहायता न ली जा सकेगी, और दूसरी यह कि उसे स्वराज्य न देनेसे अमेरिका भी असन्तुष्ट होगा और युद्धमें यथेष्ट सहायता न देगा। यहाँ तक कि मंत्रिमण्डलकी ओरसे कामन्स समामें कह दिया गया था कि यदि आयरलैंडको स्वराज्य न दिया जायगा तो अमेरिकासे यथेष्ट सहायता नहीं मिलेगी। इसके अतिरिक्त स्वयं ब्रिटिश मंत्रिमण्डल अनेक बार कह चुका था कि यह महासमर छोटे बड़े देशों तथा जातियोंकी स्वाधीनताकी रक्षा और वृद्धि आदिके लिए हो रहा है। ऐसे समयमें यदि इंग्लैण्ड अपने घरमें ही आयरलैंडको स्वराज्य न देता तो बहुत सम्भव था कि अमेरिका समझ लेता कि इंग्लैण्ड हमें बोसेमें डालकर अपना काम निकाल रहा है। इसी लिए प्रधान मंत्री मि० लाइड जार्जने निश्चित किया कि जहाँ तक शीघ्र हो सके, आयरलैंडको स्वराज्य दे ही देना चाहिए। ऐसे अवसर पर अलस्टरवालोंके नेता सर एडवर्ड कारसन भी यह समझकर स्वराज्यके पक्षमें हो गये कि स्वराज्यसे हमारा चाहे उतना अधिक हित न हो, पर तो भी उससे साम्राज्यका बहुत कुछ हित होगा और साथ ही आयरलैंड पर जर्मनीका कोई चक्र नहीं चल सकेगा। आदि आदि कई कारणोंसे इस समय इंग्लैण्डके राजनीतिज्ञ जहाँ तक शीघ्र हो सके, आयरलैंडको स्वराज्य दे डालना चाहते हैं। कनवेंशनकी रिपोर्टके आधार पर होमरूल-बिलका मसौदा तैयार करनेके लिए एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें निम्नलिखित सज्जन सम्मिलित हैं—मि० वाल्टर लाग, मि० चेम्बरलेन, मि० ड्यूक, सर जार्ज केव, लार्ड कर्जन, डा० एडिसन, मि० फिशर, मि० गार्डन, मि० ह्यूवर्ट, मि० बार्नेस और जनरल स्मट्स। यह कमेटी बहुत शीघ्रता और तत्प-

रतासे अपना काम कर रही है और आशा है कि दस-पाँच दिनके अन्दर ही पार्लमेण्टमें भी आयरिश होमरूल बिल उपस्थित होगा । आशा है यह बिल किसी न किसी प्रकार पास हो ही जायगा और उसके अनुसार शीघ्र ही आयरलैंडको स्वराज्य भी मिल जायगा । यह भी प्राय निश्चय हो चुका है कि जब तक आयरलैंडको स्वराज्य न दे दिया जाय तब तक वहाँ जबरदस्ती भर्तीका कानून भी जारी न किया जाय ।

अब अपने देश भारतवर्षको भी लीजिए । भारत-मंत्री मि० माटेगू भारत आये और कई महीने तक यहाँ रहकर यहाँके भिन्न भिन्न वर्गोंकी बातें सुनकर और भारतसरकारसे परामर्श करके इंग्लैण्ड लौट गये । यहाँ उन्होंने अपने श्रीमुखसे एक भी शब्द नहीं निकाला, जिससे भारतवासियोंका थोडा बहुत सन्तोष होता । उल्टे भारतवर्षसे स्वराज्यका जो डेपुटेशन विलायत जा रहा था उसे अँगरेजी समर मंत्रीमण्डलने मार्गमेंसे ही लौटा दिया । केवल इतना ही नहीं जिस विलायती कम्यूनिकमें उक्त समर-मन्त्रिमण्डलकी भारतीय स्वराज्य-डेपुटेशनके विलायत आनेके सम्बन्धमें मनाहीकी आज्ञा छपी थी, उसका स्वर इतना कर्कश और सहानुभूतिरहित था कि उसके सम्बन्धमें इस देशके समझदार निवासियोंको अपना असन्तोष और दुःस प्रकट करने की आवश्यकता पड़ी । गत अप्रैल मास ( १९१८ ) के अन्तमें दिल्लीमें जो युद्ध-महासभा हुई थी उसमें श्रीयुक्त सापर्डेने स्वराज्य सम्बन्धी जो प्रस्ताव उपस्थित करना चाहा था उसे भारतीय स्वराज्यके बहुत बड़े पक्षपाती बड़े लॉट लॉर्ड चेम्सफोर्ड तकने अस्वीकृत कर दिया । तात्पर्य यह कि अभीतक भारतवासी अपनी भावी स्वतंत्रताके सम्बन्धमें बिलकुल अन्धकारमें ही पड़े हुए हैं । अभीतक उन्हें कोई विशेष सन्तोषजनक और उत्साहवर्द्धक बात दिखाई या सुनाई नहीं दी है । बहुतसे भारतवासी

और सम्राटकी स्वीकृतिसे वह कानून भी बन गया। उस समय आयरलैण्डके सम्बन्धमें दो कठिनाइयाँ उपस्थित थीं। एक तो यह कि यदि उसे स्वराज्य न दिया जायगा तो उससे जबरदस्ती जन-बलकी भी सहायता न ली जा सकेगी, और दूसरी यह कि उसे स्वराज्य न देनेसे अमेरिका भी असन्तुष्ट होगा और युद्धमें यथेष्ट सहायता न देगा। यहाँ तक कि मन्त्रिमण्डलकी ओरसे कामन्स सभामें कह दिया गया था कि यदि आयरलैण्डको स्वराज्य न दिया जायगा तो अमेरिकासे यथेष्ट सहायता नहीं मिलेगी। इसके अतिरिक्त स्वयं ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल अनेक बार कह चुका था कि यह महासमर छोटे बड़े देशों तथा जातियोंकी स्वाधीनताकी रक्षा और वृद्धि आदिके लिए हो रहा है। ऐसे समयमें यदि इंग्लैण्ड अपने घरमें ही आयरलैण्डको स्वराज्य न देता तो बहुत सम्भव था कि अमेरिका समझ लेता कि इंग्लैण्ड हमें धोखेमें डालकर अपना काम निकाल रहा है। इसी लिए प्रधान मंत्री मि० लाइड जार्जने निश्चित किया कि जहाँ तक शीघ्र हो सके, आयरलैण्डको स्वराज्य दे ही देना चाहिए। ऐसे अवसर पर अलस्टरवालोंके नेता सर एटवर्ड कारसन भी यह समझकर स्वराज्यके पक्षमें हो गये कि स्वराज्यसे हमारा चाहे उतना अधिक हित न हो, पर तो भी उससे साम्राज्यका बहुत कुछ हित होगा और साथ ही आयरलैण्ड पर जर्मनीका कोई चक्र नहीं चल सकेगा। आदि आदि कई कारणोंसे इस समय इंग्लैण्डके राजनीतिज्ञ जहाँ तक शीघ्र हो सके, आयरलैण्डको स्वराज्य दे डालना चाहते हैं। कनवेनशनकी रिपोर्टके आधार पर होमरूल-बिलका मसौदा तैयार करनेके लिए एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें निम्नलिखित सज्जन सम्मिलित हैं—मि० बाल्टर लाग, मि० चेम्बरलैन, मि० ड्यूक, सर जार्ज केव, लॉर्ड कर्जन, डा० एडिसन, मि० फिशर, मि० गार्डन, मि० ह्यूवर्ट, मि० वार्नेस और जनरल स्मट्स। यह कमेटी बहुत शीघ्रता और तत्प-

रतासे अपना काम कर रही है और आशा है कि दस-पाँच दिनोंके अन्दर ही पार्लमेण्टमें भी आयरिश होमरूल बिल उपस्थित होगा । आशा है यह बिल किसी न किसी प्रकार पास हो ही जायगा और उसके अनुसार शीघ्र ही आयरलैण्डको स्वराज्य भी मिल जायगा । यह भी प्राय निश्चय हो चुका है कि जब तक आयरलैण्डको स्वराज्य न दे दिया जाय तब तक वहाँ जबरदस्ती भर्त्सिका कानून भी जारी न किया जाय ।

अब अपने देश भारतवर्षको भी लीजिए । भारत-मन्त्री मि० माटेगू भारत आये और कई महीने तक यहाँ रहकर यहाँके भिन्न भिन्न वर्गोंकी बातें सुनकर और भारतसरकारसे परामर्श करके इंग्लैण्ड लौट गये । यहाँ उन्होंने अपने श्रीमुखसे एक भी शब्द नहीं निकाला, जिससे भारतवासियोंका थोड़ा बहुत सन्तोष होता । उल्टे भारतवर्षसे स्वराज्यका जो टेपुटेशन विलायत जा रहा था उसे अँगरेजी समर मन्त्रीमण्डलने मार्गमेंसे ही लौटा दिया । केवल इतना ही नहीं जिस विलायती कम्यूनिकमें उक्त समर-मन्त्रीमण्डलकी भारतीय स्वराज्य-टेपुटेशनके विलायत आनेके सम्बन्धमें मनाहीकी आज्ञा छपी थी, उसका स्वर इतना कर्कश और सहानुभूतिरहित था कि उसके सम्बन्धमें इस देशके समझदार निवासियोंको अपना असन्तोष और दुःख प्रकट करने की आवश्यकता पड़ी । गत अप्रैल मास ( १९१८ ) के अन्तमें दिल्लीमें जो युद्ध-महासभा हुई थी उसमें श्रीयुक्त सापटोंने स्वराज्य सम्बन्धी जो प्रस्ताव उपस्थित करना चाहा था उसे भारतीय स्वराज्यके बहुत बड़े पक्षपाती बड़े लार्ड लार्ड चेम्सफोर्ड तकने अस्वीकृत कर दिया । तात्पर्य यह कि अभीतक भारतवासी अपनी भावी स्वतंत्रताके सम्बन्धमें त्रिलकुल अन्धकारमें ही पड़े हुए हैं । अभीतक उन्हें कोई विशेष सन्तोषजनक और उत्साहवर्द्धक बात दिखाई या सुनाई नहीं दी है । बहुतसे भारतवासी



अभी आयरिश स्वराज्यकी ओर टक लगाये है। वे समझते है कि उसके निपटारेके उपरान्त बेचारे भारत पर भी इंग्लैण्डकी कृपादृष्टि होगी। मि० वैप्रिटिस्टाने विलायतसे लिखा है कि जान पडता है कि शीघ्र ही भारतवर्ष के बहुत अच्छे दिन आनेवाले है। मि० माटेगू भी लंदन पहुँच गये है और भविष्यमें भारतमें होनेवाले राजनीतिक सुधारोका मसौदा जल्दी जल्दी तैयार कर रहे है। सर सुब्रह्मण्य ऐयरने एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण प्रार्थनापत्र अमेरिकाके राष्ट्रपति विलसनकी सेवामें भेजकर उनका ध्यान इस देशकी दशाकी ओर आकृष्ट किया है। वह पत्र अमेरिकाके प्रायः सभी पत्रोंमें और यहाँके भी कई पत्रोंमें प्रकाशित हो गया है। आशा है, उस पत्रसे अमेरिकावालोंके मनमें भारतवासियोंके प्रति भी कुछ सहा-नुभूति उत्पन्न होगी। अभी हालमें भारत सरकारने भारतीय जनबलका भी अधिक मानमें उपयोग करना विचारा है। उसने निश्चय किया है कि इस वर्ष भारतसे पाँच लाख मनुष्य सैनिक सेवाके लिए लिये जायेंगे। आयर्लैण्डवालोंकी तरह भारतवासियोंके मनमें भी यह भाव जागृत करनेकी आवश्यकता है कि हम लोग विदेशमें उन तत्त्वोंके लिए नहीं लड़ रहे है जो हमारे देशमें प्रयुक्त नहीं हो रहे है, उन्हें भी यह समझानेकी आवश्यकता है कि जिस स्वतंत्रताकी स्थापनाके लिए हम लोग अपना रक्त बहा रहे है वह स्वतंत्रता हमें कमसे कम अपने देशमें प्राप्त है। आदि आदि प्रायः सभी सयोग अच्छे और स्वराज्यके अनुकूल है। परन्तु फिर भी निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि भारतको शीघ्र आयर्लैण्डकी ही तरह बहुत बड़े बड़े अधिकार मिल जायेंगे। क्योंकि स्वयं आयर्लैण्डके इतिहाससे ही यह बात सिद्ध है कि प्रायः सब बातोंके बिलकुल ठीक हो जाने पर भी ठीक समय पर कभी कभी स्वराज्य-प्राप्तिमें भारी बाधा पड जाती है। भारतके सौभाग्य-सूर्यके उदय होनेका यह ठीक अवसर आया है। यदि इस समय वह सूर्य उदय हो

जायगा—भारतको थथेष्ट राजकीय अधिकार मिल जायेंगे—तो उसमें भारतका जो हित होगा वह तो होगा ही, साथ ही उससे इस समय भी और भविष्यमें भी, स्वय इंग्लैण्ड तथा साम्राज्यका भी बहुत बड़ा हित होगा । भारत-सरीखे विशाल देशसे और नहीं तो कमसे कम जन-बलकी कितनी अधिक सहायता मिल सकती है, यह हर समझदार आदमी सुद समझ सकता है । गत बड़े दिनोंके अवसर पर श्रीमती वीसेन्टने इंग्लैण्डके मजदूर-दलको जो सदेसा भेजा था उसमें उन्होंने कहा था कि यदि भारतको अधिकार मिल जायेंगे तो वह स्वय अपनी ही रक्षा नहीं करेगा, बल्कि आस्ट्रेलियाके तटोंकी भी रक्षा कर सकेगा । सर सुब्रह्मण्य ऐयरने राष्ट्रपति विलसनको जो सन्देश भेजा है उसमें उन्होंने बतलाया है कि यदि भारतवर्षको अधिकार मिल जायें तो थोड़े ही समयमें भारतमें दसलाख सैनिक तैयार हो सकते हैं । और ये दोनों ही बातें बहुतसे अशोंमें ठीक भी है । कौन कह सकता है कि बड़े बड़े अंगरेज राजनीतिज्ञ इन बातोंको मन ही मन न समझते हों और अपनी पुरानी सकुचित नीतिके लिए न पठताते हो ? और साथ ही यह भी कौन कह सकता है कि फिर सौ-पचास वर्ष बाद ब्रिटिश साम्राज्य पर इसी प्रकारका और कोई भारी सकट न आ पड़ेगा ? और फिर सौ-पचास वर्षोंकी बात जाने दीजिए । भारतमें वर्तमान महासमरके लिए सैनिक भर्ती करनेका जिन लोगोंको थोड़ा बहुत अनुभव है उनमेंसे कितने आदमी ऐसे समझदार हैं जो यह कह सकते हों कि भारतवासी बिना थथेष्ट अधिकार प्राप्त किये ही कितनी अधिक सरख्यामें और वह भी हार्दिक सहानु-भूति तथा दृढतापूर्वक मित्रोंका साथ देने और अपना खून बहानेके लिए तैयार हो जायेंगे ? गत चार पाँच वर्षोंका अनुभव सारे संसारको बतला चुका है कि भारतवासियोंका अविश्वास करना और

उनकी साम्राज्य-निष्ठामें सन्देह करना विलकुल निरर्थक और मूर्खता-पूर्ण है। आशा है, इस कठिन समयमें अंगरेज राजनीतिज्ञ बुद्धिमत्ता तथा उदारतासे काम लेकर भारतको सदाके लिए ब्रिटिश साम्राज्यका परम प्रिय, सच्चा और विश्वासपात्र साथी तथा सहायक बना लेंगे और अपने स्वराज्य-वादी होनेका ससारको एक और उत्कट तथा ज्वलन्त प्रमाण दिखला देंगे। इन दोनों कामोंके लिए इससे अच्छा अवसर जल्दी हाथ न आवेगा। २३-५-१९१८।

## हिन्दी-ग्रन्थ-रत्नाकर-सीरीज ।

हमारे यहाँसे उक्त नामकी एक ग्रन्थमाला निकलती है जिसमे बहुत ही उच्च श्रेणीके उत्तमोत्तम ग्रन्थ निकलते हैं । स्थायी प्रद्वकोंकी सीरीजके तमाम ग्रन्थ पौनी कीमतमें दिये जाते हैं । स्थायी ग्राहक बननेकी प्रवेश फीस आठ आने है जो पहिले जमा करानी पडती है । अबतक नीचे लिखे ग्रन्थ निकल चुके हैं —

१-२ स्वाधीनता . . . . . २)	१७ दुर्गादाम . . . . . III)
३ प्रतिभा . . . . . १)	१८ यक्षिम निबन्धावली . . . . . III)
४ फूलोंका गुच्छा . . . . . II)	१९ छत्रसाल . . . . . १II)
५ आँसूकी किराकरी . . . . . १II)	२० प्रायश्चित्त . . . . . I)
६ चौबेका चित्र . . . . . III)	२१ अनाहम लिखन . . . . . II)
७ मितव्ययता . . . . . III)	२२ मेवाडपतन . . . . . III)
८ स्वदेश . . . . . I)	२३ शाहजहाँ . . . . . III)
९ चरित्रगठन और मण्डल . . . . . II)	२४ मानव-जीवन . . . . . १I)
१० आत्मोद्धार . . . . . १)	२५ उस पार ( नाटक ) . . . . . १)
११ शान्तिकुटीर . . . . . III)	२६ ताराबाई ( पद्य नाटक ) . . . . . १)
१२ सफलता . . . . . II)	२७ देशदर्शन . . . . . ३)
१३ अन्नपूर्णाका मन्दिर . . . . . III)	२८ हृदयकी परख ( उपन्यास ) . . . . . III)
१४ त्वायलम्बन . . . . . १I)	२९ नन निधि ( गल्पगुच्छ ) . . . . . III)
१५ उपनासौचिकित्सा . . . . . III)	३० नूरजहाँ . . . . . १)
१६ सूमने घर सूम . . . . . II)	३१ आर्यलण्डन इतिहास . . . . . १III)
	३२ शिक्षा ( निबन्धावली ) . . . . . II)

## हमारी अन्यान्य पुस्तकें ।

१ व्यापाराशिक्षा . . . . . ॥)	११ सतानकल्पद्रुम . . . . . ॥)
२ युवाओंको उपदेश . . . . . ॥)	१२ वीरोकी कहानियाँ . . . . . ॥)
३ शान्तिवैभव . . . . . ॥)	१३ दियातले अँधरा . . . . . ॥)
४ बूढ़ेका व्याह . . . . . ॥)	१४ माणभद्र ( उपन्यास ) . . . . . ॥)
५ पिताके उपदेश . . . . . ॥)	१५ भाग्यचक्र . . . . . ॥)
६ अच्छी आदतें बालनेकी शिक्षा . . . . . ॥)	१६ कोलम्बस ( जीवनचरित ) . . . . . ॥)
७ लन्दनके पत्र . . . . . ॥)	१७ चिन्तावली ( गल्पगुच्छ ) . . . . . ॥)
८ न्याही बहू . . . . . ॥)	१८ अजनापवनंजय ( काव्य ) . . . . . ॥)
९ विद्यार्थीके जीवनका उद्देश . . . . . ॥)	१९ गिरना उठना और अपने पैरो
१० कनकरेखा ( गल्पगुच्छ ) . . . . . ॥)	खडे होना . . . . . १)

मैनेजर, हिन्दी-ग्रन्थ-रत्नाकर कार्यालय,  
हीराबाग, पो० गिरगाव, वम्पई ।

**ADGARCHAND BHAIRODAN SETHIA.**  
**JAIN LIBRARY.**  
**BIKANER, RAJASTHAN.**

अणुचन्द्र भैरोदान सेठिया  
जैन प्रत्यलय  
बीकानेर, (राजपुताना.)

